वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2016-17

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
बी–14 / ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110016
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110016
फैक्स / Fax : +91-11-26517507 www.pfrda.org.in

यह रिपोर्ट पेंशन निधि विनियामक तथा
विकास प्राधिकरण के प्रारुप (रिपोर्ट, प्रतिफल
तथा विवरण) नियमों 2015 के अनुसार है।

सत्यमेव जयते

हेमंत जी. कांट्रेक्टर
अध्यक्ष
Hemant G. Contractor
CHAIRMAN

पेंशन निधि विनियामक और
विकास प्राधिकरण
बी–14/ए, पहली मंजिल, छत्रपति शिवाजी भवन
कुतुब एंस्टिट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय,
नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–26517095
फैक्स : 011–26517507
ई–मेल : chairman@pfrda.org.in
www.pfrda.org.in

PENSION FUND REGULATORY
AND DEVELOPMENT AUTHORITY
B-14/A, Ist Floor, Chhatrapati Shivaji Bhawan
Qutab Institutional Area,
Katwaria Sarai, New Delhi-110016
Ph : 011-26517095
Fax : 011-26517507
E-mail : chairman@pfrda.org.in
www.pfrda.org.in

प्रेषण पत्र

संदर्भः फाइल संख्या पीएफआरडीए/11/87/4 30 नवंबर 2017

सचिव
वित्तीय सेवाएं विभाग
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली–110001

महोदय,

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 46(2) के प्रावधान के अनुसार, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष की वार्षिक कार्य रिपोर्ट की प्रतियाँ आपको प्रेषित करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है।

भवदीय

हेमंत जी. कांट्रेक्टर

(हेमंत जी कांट्रेक्टर)

विवरण तालिका

लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वक्तव्य ..... (i)

परिकल्पना ..... (i)

अध्यक्ष का संदेश ..... (ii)

बोर्ड के सदस्य ..... (iv)

प्राधिकरण की वरिष्ठ प्रबन्धन समिति ..... (v)

भाग – I

नितियाँ और कार्यक्रम 1

1.1 वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की सामान्य समीक्षा 1

1.1.1 मुद्रास्फीति 1

1.1.2 वित्तीय बाज़ार 2

1.2 घरेलू अर्थव्यस्था 4

1.2.1 समष्टि अर्थशास्त्र विकास 4

1.2.2 मुद्रास्फीति 5

1.2.3 वित्तीय बाज़ार 6

1.3 वैश्विक पेंशन बाज़ार की समीक्षा 9

1.4 2017 कें बजट में राष्ट्रीय पेंशन योजना हेतू प्रमुख घोषनाएँ 12

1.5 भारतीय जनसांख्यिकी तथा वृद्धवस्था आयु सुरक्षा 13

1.6 भारतीय पेंशन परिदृश्य 13

1.7 वर्ष के दौरान पीएफआरडीए के लक्ष्यों की संक्षेप 15

1.8 राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित मध्यस्थ तथा अन्य इकाईयां तथा अधिनियम के तहत आने वाली पेंशन योजनाएं 16

1.8.1 राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित मध्यस्थ 16

1.8.2 खातों के प्रकार 18

भाग – II

एनपीएस के तहत निधि–निवेश 20

2.1 पेंशन निधि 20

2.1.1 पेंशन निधि के कार्य 20

2.1.2 पेंशन–निधि सूची 20

2.2 योजनाएं 20

2.3 विभिन्न निवेश की श्रेणीयों के लिए पी.एफ.आर.डी.ए द्वारा नियंत्रित तथा प्रशासित विभिन्न योजनाओं का प्रकटीकरण 23

2.4 पेंशन निधि के लिए जारी किए गए विनियम, अधिसूचना, प्रमुख परिपत्र/दिशा निर्देश 24

भाग – III

प्राधिकरण के कार्य 25

3.1 मध्यस्थों का पंजीकरण तथा ऐसे पंजीकरण का निलंबन, निरसन आदि तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या पेंशन योजनाओं से जुड़े मध्यस्थों के क्रियाकलापों का विनियमन 25

3.2 योजनाओ का अनुमोदन उसके नियम तथा शर्तें जिनमें पेंशन निधि कोष के प्रबंधन हेतु नियम तथा ऐसी योजनाओं के तहत आने वाले निवेश हेतु दिशानिर्देश 26

3.3 राष्ट्रीय पेंशन योजना प्रणाली से अभिदाताओं का बर्हिगमन 27

3.3.1 राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत आंशिक निकासी 28

3.3.2 वार्षिकी सेवा प्रदाताओं तथा अभिदाताओं द्वारा चयनित वार्षिकी योजनाओं का विवरण 28

3.4 राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत आने वाले तथा अधिनियम के अंतर्गत आने वाली पेंशन योजनाओं के तहत अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा हेतु किए गए क्रियाकलाप 30

3.5 अभिदाताओं की शिकायतों के निवारण तंत्र तथा उन शिकायतों के निवारण हेतु किए गए क्रियाकलाप 32

3.6 पेंशन प्रणाली से जुड़ी व्यवसायिक संस्थाएं 33

3.7 प्राधिकरण तथा मध्यस्थों द्वारा आंकड़ों का संकलन, जिसमें अध्ययन अनुसंधान तथा परियोजनाओं की शुरुआत सम्मिलित है 34

3.8 अभिदाताओं तथा आम जनता को पेंशन, सेवानिवृत्ति बचत तथा उससे संबंधित मुद्दों के विषय में शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम तथा मध्यस्थों के प्रशिक्षण का विवरण 35

3.8.1 राष्ट्रीय पेंशन योजना जागरुकता अभियान 35

3.9 पेंशननिधि प्रदर्शन तथा प्रदर्शन मानदंड 39

3.10 नियंत्रित पूंजियां 43

3.11 वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए शुल्क तथा अन्य प्रभार 43

3.12 निरीक्षण, जांच तथा अन्वेषण की शुरुआत जिनमें मध्यस्थों तथा अन्य संस्थाएं और संगठन जो कि पेंशन निधि से जुड़े हैं, के विषय में मांगी गई सूचना 45

3.13 अन्य जानकारी 45

3.13.1 राष्ट्रीय पेंशन योजना तथा अधिनियम के तहत आने वाली अन्य पेंशन योजनाओं के अंतर्गत रखी गई अभिदाता सूची (श्रेणी के अनुसार) 45

3.13.2 उपस्थिति अस्तित्व 49

3.13.3 योजना के अनुसार प्रबंधन के तहत संपत्ति 50

3.13.4 केंद्रीय रिकार्डकीपिंग अभिकरण, उसकी भूमिका तथा कार्य 51

3.13.5 पेंशन निधि 55
3.13.6 न्यासी बैंक 55
3.13.7 राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत अभिरक्षक 56
3.13.8 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास 56
3.13.9 अन्य मध्यस्थ जिनमें संकलनकर्त्ता आदि सम्मिलित हैं 57
3.13.10 पेंशन के क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा किए गए अन्य कार्य 58

भाग – IV

4.1 पेंशन मंत्रणा समिति 60
4.2 निर्मित तथा संशोधित विनियम 60
4.3 अभिदाता शिक्षा के उपयोग तथा सुरक्षा निधि के लिए समिति का गठन 61
4.4 पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के तहत विनियमों का पालन के साथ विकास भूमिका निभाते हुए एक ऐसी विशेषज्ञ समिति का गठन जो संभावित हित–संघर्षों का समाधान करे 61
4.5 एनपीएस अभिदाताओं के लिए आवासीय सहायता समिति 61

भाग – V

5.1 पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले 62
5.1.1 पीएफआरडीए बोर्ड का गठन 62
5.1.2 प्राधिकरण की बैठकें 62
5.2 पीएफआरडीए में कर्मचारी संख्या 63
5.3 पीएफआरडीए में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ तथा अन्य पिछड़ी जाति प्रकोष्ठ निर्माण 63
5.4 कार्यस्थल पर यौन शोषण से बचाव हेतु समिति 64
5.5 कर्मचारी कल्याण समिति 64
5.6 पीएफआरडीए में कर्मचारियों का प्रशिक्षण 64
5.7 राजभाषा का प्रचार 64
5.8 सूचना का अधिकार 64
5.9 पीएफआरडीए के खाते 64

भाग – VI

कोई भी प्रतिकूल क्षेत्र जो अभिदाता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो 66
6.1 एनपीएस का आंशिक ईईई स्तर 66
6.2 एपीवाई में शामिल होने के लिए 40 वर्ष की आयु सीमा 66
6.3 निधि प्रबंधकों तथा निवेश वर्गों का चयन 66

भाग – VII

अधिनियम के तहत आने वाली राष्ट्रीय पेंशन योजना तथा अन्य पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अभिदाताओं के हितों की रक्षा हेतु किए गए अन्य उपाय 68

7.1 मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड/सेवानिवृत्ति निधि से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए राशि का स्थानांतरण 68

चित्र की सूची

चित्र 1.1 : वैश्विक मुद्रास्फीति 2

चित्र 1.2 : वैश्विक बांड मूल प्राप्ति–एक गिरती प्रवृत्ति 3

चित्र 1.3 : यू.एस. पेंशन निधि छूट दरः कम ब्याज़दर वातावरण में गिरावट के रुप में 4

चित्र 1.4 : मुद्रास्फीति 5

चित्र 1.5 : 10 वर्षीय जी–सेक प्राप्ति 7

चित्र 1.6 : सेन्सेक्स और निफ्टी गतिविधि 9

चित्र 1.7 : निजी पेंशन निवेश 9

चित्र 1.8 : विश्वभर में निजी पेंशन निवेश आकार जीडीपी 2015 के प्रतिशत के रुप मे 10

चित्र 1.9 : भारत तथा चीन के लिए पेंशन निधि द्वारा कुल निवेश में वार्षिक विकास दर 11

चित्र 1.10 : चयनित देशों के लिए 5 वर्षीय नामिनल तथा रियल औसत वार्षिक रिटर्न, 2010–2015 12

चित्र 2.1(अ) : संपत्ति वर्गवार एयूएम 31.03.2016 तक 24

चित्र 2.1(ब) : संपत्ति वर्गवार एयूएम 31.03.2017 तक 24

चित्र 3.1 : कॉल प्राप्तः योजनावार 37

चित्र 3.2(अ) : कॉलर्स का आयुवार वितरण–एनपीएस 37

चित्र 3.2(ब) : कॉलर्स का आयुवार वितरण–एपीवाई 37

चित्र 3.3 : वर्ष के अनुसार एनपीएस तथा एपीवाई अभिदाताओं की संख्या 46

चित्र 3.4(अ) : नए जोड़े गए अभिदाता– राज्य सरकार, जिसमें राज्य स्वायत्त निकाय सम्मिलित हैं। 47

चित्र 3.4(ब) : नए जोड़े गए अभिदाता–केंद्र सरकार, जिसमें केंद्र स्वायत्त निकाय सम्मिलित हैं। 47

तालिकाओं की सूची

तालिका 1.1 : पिछले वर्षों की तुलना में 2016–17 के लिए सामान्य मूल्यों पर योजित सकल मूल्य का तिमाही प्रतिशत परिवर्तन 5

तालिका 1.2 : चयनित देशों में पेंशन निधियों का अमेरिकी डॉलरों में कुल निवेश, 2010–2015 10–11

तालिका 1.3 : चयनित देशों में इक्विटी में पेंशन निधि पोर्टफोलियो, बिल्स तथा बांडस, 2013–2015 12

तालिका 1.4 : एनपीएस/एपीवाई के प्रबंधन के तहत अभिदाता, कोश तथा परिसंपत्तियों की संख्या (31 मार्च 2017 तक) 14

तालिका 1.5 : वित्तीय वर्ष 2016–2017 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन योजना/अटल पेंशन योजना के प्रदर्शन के मुख्यबिंदु 18

तालिका 2.1 : प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति का विवरण 21

तालिका 2.2(क) : पेंशन निधि और योजना के अनुसार परिसंपत्ति प्रबंधन मार्च 2017 तक 22

तालिका 2.2(ख) : पेंशन निधि अनुसार तथा योजना के अनुसार प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति मार्च 2017 तक 22
तालिका 2.3 : परिसंपत्ति प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति वर्गवार विभाजन 23
तालिका 3.1 : 1 अप्रैल वर्ष 2016 से 31 मार्च, 2017 के दौरान सूचित, स्वीकार्य तथा व्यवस्थित की गई निकासी 27
तालिका 3.2 : 31 मार्च, 2016 और 31 मार्च, 2017 के रूप में बकाया निकासी का दावा 27
तालिका 3.3 : 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च, 2017 तककी अवधि के दौरान सूचित और व्यवस्थित आंशिक वापसी के मामलों की संख्या 28
तालिका 3.4(अ) : 1 अप्रैल, 2016 से मार्च 31, 2017 के दौरान संसाधित किए गए भौतिक वार्षिकी अनुरोध 29
तालिका 3.4(ब) : 1 अप्रैल 2016 से मार्च 31, 2017 के दौरान प्रसंस्कृत किए गए ऑनलाइन वार्षिकी अनुरोध 29–30
तालिका 3.5 : 2016–17 के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों की स्थिति और निपटान 32
तालिका 3.6 : वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण और प्रशिक्षित कार्मिकों के क्षेत्रवार विवरण 36
तालिका 3.7 : एनपीएस में प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति (AUM) विघटन–विकास योजना वार स्थिति 40
तालिका 3.8 : एनपीएस में प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति (AUM) विघटन–अभिदाता वर्ग वार स्थिति 41
तालिका 3.9 : पेंशन फंड प्रबंधकों के साथ प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति (AUM) की स्थिति 42
तालिका 3.10 : वित्तीय वर्ष 2016–17 में योजना और पेंशन फंड अनुसार प्रतिदान तथा आरंभ से 42–43
तालिका 3.11 : विभिन्न चरणों में ग्राहकों के लिए शुल्क और देय 44
तालिका 3.12 : वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्त शुल्क 45
तालिका 3.13 : एनपीएस तथा एपीवाई के तहत अभिदाताओं की क्षेत्रवार संख्या 46
तालिका 3.14 : सरकारी क्षेत्र के अभिदाता, अंशदान तथा प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तिया 31.03.2017 तक 47
तालिका 3.15 : निजी क्षेत्र के अभिदाता, अंशदान तथा प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तिया 31.03.2017 तक 47
तालिका 3.16 : एपीवाई तथा एनपीएस लाईट के अभिदाता, अंशदान तथा प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तिया 31.03.2017 तक 48
तालिका 3.17 : अभिदाताओं की संख्या जो विभिन्न वितरण चैनलों के माध्यम से एपीवाई में पंजीकृत हुए 48
तालिका 3.18 : एपीवाई अभिदाताओं की पेंशन राशि के अनुसार संख्या 49
तालिका 3.19 : एपीवाई अभिदाताओं का आयु के अनुसार वितरण 31.03.2017 तक 49
तालिका 3.20 : एनपीएस के तहत पंजीकृत पीओपी–एसपीस 50
तालिका 3.21 : प्रबंधन के तहत संपत्ति का विवरण 50
तालिका 3.22 : न्यासी बैंक की कोर गतिविधियाँ 56
तालिका 3.23 : 31 मार्च 2017 तक एनपीएस न्यास का गठन 57

अनुलग्नकों की सूची

अनुलग्नक–I राज्यवार एपीवाई अभिदाता पंजीकरण 69
अनुलग्नक–II एनपीएस के तहत उपस्थिति अस्तित्व की सूची 71
अनुलग्नक–III एनपीएस के तहत संकलनकर्त्ताओं की सूची 74
अनुलग्नक–IV पेंशन सलाहाकार समिति (PAC) का गठन तथा पेंशन सलाहाकार समितियों के दौरान चर्चित मुद्दे 76
अनुलग्नक–V पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण 31 मार्च 2017 का तुलन पत्र 77

लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वक्तव्य

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की धारा 9(2)(C) के तहत (प्रतिवेदन, प्रतिदान और वक्तव्य) नियम, 2015

उद्देश्य

पीएफआरडीए के व्यापक उद्देश्य पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की प्रस्तावना में शामिल हैं जो कि निम्नलिखित है:

ऐसी प्राधिकरण की स्थापना के लिए कार्य करना, जो कि वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु, पेंशन निधि की स्थापना, विकास तथा विनियमन करे, पेंशन निधि योजनाओं से अभिदाताओं के हितों की तथा उससे जुड़े एवं प्रासंगिक मामलोंकी रक्षा करना।

ifjdYiuk

नागरिकों की वृद्धावस्था आय आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति हेतु एक संगठित पेंशन प्रणाली का प्रसार एवं विकास करते हुए एक आदर्श विनियामक की भूमिका अदा करना।

अध्यक्ष का संदेश

जनसांख्यिकीय कारक जिनमें, बढ़ती उम्र, घटती प्रजनन संख्या अंतर–आधारभूत समर्थन के साथ राजकोषीय तनाव सम्मिलित है, ने दुनिया भर के कई देशों को उनकी पेंशन प्रणाली को निश्चित लाभ से परिभाषित योगदान प्रणाली में बदलने की आवश्यकता महसूस हुई है। भारत में 2004 में हुई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत उसी दिशा में एक कदम है। इसका स्थापत्य संबंधी चमत्कार इसकी असमूहीकृत रुपरेखा में निहित है, जो कि मौजूदा वित्तीय क्षेत्रों की व्यवसायिक दक्षता पर निर्भर करती है जिनमें बैंक, एनबीएफसीस निवेश कंपनियां तथा एएमसीस सम्मिलित है, जिससे अभिदाताओं को कुल लागत कम पड़ती है। स्थिरता, मापनीयता, तकनीक–चालित प्रक्रियाएं, सुवाह्यता, तथा अभिदाताओं को बहुत से विकल्प पर जोर देना, इसे सबसे प्रभावी सेवानिवृत्त निवेश उत्पाद में से एक बनाता है, जिसमें भारत को एक समावेशी तथा सस्ती पेंशन प्रणाली बनाने का सामर्थ्य होता है।

प्रारंभ में केंद्र सरकार के अभिदाताओं के लिए एनपीएस की शुरुआत की गई थी, जिसे अब समाज की विभिन्न धाराओं द्वारा चरणबद्ध तरीके से उसके अनुकूल प्रकारों द्वारा अपनाया गया है। एनपीएस के अधीन उपभोक्ता आधार 31 मार्च 2017 को वित्तीय वर्ष में 271 की दर से बढ़ कर पहुँच गया है। 1.54 करोड़ के आंकड़े पर वित्तीय वर्ष 2017 में प्रबंधन के अधीन पूंजी में 47% की उन्नति हुई है, जो कि 1.19 लाख करोड़ से रुपये 1.75 लाख करोड़ पहुँच गई। ई–एनपीएस की शुरुआत तथा आंशिक प्रत्याहरण पर कर छूट के रुप में वित्तीय प्रोत्साहन तथा वार्षिकी पर सेवा कर निजी क्षेत्र में तीव्र उन्नति का कारण है। नई विशेषताओं को जोड़ना, जैसे वर्ष में दो बार योजना वरीयता में बदलाव की सुगम्यता, दूसरी क्रेंद्रीय रिकार्डकीपिंग अभिकरण की शुरुआत ने प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन दिया तथा मूल्यों को कम किया तथा इसके साथ ही भारत के सभी नागरिकों को तथा कॉरपोरेट क्षेत्र को कर्शण प्रदान किया। प्रवेश बाधा को दूर करने तथा तत्पश्चात् पहुँच बढ़ाने की दृष्टि से, एनपीएस खाता स्तर–II को सक्रिय रखने के लिए न्यूनतम वार्षिक योगदान रु. 6000/– से घटाकर रु.1000/– कर दिया गया, तथा स्तर–II खाते के लिए इसे माफ कर दिया गया। असंगठित क्षेत्र का विशाल समूह जो कि ऑनबोर्डिंग की चुनौती तथा अप्रवासी आबादी के साथ कमज़ोर श्रम बाज़ार संबंध के रुप में जारी है, मौसमी रोजगार की प्रवृत्ति, एवं कम आय के कारण हमारे लिए ध्यानकेंद्रित क्षेत्र बने हुए है। सार्वभौम गारंटी तथा बैंकों, डाकघरों के सहयोगी दृष्टिकोण के साथ अटल पेंशन योजना सूची स्तंभ के निम्नतर स्तर से अभिदाताओं को आकर्षित करने में समर्थ है। वित्तीय वर्ष 2016–2017 में इसने 24.22 लाख नए अभिदाताओं को एकत्र किया जिनमें से आधे से थोड़े ज्यादा सरकारी योगदान के लिए उपयुक्त हैं।

आवृत्त क्षेत्र के विस्तार के अतिरिक्त, वृद्धावस्था की आय सुरक्षा का प्रावधान, कार्यकाल के पश्चात् आय की पर्याप्तता की आवश्यकता पर भी बल देता है, जो कि उचित निवेश रुपरेखाओं द्वारा प्रतिदान (रिटर्न) को अनुकूलित करके किया जा सकता है। इस ओर, एक नया पूंजी वर्ग 'ए' (वैकल्पिक पूंजी) जिसमें वाणिज्यिक और आवासीय बंधक आधारित प्रतिभूतियां शामिल हैं, अचल संपत्ति निवेश न्यास द्वारा जारी इकाइयां, पूंजी समर्थित प्रतिभूतियां, संरचनाभूत निवेश न्यासों की इकाईयां तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा नियंत्रित वैकल्पिक निवेश निधि राष्ट्रीय पेंशन योजना के अधीन निजी क्षेत्र के लिए निवेश विकल्प के रुप में जोड़ा गया है।

अगला कदम उठाते हुए, पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में निजी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए मौजूदा जीवन चक्र निधि (डिफॉल्ट प्रणाली में उपलब्ध) के अलावा दो अन्य जीवन चक्र निधि की शुरुआत की है। ये जीवन चक्र निधि वे ''आक्रमक जीवन चक्र निधि'' है जिसे 35 साल की उम्र तक 75% इक्विटी के रुप में और ''अपरिवर्तनवादी जीवन चक्र निधि'' हैं जिसे 35 साल की उम्र तक 25% इक्विटी के रुप में आवंटित किया गया है। यह भी प्रस्तावित है कि एलसी–50 (मध्यम जीवन चक्र निधि) और एलसी–25 (''अपरिवर्तनवादी जीवन चक्र निधि'') सरकार के साथ विचार–विमर्श के बाद अन्य विकल्पों के साथ–साथ सरकारी कर्मचारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

पीएफआरडीए निरंतरता से मूल्य श्रृंखला में तकनीक का लाभ उठाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए और अभिदाताओं और प्रदाताओं के लिए एनपीएस का उपयोग आसान बनाने में कार्यरत है। एनपीएस के हिंदी संस्करण, आधारकार्ड संबंधित पंजीकरण हेतु ई–साईन सुविधा, मोबाईल एप का निरंतर उन्नयन, एपीवाई हेतु ई–प्रान, सरकारी क्षेत्र में डीडीओ अभिदाता ऑनलाईन पंजीकरण की शुरुआत इसी के कुछ उदाहरण हैं। ये सभी पहल अभिदाताओं को कार्य करने में सहायक होंगी और युवा तथा तकनीक आश्रित आबादी को प्रभावित करेगी, जो कि हमारा एक मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ हैं।

पीएफआरडीए, पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की अधिसूचना के बाद, कॉर्पोरेट प्रशासन के अंतर्निहित मध्यस्थों तथा अभिदाता सुरक्षा को मजबूत बनाने हेतु लक्षित विनियमों के व्यापक ढाचों, रुपरेखाओं तथा परिपत्रों को तैयार करने में लगा है। इन नियमों और दिशानिर्देशों की निरंतर समीक्षा की जाती है और यदि आवश्यक हो तो, प्रणाली को अधिक मज़बूत और प्रभावी बनाने हेतु संशोधन किया जाता है। इसमें एनपीएस से निकास हेतु आयु की समीक्षा करना तथा बढ़ाना, आंशिक निकासी हेतु नियमों को आसान बनाना, पीओपी पंजीकरण पात्रता मानदंडों में आशोधन आदि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, पीएफआरडीए अब एक निर्देशित अनुपालन आधारित पर्यवेक्षण से अधिक सक्रिय ''जोखिम आधारित पर्यवेक्षण'' की प्रक्रिया में संलग्न है, जो कि हमें प्रभावशाली रुप से ऐसी संस्थाओं और क्रियाकलापों जो जोखिम से परिपूर्ण है, के पर्यवेक्षी संसाधनों की ओर ध्यानकेंद्रित करने के लिए सक्षम बनाता है।

वर्तमान समय में भारत 25 वर्ष से कम आयु के युवा लोगों की प्रबलता के साथ बेहतर जनसांख्यिकीय स्तर पर है। इसने नीति निर्माताओं तथा नियामकों को एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण के माध्यम से एक पेंशनधारी समाज बनाने के लिए उपयुक्त समय प्रदान किया है। मेरा मानना है बड़े पैमाने पर जागरुकता निर्माण, प्रशिक्षण प्रदान करना, उत्पाद और प्रक्रिया में नवीन और वृद्धिशील परिवर्तनों की शुरुआत, तकनीक से लाभान्वित करना, कॉर्पोरेट प्रशासन की रुपरेखा तैयार करना, बाजार धारकों के लिए विश्वसनीय तथा सुनियंत्रित वातावरण बनाना, कुछ ऐसे कदम हैं जो हमें पेंशनरहित समाज से पेंशनयुक्त समाज बनाने वाले गैर–विध्वंसकारक परिवर्तन हेतु सक्षम बनाते हैं।

v/;{k

बोर्ड के सदस्य

31.03.2017 तक पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 धारा 4 के अधीन नियुक्त किए गए (2013 के अधिनियम 23)

¼d½ v/;{k

श्री हेमंत जी. कांट्रेक्टर

¼[k½ i.kdkfyd lnL;

1. डॉ बद्रीसिंह भंडारी, पूर्णकालिक सदस्य (अर्थशास्त्र) 16.05.2014 से आज तक
2. श्री प्रदीप चड्ढा, पूर्णकालिक सदस्य (विधि) 30.06.2014 से आज तक

¼x½ v'kdkfyd lnL;

1. सुश्री वंदना शर्मा, अपर सचिव, पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग 12 दिसंबर 2014 से
2. सुश्री एनी जॉर्ज मैथ्यू, संयुक्त सचिव, व्यय विभाग 12 दिसंबर 2014 से आज तक
3. श्री सुचिन्द्र मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग 23 जून 2016 से आज तक

प्राधिकरण की वरिष्ठ प्रबंधन समिति

dk;ikyd fun'kd

श्री सत्य रंजन प्रसाद

e[; egkic/kd

श्री कमल चौधरी (एनपीएस न्यास में प्रतिनियुक्ति पर)

e[; egkic/kd

श्री ए.जी. दास

e[; egkic/kd

श्री वी. पेरी

e[; egkic/kd

श्रीमति सुमीत कौर कपूर

egkic/kd

श्री आशिष कुमार

egkic/kd

श्री राकेश शर्मा

भाग – I
नितियाँ और कार्यक्रम

1.1 वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की सामान्य समीक्षा

विश्व मुद्रा कोश ने अपने विश्व आर्थिक दृश्टिकोण, अक्टूबर 2016 में, यूनाइटेड किंगडम के जनमत संग्रह को जो कि यूरोपीय संघ (ब्रेक्सिट) को छोड़ने के पक्ष में है तथा संयुक्त राष्ट्र की नरम गतिविधि को छोड़ते हुए वैष्विक विकास प्रक्षेपण को 0.1 प्रतिशत से 3.6 प्रतिशत तक 2016 के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे नरम दृष्टिकोण ने कमजोर वैष्विक व्यापार तथा मुद्रास्फीति की कमी के रुप मे प्रभाव को कम किया है।

विश्व अर्थव्यस्था ने 2016 की दूसरी छमाही से गति पकड़ी है, जिनमें उन्नत अर्थव्यवस्थाएं मुख्य चालक है। अमेरिकी अर्थव्यस्था में भविष्य की मांग को लेकर विश्वास ने गति पकड़ी है, यूनाइटेड किंगडम में व्यय करना जो कि जून 2016 के जनमत संग्रह के बाद भी यूरोपीय संघ (ब्रेक्सिट) को छोड़ने का पक्षधर था, उपयुक्त साबित हुआ है। जापान की गतिविधियों में त्रीव कुल निर्यात द्वारा वृद्धि हुई है, जबकि यूरो देशों जैसे जर्मनी एवं स्पेन में घरेलू मांग ही प्रमुख चालक थी।

उभरते बाज़ारों तथा विकासशील अर्थव्यस्थाओं में, उनके प्रदर्शन एक मिश्रित प्रवृत्ति दर्शाते हैं। चीन का प्रदर्शन नियमित योजना सहायताओं के साथ मजबूत बना रहा, भारत ने आर्थिक क्रियाकलापों में तीसरी तिमाही में निर्दिष्ट मुद्रा नोटों के विमुद्रीकरण के कारण आंशिक रुप से गिरावट महसूस की। ब्राजील में गहरी मंदी के कारण प्रतिकूल प्रभाव बना रहा, जबकि ईंधन तथा गैर–ईंधन निर्यात करने वाले देशों में कमज़ोर गतिविधियां देखी गई। मध्यपूर्वी भागों तथा तुर्की में कुछ भू–राजनीतिक कारक उनकी उन्नति में बाधा बने रहे।

विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, 2017 के अनुसार, विकास के अनुमानों में सुधार के बावजूद पिछले दशकों के दौरान हुई विकास की तुलना में, दीर्घकालिक संभावनाओं के लिए चुनौतियां बनी हुई है। विश्व आर्थिक संगठन द्वारा उल्लिखित सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक संरक्षणवाद की ओर है, जो कि मुख्य रुप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा है, जिसके फलस्वरुप व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, या फिर व्यापार युद्ध भी हो सकता है। उन्नत अर्थव्यस्थाएं वैश्विक वित्तीय संकट, 2008 के बाद से निम्नतर विकास से जूझ रही है जिनमें संरचनात्मक समस्याएं जैसे कि उनके उत्पादन की निम्नतर वृद्धि, बढ़ती असमानता तथा उनकी औसत आय में धीमी वृद्धि सम्मिलित है जिसने कि उनके श्रमिक बाज़ार में सामान्य अवरोधों के साथ–साथ उन सभी तरीकों से राजनीतिक समर्थन प्राप्त किया है जो उपलब्ध व्यापारिक संबंधों, ढाँचों और बहुपक्षीय सहयोग को कमज़ोर कर सकता है।

1.1.1 मुद्रास्फीति

वर्श 2015 में, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति दर 0.3 प्रतिशत थी, जो कि वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से निम्नतम है। तब से अब तक, 2016 के पहले अर्द्ध भाग में मुद्रास्फीति उच्चतर तेल कीमतों तथा अन्य वस्तु मूल्यों की दृष्टि से 0.5 प्रतिशत तक बढ़ गई है। उभरते बाज़ार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, मुद्रास्फीति स्थिर विनिमय दरों के साथ मिलकर स्थिर रही है।

चित्र 1.1 : वैश्विक मुद्रास्फीति
(वर्ष दर वर्ष प्रतिशत बदलाव)

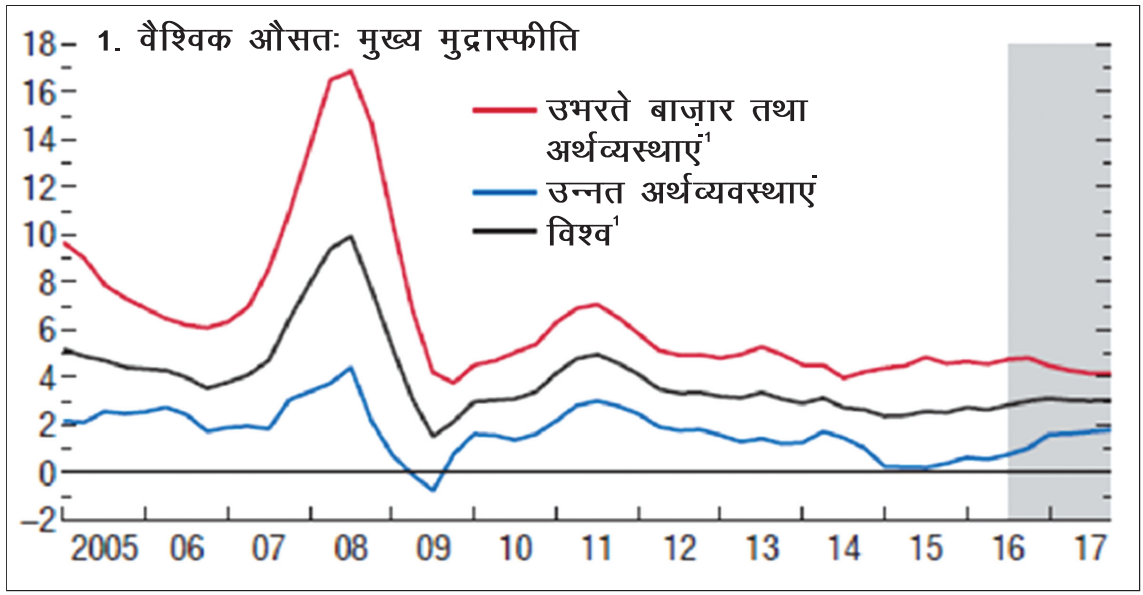

स्त्रोतः डब्लूईओ, अक्टूबर 2016

1.1.1.1 मुद्रास्फीति दृष्टिकोण 2017–18 के लिए:

सामान्य रुप से 2017 में मुख्य मुद्रास्फीति, 2016 की बढ़ी हुई वस्तु कीमत पृष्ठभूमि की तुलना में अधिक होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश के अनुसार उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए संपूर्ण वर्ष 2017 में मुद्रास्फीति 2.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कि 2016 में 0.8 प्रतिशत था। उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्था में वर्ष 2017 में 4.7 प्रतिशत रहने की संभावना है, जो कि इससे पहले 4.4 प्रतिशत था।

1.1.2 वित्तीय बाज़ार

2016 में वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में प्रमुख घटनाओं में से एक ब्रेक्सिट वोट था, जिसने निवेशकों को आश्चर्य में डाल दिया तथा अल्पकालिक अस्थिरता का कारण बना। यद्यपि यूनाईटेड किंगडम आधारित रियल एस्टेट फंडों में तेज़ उतार चढ़ाव के अलावा केंद्रीय बैंको द्वारा त्वरित एवं पर्याप्त प्रतिक्रियाओं द्वारा वैश्विक बाज़ारों में कोई स्थायी अल्पकालिक विकार उत्पन्न नहीं हुआ। जबकि, आगामी ii आगामीचुनौती दीर्घकालिक भविष्य की अनिश्चित घटनाओं में, ब्रेक्सिट प्रभाव के कारण यूनाईटेड किंगडम के वैश्विक एकीकृत वित्तीय क्षेत्र में तथा यूरोपियन संघ एवं बाकी दुनिया के साथ व्यापार प्रबंधन में निहित है।

वैश्विक विकास के दीर्घकालीन गिरावट ने, विशेषतः, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, निम्न मुद्रास्फीति तथा पूर्व में कम ब्याज दरों के दीर्घकाल को प्रेरित किया, तथा वित्तीय बाज़ारों द्वारा इस तरह की आगामी प्रवृत्ति की आशा है। यद्यपि उपभोग एवं निवेश के माध्यम से मांग बढ़ाने में सहायता हेतु एक उपयुक्त मौद्रिक स्वरुप आवश्यक था, (किंतु) एक अत्यंत दीर्घकालिक सहायक स्वरुप बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को हानि पहुंचा सकता है, जो लंबे समय तक कम ब्याज दरों के माहौल में लाभदायक और टिकाऊ रहने में एक कठिन चुनौती होगी। कम परिणाम बीमाकर्ताओं तथा पेंशन निधि जो कि अपने उपभोक्ताओं को प्रतिदान तथा लाभ देने की गारंटी देती हैं, को भी चुनौती देगा।

1.1.2.1 बांड बाज़ार

न्यूनतम मुद्रास्फीति तथा निम्नक्षेत्र में अपेक्षित पॉलिसी दरों के अनुरुप निरंतरता से, दीर्घकालिक बांडों ने 2016 के अधिकांश भाग द्वारा ब्याजदरों के गिरते ट्रेंडको दर्शाया है।

चित्र 1.2 : वैश्विक बांड मूल प्राप्ति–एक गिरती प्रवृत्ति

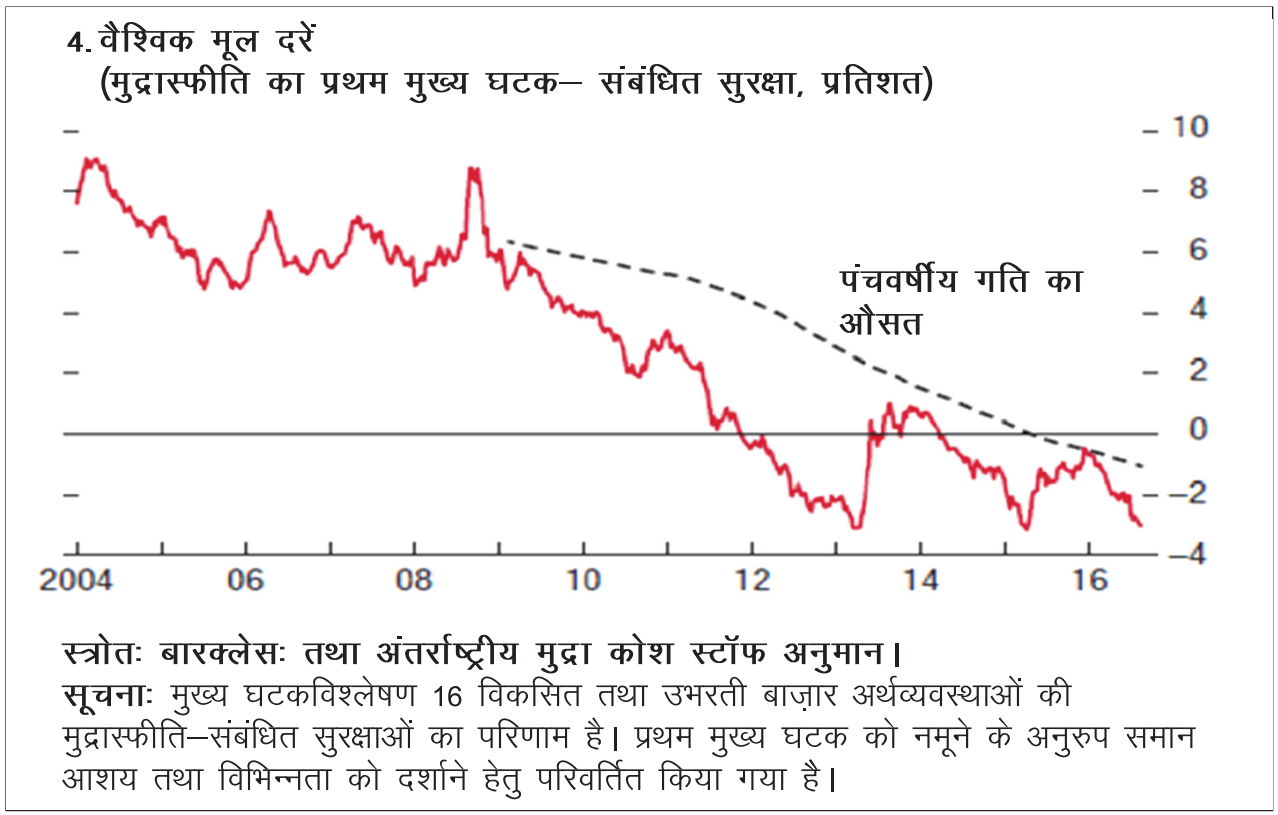

स्त्रोतः बारक्लेसः तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश स्टॉफ अनुमान।
सूचनाः मुख्य घटकविश्लेषण 16 विकसित तथा उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं की मुद्रास्फीति–संबंधित सुरक्षाओं का परिणाम है। प्रथम मुख्य घटक को नमूने के अनुरुप समान आशय तथा विभिन्नता को दर्शाने हेतु परिवर्तित किया गया है।

अल्पकालिक ब्याज़ दरों में वित्तीय बाज़ार उम्मीद पर खरे नहीं उतर रहे। ये ही कारण है जो न्यूनतम प्राप्ति के रुप में परिलक्षित होता है। दूसरा पहलू बांड उपज का प्रीमियम घटक है, जो कि निवेशकों द्वारा उठाए गए जोखिम की क्षतिपूर्ति का एक उपाय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश के अनुसार, अवधि प्रीमियम का कईं बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए कम रहा है, यहां तक कि देशों जैसे जर्मनी, जापान, यूके तथा संयुक्त राष्ट्र के लिए नकारात्मक भी रहा।

बांड पर अवधि प्रीमियम में कटौती दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों द्वारा की गई थोक खरीद के कारण आई है। इसके अतिरिक्त, बढ़ती उम्र की एक नई आबादी तथा इस जानसंख्यिकीय बदलाव ने संभवतः सुरक्षित पूंजी के लिए उच्चतर मांग की है। तत्पश्चात्, निवेशकों जैसे कि बीमाकर्ताओं तथा पेंशननिधियों द्वारा सुरक्षित दीर्घकालिक पूंजी की मांग बढ़ी है। अंततः, वैश्विक रुप से उच्चतर राजनीतिक तथा नीतिगत अनिश्चितताओं के कारण इन सुरक्षित उपकरणों के लिए मांग बढ़ी है।

1.1.2.2 कम दर वातावरण में जीवन बीमा कंपनियों तथा पेंशन निधियों के लिए चुनौतियां

बाज़ारों में कम ब्याज़ दरों की आशा के कारण 2016 में कई बीमा कपंनियों के लिए दृष्टिकोण में निम्नता आई है, साथ ही 2016 में कई बीमाकंपनियों के इक्विटी मूल्यों में गिरावट आई है। निरंतरं अल्प ब्याज़ दरें काफी बीमा कंपनियों तथा पेंशन निधि के व्यापार मॉडल की व्यवहार्यता में बाधा पहुंचाते हैं। यह एक नई चुनौती लाता है क्योंकि जानसंख्यिकीय गतिशील परिवर्तन अपने साथ एक बढ़ी संख्या में बढ़ती उम्र वाली आबादी को लाता है, जिसके फलस्वरुप पेंशन निधि द्वारा निधिकरण की बढ़ती आवश्यकता होती है। पेंशननिधि पहले ही भविष्य के दायित्वों के वर्तमान मूल्य जो कि उनकी बाजार पूंजी से बड़ा है, के फंडिग–अंतराल का सामना कर रहे हैं। चित्र में, निरंतर कम ब्याज़ दर के साथ भविष्य के दायित्वों के वर्तमान मूल्य में कम छूट की दर के कारण फंडिग–अंतराल बढ़ सकता है।

चित्र 1.3 : यू.एस.पेंशन निधि छूट दरः कम ब्याज़दर वातावरण में गिरावट के रुप में

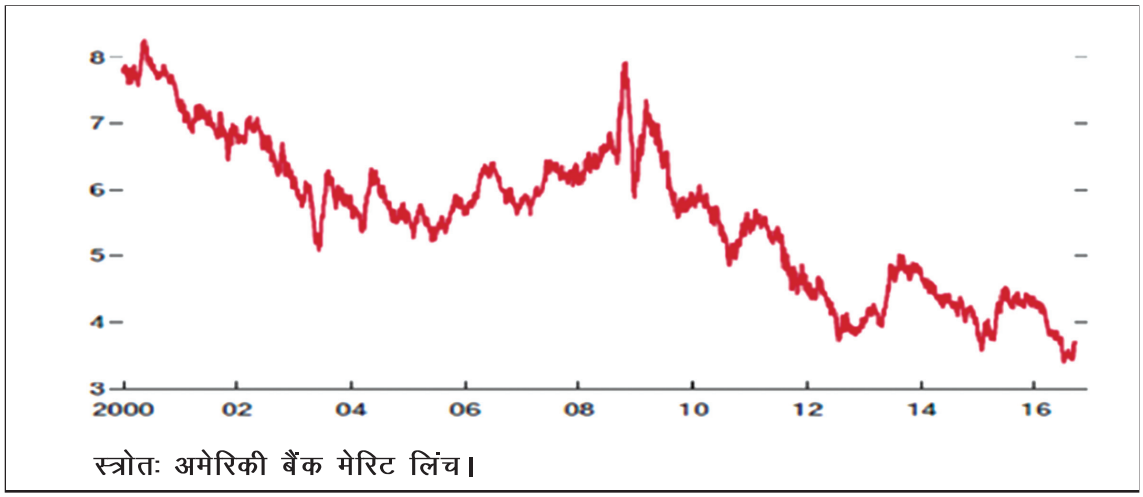

स्त्रोतः अमेरिकी बैंक मेरिट लिंच।

इन परिसंपत्तियों की ओर परिसंपत्ति आबंटन में जितने परिवर्तन होंगे, उतनी ही अधिक गिरावट इनके प्राप्ति में संभवतः पायी जाएगी। इस संभावित दुश्चक्र से आगे आने वाले भविष्य में फंडिग अंतराल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, निवेश क्षेत्र वैश्विक वित्तीय बाज़ारों में प्रमुख घटक है। पेंशन निधि, बीमा कंपनियों और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के बीच अंतर्संयोजनात्मकता के साथ, ऐसे संवेदनात्मक जोखिम है जो कि कम ब्याज़ दर के तनावपूर्ण वातावरण में बड़ी बीमा कंपनियों द्वारा फैलाए जा रहे हैं। यह ऐसे जोखिमों के विरुद्ध विनियामक परिस्थितियों को बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

1.1.2.3 नए युग में वैश्विक स्थिरता चुनौतियाँ

वैश्विक आर्थिक तथा राजनीतिक परिदृश्य वैश्विक उन्नति को बढ़ाने की चुनौतियां प्रस्तुत करता है। वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनने तथा देशों को अपने आर्थिक तथा वित्तीय गतिरोध को दूर करने संबंधी वैश्विक व्यवस्था के लिए सकारात्मक विश्वास उत्तप्रेरित करने की आवश्यकता है। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से कमज़ोर आर्थिक वातावरण ने धीमे आय विकास की असंतुष्टता तथा बढ़ती असमानता उत्पन्न की है। इसने संरक्षणवादी तथा जनवादी नीतियों के लिए जगह बनाई है, जो कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था तथा संपूर्ण विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती है। एक बड़ा जोखिम यह है कि अमेरिकी नीतिगत असंतुलन कठिन वित्तीय परिस्थितियों तथा अस्थिरता के बढ़ने से तथा जोखिम से बचने का कारण बन सकता है, जो इन बाज़ारों के पूंजी प्रवाह की बढ़ोतरी के माध्यम से उभरते बाज़ारों में वित्तीय व्यवस्था को निकृष्ट करेगा। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अंतर्मुखी नीतियां अपने बड़े वित्तीय, व्यापारिक तथा श्रमिक बाज़ार एकीकरण के कारण एशिया को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाएगी।

चीन का अपनी अर्थव्यवस्था को उपभोग आधारित विकास की ओर निवेश करते हुए पुनर्संतुलित करना भी जोखिम से भरा दिखाई पड़ता है। यद्यपि इस सुधार को प्रमुखतया दीर्घकालिक निरंतर चीनी अर्थव्यवस्था हेतु स्वीकारा गया है, यह कई अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करेगा। एशियाई अर्थव्यवस्थाओ पर उनके व्यापार तथा वित्तीय संबधों के कारण बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है। निवेश से उपभोग को अलग करने का यह संतुलन चीन द्वारा वस्तुओं के आयात की मांग को गिरावट की ओर ले जाएगा।

1.2 घरेलू अर्थव्यवस्था

1.2.1 भारत में समष्टि अर्थशास्त्र विकास

2016–2017 में उपलब्ध मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद रुपये 151.84 लाख करोड़ अनुमानित है, जो कि 11.0 प्रतिशत की विकास दर दर्शाता है, जो वर्ष 2015–16 में सकल घरेलू उत्पाद पर रुपये 136.82 लाख करोड़ था। 2016–17 के लिए वास्तविक जीडीपी और स्थिर मूल्यों (2011–12) पर जीडीपी

121.90 लाख करोड़ अनुमानित है जो वर्ष 2015–16 में रुपये 113.81 लाख करोड़ था के मुकाबले 7.1 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है।

वास्तविक रुप में 2016–17 में प्रति व्यक्ति आय (2011–12 के मूल्यों के अनुसार) संभवतः रुपये 82,269 के स्तर पर पहुंचने वाली है जो कि वर्ष 2015–16 में रुपये 77,803 थी।

तालिका 1.1: पिछले वर्षों की तुलना में 2016–17 के लिए सामान्य मूल्यों पर योजित सकल मूल्य का तिमाही प्रतिशत परिवर्तन

m|kx	क्यू 1	क्यू 2	क्यू 3	क्यू 4
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन	2.5	4.1	6.9	5.2
खनन तथा उत्खनन	–0.9	–1.3	1.9	6.4
विनिर्माण	10.7	7.7	8.2	5.3
बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सामग्री	10.3	5.1	7.4	6.1
संरचना	3.1	4.3	6.4	–3.7
व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार तथा प्रसारण सेवाओं से संबंधित	8.9	7.7	8.3	6.5
वित्तीय, रियल एस्टेट तथा व्यवसायिक सेवाएं	9.4	7	3.3	2.2
लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाएं	8.6	9.5	10.3	17
d|y	**7-6**	**6-8**	**6-7**	**5-6**

1.2.2 मुद्रास्फीति

चित्र 1.4 : मुद्रास्फीति

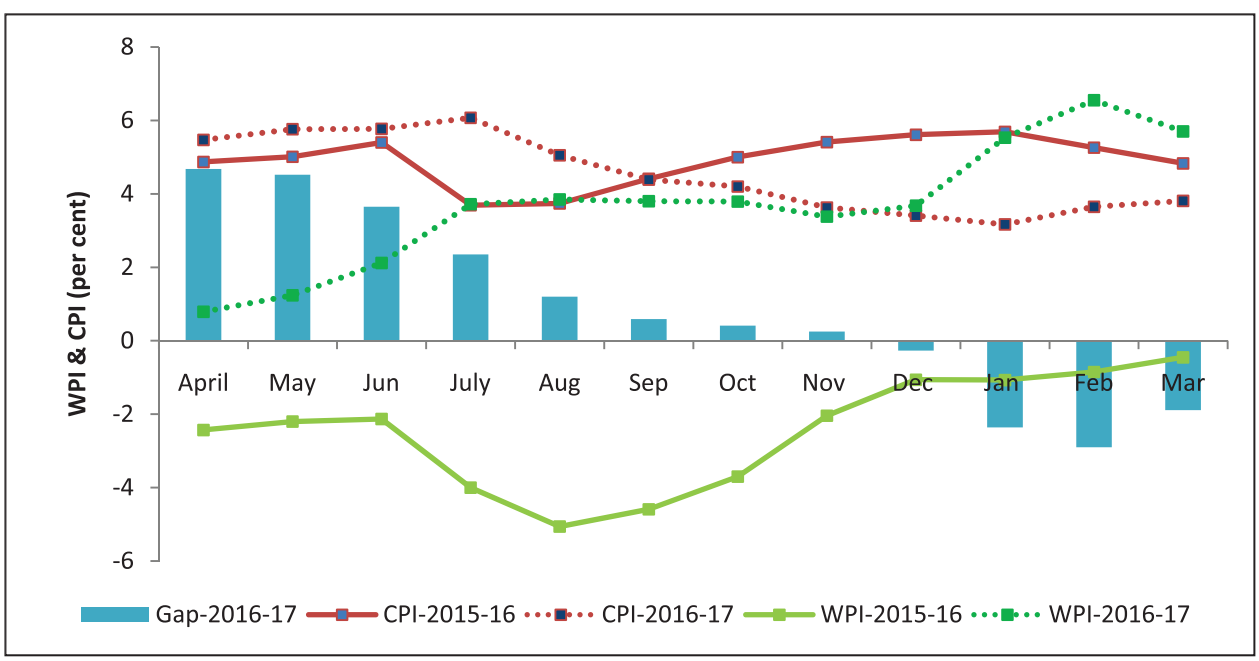

2015–16 की अंतिम तिमाही के दौरान गिरावट देखने के उपरांत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति वित्तीय वर्ष 2016–17 की पहली तिमाही के लिए ऊपर की ओर बढ़ गई थी। जुलाई 2016 में 6.07 के उच्चतम प्रतिशत तक पहुंचने के पश्चात्, इसने जनवरी 2017 में गिरावट देखी और दर 3.17 प्रतिशत पर पहुंच गयी। वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंतिम दो महीनों, सीपीआई मुद्रास्फीति में ऊपर की तरफ बढ़त आयी है। जुलाई 2016 से जनवरी 2017 के समय के बीच आयी गिरावट खाद्य वस्तुओं के गिरते मूल्यों के कारण थी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंतिम दो महीनों में ईंधन मूल्य बढ़ने के कारण बढ़त देखी गई, जिससे सीपाआई मुद्रास्फीति में ऊपर की ओर दबाव बढ़ा।

थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति संपूर्ण वर्ष 2015–16 के दौरान नकारात्मक क्षेत्र में बना रहा, जिसमें वित्तीय वर्ष 2016–17 के अधिकांश भाग में बढ़त देखी गयी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के बीच का अंतराल अप्रैल–नवंबर 2016 के बीच कम हो गया तथा अगले दो महीनों जनवरी–फरवरी 2017 में बढ़ने से पूर्व दिसंबर 2016 में नकारात्मक हो गया। थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण हुई थी।

1-2-3 foÙkh; ckt+kj

n0; rk ifjfLFkfr;k

5 अप्रैल 2016 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में नीति रेपो दरों को द्रव्यता समायोजन सुविधा के तहत 25 अंकों के आधार पर 6.75% से 6.50% तक घटा दिया है। आरबीआई ने एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो दर को 6.00% समायोजित करते हुए पॉलिसी दर कॉरिडोर को (+/-) 100 बीपीएस से (+/-) 50 बीपीएस कम किया है तथा भारित औसत कॉल दर (WACR) के बेहतर संयोजन को रेपो दर के साथ सुनिश्चित करने हेतु मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर (MSF) को 75 बीपीएस (7 प्रतिशत तक) कम किया है। 16 अप्रैल 2016 से कैश रिज़र्व रेसियो (CRR) न्यूनतम दैनिक रखरखाव 95% की आवश्यकता से 90% तक कम हुआ है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी अप्रैल मीटिंग में संकेत दिया था कि वह बैंकिंग प्रणाली घाटे की कुल मांग (NDTL) समय पर पूर्ण करने वाले दायित्वों के 1 प्रतिशत लक्ष्य से स्थिर तरलता व्यवस्था की ओर बढ़ेगा, जो कि पिछले 6 वर्षों से एक नियम रहा है। अधिकांश वित्तीय वर्ष के दौरान पर्याप्त तरलता प्रबल बनी रही, जिसमें विमुद्रीकरण ने कॉल दरों को कम रखने में योगदान दिया। अतिरिक्त निधियों को निकालने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाज़ार स्थिरीकरण योजना (एमएमएस) के तहत प्रतिभूतियां ज़ारी करने का सहारा लिया तथा अस्थायी रुप से बैंको के साथ जमाराशियों पर वृद्धिशील कैश रिज़र्व रेशियो को बढ़ाया।

ljdkjh ifrHkwfr cktkj

जी–सेक बाज़ार ने वित्त वर्ष 2016–17 की पहली तिमाही की शुरुआत रिज़र्व बैंक के ब्याज दरों को बढ़ाने हेतु सतर्क रुख के प्रतिकूल सकारात्मक नोट पर की, गिल्ट परिणाम सख्त हुए तथा अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। दूसरी तिमाही में गिल्ट पैदावार तथा मानसून की संतोषजनक प्रगति के द्वारा उत्पन्न अधिक तरलता आशावादिता के द्वारा नरम हुई। बांड बाज़ारों में गिल्ट भाग में पोर्टफोलियो प्रवाह के पूर्व ब्रैक्सिट पुनरारंभ ने भी नरम प्राप्ति की है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा नकारात्मक प्राप्ति तथा बैंकों द्वारा मुनाफावसूली से वैश्विक निधि को नीचे की ओर धकेल दिया। 29 अगस्त 2016 को जिस 10 वर्षीय बेंचमार्क की घोषणा की गई वह 2 सितंबर को 6.98 प्रतिशत पर बंद हुआ जब उस भाग में व्यापार समाप्त हो गया, ओटीसी बाज़ार के लिए मंच तैयार किया गया। संपूर्ण रुप से 2016–17 के H1 गिल्ट प्राप्ति पॉलिसी रेपो दर में 25bps की कटौती के मुकाबले 50bps से अधिक हुई है। H2 में सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में प्राप्ति परिवर्तनशील रही, जिसे तीन बड़ी घटनाओं ने प्रेरित किया।

पहली, जी–सेक पैदावार अक्टूबर 2016 में रिज़र्व बैंक की 25bps पॉलिसी रेपो दर कटौती तथा नीचे की ओर स्थानांतरित प्राप्ति वक्र का अनुसरण करते हुए नरम हुई। दूसरा, जी–सेक प्राप्ति का विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद उल्लेखनीय ढंग से नरम होना तथा उसके परिणामस्वरुप व्यवस्था में तरलता का बढ़ना है। प्राप्ति 10 वर्षीय बैंचमार्क दस्तावेज़ में 8 नवंबर 2016 को 6.80 प्रतिशत से गिरकर 24 नवंबर 2016 को 6.19 पर पहुंच गई (जिसने 25 नवंबर 2016 में 6.11 प्रतिशत अंतर्दिवस कमी को छुआ जो कि पॉलिसी रेपो रेट के नीचे है)। दिसंबर 2016 के पहले सप्ताह में प्राप्ति पॉलिसी दर के समान सीधी रेखा में बनी रही। दिसंबर 2016 में प्राप्ति कुछ कारणों से सख्त हुई जैस कि बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए वृद्धिशील सीआरआर का आरोपण

करने, ऋण बाज़ारों से पोर्टफोलियो उत्प्रवाह जो कि अमेरिकी फेडरल द्वारा भविष्य में बढ़ते ब्याज़ दरों के विषय में अनुचित टिप्पणी करने, अमेरिका में वित्तीय उत्प्रेरक की अपेक्षाएं (जो कि यूएस बांड प्राप्ति को बढ़ाता है) बढ़ती कच्चे तेल की कीमतें, तथा रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रानीति पर घोषित यथापूर्व स्थिति।

जी–सेक प्राप्ति फरवरी 2017 में दुश्कर हुई तथा प्राप्ति वक्र आरबीआई की समायोजित से स्थिर नीति तटस्थता के स्थानांतरण के उत्तर में ढलान की ओर गया जिसमें खाद्य तथा ईंधन को छोड़कर उच्चतर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उज्जवल डिस्कॉम (DISCOM) आश्वासन योजना बांडस को राज्य विकास ऋणों के निर्गमन के साथ इकट्ठा करना शामिल है। सामान्य 10 वर्षीय प्राप्ति फरवरी में मौद्रिक नीति रुख के परिवर्तन के घोषणा के दिन पर 31bps से 6.93 प्रतिशत बढ़ गई।

2016–17 की चौथी तिमाही में बाज़ार उधारी में दिनांकित प्रतिभूतियों और टी–बिल्स द्वारा गिरावट आयी जिसने केंद्र सरकार द्वारा सार्वभौमिक कागज़ की आपूर्ति को कम किया, जी–सेक पैदावारों पर प्रभाव डाला।

चित्र 1.5 : 10 वर्षीय जी–सेक प्राप्ति

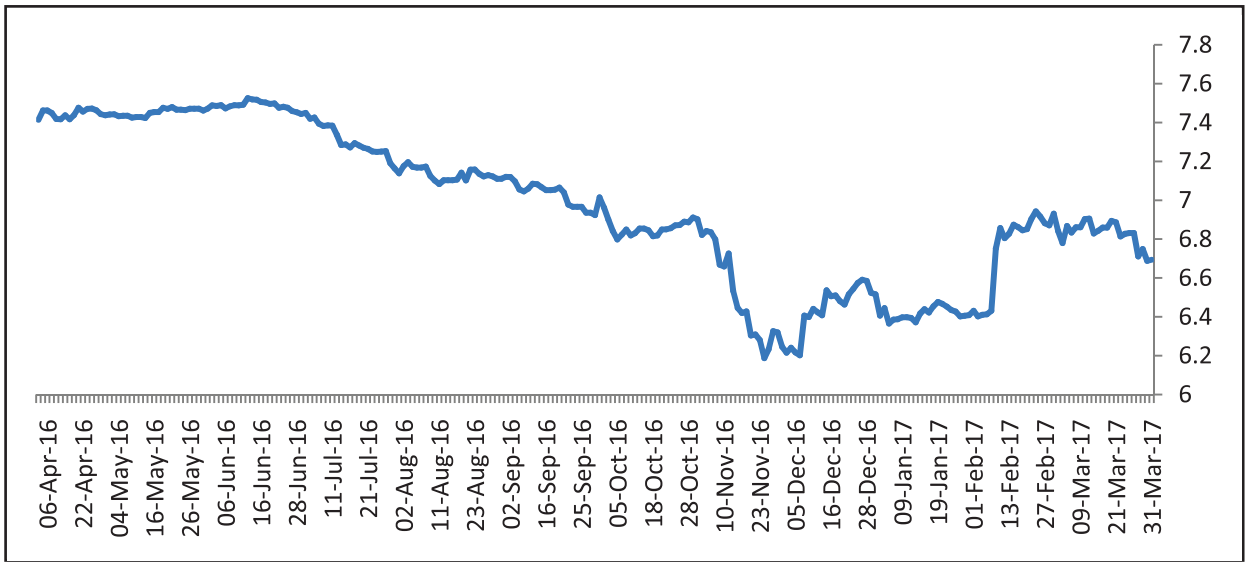

dkikjV ckM ckt kj

कार्पोरेट बांड भाग में, निर्गमों में पहली तिमाही में 4.1 प्रतिशत की गिरावट आयी है, जो कि नई क्षमताओं में निवेश करने के निगमित बनाये कार्पोरेट निवेश को पुनर्वित करने की वरीयता देता है। कार्पोरेट बांड प्राप्ति में दूसरी तिमाही में मुख्यतया ।।। कार्पोरेट बांड्स में प्रभावशाली रुप से गिरावट आई, गिल्टस के करीब है। इसने बैंक के उधार दरों की तुलना में दर के अंतर का लाभ उठाने के लिए निगमों की बौछार को उत्प्रेरित किया। संपूर्ण रुप से पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निजी प्लेसमेंट के माध्यम से H1 में 12 प्रतिशत संसाधन अधिक मात्रा में जुटाए गए। कोर्पोरेट्स द्वारा मसाला बांडस के निर्गम द्वारा भी संसाधन बढ़ाए गए। इन बांडस को रुपयों में अंकित किया गया तथा जारीकर्ताओं के लिए विनिमय रिस्क दर को अपरिहार्य नहीं बनाया। वास्तव में इन वैकल्पिक अवसरों के साथ, कोर्पोरेट ने बाह्य वाणिज्यिक ऋणों संबंधी सहायता लेने को कम किया।

कोर्पोरेट बांड पैदावार (।।। पंचवर्षीय बैंचमार्क), अक्टूबर 2016 तथा जनवरी 2017 के बीच, विमुद्रीकरण के पश्चात् अतिरिक्त तरलता परिस्थितियों पर जी–सेक प्राप्ति की गति पर ध्याने रखते हुए नरम हो गई। जबकि फरवरी मौद्रिक नीति की घोषणा के पश्चात्, कोर्पोरेट बांड प्राप्ति मार्च 2017 के अंत में गिरावट से पहले दुश्कर हो गई। कोर्पोरेट बांड बाज़ार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में नवंबर 2016 से जनवरी 2017 के बीच अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों द्वारा जोखिम–समाप्ति पद्धतियों का अनुसरण करने के कारण गिरावट आयी। पोर्टफोलियो प्रवाह फरवरी से वैश्विक जोखिमपूर्ण पोर्टफोलियो स्थानांतरणों के कारण सकारात्मक हुआ तथा साथ ही उच्च घरेलू प्राप्ति

का लाभ लिया। कोर्पोरेट बांड बाज़ार को मज़बूत बनाने के लिए किए गए कुछ उपाय हैं (1) आंशिक क्रेडिट वृद्धि की औसत सीमा को बैंको द्वारा 50 प्रतिशत तक बढ़ाना, (2) कोर्पोरेट बांड रेपोस के लिए दलालों को अनुमति देना (3) कोर्पोरेट बांडस के समकेतन तथा पुनः प्रचालन को स्वीकारना।

bfDoVh ckt kj

इक्विटी बाज़ार ने पहली तिमाही में अस्थिर व्यापार स्थितियां देखी। बैक्रसिट जनमतसंग्रह द्वारा कुछ कष्टकारी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की बिक्री हुई। जबकि, जून के अंतिम सप्ताह में, सूचकांक ने इन नुकसानों की भरपाई कर ली तथा मानसून की प्रगति और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों की कैबिनेट की मंजूरी के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए बढ़ोतरी दर्ज़ की।

वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत ने भी बाज़ार को ऊपर उठाया है। संपूर्ण रुप से, 2016–17 के पहले भाग में बीएसई सूचकांक ने 2016 फरवरी के स्तर के ऊपर 21% का लाभ कमाया है। जबकि, 2016–17 के पहले भाग में, आईपीओस द्वारा तथा राइट्स इस्सू के माध्यमों से संसाधन जुटाना महंगा साबित हुआ– जिसमें H1 में 32 कंपनियों नें पिछले वर्ष इसी समय की तुलना में राशि 126.6 बिलियन से 162.9 बिलियन कर दी। आईपीओस में इतने उछाल ने अधिक खुदरा ब्याज़ भी प्रकट किया।

H2 में स्टॉक बाज़ार (बीएसई सूचकांक) 6.3 प्रतिशत से बढ़ा। अक्टूबर 2016 में स्टॉक बाज़ार कुछ कारणों से अस्थिर रहा जैसे दिसंबर में अमेरिकी फेडरल द्वारा ब्याज़ दर के बढ़ने की संभावनाएं तथा निरंतर पोर्टफोलियो प्रवाह। अक्टूबर 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक की 25bps पॉलिसी रेपो दर कटौती का अनुसरण करते हुए, थोड़ी मात्रा में बढ़ा। नवंबर 2016 के दौरान, बीएसई सूचकांक आर्थिक विकास परविमुद्रीकरण के प्रभाव, कोर्पोरेट कमाईयों तथा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव परिणामों पर पोर्टफोलियो इक्विटी प्रवाह द्वारा उत्पन्न रिस्क–ऑफ बाज़ार प्रतिक्रियाओं जैसी अनिश्चितताओ के साथ 4.6 प्रतिशत की गिरावट आई।

2017 जनवरी में स्टॉक बाज़ार घरेलू संस्थागत निवेशकों द्वारा मूल्य खरीद द्वारा, Q3esa आशांकित कोर्पोरेट से बेहतर परिणामों द्वारा, जनवरी के आधे भाग से विदेशी पोर्टफोलियो इक्विटी के सजीवीकरण द्वारा तथा वैश्विक बाज़ारों के सकारात्मक संकेतों द्वारा पुनर्जीवित हुआ। फरवरी 2017 में केंद्रीय बजट में रखे गए प्रस्तावों पर कार्य, 2017–2018 के लिए मुख्यतः न्यूनतम वित्तीय घाटा लक्ष्य, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की श्रेणी I तथा श्रेणी IIds अप्रत्यक्ष स्थानांतरणों पर कर प्रणाली में छूट तथा पूंजी बाज़ार के लिए अपरिवर्तनीय पूंजी लाभ कर दरों के द्वारा जारी रहा। एफपीआई ने खरीद को अमेरिकी फेडरल द्वारा बनायी गई यथापूर्व स्थिति तथा वैश्विक इक्विटी बाज़ारों के सकारात्मक संकेतो का अनुसरण करते हुए बढ़ाया।

मार्च में, स्टॉक बाज़ार भारत मे, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (CSO) द्वारा तीसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) विकास पर ज़ारी आंकड़ों में आशा से अधिक बढ़ोतरी हुई, फरवरी माह के लिए उत्पादन तथा सेवाओं पर जो कि विमुद्रीकरण प्रेरित दबाव के पश्चात् विस्तार की ओर संकेत देने वाले पीएमआई तथा जीएसटी परिषद् द्वारा केंद्रीय जीएसटी तथा एकीकृत जीएसटी के प्रारुप पर अनुमोदन।

चित्र 1.6 : सेन्सेक्स और निफ्टी गतिविधि

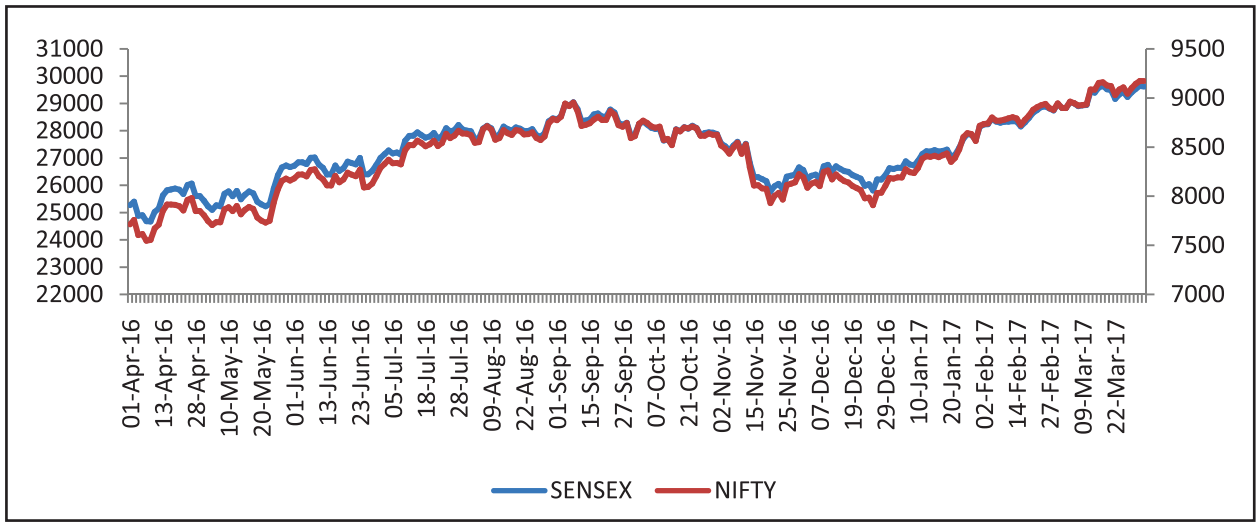

1-3 of'od i'ku ckt+kj dh leh{kk

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के अनुसार, 2015 में विश्वभर में पेंशन वाहनों द्वारा निवेश वित्तीय बाज़ारों में अमेरिकी 38 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचे। इनमें से, 36.9 अमेरिकी ट्रिलियन 35 ओईसीडी देशों द्वारा निवेश किये गये, इसके अनुरुप 45 नॉन–ओईसीडी देशों के सैम्पल के लिए जिसमें ब्रिक्स देश भी सम्मिलित हैं, आंकड़े 1.3 अमेरिकी ट्रिलियन रहे।

चित्र 1.7 : निजी पेंशन निवेश

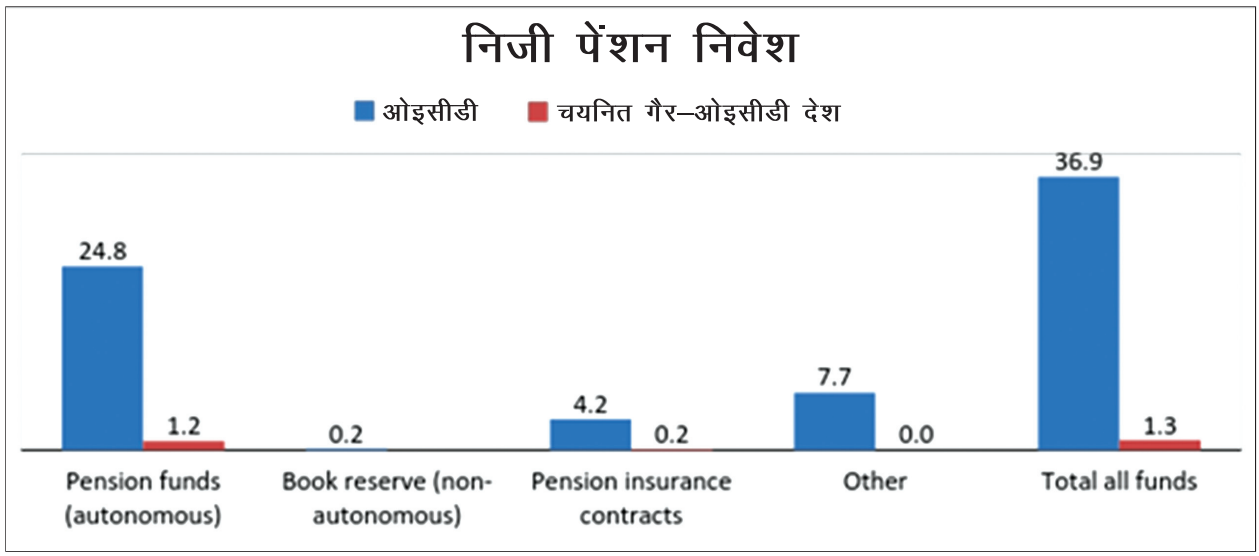

उपरोक्त चित्र से यह रेखांकित होता है कि पेंशन निधियां ओईसीडी तथा गैर–ओईसीडी राष्ट्रों के लिए सेवानिवृत्ति बचत हेतु प्रमुख माध्यम साबित होते हैं। इसके अतिरिक्त, निजी पेंशन निवेशों का आकार ओईसीडी की तुलना में गैर–ओईसीडी राष्ट्रों में कम होता है। गैर–ओईसीडी राष्ट्रों का 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, कुल 36.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जो कि ओईसीडी राष्ट्रों से संबंधित है का मात्र 3.523% है। जीडीपी के संबंध में भी, विकासशील राष्ट्रों में पेंशन बाज़ार में बहुत

अधिक सुधार की गुंजाइश है जैसा कि नीचे दी गई सारणी में भी देखा जा सकता है। निजी पेंशन निवेश का जीडीपी से अनुपात डेनमार्क में 205.9% तथा सामान्य रुप से अन्य विकसित राष्ट्रों के लिए भी अधिक है, जबकि भारत जैसे देशों में यह जीडीपी का 0.8% (केवल एनपीएस चित्र सम्मिलित) तथा चीन में जीडीपी का 1.4% है।

चित्र 1.8 : विश्वभर में निजी पेंशन निवेश आकार जीडीपी 2015 के प्रतिशत के रुप में

स्त्रोतः ओईसीडी

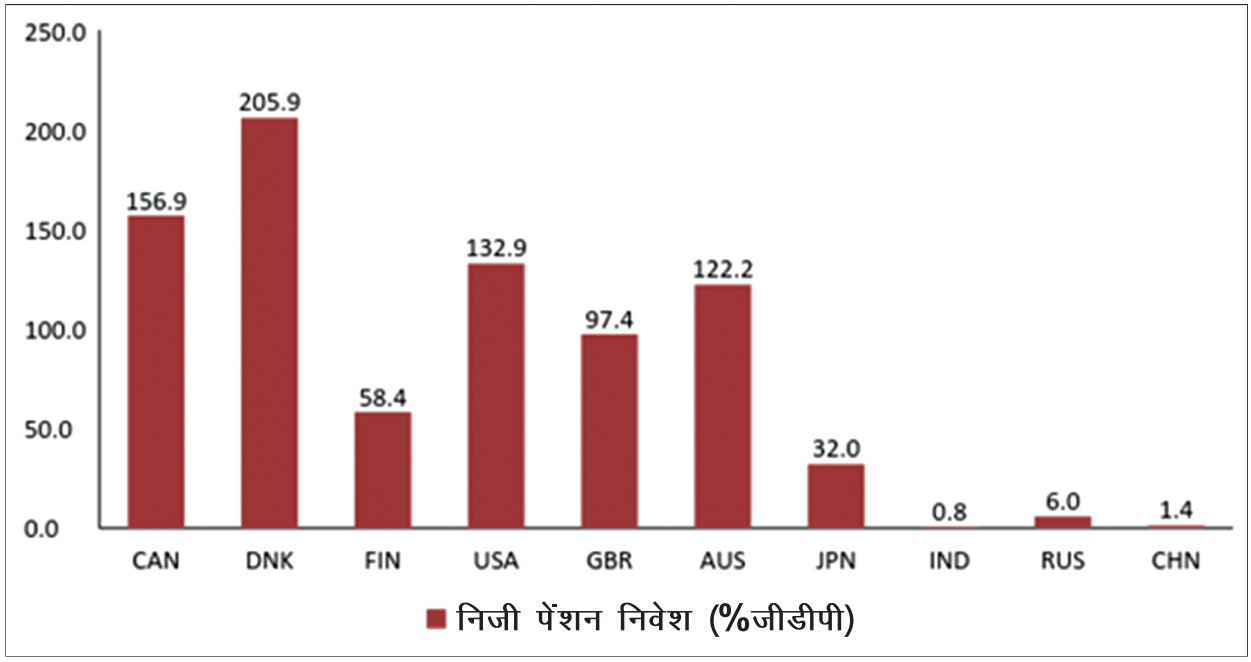

सामान्य तौर पर, पेंशन निधि द्वारा 2010–2015 के बीच निवेशों पर वृद्धि देखी गई। ओइसीडी के अनुसार, 5 वर्षों के दौरान 2010–2015 के बीच पेंशन निधि निवेश 4.3% की औसत से बढ़े। सारणी 1, 2010–2015 के बीच के समय में चयनित देशों के बीच के निवेश आकार को दर्शाता है। आगे के चित्र 3 में, पेंशन निधि निवेश की वार्शिक विकास दर की भारत तथा चीन के बीच तुलना की गई। जबकि चीन ने विकास के रुप में सकारात्मक वर्ष देखा, रेखीय ट्रेंड नीचे की ओर रहा। इसके प्रतिकूल, भारत में आगे–पीछे के वर्षों में उतार–चढ़ाव के साथ भिन्नता की स्थिति बनी रही।

तालिका 1.2 : चयनित देशों में पेंशन निधियों का अमेरिकी डॉलरों में कुल निवेश, 2010–2015

n'k	2010	2011	2012	2013	2014	2015
dukMk	1,047,504	1,072,056	1,199,201	1,260,157	1,297,732	1,195,696
Muekd	154,612	154,535	161,358	146,700	152,349	130,393
Ýkal	5,345	6,470	8,840	11,860	12,594	13,282
teuh	187,280	192,912	221,112	236,932	236,204	218,473
vkbl yM	17,132	17,507	18,773	23,196	22,985	25,277
Tkiku	1,730,255	1,814,972	1,674,619	1,406,066	1,302,813	1,326,799
fLoV tjyM	661,168	664,571	734,001	807,893	785,906	793,201

;wds	2,018,041	2,232,598	2,529,995	2,810,564	2,784,630	2,690,204
;w,l	11,041,475	11,021,671	11,926,687	13,712,784	14,240,069	14,249,746
Ckzkthy	319,785	308,273	315,153	273,965	250,471	174,675
Pkhu	42,413	56,659	76,650	98,896	125,658	146,746
Hkkjr	3,347	2,848	5,450	6,819	11,465	16,253
bMksusf'k;k	13,983	15,058	15,900	12,930	14,963	14,506
#l	–	–	–	117,179	70,850	65,767
nf{k.k vÝhdk	331,501	298,395	323,385	306,107	317,525	–
FkkbZyS.M	19,165	19,532	22,847	22,965	25,529	24,667

L=ksr% vkbZlhMh

चित्र 1.9 : भारत तथा चीन के लिए पेंशन निधि द्वारा कुल निवेश में वार्षिक विकास दर

L=ksr% vkbZlhMh

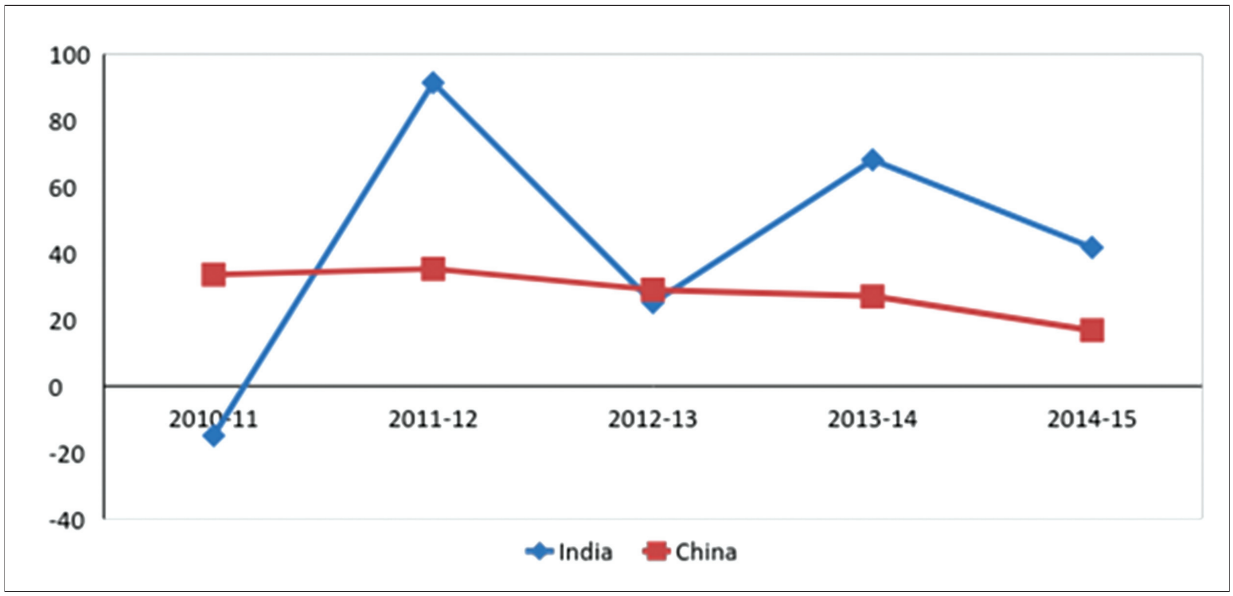

ओईसीडी ने अधिकतर राष्ट्रों के बीच कुल निवेश निधि व्यय के प्रतिदान (रिटर्न) की सकारात्मक रियल दर प्रस्तुत की। सभी राष्ट्रों जिनका उल्लेख किया गया, प्रतिदान (रिटर्न) की औसत 5 वर्षीय निवेश दरें सकारात्मक थी तथा मुद्रास्फीति झेलने के बाद ऐसी ही बनी रही। ओईसीडी की यह राय थी कि पेंशन निधि निवेशों के मुख्यरुप से रिटर्नस इक्विटी तथा बांड बाज़ारों में हुई गतिविधियों द्वारा चलाए जाने की संभावना हैं जैसा कि परिणाम भी बताते हैं कि अधिकतर पेंशन निधि निवेश इन दो पूंजी वर्गों की ओर निदेर्शित थे।

चित्र 1.10 : चयनित देशों के लिए 5 वर्षीय नामिनल तथा रियल औसत वार्षिक रिटर्न, 2010–2015

L=kr% vkbZ lhMh

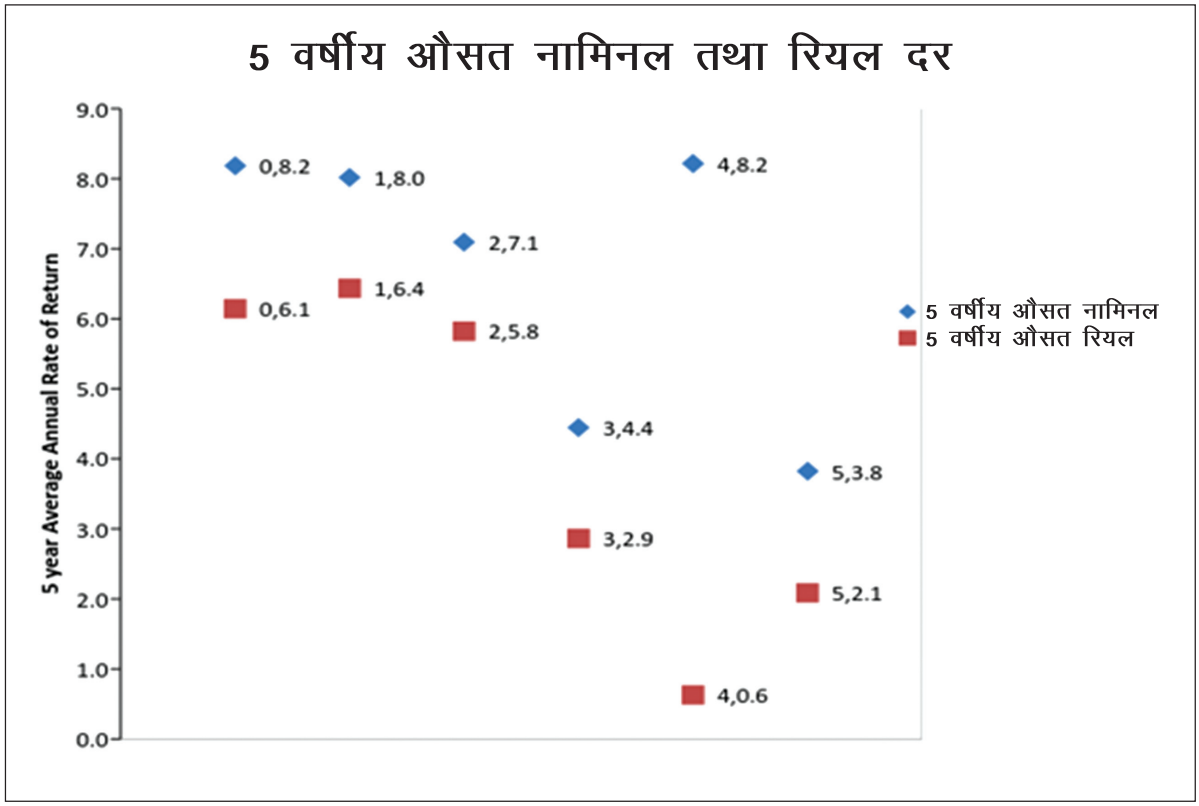

तालिका 1.3 : चयनित देशों में इक्विटी में पेंशन निधि पोर्टफोलियो, बिल्स तथा बांडस, 2013–2015

¼dy fuo'k dk ifr'kr½

n'k	2013			2014			2015		
	bfDoVh	fcYI rFkk ckMI	Ukdn] tek RkFkk vU;	bfDoVh	fcYI rFkk ckMI	Ukdn] tek RkFkk vU;	bfDoVh	fcYI rFkk ckMI	Ukdn] tek RkFkk vU;
dukMk	31.70	34.60	33.60	30.10	35.60	34.30	28.30	34.80	36.90
;ukbVM fdxMe	22.80	31.00	46.20	21.30	32.40	46.30	20.20	34.40	45.40
;ukbVM LVVI	46.20	35.20	18.60	46.10	35.40	18.50	44.20	37.00	18.90
Muekd	15.30	66.40	18.30	15.90	60.20	24.00	17.80	63.10	19.00
vLVfy;k	49.10	8.50	42.40	50.30	8.70	41.00	50.60	9.10	40.40
FkkbyM	14.20	57.20	28.50	16.70	52.10	31.20	16.30	57.80	25.90
Hkkjr	8.64	86.53	4.83	10.20	86.10	3.70	10.65	85.95	3.40

1.4 2017 के बजट में राष्ट्रीय पेंशन योजना हेतु प्रमुख घोषणाएं

2017 के बजट में, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के तहत एक नया खंड 12(बी) आंशिक निकासी पर छूट, जो कि कर्मचारी के योगदान के 25% से अधिक न हो, को प्रदान करने के लिए जोड़ा गया।

वैतनिक कर्मचारी भी अपने एनपीएस खाते पर मालिक द्वारा दिए गए योगदान पर कर लाभ प्राप्त करेंगे। आयकर

अधिनियम 1961 की धारा 80CCD(2) के तहत मालिक द्वारा दिए गए 10% वेतन पर (बेसिक़महंगाई भत्ता) योगदान को कर देय आय पर घटाने की मांग की जा सकती है। इस कर छूट में कोई अधिक सीमा नहीं है (मूल्य के संबंध में)। यह कटौती धारा 80CCD(1) के तहत प्रदान की जाने वाली 1.5 लाख कटौती से ऊपर तथा अधिक है तथा जिसकी अंतिम सीमा, धारा 80CCD(1B) के तहत रु 50000 की है। हालांकि, यह लाभ केवल वैतनिक कर्मचारियों के लिए है।

स्वनियोजित योगदानों के लिए कुल आय का 10% तक आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1) के तहत करदेय आय से कटता था, जो की धारा 80CCD(1) के 1.50,000 की सीमा के अधीन था। बजट 2017 में स्वनियोजित व्यक्ति के लिए कटौती हेतु योगदान की सीमा कुल आय की 20% तक बढ़ा दी गई। 1 अप्रैल 2017 को तथा उसके बाद दिए गए योगदान से बढ़ाई गई सीमा लागू होगी।

1.5 भारतीय जनसांख्यिकी तथा वृद्धावस्था आयु सुरक्षा

भारत की समृद्ध जनसांख्यिकी लाभांश उसे युवा देश बनाती है तथा आने वाले कुछ दशकों तक ऐसी बने रहने की संभावना प्रकट करती है। जनगणना 2011 के अनुसार, 50% तक की जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की थी। 2015 में लगभग 90% की आबादी 60 वर्ष से कम आयु की थी तथा कार्य करने वाली आबादी का अनुपात 44 वर्ष था। लेकिन हर बीतते दिन के साथ आबादी की उम्र बढ़ रही है। कुल भारतीय आबादी में वरिष्ठों का भाग 1961 में 5.6 प्रतिशत के मुकाबले 2011 में 8.6 प्रतिशत तक बढ़ गया। भारत तथा राज्यों के आबादी अनुमान 2001 से 2026 तक के अनुसार यह 2026 तक 12.4% तक बढ़ जाएगा। आगे, हर पांचवां भारतीय 2050 में 60 वर्ष का होगा जो अब 12 में से एक है। इस प्रकार 2050 तक, भारत आबादी में वरिष्ठों के भाग के हिसाब से आज की विकसित दुनिया के समान होगा। भारत के लिए 2011 जनगणना के अनुसार, वृद्ध आय निर्भरता अनुपात प्रत्येक 1000 व्यक्ति मे 142 होगा या हर 7 कार्य करने वाले व्यक्ति पर एक बुजुर्ग व्यक्ति का होगा। तकनीकी प्रक्षेपणों के अनुसार, वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात 2026 तक प्रति हजार पर 192 तक बढ जाएगा। यह सूचित करता है कि प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति के अनुपात में पांच कार्य करने वाले व्यक्ति होंगे।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत की जीवन प्रत्याशा वर्ष 2000 के 62.5 की तुलना में 2015 में 68.3 तक बढ़ी है। साथ ही, 60 वर्ष की आयु में जीवन प्रत्याशा 2015 में 17.9 हुई है जो कि 2000 में 16.5 थी। उल्लेखनीय ढंग से, लिंगो में भी जीवन प्रत्याशा के बीच अंतर देखने को मिलता है, जिसमें स्त्री जीवन प्रत्याशा पुरुषों से अधिक, दोनों ही रुप से जन्म तथा 60 वर्ष की आयु के रुप में है। 2015 में, महिलाओं के लिए जीवन प्रत्याशा जन्म के लिए 69.9 थी तथा 60 वर्ष की आयु के लिए 18.6 थी जो कि उसकी तुलना में पुरुषों के लिए 64.9 तथा 17.2 थी क्रमानुसार। हमारी पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की तुलना में बेहतर आय स्तरों के, बेहतर चिकित्सकीय तथा स्वास्थ्य सेवाओं के कारण अधिक आयु तक जीवित रहती है। जो कि पर्याप्त निधि को जुटाने की आवश्यकताओं जिससे लंबी आयु मिल सके तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं तथा अन्य दूसरे खर्चों की आवश्यकताओं को दर्शाता है।

पेंशन की दृष्टि से 60 वर्ष की आयु में बढ़ती जीवन प्रत्याशा राजकोषीय खर्च को प्रभावित करती है जिसे सरकार वृद्धों की सेवा के लिए खर्च करे क्योंकि महिलाए अधिकांशतया अपने साथी पर निर्भर होती हैं, महिलाओं के लिए एक लंबी जीवन प्रत्याशा राजकोष द्वारा बड़ी हुई सामाजिक सहायता की आवश्यकता को अंकित करती है। आगे, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण तथा जनसंख्या का प्रवासीकरण एकल परिवारों की अवधारणा को लेकर आया है। परिणाम स्वरुप, परिवारों द्वारा अंतर्पीढ़ीय सहायता में गिरावट आई है। इसने देश में एक सुरक्षित स्वनियंत्रित पेंशन प्रणाली की अनिवार्यता पर बल दिया है।

1.6 भारतीय पेंशन परिदृश्य

भारतीय पेंशन प्रणाली के परिदृश्य में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त गैर–योगदान सामाजिक पेंशन योजनाएं सम्मिलित हैं जो कि न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करती हैं जैसे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP), अनिवार्य परिभाषित लाभ पेंशन योजना, जो कि कर्मचारियों के लिए सिविल सेवा पेंशन योजना, जिन्होंने 2004 से पूर्व सेवाएं आरंभ की तथा कर्मचारी पेंशन निधि संगठन (EPFO) के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) तथा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) अन्य सांविधिक भविष्य निधि जैसे कोयला खाने, सीमेंस, असम चाय रोपण आदि योजनाएं, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से या उसके पश्चात् सेवाओं की शुरूआत की अनिवार्य रूप से हैं, उन

राज्य सरकारों के कर्मचारी जो राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल हो गए हैं स्वेच्छा आधार पर सभी नागरिकों के लिए एनपीएस जिसके अंतर्गत कर्मचारी तथा स्वनियोजित लोग आते हैं जिसमें असंगठित क्षेत्रों में आने वाले भी सम्मिलित है, जन भविष्य निधि सेवानिवृत्ति तथा वृद्धावस्था योजनाएं जो बीमा कंपनियों तथा म्यूच्यूअल फंड द्वारा दी जाती है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की शुरुआत तथा परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली में वित्तीय तनाव, पेंशन सुधार लाने हेतु प्रमुख कारण है। ईपीएफ (मुख्य रुप से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए) जैसी अनिवार्य योजनाओं के द्वारा असंगठित क्षेत्र में कवरेज़ को बढ़ाने से व्यवहारिक तथा वित्तीय परेशानियों के कारण, स्वेच्छा सेवानिवृत्ति योजनाओं को भारत में पेंशन प्रावधान बढ़ाने के महत्वपूर्ण योजना उपकरण के रुप में देखा जा सकता है। पेंशन योजना के तहत, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए (कुल 47.29 करोड़ श्रमिकों के लगभग 84% में से, बिना किसी औपचारिक पेंशन प्रावधान के) उच्चतर कवरेज़ प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण योजना उपाय एनपीएस को बढ़ाना है, जो कि वित्तीय रुप से आत्मनिर्भर, कम मूल्य तथा प्रभावपूर्ण तंत्र वाला है।

पूर्व में शुरु की गई एनपीएस योजना को नए भागों में भी बढ़ाया गया है, जैसे, स्वशासी संस्थाए, राज्य सरकारें तथा असंगठित क्षेत्र। राज्य सरकारों द्वारा एनपीएस जोशपूर्ण तरीके से अपनाया गया है। 27 राज्य सरकारों ने तथा केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस के अभिग्रहण को अधिसूचित किया है। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को उनकी वृद्धावस्था स्वैच्छिक बचत के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, सरकार ने सह–योगदान योजना–**Lokcyacu** योजना, सितंबर 2010 में आरंभ की, बाद में, प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई तथा असंगठित क्षेत्र पर बल देते हुए योजना 1 जून 2015 से लागू हुई। अटल पेंशन योजना के तहत अभिदाता रुपये 1000, रुपये 2000, रुपये 3000, रुपये 4000, रुपये 5000 की सरकारी आश्वस्त पेंशन जो कि उनके योगदान के स्तर पर निर्भर करेगी, प्राप्त कर पाएंगे। अटल पेंशन योजना, जो कि एक परिभाषित लाभ पेंशन योजना है, के भीतर 31 मार्च 2017 तक, 48.64 लाख अभिदाता तथा रुपये 1751 करोड़ का कोश आता है। 231 बैंक जिनमें निजी क्षेत्र बैंक सम्मिलित हैं, निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला वाणिज्यिक बैंक, अनूसूची वाणिज्यिक बैंक, शहरी वाणिज्यिक बैंक तथा डाक विभाग द्वारा डाकघर एपीवाई अभिदाता पंजीकरण तथा सेवाओं में सम्मिलित थे।

31 मार्च 2017 तक, कुल 154.39 लाख सदस्य/अभिदाता (एपीवाई सम्मिलित) राष्ट्रीय पेंशन योजना में नामांकरण करा चुके थे। एनपीएस के तहत प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली पूंजी जिसमें कोश पर मिलने वाले प्रतिदान सम्मिलित हैं, ने 31 मार्च 2016 को 118.810 करोड़ से 31 मार्च 2017 को 1,74,561 की बढ़त देखी, तथा 46.92% की बढ़त दर्ज की। 31 मार्च 2017 तक, अटल पेंशन योजना, न्यूनतम आश्वासन पेंशन योजना जिसकी शुरुआत जून 2015 में हुई, के भीतर 48.64 लाख अभिदाता तथा 1751 करोड़ रुपये का कोश था।

एनपीएस के प्रबंधन के तहत अभिदाता, कोश तथा परिसंपत्तियों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है:–

तालिका 1.4 : एनपीएस/एपीवाई के प्रबंधन के तहत अभिदाता, कोश तथा परिसंपत्तियों की संख्या (31 मार्च 2017 तक)

	vfHknkrkvks dh la[;k	;kxnku ¼djksM #i;s esa½	lEifRr;ksa dh ifjlaifÙk;k ¼djksM #i;s esa½
dsanh; ljdkj	1,788,699	48,452	67,040
jkT; ljdkj	3,332,526	67,099	84,917
dkiksZjsV	585,650	12,131	14,953
vlaxfBr {ks=	439,097	3,025	3,126
,uih,l ykbV@Lokcyacu	4,429,342	2,119	2,639
vVy isa'ku ;kstuk	4,863,699	1,751	1,885
dqy	**15]439]013**	**134]577**	**174]561**

एनपीएस तथा एपीवाई दोनों ही नईयोजनाएं हैं तथा इनको फैलाने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों में इनकी स्वीकार्यता हेतु जागरुकता की आवश्यकता है। इन योजनाओं के लिए कर लाभों तथा एपीवाई में गारंटी के रुप में सरकारी सहायता, इन योजनाओं का आकर्षण है लेकिन इन्हें लोगों की ओर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सभी नागरिकों के लिए एनपीएस को बढ़ाने के लिए मुख्य चुनौतियां हैं, सामर्थ्य युक्त अभिदाताओं में प्रचार अभियान द्वारा जागरुकता फैलाना तथा वित्तीय साक्षरता प्रदान करना, एनपीएस का वितरण तथा मार्केटिंग नेटवर्क बढ़ाना तथा अन्य पेंशन उत्पादों जैसे ईपीएफ, जीपीएफ, पीपीएफ आदि द्वारा कर समानता सुनिश्चित करना। परामर्शदायी बिक्री हेतु, प्रशिक्षित सलाहाकारों की अत्यंत आवश्यकता है, पेंशन तथा सेवानिवृत्ति योजनाओं को देखते हुए, पीएफआरडीए सेवानिवृत्त सलाहाकारों की नियुक्ति कर रही है, जो कि संभावनाओं/अभिदाताओं को सेवानिवृत्ति योजनाओं को चुनने में तथा वित्तीय रुप से सुरक्षित सेवानिवृत्ति हेतु मार्गदर्शन करने में सहायता प्रदान करेगा।

आगे, एनपीएस जागरुकता के प्रचार को सुनिश्चित करने में, पीएफआरडीए द्वारा प्रचार तथा विकासशील क्रियाकलापों के लिए प्रशिक्षण देने वाली एक समर्पित अभिकरण की शुरुआत की गई जो बैंको, डाकघरों, उपस्थिति अस्तित्वों, नयाचार कार्यालयों आदि के अफसरो के लिए प्रशिक्षण एवं विकासशील कार्यकलाप में योगदान करेगी, जोएनपीएस तथा एपीवाई के लिए प्राथमिक वितरण शाखाएं हैं।

पीएफआरडीए निरंतर सेवा प्रदाताओं तथा अभिदाताओं के लिए एक समान ही मूल्य श्रृखलाओ में तकनीक बढ़ाते हुए प्रभावशीलता लाने तथा एनपीएस तक सरलतापूर्वक जोड़ने हेतु कार्यरत है। एनपीएस के लिए, ई–एनपीएस, एक सुलभ ऑनलाईन आधारित अभिदाता पंजीकरण तथा योगदान सुविधा मौजूदा तथा सामर्थ्यवान अभिदाताओं के लिए उपलब्ध है। ई–एनपीएस, एनपीएस के अंतर्गत व्यक्तिगत पेंशन खाता खुलवाने तथा टियर–I और टियर–II ऑनलाईन खातों में शुरुआती तथा आगामी योगदान प्रदान देने की सुविधा देती है। यह सुविधा अभिदाताओं को सत्यापन के पश्चात् उनके पेंशन निधि प्रबंधक, परिसंपत्ति वर्ग, आबंटन अनुपात तथा योजना विकल्प प्रदान करता है। एनपीएस अभिदाता टियर–II खाते से निकासी अनुमति, लॉग–ईन परिचयपत्रों तथा उनके पंजीकृत मोबाईल पर ओटीपी सत्यापन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।

देश में पेंशन कवरेज को बढ़ाने के क्रम में, पीएफआरडीए विभिन्न सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों का अध्ययन कर रहा है जिसमें ऑटो–नामांकरण जिसे विभिन्न देशों द्वारा अपनाया गया है जैसे, न्यूजीलैंड, यूनाईटेड किंगडम, तुर्की आदि तथा अन्य अवयवों जैसे स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा को पेंशन उत्पादों के साथ जोड़ना सम्मिलित है, पेंशन उत्पादों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए कर रहा है।

1.7 वर्ष के दौरान पीएफआरडीए के लक्ष्यों की संक्षेप में समीक्षा

पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की प्रस्तावना, प्राधिकरण के लक्ष्यों जैसे अभिदाताओं की वृद्धावस्था आय सुरक्षा, विनियमों, विकास तथा हितों की सुरक्षा के माध्यम से प्रस्तुत करती है।

पीएफआरडीए सक्रिय रुप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (उसके सभी प्रकारों) तथा अटल पेंशन योजना के प्रचार तथा विकास तथा एनपीएस के अंतर्गत सभी मध्यस्थों का विनियमन तथा निरीक्षण तथा वृद्धावस्था आय सुरक्षा के संपूर्ण लक्ष्य के प्रावधान तथा अभिदाताओं के हितों की रक्षा में लगी है। इन क्रियाकलापों में लगे रहने के दौरान, पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की प्रस्तावना तथा सर्वोत्तम वैश्विक अभ्यास को ध्यान में रखते हुए, पीएफआरडीए निम्नलिखित व्यापक लक्ष्यों/परिणामों की प्राप्ति करने के लिए कार्यरत है:–

1) आवृत्ति क्षेत्र बढ़ाना
2) सुरक्षा
3) प्रभावशीलता
4) पर्याप्तता
5) स्थिरता

vkofÙk {k= c<kuk

आबादी के सभी क्षेत्रों में, वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रावधान प्राधिकरण के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। पीएफआरडीए अधिनियम 2013 एनपीएस के विनियमन का आदेश देती है, आबादी के के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों को आवृत्त करने के लिए एनपीएस के विभिन्न प्रकारों की शुरुआत की गई जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोर्पोरेट, सभी नागरिक, एनपीएस लाईट, अटल पेंशन योजना (एक भारत सरकार योजना, पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित एवं विनियामित)। प्राधिकरण

आवृत्ति क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लोक जागरुकता प्रिंट, इलेक्ट्रानिक तथा सोशल मीडिया द्वारा, प्रशिक्षण देने वाले अभिकरण की नियुक्ति तथा बैंको, डाकघरों, उपस्थिति अस्तित्वों, नयाचार कार्यालयों आदि के अफसरो के लिए क्षमतोत्पादन आदि सेवानिवृत्त सलाहाकारों की नियुक्ति आदि, ई–एनपीएस के द्वारा ऑनबोर्डिंग तथा लेन–देन की सुविधा प्रदान करता है। परिणामस्वरुप, एनपीएस के तहत अभिदाता आधार 1.22 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2017 में 1.54 करोड़ बढ़ा जो कि 26% का विकास है।

l|j{kk

पीएफआरडीए ने 2013 के अधिनियम के तहत विनियमों की एक व्यापक रुपरेखा कोपेंशन परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन निधि जो कि सेवानिवृत्ति लाभों को प्रदान करने हेतु संचित होता है के नुकसानों को न्यून करने हेतु प्रस्तुत किया है। इन विनियमों में सभी मध्यस्थों के लिए जिनमें पेंशन निधि शामिल है की नियुक्ति के जोरदार मानदंड, विस्तृत कोर्पोरेट शासन रुपरेखा, योग्य तथा उपयुक्त प्रणाली, व्यापक आचार संहिता, विस्तृत भूमिकाएं तथा दायित्व, दंड प्रणाली, संपत्तियों की सुरक्षाओं को सुनिश्चित करने हेतु सम्मिलित किया है। विनियमों का समय–समय पर निरीक्षण किया जाता है तथा मज़बूत बनाया जाता है। निरीक्षण प्रणालियों को आगे मज़बूत करने के लिए, पीएफआरडीए विश्व बैंक के साथ मिलकर, मध्यस्थों के जोखिम आधारित निरीक्षण की शुरुआत पर कार्य कर रही है।

iHkko'khyrk

प्राधिकरण का यह प्रयास है कि तंत्र में प्रभावशीलता अभिदाताओं के स्वीकार्य जोखिमों पर कुल शुल्क–वापसी को बढ़ाकर लाना है। यह समय–समय पर प्रतिदानों को अनुकूल करके निवेश दिशानिर्देशों की समीक्षा करके किया जा सकता है। दो नए जीवन चक्र निधियों जो LC 25 एवं LC 75 हैं तथा निजी अभिदाताओं के लिए नई परिसंपत्ति वर्ग ''।'' की शुरुआत इस दिशा में एक कदम है।

प्रभावशीलता श्रमिकों तथा पूंजी बाज़ारों की प्रभावशीलता साथ ही साथ नौकरी तथा निवेश के लिए अप्रत्यक्ष योगदानों सें भी संबंधित है, क्योंकि प्रत्येक प्रत्यक्ष योगदानों द्वारा पेंशन प्रणाली के साथ मिलकर कार्य करते हैं (अधिक कार्य जीवन तथा योगदाना, पूंजी की न्यून कीमतों, या अधिक वित्तीय समावेशों द्वारा)। पीएफआरडीए एनपीएस तथा एपीवाई द्वारा अभिदाताओं के जागरुकता कार्यक्रम में सक्रिय रुप से कार्यरत है।

पूंजी बाज़ारों के लिए, प्रभावशीलता पूंजी बाज़ार गहराई से गैर– बैंकों की वित्तीय पूंजी उत्पादन निवेश के निधिकरण हेतु तथा विस्तृत पूंजी बाज़ार सुधारों के लाभों से संबंधित है। पीएफआरडीए अनेकों अंर्तविनियामक संगठनों तथा समितियों जिनमें भारत के कार्पोरेट बांड बाज़ारों के विकास के संबंध में कार्यरत संगठन की रिपोर्ट सम्मिलित है, का भाग रहा है।

i;kZIrrk

किसी भी पेंशन प्रणाली के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों के जीवन चक्र के दौरान खपत को सरल करना अर्थात् संचित सेवानिवृत्ति लाभ पात्रता की सुविधा देना जो कि उन्हें वृद्धावस्था गरीबी से सुरक्षित करती है। जबकि एनपीएस बिना किसी लाभ की गारंटी के, एक पारिभाषित योगदान योजना है तथापि एक अच्छे प्रयास के उपाय के रुप में सेवानिवृत्ति पर पर्याप्त पेंशन धन विभिन्न तरीकों के माध्यम से, जिनमें 60 वर्ष की आयु के ऊपर तक एनपीएस योगदान की आयु बढ़ाना, प्रतिदानों को अनुकूल करने के लिए निवेश दिशा निर्देशों की समीक्षा, सरकार के साथ मिलकर कर छूट आदि से योगदान बढ़ाना इत्यादि सुनिश्चित करना प्राधिकरण का प्रयास हैं।

1.8 राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित मध्यस्थ तथा अन्य इकाईयां तथा अधिनियम के तहत आने वाली पेंशन योजनाएं

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक ऐसी असमूहीकृत प्रणाली के तहत कार्य करती है जिसमें प्रत्येक कार्य उस क्षेत्र की विशिष्ट इकाई को दिया गया है। एनपीएस कार्य प्रणाली में सम्मिलित हैं उपस्थिति अस्तित्व, केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग अभिकरण, न्यासी बैंक, पेंशन निधि प्रबंधक, एनपीएस न्यास, संरक्षक तथा वार्षिक सेवा प्रदाता।

1.8.1 राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित मध्यस्थ

उपस्थिति अस्तित्व बैंक तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आदि हैं जोकि पीएफआरडीए के साथ एनपीएस हेतु अभीदाताओं के पंजीकरण तथा सेवा प्रदान करने के लिए पंजीकृत है। उपस्थिति अस्तित्व अभिदाता तथा एनपीएस के बीच पहला वार्तालाप बिंदु है। पंजीकृत पीओपी के पास अधिकृत शाखाएं

होती हैं जिन्हें पीओपी सेवा प्रदाता का जाता है जिनका कार्य संग्रह बिंदु तथा ग्राहकों के लिए सेवाओं को बढ़ाना है। पीओपी के कार्यों में सम्मिलित हैः अभिदाता पंजीकरण, अभिदाता योगदानों का प्रसंस्करण, व्यक्तिगत विवरण में बदलाव, निवेश योजनाओं/निधि प्रबंधक में बदलाव, एक प्रतिरूप से दूसरे प्रतिरूप में अभिदाता स्थानांतरण प्रसंस्करण, मुद्रित खाता विवरण को जारी करना, सेवानिवृति पर निकासी बहिरगमन का प्रसंस्करण आदि।

dæh; fjd,M dhfiax vfHkdj.k

एनपीएस के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग अभिकरण के रूप में ई–गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तथा कारवी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया गया है। उनके मुख्य कार्य इस प्रकार हैंः–

- अभिदाता रिकॉर्ड प्रशासन तथा ग्राहक सेवा कार्यों को बनाए रखना।
- प्रत्येक अभिदाता के लिए स्थाई सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) जारी करना, सभी PRANs का डाटाबेस तैयार करना तथा प्रत्येक PRAN से संबंधित लेन देन की रिकॉर्डिंग।
- एनपीएस प्रणाली के विभिन्न मध्यस्थों के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करना। इस में सम्मिलित है प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए योगदानों का निरीक्षण तथा पेंशन निधि हेतु उसके द्वारा दिए गए निर्देश तथा संप्रेशण। समय समय पर वह प्रत्येक सदस्य को PRAN विवरण भेजते हैं ।
- केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रदान करना
- निधि प्रबंधकों को समय से निधि स्थांतरित कराना
- न्यासी बैंकों को अभिदाता खातों में निकास निधि पर छूट देने हेतु तथा वार्षिकी योजना के लिए वार्षिकी सेवा प्रदाता प्रदान करने हेतु निर्देश समन्वित करना

U;klh cSd

एनपीएस के तहत आने वाले विभिन्न मध्यस्थों के निधि प्रवाह को न्यासी बैंक द्वारा संभाला जाता है। एक्सिस बैंक लिमिटेड वह चयनित बैंक है, जो अभिदाताओं, निधि प्रबंधकों तथा वार्षिकी सेवा प्रदाताओं के लिए निधि स्थानांतरण की सुविधा जो कि सीआरए के माध्यम से अभिदाताओं द्वारा दिए गए निर्देशों पर आधारित हैं उपलब्ध कराता है। न्यासी बैंक नयाचार कार्यालयों/पीओपी/एग्रीगेटरों द्वारा निधि प्राप्त करता है तथा उससे अभिदाता योगदान फाइल के साथ जोड़ देता है। न्यासी बैंक निधियों को एनपीएस न्यास के रूप में रखता है तथा अभिदाता उसके लाभान्वित मालिक बनते हैं।

isa'ku fuf/k;k

यह पीएफआरडीए में पंजीकृत पेंशन निधियां हैं जिन्हें न्यायसंगत तथा विवेकपूर्ण ढंग से निवेश करने के लिए पेंशन कोष को प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो में रखने और प्रबंधन हेतु नियुक्त किया गया है। मौजूदा समय में 8 पेंशन निधियां हैंः जिनके नाम है एलआईसी पेंशन निधि, एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट को लिमिटेड कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड लिमिटेड तथा बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड। उनके कार्य हैः

- सीआरए द्वारा प्राप्त निर्देशों के आधार पर योगदानों को निवेश करना
- योजना पोर्टफोलियो का निर्माण
- पुस्तिका तथा अभिलेख का रखरखाव प्राधिकरणो को रिपोर्ट करना तथा खुलासे करना

çfrHkwfr;ksa ds laj{kd

एनपीएस न्यास के नाम पर एनपीएस कोष द्वारा खरीदी गई प्रतिभूतिया, प्रतिभूतियों के संरक्षकों द्वारा संचालित की जाती है जोकि प्रतिभूतियों के लेन–देन तथा प्रतिभूतियों के वितरण की स्वीकार्यता की सुविधा भी प्रदान करती है। पीएफआरडीए ने स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को संरक्षक नियुक्त किया है। उसके कार्य इस प्रकार हैंः

- एनपीएस न्यास के नाम पर प्रतिभूतियों की सुरक्षा आयोजित करना जिसे एनपीएस कोश द्वारा खरीदा गया
- आयोजित प्रतिभूतियों के विवरण का रखरखाव
- प्रतिभूतियों पर लाभांश, अधिकार, बोनस इत्यादि जैसे लाभ एकत्र करना।
- आयोजित प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं के कार्यों के बारे में जानकारी देना जो लाभों को प्रभावित कर सकते हैं।

,uih,l VLV

एनपीएस न्यास एक ऐसा न्यास है जो भारतीय न्यास अधिनियम के तहत गठित हुआ है, जो अभिदाताओं के लाभ के लिए एनपीएस की परिसंपत्ति धारण करता है। इस न्यास का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, निधियों की देखभाल करना और अभिदाताओं के हितों की रक्षा करना। एनपीएस न्यास पेंशन निधि प्रबंधकों के कामकाज की निगरानी और निरीक्षण करता है और अन्य मध्यस्थों जैसे केन्द्रीय रिकॉर्ड कीपिंग अभिकरण (सीआरए), न्यासी बैंक, संरक्षक और अन्य संस्थाओं के साथ संपर्क करता है।

okf"kdh lsok çnkrk

वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) आईआरडीएआई द्वारा विनियमित बीमा कंपनियां हैं, जिन्हें पीएफआरडीए द्वाराएनपीएस के अभिदाताओं को उनके द्वारा दी गई वार्षिकियों के समूह से वार्षिकी प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में पाँच एएसपी की सूची बनायी गयी है जो –भारतीय जीवन बीमा निगम, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्टार यूनियन दाई–इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैं।

1.8.2 खाते के प्रकार

एनपीएस के तहत निम्नलिखित दो प्रकार के खाते उपलब्ध हैं–

1. **fV;j&1 [kkrk**: टियर–1 खाता के तहत अभिदाता अपनी बचत को आंशिक निकासी खाते के रुप में सेवानिवृत्ति/पेंशननिकासी खाते में योगदान के लिए देता है। कुछ शर्तों पर समयपूर्व निकासी की अनुमति है।
2. **fV;j &2 [kkrk** यह एक स्वैच्छिक बचत सुविधा है। जहां अभिदाता, जब वह चाहे तो इस खाते में की बचत और योगदान को वापस लेने के लिए स्वतंत्र है ।

एनपीएस के तहत आने वाली उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त, पीएफआरडीए अटल पेंशन योजना को भी प्रशासित और नियंत्रित करता है।

तालिका 1.5 : वित्तीय वर्ष 2016–2017 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन योजना/अटल पेंशन योजना के प्रदर्शन के मुख्यबिंदु

mik;	2015&16	2016&17	fodkl ¼%½
सरकारी अभिदाता	4581505	5121225	11.78
सभी नागरिक कोर्पेरेट अभिदाता	688887	1024747	48.75
एपीवाई अभिदाता	2484895	4863699	95.7
उपस्थिति अस्तित्व–सेवा प्रदाताओं की संख्या	55581	69005	24.16
एपीवाई–एसपीस की संख्या	373	397	6.43
केंद्रीय स्वायत्त निकायों की संख्या	510	528	3.53
राज्य स्वायत्त निकायों कि संखया	627	806	28.55
कोर्पेरेटस की संख्या	2370	3429	44.68
प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या	93015	23923	–74.28

- मार्च 2016 की समाप्ति पर 45.82 लाख की तुलना में मार्च 2017 की समाप्ति पर सरकारी अभिदाताओं की संख्या बढ़कर 51.21 लाख हो गई, इसने 5.39 लाख की बढ़त दर्ज की (11.8%)।
- निजी क्षेत्र के अधीन, कोर्पोरेट अभिदाताओं की संखया 4.74 लाख से बढ़कर 5.86 लाख तक बढ़ी, जो कि 1.12 लाख अभिदाताओं की बढ़त है। यूओएस/सभी अभिदाताओं के तहत अभिदाताओं की संख्या मार्च 2016 के अंत में 2.15 लाख से बढ़कर मार्च 2017 में 4.37 लाख हो गई, जो कि 2.22 लाख अभिदाताओं (32.22%) की बढ़त है।
- एपीवाई अभिदाताओं की संख्या मार्च 2016 के 24.85 लाख की तुलना में लगभग दोगुनी होकर मार्च 2017 में 48.63 लाख हो गई। प्रतिशत के हिसाब से इनमें 95.73% की वृद्धि हुई है।
- उपस्थिति अस्तित्व–सेवाप्रदाताओं की संख्या मार्च 2016 अंत में 55581 से बढ़कर मार्च 2017 में 69005 हो गई। बैंको, डाकघरों तथा अन्य संस्थाओं के साथ बैठकें,

कार्यशालाएं वितरण चैनलों को बढ़ाने के लिए जोरदार तरीके से आयोजित की जा रही हैं। बैंकों की सक्रिय शाखाएं पूर्व वर्ष में लगभग दोगुनी हो गई हैं। सक्रिय शाखाओं की संख्या मार्च 2016 के अंत में 7,170 से बढ़कर मार्च 2017 में 13,396 हो गई है। एपीवाई अभिदाताओं की संख्या मार्च 2016 के अंत में 373 से बढ़कर मार्च 2017 में 398 हो गई है, जिसने 6.43% की वृद्धि दर्ज की है।

- केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों, जिसमें केंद्रीय स्वायत्त निकाय तथा राज्य स्वायत्त निकाय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारी सम्मिलित हैं जिन्होंने एनपीएस को अपनाया है, अनिवार्य रुप से एनपीएस के भीतर आते है। जबकि, कई ऐसे केंद्रीय स्वायत्य निकाय तथा राज्य स्वायत्त निकाय है जिन्होंने अभी भी एनपीएस के तहत पंजीकरण नहीं कराया है। इस वर्ष 18 नए केंद्रीय स्वायत्त निकायों तथा 179 राज्य स्वायत्त निकाय को एनईएस के भीतर लाया गया जिससे केंद्रीय स्वायत्त निकायों तथा राज्य स्वायत्त निकायों की संख्या 528 तथा 806 हो गई क्रमानुसार।
- कोर्पेरेट क्षेत्र अपने कर्मचारियों को एनपीएस की सुविधा अनिवार्य या स्वैच्छिक रुप से प्रदान करता है। कोर्पेरेट की संख्या जो कि एनईएस के तहत पंजीकृत थे कि मार्च 2016 के अंत में 2370 की संख्या की तुलना में मार्च 2017 के अंत में कोर्पेरेटस की संख्या कुल 3429 पायी गई।
- ईएफआरडीए के सेवानिवृति तथा सेवानिवृति योजना के लिए बचत की आवश्यकता हेतु जागरुकता उत्पन्न करने के आदेश को पूर्ण करने संबधी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, पीएफआरडीए स्वयं द्वारा चयनित प्रशिक्षण अभिकरणों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम जिनमें प्रशिक्षण देना सम्मिलित है, चलाती है। यह प्रशिक्षण अभिकरण केंद्र तथा राज्य सरकार के केंद्रक अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती हैं– जिनमें शमिल हैं – वेतन तथा लेखा कार्यालय, आहरण तथा संवितरण कार्यालय, उपस्थिति अस्तित्व/बैंकों/डाकघरों संकलनकर्त्ताओं आदि जो कि अभिदाताओं के पंजीकरण में, एनपीएस/एपीवाई के प्रमुख गुणों, शामिल करने की प्रक्रिया में संलग्न हैं। आगे, क्षेत्र भर तथा संपूर्ण भूगोल के अभिदाताओं कि लिए विस्तृत ग्राहक सुरक्षा नीति के भाग के रुप में प्रशिक्षण कार्यशालाएं/शिविर आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान कुल 595 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा 23923 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

भाग – II
एनपीएस के तहत निधि का निवेश

यह अध्याय एनपीएस के तहत आने वाले निवेश निधियों और अधिनियम के तहत अन्य पेंशन योजनाओं के संबंध में है, और विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के प्रदर्शन की सीमा तक जिसमें सम्मिलित हैं, सरकारी प्रतिभूतियां, ऋण प्रतिभूतियां और परिशिष्ट II के अनुसार इक्विटी जो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिवेदन, प्रतिदान और विवरण) नियम, 2015 के अंतर्गत है।

2.1 पेंशन निधि (पीएफ)

पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित एनपीएस और किसी भी अन्य योजना के तहत परिसंपत्तियों का विनियमन/प्रबंधन इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त पेशेवर निधि प्रबंधकों द्वारा किया जाता है।

2.1.1 पेंशन निधि के कार्य

पेंशन निधि के कार्यों में शामिल हैं :–

(क) प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार और अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित में प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों का व्यावसायिक निवेश।

(ख) प्राधिकरण द्वारा निर्धारित योजनाओं के अनुसार योजना पोर्टफोलियो निर्माण।

(ग) पुस्तकों और उसके कार्यों के रिकॉर्ड का रखरखाव।

(घ) प्राधिकरण और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (एनपीएसटी) को नियतकालिक अंतराल पर रिपोर्टिंग करना।

(ङ) सार्वजनिक प्रकटीकरण।

2.1.2 पेंशन निधियों की सूची

सरकारी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं (अर्थात् केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार), हेतु पेंशन निधियों की सूची (PFs)

i) एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड

ii) एसबीआई पेन्शन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड

iii) यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड

सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिए पेंशन निधियों द्वारा लगाए गए निवेश प्रबंधन शुल्क प्रबंधन के तहत वर्तमान में परिसंपत्तियों का प्रतिवर्ष 0.0102 प्रतिशत है।

futh {ks= ,uih,l ;kstukvksa dk fy, isa'ku fuf/k;ksa dh lwph ¼PFs½

i) एचडीएफसी पेंशन प्रबंधन कंपनी लिमिटेड

ii) आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

iii) कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड

iv) एलआईसी पेन्शन फंड लिमिटेड

v) रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड लिमिटेड

vi) एसबीआई पेन्शन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड

vii) यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

viii) बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड (23 फरवरी 2017 दिए गए व्यापार के प्रारंभ होने

का प्रमाणपत्र) गैर–सरकारी क्षेत्र पोर्टफोलियो के लिए पेंशन निधि द्वारा लगाए गए निवेश प्रबंधन शुल्क प्रबंधन के तहत वर्तमान में परिसंपत्तियों का प्रतिवर्ष 0.01 प्रतिशत है।

2.2 योजनाएं

वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन निधि द्वारा प्रबंधित निम्नलिखित योजनाएं क्रियाशील हैं:

v- **dsUæh; ljdkj deZpkfj;ksa rFkk dsaæh; Lok;Ùk fudk; deZpkfj;ksa ij ykxw ;kstuk,¡**– जिन्हें सीजी (केंद्रीय सरकार) योजनाएं कहा जाता है, जिसमें अधिकतम परिसंपत्ति **oxZ b** (इक्विटी) के लिए अनुज्ञप्त एक्सपोसर 15% है, परिसंपत्ति **oxZ lh** के लिए (कॉर्पोरेट बॉण्ड) 45% और परिसंपत्ति **oxZ th** के लिए (सरकारी प्रतिभूतियां) 50% है। व्यक्तिगत अभिदाताओं के पास परिसंपत्ति आवंटन या पेंशन निधि का विकल्प नहीं है। प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां तीन पेंशन निधियों में वितरित है, जैसे एलआईसी पेंशन फंड एलआईसी पेंशन

फंड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड और यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, जिन्हें पिछले वर्ष के रिटर्न के अनुसार प्राधिकरण के निर्देशों के मुताबिक रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों को, एसबीआई पेंशन फंड प्राईवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशन लिमिटेड और एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड के लिए 35:33.5:31.5 अनुपात में आबंटित किया गया है।

c- **jkT; ljdkj deZpkfj;ksa ds fy, rFkk jkT; Lok;Ùk fudk;ksa ds deZpkfj;ksa ij ykxw ;kstuk**–जिन्हें एसजी (राज्य सरकार) योजना कहा जाता है। यह सीजी योजना के समान ही निवेश पैटर्न और पेंशन निधियों का अनुसरण करती हैं। व्यक्तिगत ग्राहकों के पास परिसंपत्ति आवंटन या पेंशन निधियों का विकल्प नहीं है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों को एसबीआई पेंशन फंड प्राईवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशन लिमिटेड और एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड के लिए 35:33.5:31.5 के अनुपात में आबंटित किया गया है।

l- **0;fä;ksa vkSj dkWiksZjsVksa ds fy, ykxw ;kstuk,sa&**

निम्नलिखित योजनाएं व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट अभिदाताओं पर लागू होती हैं:–

1. **,uih,l**– लाइट योजना –यह सीजी योजना के समान ही आबंटन पैटर्न का अनुसरण करती है। हालांकि, संकलनकर्त्ता आठ पेंशन निधियों में से किसी भी एक पेंशन निधि को चुन सकते हैं।
2. **vVy isa'ku ;kstuk&**यह सीजी योजना के समान ही आबंटन पैटर्न का अनुसरण करती है। प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां तीन पेंशन निधियों में वितरित हैं जो हैं एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड तथा यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड।
3. **dkWiksZjsV lhTkh ;kstuk**–यह सीजी योजना के समान ही आबंटन पैटर्न का अनुसरण करती है। हालांकि, नियोक्ता/कर्मचारी तीन सार्वजनिक क्षेत्र की पेंशन निधियों में से एक पेंशन निधि चुन सकते हैं (जो हैं एसबीआई पेंशन फंड प्राईवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशन लिमिटेड और एलआईसी पेंशन निधि लिमिटेड)। किसी भी नए कर्मचारी के लिए यह योजना बंद कर दी गई है।
4. **Vh;j&I vkSj Vh;j&IIds fy, bZ lh th, iVu**–परिसंपत्तियों का निवेशइक्विटी, कॉर्पोरेट बांड, सरकारी प्रतिभूतियां और सेबी नियंत्रित 'वैकल्पिक निवेश निधि' एआईएफ (केवल श्रेणी I और श्रेणी II के लिए) सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) में किया जाता है जो कि सेबी विनियम 2012 के तहत परिभाषित हैं।

नीचे तालिका 2.1 में प्रबंधन के तहत योजना–वार परिसंपत्तियों का विवरण दिया गया है:–

तालिका 2.1 : प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति का विवरण

;kstuk	ekpZ&16	ekpZ&17	izfr'kr o`f)
सीजी	48135	67040.15	
एसजी	57693	85171.5	
mi&;ksx	105828	152212	44%
कोर.सीजी	6805	10753.48	
ई–I	1181	2538.98	
सी–I	888	1684.95	
जी–I	1325	2506.93	
ए–I	–	1.06	
ई–II	–	125.9	
सी–II	55	101.33	
जी–I	54	112.43	
ए–II	–	0.1	
एनपीएस लाईट	2108	2639.21	
एपीवाई	506	1885.01	
mi&;ksx	12922	22349.4	73%
dqy ;ksx	118750	174561	47%

उपरोक्त तालिका से यह संकेत मिलता है कि सरकारी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं (सीजी और एसजी) के लिए योजना प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति में 44% की वृद्धि हुई है, जबकि इन दोनों योजनाओं की तुलना में अन्य योजनाओं के प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति में 73% की वृद्धि हुई है। हालांकि, पूर्ण रूप

से सरकारी क्षेत्र की योजनाओं में कुल 46,383.65 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि अन्य योजनाओं में कुल 9427.38 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, विभिन्न योजनाओं को विभिन्न पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित किया जाता है, संबंधित पेंशन निधि के तहत आने वाली विभिन्न योजनाओं के प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति का विवरण नीचे दिया गया है–

तालिका 2.2 (क) पेंशन निधि और योजना के अनुसार परिसंपत्ति प्रबंधन मार्च 2017 तक

आंकड़े करोड़ में

i{'ku QM@ ;kstukvksa dk uke	lhth	,lth	,uih,l ykbV	dkiksZjsV lhth	,ihokbZ	dqy ;ksx
एसबीआई पेन्शन फंड्स प्राइवेट	24,027.26	28,958.92	1,093.23	8,880.49	641.87	63,601.77
एलआईसी पेन्शन फंड लिमिटेड	20,721.72	28,188.31	759.66	1,872.99	620.79	52,163.47
यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड	22,291.17	28,024.28	746.12	–	622.35	51,683.92
आईसीआईसीआई प्रूडेंट पेंशन फंड मेन्जमेंट कंपनी लिमिटेड	&	&	&	&	&	&
कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	&	&	40.20	&	&	40.20
रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड लिमिटेड	&	&	&	&	&	&
एचडीएफसी पेंशन प्रबंधन कंपनी लिमिटेड	&	&	&	&	&	&
dqy ;ksx	67,040.15	85,171.50	2,639.21	10,753.48	1,885.01	1,67,489.36

तालिका 2.2 (ख) पेंशन निधि अनुसार तथा योजना के अनुसार प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति मार्च 2017 तक

आंकड़े करोड़ में

i{'ku fuf/k@ ;kstukvksa dk uke	bZ&I	lh&I	th&I	bZ&II	lh&II	th&II	,&I	,&II	dqy ;ksx
एसबीआई पेन्शन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	1,026.32	703.62	1,263.35	45.91	37.07	44.72	0.35	0.04	3,121.38
एलआईसी पेन्शन फंड लिमिटेड	220.78	137.83	175.85	3.69	3.26	4.30	0.07	0.01	545.78
यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड	129.64	81.94	122.90	9.86	6.68	8.15	0.06	0.00	359.24
आईसीआईसीआई प्रूडेंट पेंशन फंड मेन्जमेंट कंपनी लिमिटेड	544.66	365.95	422.44	39.09	35.89	33.15	0.28	0.03	1,441.48
कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	93.30	67.51	88.79	8.42	6.09	7.67	0.05	0.01	271.85
रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड लिमिटेड	57.61	39.63	56.75	6.74	3.38	4.84	0.02	0.00	168.97
एचडीएफसी पेंशन प्रबंधन कंपनी लिमिटेड	466.67	288.48	376.86	12.17	8.96	9.60	0.24	0.01	1,162.99
dqy ;ksx	**2]538-98**	**1]684-95**	**2]506-93**	**125-90**	**101-33**	**112-43**	**1-06**	**0-10**	**7]071-69**

2.3 विभिन्ननिवेश की श्रेणियों के लिए पीएफआरडीए द्वारा नियंत्रित तथा प्रशासित विभिन्न योजनाओं का प्रकटीकरण

v. पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देश के अनुसार सीजी, एसजी, कॉर्पोरेट सीजी और एनपीएस–लाइट और एपीवाई योजना के तहत आने वाले पोर्टफोलियो के संबंध में विभिन्न निवेश उपकरण में अधिकतम निर्धारित निवेश प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

ox	**ifj l ifÙk ox@midj.k**	**vf/kdre ,Dl ikst j ¼%½**
1.	सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश राज्य विकास ऋण शामिल	50%
2.	ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	45%
3.	अल्पावधि ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	5%
4.	इक्विटीज और संबंधित निवेश	15%
5.	संपत्ति का समर्थन, संरचित न्यास और विविध निवेश	5%

c. सरकारी क्षेत्र की योजनाओं (सीजी और एसजी), एनपीएस लाइट, कॉर्पोरेट सीजी और एपीवाइ के अलावा अन्य योजनाओं के लिए अभिदाता अपनी पूंजी के आबंटन के लिए **ifj l ifÙkox b** (इक्विटी), **l h** (कॉर्पोरेट ऋण) तथा **t h** (सरकारी प्रतिभूतियां) और **ifj l ifÙk ox ,** (वैकल्पिक पूंजी) का चयन कर सकते हैं। हालांकि, यह आबंटन **ifj l ifÙk ox b** और **ifj l ifÙk ox ,** के लिए प्रतिबंधित है। **ifj l ifÙk ox b** (इक्विटी) में और **ifj l ifÙk ox ,** (वैकल्पिक एसेट्स) के लिए अधिकतम सीमा क्रमशः 50% और 5% है। अभिदाता **ifj l ifÙk ox l h** (कॉर्पोरेट ऋण) और **ifj l ifÙk ox t h** (सरकारी प्रतिभूतियों) में संपूर्ण कोश आबंटित कर सकते हैं। टीयर II खातों के मामले में, **ifj l ifÙk ox ,** में कोई भी निवेश की अनुमति नहीं है, अन्य विवेकपूर्ण सीमाएंसमान हैं।

परिसंपत्ति वर्ग के अनुसारप्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों का विभाजन मार्च 2016 की तुलना में मार्च 2017 तक नीचे प्रदान किया गया है–

तालिका 2.3 : परिसंपत्ति प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति वर्गवार विभाजन

ifj l ifÙk ox	**31 ekp 2016**		**31 ekp 2017**	
	jkf'k¼#i;s djkM½	**fuos'k dk %**	**jkf'k¼#i;s djkM½**	**fuos'k dk %**
th&l d	60185	50.66%	83674	47.93%
d,jikjV c,UM	41931	35.29%	61470	35.21%
bfDoVh	12656	10.65%	23557	13.50%
eæk ckt kj	1087	0.91%	2014	1.15%
udn vkj uV ortleku i th	2951	2.48%	3846	2.20%
dy eY;	**118810**	**100-00%**	**174561**	**100-00%**

चार्ट 2.1 (अ)

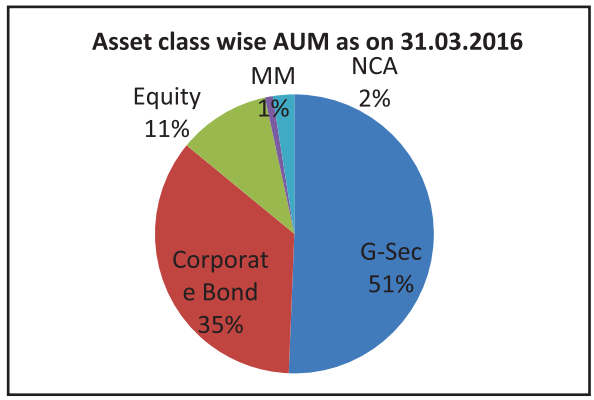

चार्ट 2.1 (ब)

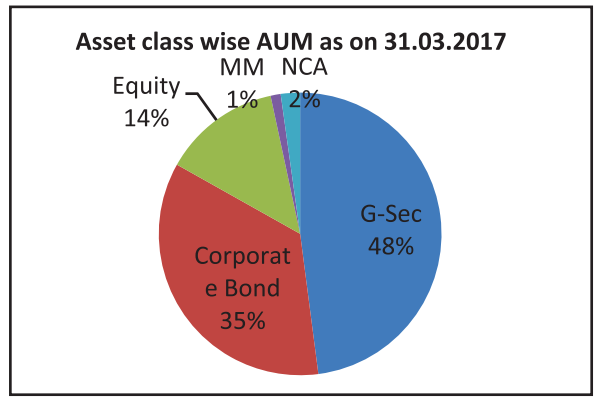

उपरोक्त तालिका और आंकड़े परिसंपत्ति वर्ग जी से परिसंपत्ति वर्ग ई के परिसंपत्ति आवंटन का स्थानान्तरण करना सूचित करते हैं। परिसंपत्ति वर्ग ई के लिए एक्सपोसर वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंत में रह चुके 10.65% से 31 मार्च 2017 तक 13.5% तक बढ़ा है। इसके अलावा, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एक्सपोसर प्रतिशत मार्च 2016 के अंत तक 50.66 प्रतिशत से घटकर मार्च 2017 के अंत तक 47.93 प्रतिशत हो गया है।

2.4 पेंशन निधि के लिए जारी किए गए विनियम, अधिसूचना, प्रमुख परिपत्र/दिशा निर्देश

1. पेंशन निधिविनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पेंशन फंड) (पहला संशोधन) विनियम, 2016, निवेश प्रबंधन शुल्क की गणना के तरीके के बारे में, 17 अगस्त, 2016 को अधिसूचित किया गया था।

2. वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) का परिचय। सेबी नियंत्रित 'वैकल्पिक निवेश निधियों' में निवेश एआईएफ (श्रेणी I और श्रेणी II केवल) जैसा कि सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) नियमों 2012 के तहत परिभाषित है, एनपीएस योजनाओं (सरकारी क्षेत्र (सीजी और एसजी) कॉरपोरेट सीजी, एनपीएस–लाइट और एपीवाई) के अलावा, के लिए 8 अप्रैल 2016 से पेंशन निधि कोश की अधिकतम 2% की सीमा के साथ स्वीकार्य है।

3. दो नए जीवन चक्र (एलसी 75 और एलसी 25) निधियोंकी शुरुआत। निजी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए दो नए जीवन चक्र फंड नवंबर 2016 में आरंभ किए गए, मौजूदा जीवन चक्र कोष में अभिदाता के उम्र तथा जोखिम प्रोफाईल के अनुसार विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में संपत्ति के पूर्व–क्रमादेषित विविधीकरण को जोड़ते हुए, पेश किया गया। ये दो नई शुरू की गई जीवन चक्र निधि हैं आक्रामक जीवन चक्रनिधि और अपरिवर्तनवादी जीवन चक्रनिधि। आक्रामक जीवन चक्र निधि (एलसी –75) में, इक्विटी में अधिकतम निवेश 75% तक सीमित है जबकि अपरिवर्तनवादी जीवन चक्र निधि (एलसी –25) के मामले में इसे 25% तक ही सीमित कर दिया गया है। मौजूदा जीवन चक्र निधि (एलसी–50) जहां इक्विटी में निवेश 50% तक सीमित है, एक डिफॉल्ट योजना के रूप में जारी रहेगा और इसे मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड (एलसी –50) के रूप में बताया जाएगा।

4. योजना एकी शुरुआत, मौजूदा परिसंपत्ति वर्गों जैसे ईक्विटी (ई), कॉरपोरेट बॉन्ड (सी) और सरकारी ऋण (जी) के अलावा निजी क्षेत्र के एनपीएस अभिदाताओं के लिए एक अलग परिसंपत्ति वर्ग–ए (वैकल्पिक निवेश के लिए) तैयार किया गया है और वह 1 अक्टूबर 2016 से प्रभावी होगा। ऐसे परिसंपत्ति वर्ग में निवेश कुल निवेश का 5% तक ही सीमित है।

भाग–III
प्राधिकरण के कार्य

यह अध्याय पेंशन निधिविनियामक एवं विकास प्राधिकरण के कर्तव्य, शक्ति और कार्यो का, अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एवं योजनाओं के प्रचार तथा अधिक विकास जिससे इन योजनाओं के तहत आने वाले तंत्र तथा योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा की जा सके, से संबंधित है।

3.1 मध्यस्थों के पंजीकरण और इस तरह के पंजीकरणका निलंबन, रद्दीकरण, आदि, और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या पेंशन योजनाओं से जुड़े मध्यस्थों की गतिविधियों का विनियमन

पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 14 ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पेंशन योजनाओं को विनियमित करने, बढ़ावा देने और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने और इस तरह के तंत्र और योजनाओं से ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण के कर्तव्यों, शक्तियों और कार्यों को निर्धारित किया है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और कोई भी अन्य पेंशन योजना जो कि किसी भी अन्य कानून द्वारा नियंत्रित नहीं है, पीएफआरडीए द्वारा बड़ी संख्याओं में संस्थाओं के माध्यम सेसंचालित किया जाता है जैसे केन्द्र और राज्य सरकार में **oru ,o y[kk dk;ky;@jktdk’k dk;ky;** जो कि NPSCAN में सरकारी कर्मचारियों के पंजीकरण और समय–समय पर एनपीएस अंशदान को अपलोड करने के लिए जिम्मेदार हैं, **mifLFkfr vfLRkRo** (पीओपी) जो कि बैंक, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्तीय संस्थान (एमएफआई) आदि हैं जो कोर्पोरेटस के लिए, निजीक्षेत्र के लिए तथा असंगठित क्षेत्र नियोक्ताओं के लिए एनपीएस सदस्यता के पंजीकरण और एनपीएस अंशदान के अपलोड करने में सहायता करते हैं, **ldyudÙkk** जो विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में संभावित अभिदाताओं के लिए अंतिम मार्ग तक पहुंचने में मदद करते हैं, **dUæh; fjdkM dhfix ,tlh** (सीआरए), जो व्यक्तिगत पेंशन खातों के रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार हैं जिन्हें अभिदाताओं के PRAN कहा जाता है तथा एनपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक समन्वयक का कार्य करते हैं, **U;klh cd**, प्रतिदिन निधियों के प्रवाह के लिए और बैंकिंग सुविधाओं के लिए जिम्मेदार हैं, **i'ku QMl** (PFs), जो एनपीएस के तहत अभिदाता के निवेश औरपेंशन संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार और वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (ASPs) वार्षिकी प्रदान करने के लिए पीएफआरडीए के साथ मिले हैं।

31 मार्च 2017 तक 4339 वेतन एवं लेखा कार्यालय, 302 राजकोश और लेखा कार्यालय, 75 पीओपीस, 40 संकलनकर्त्ता, दो केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी, एक न्यासी बैंक, आठ पेंशन निधियां और पांच वार्षिकी सेवा प्रदाता थे।

वर्ष 2016–17 के दौरान, नई विनियम पेंशन निधिविनियामक एवं विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 को अधिसूचित किया गया था और पीओपी के लिए मौजूदा विनियम, पेंशन निधियों, एग्रीगेटरस का संशोधन किया गया।

पात्रता के लिए एक रुपरेखा को प्रदान करने के लक्ष्यों के साथ, पंजीकरण की प्रक्रिया, भाुल्क आदि के लिए सेवानिवृत्ति सलाहकार तथा सेवानिवृत्ति सलाहकार के कार्य और दायित्व को दर्शाने के लिए पेंशन निधिविनियामक एवं विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 को पीएफआरडीए द्वारा अधिसूचित किया गया था ।

कुछ शिकायतों/प्रतिनिधित्व के आधार पर पीएफआरडीए ने यह पाया की कुछ व्यक्ति/संस्थाएं, जो पीएफआरडीए साथ पंजीकृत नहीं हैं एनपीएस लाइट/स्वावलंबन के तहत सदस्यता प्रदान कर रही हैं, पीएफआरडीए ने उन संस्थाओं/व्यक्तियों को सार्वजनिक नोटिस द्वारा एनपीएस लाइट/स्वावलंबन के तहत ऐंसे क्रियाकलापों से दूर रहने तथा परहेज करने की सलाह दी है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान प्राधिकरण ने दूसरे सीआरए के रूप में एम/एस कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को पंजीकृत किया है और उसे परिचालन शुरू करने के लिए एनपीएस ट्रस्ट के ई–एनपीएस मॉड्यूल के माध्यम से खातों की सर्विसिंग के अनुमति दी, जिसमें अभिदाता को 15 फरवरी, 2017 से एक विकल्प प्रदान की जाएगा जिसमें एनएसडीएल ई–गवर्नेंस लिमिटेड (1 सीआरए) और एम/एस कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (2 सीआरए) के बीच में से एक का चयन कर सकता है। एम/एस कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड का पूरा क्रियाकलाप, अंतर–व्यवहार गुण के साथ स्थानांतरण करने के लिए विकल्प, एनपीएस के मौजूदा ग्राहकों के लिए 1 अप्रैल 2017 से के प्रभाव में आएगा।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान तीन पेंशन निधियां सरकारी कर्मचारियों के निवेश का प्रबंधन कर रही हैं जो कि अनिवार्य रुप से एनपीएस के भीतर आते हैं तथा शेष अभिदाताओं कें परिसंपत्तियों का प्रबंधन आठ पेंशन निधियां कर रही हैं। 21 फरवरी 2017 को प्राधिकरण ने बिरला सन लाइफ पेंशन प्रबंधन लिमिटेड के साथ व्यापार की शुरुआत करने का प्रमाणपत्र जारी कर दिया जिससे वह अपने कार्यों को प्रारंभ कर सके।

पीएफआरडीए द्वारा विनियमित/प्रशासित योजनाओं के प्रतिभूतियों के संरक्षक के चयन के लिए प्राधिकरण ने 6 अप्रैल 2016 को एक आरएफपी जारी किया था। इस प्रक्रिया के तहत 14 मई 2016 से SHCIL को पांच साल की अवधि के लिए पुनः संरक्षक नियुक्त किया गया। आरएफपी के द्वारा प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियों के आधार पर संरक्षक शुल्क परिसंपत्ति संरक्षक के 0.0075% प्रतिवर्श से घटकर परिसंपत्ति संरक्षक 0.0032% प्रतिवर्श तक पहुंच गया।

मार्च 2016 के अंत में 55 पंजीकृत पीओपी थे। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, 14 मौजूदा पीओपी और 6 नए उपस्थिति अस्तित्व पंजीकृत किए गए तथा पंजीकरण के प्रमाणपत्र जारी किए गए। विनियमों के अनुसार, उपस्थिति अस्तित्व के रुप में छह कोर्पोरेटस और 10 विशेष ईकाईयां पंजीकृत हैं जिनको पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया ।

वित्तीय वर्ष 16–17 के दौरान, पीएफआरडीए ने संकलनकर्त्ता के 40 आवेदन पत्र प्रसंस्कृत किए जिन्होंने पीएफआरडीए (एग्रीगेटर) विनियम, 2015 के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया था और पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं ।

3.2 योजनाओं का अनुमोदन, नियम एवं शर्तें जिनमें पेंशन निधियों के कोष प्रबंधन के लिए नियम सम्मिलित हैं तथा ऐसी योजनाओं के तहत निवेश दिशा–निर्देश

वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन निधि द्वारा प्रबंधित निम्नलिखित योजनाएं संचालित हैं:

dUæh; ljdkj deZpkfj;ksa rFkk dsaæh; Lok;Ùk fudk; deZpkfj;ksa ij ykxw ;kstuk,¡–जिन्हें सीजी (केंद्रीय सरकार) योजनाएं कहा जाता है, जिसमें अधिकतम परिसंपत्ति **oxZ b**ZZ (इक्विटी) के लिए अनुज्ञप्त एक्सपोसर 15% है, परिसंपत्ति **oxZ lh** के लिए (कॉर्पोरेट बॉण्ड) 45% और परिसंपत्ति **oxZ th** के लिए है (सरकारी प्रतिभूतियां) 50% है। व्यक्तिगत अभिदाताओं के पास परिसंपत्ति आवंटन या पेंशन निधि का विकल्प नहीं है। प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां तीन पेंशन निधियों में वितरित है, जैसे एलआईसी पेंशन फंड एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड और यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, जिन्हें पिछले वर्ष के रिटर्न के अनुसार प्राधिकरण के निर्देशों के मुताबिक रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों को, एसबीआई पेंशन फंड प्राईवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशन लिमिटेड और एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड के लिए 35:33.5:31.5 अनुपात में आबंटित किया गया है।

ब. **jkT; ljdkj deZpkfj;ksa ds fy, rFkk jkT; Lok;Ùk fudk;ksa ds deZpkfj;ksa ij ykxw ;kstuk**– एसजी (राज्य सरकार) योजना कहा जाता है, यह सीजी योजना के समान ही निवेश पैटर्न और पेंशन निधियों का अनुसरण करती हैं। व्यक्तिगत ग्राहकों के पास परिसंपत्ति आवंटन या पेंशन निधियों का विकल्प नहीं है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों को एसबीआई पेंशन फंड प्राईवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशन लिमिटेड और एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड के लिए 35:33.5:31.5 के अनुपात में आबंटित किया गया है।

l- 0;fä;ksa vkSj d,iksZjsVksa ds fy, ykxw ;kstuk,¡ &

निम्नलिखित योजनाएं व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट अभिदाताओं पर लागू होती हैं: –

1. **,uih,l**– लाइट योजना – यह सीजी योजना के समान ही आबंटन पैटर्न का अनुसरण करती है। हालांकि, संकलनकर्त्ता आठ पेंशन निधियों में से किसी भी एक पेंशन निधि को चुन सकते हैं।
2. **d,iksZjsV lhTkh ;kstuk**– यह सीजी योजना के समान ही आबंटन पैटर्न का अनुसरण करती है। हालांकि, नियोक्ता/कर्मचारी तीन सार्वजनिक क्षेत्र की पेंशन निधियों में से एक पेंशन निधि चुन सकते हैं (जो हैं एसबीआई पेंशन फंड प्राईवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशन लिमिटेड और एलआईसी पेंशन निधि लिमिटेड)। किसी भी नए कर्मचारी के लिए यह योजना बंद कर दी गई है।
3 **Vh;j&I vkSj Vh;j&II ds fy, bZlhth, iSVuZ**–परिसंपत्तियों का निवेश, कॉर्पोरेट बांड, सरकारी प्रतिभूतियां और सेबी नियंत्रित 'वैकल्पिक निवेश निधि' एआईएफ (केवल श्रेणी I और श्रेणी II के लिए) सेबी

(वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम 2012 के तहत परिभाषित हैं, में किया जाता है।

3.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाताओं का निर्गमन

11 मई 2015 को पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निर्गमन और प्रत्याहरण) विनियम, 2015, अधिसूचित किया गया था। विनियम का उद्देश्य अभिदाताओं के हित में एनपीएस से बाहर निकलने या निकासी पर, शर्तों सहित, उद्देश्य, आवृत्ति और व्यक्तिगत पेंशन खाते से निकासी के लिए सीमाएं, साथ ही शर्तों, जिनके अधीन एक अभिदाता एनपीएस से बाहर निकलता है और उसके बाद एक वार्षिकी खरीदता है एक प्रभावी तंत्र प्रदान करना है।

एनपीएस से बाहर निकलने के प्रयोजन के लिए, अभिदाताओं को वर्गीकृत और परिभाषित किया गया है, (1) सरकारी क्षेत्र, (2) सभी नागरिक कॉर्पोरेट क्षेत्र सहितऔर (3) एनपीएस–लाइट और स्वावलंबन अभिदाता सहित। उल्लिखित बर्हिगमन नियम उन वर्गों के अनुसार लागू होंगे जिनमें अभिदाता शामिल हैं।

तालिका 3.1 : 1 अप्रैल वर्ष 2016 से 31 मार्च, 2017 के दौरान सूचित, स्वीकार्य तथा व्यवस्थित की गई निकासी

Øe-la[;k	{k=	v,uykbu fudklh			fQftdy fudklh		
		Lkfpr *	LohÑr $	0;ofLFkr	Lkfpr #	LohÑr ***	0;ofLFkr
1	केंद्र सरकार	3,205	2,741	2,689	221	830	908
2	राज्य सरकार	8,292	7,149	7,091	493	1,641	1,757
3	यूओएस	899	685	653	15	151	161
4	कॉर्पोरेट	778	701	676	23	92	94
5	एनपीएस लाइट	14,556	14,189	13,871	209	1,195	1,221
	कुल	**27]730**	**25]465**	**24]980**	**961**	**3]909**	**4]141**

नोट:

*** v,uykbu fudklh**: सूचना नोडल कार्यालय द्वारा अधिकृत मामलें और नोडल कार्यालय द्वारा प्राधिकृत करने हेतु विलंब को अंकित करती है ।

$ v,uykbu fudklh: स्वीकृत उन मामलों को जिनमें नोडल कार्यालय द्वारा सीआरए प्रणाली में निकासी के अनुरोध को अधिकृत किया है को अंकित करती है।

 # fQftdy fudklh : सूचना उन मामलों को जहां सीआरए द्वारा 30 अप्रैल, 2016 तक नोडल कार्यालय/अभिदाता द्वारा प्राप्त फिजिकल निकासी के अनुरोध को अंकित करती है।

***** fQftdy fudklh** : स्वीकृत उन मामलों को जिन्हें सीआरए द्वारा रोका हुआ है और जिनमेंनोडल कार्यालय/सब्सक्राइबर द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हुए हैं।

तालिका 3.2 : 31 मार्च, 2016 और 31 मार्च, 2017 के रूप में बकाया निकासी का दावा

Øe-la[;k	{k=	Hkkfrd fudklh yfcr		v,uykbu fudklh yfcr	
		31 ekpZ 2016 rd	31 ekpZ 2017 rd	31 ekpZ 2016 rd	31 ekpZ 2017 rd
1	केंद्र सरकार	1,899	896	–	464
2	राज्य सरकार	2,633	873	–	1,143
3	यूओएस	347	96	–	214
4	कॉर्पोरेट	138	38	–	77
5	एनपीएस लाइट	2,519	789	–	367
	dqy	**7]536**	**2]692**	**&**	**2]265**

नोट

fQftdy fudklh :निकासी वर्ष के अंत में उन मामलों में बकाया का दावा करती है जिनमें सब्सक्राइबर/नोडल कार्यालय द्वारा सीआरए को आवश्यक दस्तावेज जमा करना भोश हैं।

v,uykbu fudklh: निकासी वर्ष के अंत में उन मामलों में बकाया का दावा करती है जिनमें नोडल कार्यालय द्वारा सीआरए प्रणाली में वापसी अनुरोध को अधिकृत करना शेष है।

यह देखा गया है कि अधिकांश मामलों में वापसी आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए लंबित होने का कारण अभिदाताओं या नोडल कार्यालयों द्वारा जमा करने वाले दस्तावेजों की अनुपलब्धता/अपर्याप्तता है।

3.3.1 एनपीएस के तहत आंशिक निकासी

एनपीएस दो तरह के खातों की पेशकश करता है, अर्थात् टियर I और टियर II । टीयर I खाता पेंशन खाता है और जो टियर II खाते को खोलने हेतु अनिवार्य है और जो एक निवेश और वैकल्पिक खाता है । टियर–I खाता, उच्च शिक्षा के लिए, बच्चों की शादी, एक घर की खरीद तथा निर्दिष्ट बीमारियों के चिकित्सा के उपचार एनपीएस की शुरुआत की तिथि से 10 वर्ष की समाप्ति तक अभिदाता द्वारा किए गए योगदान के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होने पर आंशिक निकासी प्रदान करता है। टियर II खाते लचीलेपन के साथ स्वैच्छिक निवेश के योगदान और धन की वापसी प्रदान करता है।

तालिका 3.3 : 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च, 2017 तककी अवधि के दौरान सूचित और व्यवस्थित आंशिक वापसी के मामलों की संख्या

Øe- l[;k	**{k=**	**vkf'kd fudklh**	
		Lkfpr*	**0;ofLFkr**
1	केंद्र सरकार	726	394
2	राज्य सरकार	457	253
3	यूओएस	–	–
4	कॉर्पोरेट	–	–
	dy	1,183	647

* सूचित मामलों में नोडल कार्यालय द्वारा प्राधिकृत करने हेतुविलंब सम्मिलित है।

3.3.2 अभिदाताओं द्वारा चुने गयेवार्शिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) और वार्षिकी योजनाओं का विवरण

वार्षिकी, पेंशन के मासिक भुगतान के विरुद्ध एकमुश्त जमा राशि प्रदान करती है। पीएफआरडीए द्वारा संचालित वार्षिकी सेवा प्रदाता से एनपीएस में निर्दिष्ट निकास नियमों के अनुसार अभिदाता अनिवार्य रूप से वार्षिकी खरीदते हैं।

वार्षिकी सेवा प्रदाता बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) हैं जो भारत में वार्षिकी कारोबार का संचालन करते हुए जीवन बीमा कंपनियों को लाइसेंस प्रदान करते हैं और विनियमित करते हैं और इन्हें एनपीएस अभिदाताओं की वार्षिकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त किया गया है।

31 मार्च 2017 तक, निम्नलिखित 5 वार्षिकी सेवा प्रदाता एनपीएस के अभिदाताको वार्षिकी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं:

– भारतीय जीवन बीमा निगम
– एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
– आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

– एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

– स्टार यूनियन दाई– इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

ये वार्षिकी सेवा प्रदाता विवेकपूर्ण नियमों के अधीन शासित होते हैं और भारतीय विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत, अभिदाताको वार्षिकी का प्रकार और वार्षिकी सेवा प्रदाता चुनने का विकल्प होता है। अभिदातासंबंधित वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध योजनाओं में से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वार्षिकी प्रकार/योजना चुन सकता है।

तालिका 3.4 (अ) : 1 अप्रैल, 2016 से मार्च 31, 2017 के दौरान संसाधित किए गए भौतिक वार्षिकी अनुरोध

Øe- l[;k	okf"kZdh lsok çnkrk	ekeyksa dh l[;k	jkf'k LFkkukarfjr ¼#i;ks a esa½
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	1,439	349,947,005.00
2	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	746	185,017,004.00
3	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	350	78,345,868.00
4	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	11	4,909,788.00
	dqy ;ksx	**2]546**	**618]219]664-00**

तालिका 3.4 (ब) : 1 अप्रैल 2016 से मार्च 31, 2017 के दौरान प्रसंस्कृत किए गए ऑनलाइन वार्षिकी अनुरोध

Øe- l[;k	okf"kZdh lsok çnkrk	ekeyksa dh l[;k	jkf'k LFkkukarfjr ¼#i;ks a esa½
,pMh,Qlh ykbQ bU';ksjsal daiuh fyfeVsM			
1	जीवन के लिए वार्षिकी के साथ मृत्यु पर खरीद मूल्य की वापसी	83	63,315,383.00
2	जीवन के लिए वार्षिकी	29	6,843,477.00
3	वार्षिकीकर्त्ता की मृत्यु पर साथी के लिए जीवनभर देय 100% वार्षिकी, वार्षिकी–खरीद पर प्रतिदान के साथ	10	4,213,220.00
4	द्वितीय वार्षिकीकर्त्ता के लिए 100% वार्षिकी के साथ संयुक्त लाइफ वार्षिकी	17	3,861,939.00
	mi&dqy	**139**	**78]234]019-00**
Hkkjrh; thou chek fuxe			
1	वार्षिकीकर्त्ता की मृत्यु पर साथी के लिए जीवनभर देय 100% वार्षिकी, वार्षिकी–खरीद पर प्रतिदान के साथ	139	58,162,511.00
2	जीवन के लिए वार्षिकी, मृत्यु पर खरीद मूल्य की वापसी के साथ	119	57,153,053.00
3	वार्षिकीकर्त्ता की मृत्यु पर साथी के लिए जीवनभर देय 100% वार्षिकी	111	35,355,413.00
4	जीवनभर देय वार्षिकी	91	24,096,350.00
	mi&dqy	**460**	**174]767]327-00**

, lchvkbl ykbQ bl';kjsl dEiuh fyfeVsM			
1	जीवन के लिए वार्षिकी, मृत्यु पर खरीद मूल्य की वापसी के साथ	66	28,121,890.00
2	वार्षिकीकर्त्ता की मृत्यु पर साथी के लिए जीवनभरदेय 100% वार्षिकी	75	24,645,891.00
3	जीवनभर देयवार्षिकी	72	21,122,596.00
4	वार्षिकीकर्त्ता की मृत्यु पर साथी के लिए जीवनभरदेय 100% वार्षिकी, वार्षिकी–खरीद पर प्रतिदान के साथ	40	16,361,881.00
5	एनपीएस–परिवार आय विकल्प	4	1,884,501.00
	mi&dqy	**257**	**92]136]759-00**
	dqy	**856**	**345]138]105-00**

3.4 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अन्य पेंशन योजनाओं के तहत अभिदाताओं के हितों की रक्षा हेतु किए गए क्रियाकलाप

पीएफआरडीए के प्रमुख उद्देश्यों में से एक अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा करना तथा पीएफआरडीए इसके लिए विभिन्न गतिविधियों में संलग्न हैं।

d½ एनपीएस के तहत एक पीड़ित शिकायतकर्ता को त्वरित, तटस्थ और प्रभावपूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए, एक लोकपाल पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त किया गया है। यदि ग्राहक को तीस (30) दिनों के भीतर उसकी शिकायत का कोई जवाब नहीं मिलाया मध्यस्थ द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो इस तरह के शिकायती मामले अभिदाता एनपीएस ट्रस्ट को भेज सकते हैं। इसी तरह, यदि ग्राहक प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है या उसे 30 दिनों के भीतर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है, तो अभिदाता लोकपाल को लिए शिकायत भेज सकता है। यदि वे लोकपाल द्वारा दिए गए आदेश से संतुष्ट नहीं हैं तो पीएफआरडीए के नामित सदस्य को अपील कर सकते हैं। दिसंबर वर्ष 2016 में, श्री विनोद कुमार पांडे को वैतनिक लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है।

[k½ प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए, सेवा और कम लागत की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, एक आरएफपी एकदूसरी केंद्रीय रिकार्डकीपिंग एंजेंसी के लिए जारी किया गया। कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड को एनपीएस की दूसरी केंद्रीय रिकार्डकीपिंग एंजेंसी के रूप में पंजीकृत किया गया है। एम/एस कार्वी कम्प्यूटराईज़्ड प्राइवेट लिमिटेडने खातों की सर्विसिंग के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया है जो एनपीएस–न्यास के ई–एनपीएस माड्यूल द्वारा स्त्रोतबद्ध है जिसमें अभिदाताओं को एनएसडीएल ई–शासन लिमिटेड (1 सीआरए) और एम/एस कार्वी कम्प्यूटराईज़्ड प्राइवेट लिमिटेड के बीच चयन करने के लिए एक विकल्प प्रदान किया जाता हैं तथा जो 15 फरवरी 2017 से प्रभाव में आएगा तथा उसके पश्चात् अन्य वितरण चैनलों की सर्विसिंग के लिए कार्य प्रारंभ करेगा। एम/एस कार्वी कंप्यूटरशेयर मार्च 31 वें 2017 तक के लिए नए खातों की सेवाओं के लिए अनुमति दी गई थी और उसके बाद इसे पूर्णरुप से केंद्रीय रिकार्डकीपिंग एंजेंसी के रुप में जिसमें अंर्तसंचालित गुण हो तथा जो 01 अप्रैल 2017 के बाद से एनपीएस के मौजूदा ग्राहकों के लिए स्थानांतरण करने के लिए कार्य करने की अनुमति दी गई। एनपीएस के दूसरे सीआरए के रूप में कार्वी के चयन के साथ, एनएसडीएल (मौजूदा सीआरए) ने खाता खोलने के भाुल्कों तथा साथ ही साथ वार्षिक रखरखाव शुल्क में नीचे की ओर संशोधन किया जिससे ग्राहकों के लिए कुल लागत शुल्कों को नीचे लाया जा सका है।

x½ प्रवेश बाधा को कम करने और सभी क्षेत्रों में एनपीएस को सभी भागों में बढ़ाने के लिए और समाज में असंगठित क्षेत्र सहित कवरेज के सुधार के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि न्यूनतम अंशदान की आवश्यकता को घटाकर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए रु. 6000/– से रु। 1000/– कर दिया गया।

?k½ इसी तरह, यह ध्यान में रखते हुए कि एनपीएस टियर–II खाता एक बचत खाता है जिसमें उच्च तरलता और अधिक प्रतिदान कमाने की क्षमता की सुविधाएं संबंधी गुण है, इस खाते में अधिक लाभ कमाने के लिए तथा

इसके सरल और परेशानी मुक्त कार्यान्वयन हेतु, वित्तीय वर्ष के अंत में कम से कम 2000/– रुपये के रखरखाव की आवश्यकता को देखते हुए तथा रुपये 250/–. का प्रत्येक वित्तीय वर्श योगदान की आवश्यकता को टियर II खाते से हटा दिया गया है।

ड.) एक मुख्य उपाय के रुप में, टीयर I और टीयर II के तहत सभी खाते जो कि अतीत में, टीयर I खाते में न्यूनतम गैर योगदान की राशि रुपये 6000/– और टीयर II खाते में न्यूनतम योगदान राशि रुपये 250/– प्रति वर्ष तथा न्यूनतम शेष राशि रु 2000/– टीयर II खाते में वित्तीय वर्ष के अंत में सीआरए प्रणाली के कारण मंद पड़े हैं के तहत सक्रिय किया जा रहा है। ये सभी अभिदाताएक सामान्य तरीके से अब अपने एनपीएस खाते में बिना UOS-S10 ए प्रपत्र का उपयोग की आवश्यकता के योगदान कर सकता है।

च) खाते के ऑनलाइन शुरुआत के मामले मेंफिज़िकल आवेदन फॉर्म जमा करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

छ) अभिदाता को एक वित्तीय वर्ष में निवेशया परिसंपत्ति आवंटन अनुपात विकल्प दो बार बदलने के लिए दिए गए हैं।

ज) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अधिवर्षिता/मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के स्थानांतरण के लिए प्रणाली शुरू हो गई है।

झ) ई–एनपीएस मंच अभिदाताओंको ऑनलाइन एनपीएस खाता खोलने और इस के अतिरिक्त उसमें योगदान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनपीएस के किसी भी क्षेत्र से संबंधित अभिदाता, ई–एनपीएस मंच के माध्यम से बाद में योगदान भी कर सकते हैं।

ञ) एनपीएस को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने और वितरित करने के लिएऔर उपस्थिति अस्तित्व को प्रोत्साहित करने के लिए, अभिदाता संबंधित उपस्थिति अस्तित्व पर ई–एनपीएस के माध्यम से योगदान करने हेतु सेवा प्रभार अनुमति दी गई है। सेवा शुल्क केवल उन सदस्यों पर लागू है जो कि किसी भी पीओपी के साथ जुड़े हैं और वे सदस्य जिन्होंने पैन औरबैंक के केवाईसी सत्यापन के माध्यम से eNPS मंच पर खाता खोला है। हालांकि यह सेवा शुल्क उन सदस्यों जिन्होंने आधारमोड के माध्यम से eNPS मंच पर खाता खोला है पर लागू नहीं होगी।

योगदान करने के लिए eNPS मंच के माध्यम से ग्राहकों से वसूला गया तथा पीओपी से संबंधित/बंधा हुआ सर्विस शुल्क, योगदान राशि के यथामूल्यका 0.05% है जो किप्रत्येक लेन–देन पर न्यूनतम रु. 5/– और अधिकतम रु 5,000/– है, निकटतम रुपये और सेवा कर में बदल दिया जाएगा और इसके बाद सेवाकरों पर उपकर वास्तविक आधार पर लिया जाएगा।

r½ संबंधित नोडल कार्यालयों को प्रेषण की वापसी के बारे में सूचना ईमेल के साथ–साथ भौतिक पत्रों के माध्यम से भेजी जाती है। प्रेषणों को अस्वीकार करने के कारणों के अलावा, नोडल ऑफिस द्वारा लेने योग्य उपचारात्मक कार्रवाई और सावधानियां, त्रुटियों की पुनरावृत्ति और रिटर्न से बचने के लिए प्रदान की जाती हैं। यह अभिदाताओं द्वारा किए गए योगदान के समय पर निवेश को सुनिश्चित करता है। पीएफआरडीए 'अभिदाताओं की संख्या में वृद्धि' तथा अभिदाताओं की एनपीएस के विशय मेंजागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाता है और पीएफआरडीए द्वारा चयनित प्रशिक्षण एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम के लिए प्रदान किया जाता हैं। ये प्रशिक्षण एजेंसियां केंद्रीय और राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों कोप्रशिक्षण प्रदान करती हैं–जिनमें हैं वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ), आहरण तथा संवितरण कार्यालय, उपस्थिति अस्तित्व/बैंकों/डाकघर जो ग्राहकों, संकलनकर्त्ता आदि के पंजीकरण, एनपीएस/एपीवाई की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताने हेतु, शामिल होने की प्रक्रिया आदि में भाामिल हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में अभिदाताओं के लिए प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, शिविर, आयोजित किए गए और एक व्यापक वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण नीति के एक भाग के रूप में भूगोल और क्षेत्र भर में रखा गया।

Fk½ पीएफआरडीए की वेबसाइट उपभोक्ताओं और संभावित उपभोक्ताओं को सूचना और मार्गदर्शन सामग्रियां प्रदान करती है जिनमें अभिदाताओं के अधिकार और हित, विनियम, परिपत्र, पेंशन योजना उत्पाद, पेंशन निधि, मध्यस्थ, बर्हिगमन और लाभ सम्मिलित हैं।

छ) एनपीएस न्यास की वेबसाइट एक ही स्थान परएनपीएस के बारे में बेहतर जानकारी की सुविधा देती है जो कि ग्राहकों के लिए उपयोगी होती है। एनएवी विवरण, योजनाओं का लाभ, योजनाओं का विवरण पोर्टफोलियो की सूचना ग्राहक की जानकारी/तुलना के लिए रखी गयी है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पोर्टफोलियो विवरण का खुलासा ग्राहकों को प्रसारित किया जाता है।

3.5 ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र और इस तरह की शिकायतों के निवारण के लिए किए गए क्रियाकलाप

29 जनवरी, 2015 को पीएफआरडीए (अभिदाता शिकायत के निवारण के लिए) विनियम 2015, को अधिसूचित किया गया। अभिदाता शिकायत विनियमन के निवारण का उद्देश्य, ग्राहकों के हित में शिकायत/अत्यधिक शिकायत से निपटने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जो अन्य बातों के साथ अभिदाता शिकायतों के निवारण एक अच्छी तरह से परिभाषित शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से दिशा निर्देश तैयार करता है जो कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य पेंशन योजनाओं के बिचौलियों द्वारा अपनाए जाएं, शिकायतों के निवारण के लिए समय–सीमा निर्धारित करना, एक लोकपाल की नियुक्ति, अभिदाता द्वारा लोकपाल को अपील करने का व्यवस्था तंत्र और दंड का प्रावधान करना है। पीएफआरडीए सरल और कुशल कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी परिपूर्ण मंच के माध्यम से सभी सेवाकार्मिकों और एनपीएस ढांचे के साथ जुड़े बिचौलियों के बीच गुणवत्ता चेतना पैदा करने और सेवाओं की गुणवत्ता को उन्नत करने के प्रयास करता है।

एनपीएस में बहु–स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र हैं जो केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) द्वारा केंद्रीकृत है और जो आसानी से उपलब्ध, सरल, त्वरित, निष्पक्ष, उत्तरदायी और प्रभावी है। ग्राहक शिकायत को हल करने के लिए विनियम ने चार स्तरीय वृद्धि मैट्रिक्स प्रदान किए हैं। अभिदाता के पास शिकायत/कॉल सेंटर के माध्यम से शिकायत/इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआर), वेब आधारित इंटरफेस, भौतिक रूपों द्वारा पंजीकृत करने का विकल्प है। अभिदाता सीआरए वेबसाइट www.cra-nsdl.co.in पर उन शिकायतों की स्थिति देख सकते हैं जो केन्द्रीय शिकायत निगरानी प्रणाली (CGM S) द्वारा दर्ज की गई तथा सीआरए द्वारा जिसका रखरखाव किया गया या कॉल सेंटर के माध्यम से के टोकन नंबर बताते हुए दर्ज किया गया। सब्सक्राइबर, जारी किए गए मूल टोकन नंबर को बताते हुए उपरोक्त उल्लिखित किसी एक तरीके से एक अनुस्मारक भी दे सकता है। अगर ग्राहक को तीस (30) दिनों के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है या मध्यस्थ द्वारा दिए गए संकल्प से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे मामलों में ग्राहक एनपीएस न्यास को शिकायत आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह, यदि ग्राहक प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है या कोई प्रतिक्रिया 30 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं हुई है, तो ग्राहक लोकपाल के लिए शिकायत बढ़ा सकते हैं। अगर वे लोकपाल द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं हैं ग्राहक पीएफआरडीए के नामित सदस्य के माध्यम से अपील कर सकते हैं। दिसंबर 2016 में श्री विनोद कुमार पांडे वेतनग्राही लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है।

पूरे वर्ष के दौरान सीजीएमएस में प्राप्त शिकायतों की स्थिति 31 मार्च 2017 तक और इसकी स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

तालिका 3.5 : 2016–17 के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों की स्थिति और निपटान

Øe-l[;k	CGMS* e f'kdk;r	çkIr f'kdk;r	fuiVkbZ xbZ f'kdk;r
1	एनपीएस नियमित	56,460	56,978
2	एनपीएस लाइट	3,474	3,493
3	एपीवाई	17,117	12,268
	dy	77]051	72]739

नोट:* CGMS में ग्राहक द्वारा शिकायत के रूप में चुने गए विकल्प

प्रमुख शिकायत खाते में दिखाई न देने वाली योगदान राशि SOTIs संबंधित, प्राण कार्ड संबंधित, सब्सक्राइबर विवरण का गलत प्रसंस्करण, योगदान राशि अपलोड करने मेंविलंब आदिके संबंध में थी, शिकायतें ग्राहक द्वारा CGMS में पंजीकृत की जाती हैं तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए सीधे संबंधित बिचौलियों के पास जाती हैं। इस प्रकार, संबंधित बिचौलियों के लिए पहला पड़ाव CGMS में उनके खिलाफ आने वाली शिकायत हल करना तथा उन्हें समाप्त करना है। सीजीएमएस में शिकायत को हल करने और बंद करने के लिए आवधिक अनुस्मारक संबंधित मध्यस्थ को भेजे जाते हैं।

3.6 पेंशन प्रणाली के साथ जुड़े हुए व्यावसायिक संगठन

i½ fo'o cd d lkFk lyXurk

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का निर्माण उसके विभिन्न घटकों और संस्थागत तंत्र के माध्यम से जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए एक सार्वभौमिक पेंशन कार्यक्रम के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए किया गया है। पेंशन उद्योग अभी भी विकास की अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, जहाँ उपयुक्त हस्तक्षेप और समर्थन के माध्यम से निर्देशित विनियमन और क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पेंशन उद्योग द्वारा प्राप्त दिशाबड़ी मात्रा में भविष्य के विकास और स्थिरता इस व्यापकवृद्ध आय सामाजिक सुरक्षा के उपाय का निर्धारण करेगी।

तदनुसार, विश्व बैंक के एक गैर–उधारी तकनीकी सहायता कार्यक्रम को शामिल किया गया है जो विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में कुशल पेंशन बाजार के लिए महत्वपूर्ण सीखों और उपयोगी अंतर्दृष्टि को प्रदान करने के लिए है, जिसमें अन्य बातों के साथ नीति निर्माताओं और विनियामकों के लिए विनियामक और प्रचारक की भूमिका सम्मिलित हैं।

भारत और मौजूदा पेंशन व्यवस्था में पेंशन कवरेज पर विचार–विमर्श करने और चर्चा करने के लिए वर्ष भर में विश्व बैंक के साथ कई बैठकों का आयोजन किया गया था। पीएफआरडीए द्वारा विविधता तथा विविध पेंशन परिदृश्य में एनपीएस के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण ढांचे के कार्यान्वयन के लिए चुनौतियों का भी पता लगाया गया था।

एक परिणाम के रूप में, विश्व बैंक द्वारा जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के बारे में एक नियमावली भी विकसित की गई थी। मैनुअल का उद्देश्य एक संदर्भ मार्गदर्शिका और सक्रिय उपकरण प्रदान करना है जो पीएफआरडीए की पेंशन प्रणाली के जोखिम–आधारित पर्यवेक्षण द्वारा कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए था।

मुख्य उद्देश्य और विचार विमर्श के मुख्य आकर्षण थे:

क) भारत में पेंशन के कवरेज का विस्तार करने के लिए उठा एकदम, जबकि पीएफआरडीए द्वारा विनियमित तथा निरीक्षत पेंशन योजनाओं की दक्षता, सुरक्षा और स्थिरता में सुधार करना,

ख) नीति लक्ष्यों पर चर्चा और कैसे विनियमन और पर्यवेक्षण उनकी उपलब्धि का समर्थन कर सकते हैं

ग) विनियमन और पर्यवेक्षण के ढांचे को डिजाइन करने के लिए एक आधार के रूप में मौजूदा स्थिति की एक ठोस समझ की जरूरत, और भारत में पेंशन प्रणाली को अवलोकन प्रदान करना

घ) विनियामक परिधि के भीतर जो विनियमन और पेंशन पर्यावेक्षण लागू किया जाएगा उस पर चर्चा, और कैसे यह वित्तीय प्रणाली के अन्य भागों से संबंधित है

ड) विशिष्ट लक्ष्यों और संकेतकों की स्थापना का महत्व जो उद्देश्यों की उपलब्धि को मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

च) ऐसा करने के लिए पीएफआरडीए द्वारा उठाए गए कदम, और लक्ष्यों और संकेतकों को परिष्कृत करने और समय के साथ उन्हें प्रासंगिक रखने के लिए आगे के काम की आवश्यकता

छ) लक्ष्यों की उपलब्धि में जोखिमों की पहचान और जोखिमों से निपटने के लिए उपयोग किए जा सकने वाली रणनीतियों का विकास

ज) पेंशन संस्थाओं और प्रक्रियाओं और उपकरणों के जोखिम मूल्यांकन के लिए रूपरेखा जिसका उपयोग ऐसे आकलन करने और परिणामों का उपयोग करने के लिए किया जा सकता है।

ii½ ,uih,l <kp e 0;kolkf;d lLFkk,a

एनपीएस ढांचा एक अबंदीकृत ढांचा है और इसमें विभिन्न संस्थाओं जैसे पेंशन फंड, केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, न्यासी बैंक, उपस्थिति अस्तित्व, संरक्षक, सेवा प्रदाता शामिल हैं। ये सभी मध्यस्थ वित्तीय क्षेत्र में अनुभव वाली पेशेवर संस्था हैं। उनमें से कुछ बैंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कुछ बीमा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनमें से कुछ परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अत्यधिक पेशेवर हैं और उनके संबंधित क्षेत्र में बहुत बड़ा अनुभव है।

कई अन्य पेशेवर व्यवसायिक संस्थाओं के साथ पीएफआरडीए पेंशन क्षेत्र की बेहतरी के लिए, क्रिसिल, एक वैश्विक विश्लेषणात्मक रेटिंग प्रदान करने वाली कंपनी, अनुसंधान, और जोखिम और नीति सलाहकार सेवाए प्रदान करने के लिए एनपीएस न्यास द्वारा बिजनेस रिव्यू कंसलटेंट (बीआरसी) के रुप में संलग्न है। क्रिसिल के साथ जुड़े संस्थाओं की तरह, एनपीएस न्यास के एक बिजनेस रिव्यू सलाहाकार के रुप में, पेंशन फंड्स के प्रदर्शन तथा उनके द्वारा प्रबंधित योजनाओं के मूल्यांकन, बाजार ट्रिगर्स के आधार पर परिदृश्य विश्लेषण का आयोजन, व्यक्तिगत योजना बैंचमार्कों को प्रदान करना तथा एनपीएस न्यास तथा पेंशन निधि के बीच आयोजित तिमाही समीक्षा बैठकों में भागीदारी की आवश्यकता के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, क्रिसिल एनपीएस ट्रस्ट के लिए नई प्रणालियों और स्वरूप एनपीएस ट्रस्ट द्वारा अन्य निकायों के साथ बातचीत/आंतरिक/बाह्य समितियों की नियुक्ति की सलाह देता है, जो कि बेहतर प्रदर्शन और पेंशननिधियो द्वारा रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें। क्रिसिल भी जरूरत पड़ने पर विशिष्ट मुद्दों पर पीएफआरडीए/एनपीएस न्यास के ज्ञान भागीदार के रुप में कार्य करता है।

lokfuofÙk lykgdkjks dk fy, çek.ku dk;Øe

पीएफआरडीए द्वारा विनियमित पेंशन योजनाओं के बारे में शिक्षित करना और सेवानिवृत्ति योजना के लाभों के बारे में लोगों को जागरुकता उत्पन्न करना, पीएफआरडीए द्वारा विनियमित अन्य पेंशन योजना तथा एनपीएस के स्वैच्छिक खंड में भागीदारी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन परीक्षा का उद्देश्य ज्ञान के स्तर को और सेवानिवृत्ति सलाहकारों द्वारा सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना है।

d½ पीएफआरडीए द्वारा विनियमितएनपीएस और अन्य पेंशन योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना

[k½ पीएफआरडीए द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अन्य पेंशन योजना के लिए भावी ग्राहक को ऑन–बोर्डिंग सुविधा प्रदान करना

x½ सेवानिवृत्ति योजना की आवश्यकताओं के लिए संभावनाओं को सलाह, उनके द्वारा दिए जाने वाले योगदान का स्तर, उनकी वर्तमान तथा भविष्य की संभावित आय पर विचार जिससे वांछित सेवानिवृत्ति लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके तथा इस तरह के निर्णय लेने के साथ जुड़े अन्य मुद्दे।

पीएफआरडीए ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट (एनआईएसएम) को सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन परीक्षा के प्रमाणन के लिए संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की है।

पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने सेवानिवृत्ति सलाहकार जो उचितरुप से योग्य/प्रमाणित हैं, को ग्राहकों के लिए एनपीएस और सलाहकार सेवाओं के कवरेज को विस्तृत करनेका पंजीकरण शुरू कर दिया है। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान, पीएफआरडीए ने, पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम 2016 के अनुसार, व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में पंजीकरण देना शुरू कर दिया है।

मार्च 2017 तक, कुल 110 उम्मीदवारों एनआईएसएम के साथ प्रमाणित थेः (सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन परीक्षा)। मार्च 2017 तक, व्यक्तिगतों की श्रेणी में चार (4) आरए, पीएफआरडीए द्वारा पंजीकृत किए गए थे।

3.7 प्राधिकरण द्वारा आंकड़ों का संग्रह तथामध्यस्थ जिनमे सम्मिलित हैं अध्ययनों, अनुसंधान और परियोजनाओं का कार्यान्वयन

जनसांख्यिकी का, सेवानिवृत्ति बचत और निवेश, विभिन्न वित्तीय उत्पादों/विभिन्न संगठनों द्वारा जारी योजनाओं जो अंतर्निहित ग्राहकों की वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करती हैं, आधारित व्यापक आंकड़ों का संग्रह तथा संकलन, उस पर उत्पन्न रिटर्न, सब्सक्राइबर को प्रदान करना और सुरक्षा आदि विभिन्न योजनाएं पीएफआरडीए की चालू गतिविधियों के तहत आने वाले क्रियाकलाप हैं। इस दिशा में, पीएफआरडीए विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत आने वाले लोगों और कई योजनाओं

के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों पर जानकारी एकत्र कर रही है। देश के अन्य पेंशन प्रदाताओं से जानकारी जुटाने की दिशा में पीएफआरडीए कार्य रही है। इस जानकारी का विश्लेशण स्थायी आधार पर विस्तृत तौर पर पेंशन क्षेत्र पर नीति तैयार करने में मदद करेगा।

3.8 ग्राहकों को शिक्षित करने और पेंशन, सेवानिवृत्ति बचत से संबंधित मुद्दों पर आम जनता और बिचौलियों के प्रशिक्षण का ब्यौरा देने के लिए उठाए गए कदम

3.8.1 एनपीएस जागरूकता अभियान

सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति की योजना के लिए बचत की आवश्यकता के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए पीएफआरडीए के आदेश को पूरा करने के लिए, पीएफआरडीए नेएनपीएस–सेव राइट, रिटायर ब्राइट टैगलाइन के तहत एक मीडिया अभियान पर काम शुरू किया। टैगलाइन केवल उत्पाद (एनपीएस) का सार नहीं लेती है बल्कि सामान्य जनता को यह भी याद दिलाता है कि एक प्रसन्न और आरामदायक सेवानिवृत्त जीवन के लिए, नियमित रूप से बचत करने और एक स्वस्थ कोश बनाने के लिए सही उपकरणों में निवेश करने की आवश्यकता होती है।

एनपीएस टैगलाइनएनपीएस–सेव राइट, रिटायर ब्राइट के तत्वावधान में व्यापक प्रिंट मीडिया अभियान चलाए गए थे।

पीएफआरडीए के आदेश को पूर्ण करने के लिए देश की आबादी को ध्यान में रखते हुए, भाषा और क्षेत्र पर ध्यान देते हुए, 130 से ज्यादा समाचार पत्रों में मुद्रित करते हुए विज्ञापन हिंदी, अंग्रेजी और 11 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भारत भरं में निकाले गए।

एक बेहतर वापसी के लिए, विभिन्न अभियानों जैसे एनपीएस टैक्स बचत, द्वितीय श्रेणी खाता, ई–एनपीएस, आधार के माध्यम से ई–एनपीएस, ई–एनपीएस का उपयोग करते हुए योगदान, आदि के विषयों पर अवधारणा बनाई गई।

इसके अलावा, विभिन्न मीडिया में एक बहु–आयामी दृष्टिकोण के लिए, टीवी विज्ञापनों द्वारा, रेडियो (एफएम चौनलों) के माध्यम से भी अभियान चलाए गए।

इसके अलावा, एक ऑनलाइन मंच पर एनपीएस डालने के प्रयासों के लिए, वेबसाइटों पर विज्ञापन और वेब बैनर, साइट–पर–कार्य विज्ञापन और थोक ईमेल के माध्यम से जागरूकता अभियान किए गए।

Ik'ky ehfM;k ij ,uih,I

देश भर में सरकारी एजेंसियां, विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों का लाभ उठाने के लिए तेजी से बढ़ रही हैं ताकि नागरिकों के साथ अपने आउटरीच को बेहतर बना सकें और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। ये प्लेटफार्म सरकारों, सरकारी संस्थानों और अन्य संस्थाओं को नागरिकों से जोड़ने और संवाद करने के विकल्प प्रदान कर रहे हैं।

इसी दिशा में, पीएफआरडीए और एनपीएस के सोशल मीडिया खाते ट्विटर, फेसबुक, यू ट्यूब, गूगल. पर और सामग्री शेयरिंग वेबसाइट अर्थात्आर्थरस्ट्रीम, स्क्राईबड स्लाईड शेयरपर सक्रिय थे।

tulidZ ,tsalh

पीएफआरडीए के विनियामक और विकासात्मक भूमिका के दायरे में प्रसार और स्तर को ध्यान में रखते हुए, एक पीआर एजेंसी का चयन किया गया है जो डिजाइन और सतत जनसंपर्क रणनीति और प्रोग्राम के माध्यम से मीडिया दृश्यता सुनिश्चित करेगी।

पीआर रणनीति का उद्देश्य पेंशन की योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना और, पीएफआरडीए के दायरे में विभिन्न नीतियों, गतिविधियों और योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करना है ताकि वृद्धावस्था आय सुरक्षा को पेंशन निधियों द्वारा स्थापित, विकसित और विनियमित किया जा सके औरपेंशन निधियों की योजनाओं द्वारा तथा उसके साथ जुड़े मुद्दों से या प्रासंगिक घटनाओं से ग्राहकों के हितों की रक्षा की जा सके, जिससे देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी वृद्धावस्था आय सुरक्षित करने में भाग लेने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

इस व्यापक उद्देश्य के साथ, जनसंपर्क एजेंसी द्वारा की गई गतिविधियां इस प्रकार थीं:

- एक प्रभावी और व्यापक जनसंपर्क रणनीति का प्रारुप तैयार करना।

- अनुमोदित रणनीति को, दोनों चालू पहल और कार्यक्रम विशिष्ट पहल के माध्यम से निष्पादित करना
- डिजिटल मीडिया के माध्यम से पीआर पहल
- रणनीति के दस्तावेज बनाए, उसे मॉनिटर करें और प्रभाव का आकलन करें।

çf'k{k.k

सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति योजना के लिए बचत की जरूरत के बारे में जागरूकता पैदा करने के पीएफआरडीए के जनादेश के लिए, पीएफआरडीए स्वयं द्वारा चयनित प्रशिक्षण एजेंसियों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाती है। ये प्रशिक्षण एजेंसियां केंद्रीय और राज्य सरकार केनोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती हैं –जो हैं वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ), आहरण तथा संवितरण अधिकारी (डीडीओ), उपस्थिति अस्तित्व/बैंक/डाकघर संकलनकर्त्ता, आदि, जो कि ग्राहकों के पंजीकरण में भाामिल है एनपीएस/एपीवाई की प्रमुख विशेषताओं, शामिल होने की प्रक्रिया, के बारे में बताते हैं। इसके साथ–साथ, प्रशिक्षण कार्यशालाओं/शिविर का आयोजन क्षेत्र तथा भूगोलभर में उपभोक्ता के लिए किया जाता है जिसे व्यापक अभिदाता संरक्षण नीति के एक हिस्से के रूप रखा जाता है।

तालिका 3.6 : वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण और प्रशिक्षित कार्मिकों के क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार हैं

Øe- l¡[;k	{ks=	dqy çf'k{k.kksa dk vk;kstu	dqy çf'kf{kr dkfeZdksa dh l¡[;k
1	सरकार	218	9663
2	कॉर्पोरेट	35	1576
3	अटल पेंशन योजना (एपीवाई)	148	6075
4	उपस्थिति अस्तित्व (बीमा कंपनियां/बैंक/गैर बैंक)	166	5474
5	डाकविभाग	28	1135
	कुल	**595**	**23923**

,uih,l vkSj ,ihokbZ lwpuk gSYiMsLd

पीएफआरडीए की सेवानिवृत्ति योजना वृद्धावस्था आय सुरक्षा और एनपीएस को उत्पाद के रूप संबंधी विषय में जागरूकता फैलाने की व्यापक जिम्मेदारी के प्रकाश में, पीएफआरडीए समर्पित सूचना डेस्क का संचालन कर रहा है। जानकारी डेस्क जानकारी प्रदान करने और उत्पाद सुविधाओं, नई नीतियों, विनियम आदि के संबंध में मौजूदा और साथ ही संभावित ग्राहकों से पूछताछ का जवाब देने में व्यस्त है।

एनपीएस एक चालू योजना है और पीएफआरडीए का मानना है कि एक एनपीएस की जानकारी के प्रसार के लिए समर्पित सूचना डेस्क होने से, जिसमें देश भर से पहुँचा जा सकता है न केवल एनपीएस में नवीनतम विकास के बारे मेंलोगों की जानकारी हेतु सहायक होगा, अपितु यह पीएफआरडीए को प्रणाली से लोगों की उम्मीदों को समझने में मदद करते हुए एनपीएस के जरिए वृद्धावस्था आय की सुरक्षा की अवधारणा के प्रचार में भी मदद करेगा। इसके साथ पीएफआरडीए ने कॉल डेटा का उपयोग, एनपीएस की जागरूकता को मापने और भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में प्रणाली की लोकप्रियता का अनुमान लगाने के लिए भी करता है।

वर्तमान में एनपीएस सूचना डेस्क दो टोल फ्री नंबर, 1800110708 (एनपीएसके लिए) और 1800110069 (एपीवाई के लिए) के माध्यम संचालित किए जा रहे हैं। एनपीएस टोल फ्री नंबर पर 2012 से कार्य चल रहा था तथा जून 2015 में एपीवाई के शुभारंभ के के साथ इसे भी संचालित किया गया।

टोल–फ्री नंबर पीएफआरडीए के स्वामित्व में हैं और उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया है। टोल फ्री नंबर के लिए शुल्क वास्तविक आधार पर पीएफआरडीए द्वारा भुगतान किया जाता है।

एनपीएस सूचना डेस्क 7 दिन (रविवार सहित) तथा एक दिन में 8 घंटे (9.30 a.m. – 5.30 बजे), राष्ट्रीय छुट्टियों– गांधी जयंती–2 अक्टूबर, स्वतंत्रता दिवस–15 अगस्त, गणतंत्र दिवस–26 जनवरी तथाअनिवार्य छुट्टियों (अर्थात् निर्वाचन दिन) को छोड़कर वर्ष भर सक्रिय रहता है।

पीएफआरडीए नियमित रूप से एनपीएस और एपीआई के प्रचारके लिए काम कर रहा है और इसके प्रचार की प्रक्रिया निरंतर होने की उम्मीद है। अभियान की अवधि के दौरान एनपीएस सूचना डेस्क को अधिक संख्या में कॉल प्राप्त हुए। यह कॉलर्स को एनपीएस और एपीवाई के बारे में सूचित करने में मदद करता है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए इस योजना के हिसाब से कॉल वितरण इस प्रकार है 67% कॉल एनपीएस संबंधित थी और 33% एपीवाई के संबंध में थी।

सूचना हेल्पडेस्क पर कॉल करने वालों की उम्र–वार वितरण इस प्रकार है। यह देखा जाता है कि अधिकतर कॉल 26–35 वर्ष के आयु समूह के कॉलर्स द्वारा किए जा रहे हैं।

एपीवाई और एनपीएस के लिए कॉलर्स का आयु–वार वितरण निम्नानुसार है:

चित्र 3.1 : कॉल प्राप्त – योजनावार

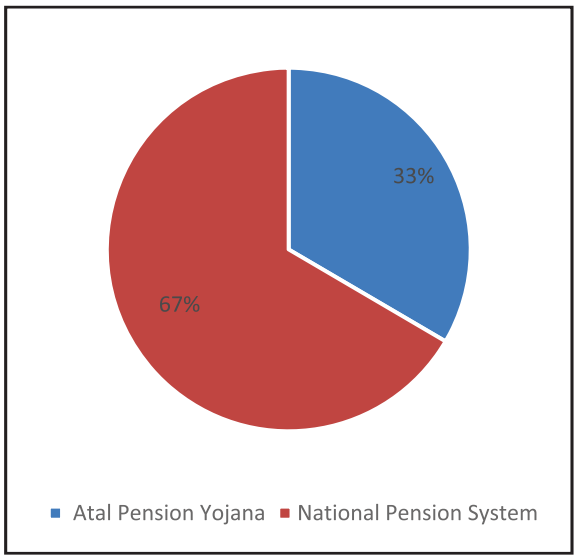

चित्र 3.2(अ) : कॉलर्स का आयुवार वितरण – एनपीएस

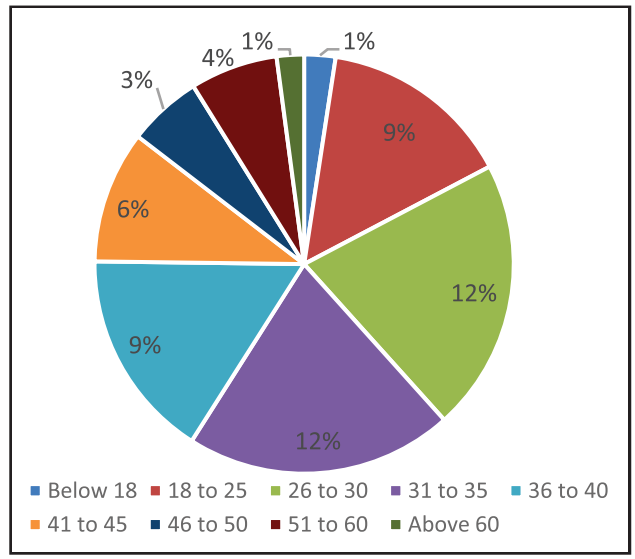

चित्र 3.2(ब) : कॉलर्स का आयुवार वितरण – एपीवाई

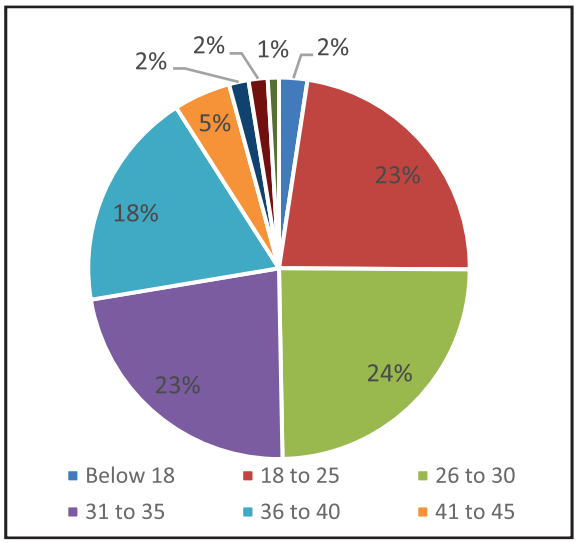

foÙk o"k 2016&17 d nkjku vk;kftr lEeyu

- जुलाई और अगस्त 2016 तथा फरवरी और मार्च 2017 में सभी उपस्थिति अस्तित्व के लिए रणनीति/समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। यह मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर और कोलकाता में आयोजित की गईथी।
- पीएफआरडीए ने एनसीपीएस के प्रचार और जागरूकता के लिए सब जगह कार्यशालाओं का आयोजन करते हुए फिक्की को शामिल किया है। 7 एनपीएस कार्यशालाएं कोच्चि, कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल, सूरत, चेन्नई और मुंबई में फिक्की के सहयोग से आयोजित की गई।
- स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) के समन्वय के साथ प्रवासी भारतीयों के लिए एनपीएस के सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया गया था। कांउसल जनरल–भारतीय दूतावास, दुबई सम्मेलन के लिए एक प्रतिनिधि था। सम्मेलन में एसबीटी, अन्य भारतीय बैंकों, विनिमय हाउस, एनआरआई संघों, एसबीटी/विनिमय हाउस के ग्राहकों और एनआरआई समुदाय के अन्य प्रभावकारी अधिकारियों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया। करीब 220 लोगों ने सम्मेलन में भाग लिया।
- जून 2016 और फरवरी 2017 में एनपीएस सेवा पखवाड़ा आयोजित किया गया था।
- जुलाई 2016 में भावी सीएबी के लिए एनपीएस के कार्यान्वयन पर सम्मेलन आयोजित किया गया।
- कृषि, संस्कृति, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के वित्तीय सलाहकारों के साथ बैठकें आयोजित की गईं।
- पीएफआरडीए ने 25 नवंबर 2016 सभी बैंकों/सेवा प्रदाता और अन्य हिस्सेदारों जैसे केंद्रीय रिकार्डकीपिंग (सीआरए), पेंशननिधि प्रबंधको (पीएफएम), वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपी) आदि के साथ एक राष्ट्रीय स्तर सम्मेलन का आयोजन किया। इस तरह के सम्मेलन का आयोजन देश भर में एपीवाई के कार्यान्वयन के अपने अनुभव को साझा करने हेतु किया गया था। पीएफआरडीए के पास अलग–अलग हिस्सेदारों जैसे सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे बैंकों, डाक विभाग तथा यवसाय संवाददाताओं से प्राप्त प्रस्तुति थी जिसमें वे अपने सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा किया जो एपीवाई विस्तार रणनीतियों को समझने के लिए नया प्रवेश द्वार प्रदान करेंगी।

^^leko'kh fodkl** lfuf'pr dju d fy, i'ku mRiknk vkj lokvk d forj.k e l/kkj d fy, igy

- एपीवाई के कार्यान्वयन के लिए बैठकें महाराष्ट्र, त्रिपुरा, केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्य सचिवों और महिला एवं बाल विकास, श्रम विभाग, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, श्रम मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आदि के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों साथ आयोजित की गई ।
- एनपीएस जागरूकता सत्र तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम और ओडिशा के राज्यों के SABS के लिए आयोजित किया गया।
- सार्वजनिक सूचना को एपीवाई के अभिदाताओं के लिए जारी किया गया था। एपीवाई और एनपीएस के अभिदाताओं को योगदान क्रेडिट, निवेश के मूल्य आदि के बारे में आवधिक एसएमएस अलर्ट भेजे जा रहे हैं।
- वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान प्रिंट, रेडियो और टेलीविजन विज्ञापन किए गए ।
- एपीवाई के तहत वर्तमान विकास पर विभिन्न प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई।
- सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों निजी क्षेत्र, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों को नामांकन को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से अभियान चलाने के लिए कहा गया। पीएफआरडीए उदारीकरण से एपीवाई खातों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहन स्टाफ के सदस्यों के साथ साझा किया जा सकता है। इसके अलावा बैंक और बीसी के बीच प्रोत्साहन बांटने के पैटर्न को हटाया गया।
- एक प्रोत्साहन के त्रैमासिक रिलीज के लिए प्रयास किए गए। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 33.36 करोड़ रुपये सेवा प्रदाताओं के लिए जारी किये गए।
- पीएफआरडीए ने एपीवाई के तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 में पात्र ग्राहकों के लिए सह–योगदान के लिए 105.46 करोड़ रुपये जारी किए गए। वित्तीय वर्ष 2016–17, में, 13,73,078 अभिदाता (परिवर्तनीय) भारत सरकार के सह योगदान के लिए पात्र हैं।
- एपीवाई के तहत नामांकन पर प्रतिदिन प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) को बैंकों के साथ साझा किया गया।

- नामांकन को कारागार बनाने के लिए बैंकों और पोस्ट विभाग के साथ कई बैठकों को आयोजित किया गया। इसके अलावा यह बीसी और बीएफ जैसे विस्तारित हाथों पर केंद्रित था। एपीवाई के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) के साथ विशेष बैठकें।
- पीएफआरडीए द्वारा प्रशिक्षण समर्थन प्रशिक्षण एजेंसियों के एमपैनलमेंट के माध्यम से आईएल एंड एफएस प्रशिक्षण एजेंसी की नियुक्त के द्वारा प्रदान किया गया।
- वित्त वर्ष 2016–17 में समीक्षा या रणनीति बैठक एसपी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तथा एसपी के प्रदर्शन की निगरानी और एसपी के द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए दो बार आयोजित की गई। इसके अलावा नियमित साप्ताहिक वीडियो सम्मेलन बैठक, दिल्ली में वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए आयोजित की गई, जहां पीएफआरडीए भी उसका एक हिस्सा था ।
- डिजिटल नामांकन को इंटरनेट बैंकिंग चैनल के माध्यम से ग्राहकों के नामांकन में आसानी के नजरिए से प्रोत्साहित किया गया और इसलिए भौतिक नामांकन फॉर्म में छूट को प्रचारित किया गया।
- ई–एनपीएसमंच के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान ग्राहकों के नामांकन के लिए रुपरेखा बनायी गयी।
- सेवा प्रदाताओं की सहायता के लिए, पीएफआरडीए ने स्थानीय भाषाओं में विपणन सामग्री की आपूर्ति की थी। इसके अलावा इस योजना के बारे में ग्राहकों में जागरूकता पैदा करने के लिएविशेष सेवा पखवाड़े आयोजित किए गए। पीएफआरडीए ने समय–समय पर बैठकों/कार्यशाला/सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2016–17 के दौरान पीएफआरडीए द्वारा की गई गतिविधियों के लिए किया।
- पीएफआरडीए ने सभी बैंकों/सेवा प्रदाताओं तथा अन्य हिस्सेदारों जैसे केंद्रीय रिकार्डकीपिंग ऐजेंसी (CRA), पेंशन फंड मेनेजर (PFM), वार्षिकी सेवा प्रदाता (ASP) आदि के साथ 25 नवंबर 2016 को एक राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया था। देश भर में अटल पेंशन योजना (APY) के कार्यान्वयन के अपने अनुभव को साझा करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। पीएफआरडीए के पास सबसे अच्छे बैंकों, कर विभाग तथा बिजनेस संवाददाताओं की प्रस्तुतियां थी जिसमें उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को साझा किया जो अटल पेंशन योजना (APY) विस्तार रणनीतियों को समझने के लिए नए प्रवेश द्वार का कार्य करेंगी।

3.9 पेंशन फंड प्रदर्शन और प्रदर्शनों के मानदंड

वित्तीय वर्ष के दौरान एनपीएस योजनाओं ने अपने प्रबंधन के अधीन संपत्तियों (AUM) में 46.92% की एक मजबूत समग्र वृद्धि दिखायी है, जैसा कि तालिका 1 में दिखाया गया है। सभी योजनाओं में दो अंकों में वृद्धि देखी गई एपीआई और टीयर II योजना में प्रबंधन के अधीन संपत्तियों (AUM) के मामले में 272.28% और 100.00% की उच्च वृद्धि दर्ज की गई है।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना सीजी ने अपने प्रबंधन के अधीन संपत्तियों (AUM) में वर्ष में 39.28% वृद्धि दर्ज की। दूसरी ओर, योजना एसजी की परिसंपत्ति में वर्ष के दौरान 47.63% की वृद्धि हुई।

तालिका 3.7 : एनपीएस में प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति (AUM) विघटन–विकास योजना वार स्थिति

;kstuk,¡	ic/ku d v/khu lifÙk ¼AUM½ 31 ekp rd ¼#-djkM e½			ic/ku d v/khu lifÙk ¼AUM½ e of)			
	ekp&15	ekp&16	ekp&17	lky nj lky ¼ekp 2015 dh ryuk e ekp 2016½		lky nj lky ¼ekp 2016 dh ryuk e ekp 2017½	
				jkf'k	%	jkf'k	%
इक्विटी टियर I	655	1181	2539	526	80	1358	115
इक्विटी टियर II	44	60	126	16	36	66	110
कुल इक्विटी	698	1242	2665	544	78	1423	115
कुल एयूएम में % शेयर	1	1	2	1	3		
बॉन्ड टियर I	469	888	1685	419	89	797	90
बॉन्ड टियर II	37	55	101	18	49	46	84
कुल बॉन्डस	506	943	1786	437	86	843	89
कुल एयूएम में % शेयर	1	1	1	1	2		
जी सेक टियर I	771	1325	2507	554	72	1182	89
जी सेक टियर II	36	54	112	18	50	58	107
कुल जी सेक	807	1379	2619	572	71	1240	90
कुल एयूएम में % शेयर	1	1	2	2	2		
उप कुल टियर I	1895	3394	6732	1499	79	3338	98
उप कुल टियर II	117	170	340	53	45	170	100
टियर I + टियर II	2011	3564	7072	1553	77	3508	98
एनपीएस लाइट	1606	2108	2639	502	31	531	25
एपीवाई	.	506	1885	506	.	1379	273
कॉरपोरेट सीजी	4105	6805	10753	2700	66	3948	58
उप कुल (निजी क्षेत्र)	7722	12983	22349	5261	68	9366	72
कुल एयूएम में % शेयर	10	11	13	14	17		
केंद्र सरकार	36737	48135	67040	11398	31	18905	39
कुल एयूएम में % शेयर	45	41	38	30	34		
राज्य सरकार	36396	57693	85171	21297	59	27478	48
कुल एयूएम में % शेयर	45	49	49	56	49		
उप कुल (सरकार)	73133	105827	152211	32694	45	46384	44
कुल एयूएम में % शेयर	90	89	87	86	83		
dy ;kx	80855	118810	174561	37955	47	55751	47

स्रोतः एनपीएस न्यास

नोटः

1. एसजी के तहत दामोदर घाटी निगम 254.04 करोड़ दिखाया गया है।
2. सीजी कोर्पोरेट दामोदर घाटी निगम के प्रबंधन के अधीन संपत्तियों (AUM) में शामिल नहीं है

तालिका 3.8 : एनपीएस में प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति (AUM) विघटन– अभिदाता वर्ग वार स्थिति

(राशि रु. करोड़ में)

vfHknkrk oxZ	31 ekpZ rd izca/ku ds v/khu ifjlEifRr ¼AUM½			izca/ku ds v/khu ifjlEifRr ¼AUM½ esa fodkl			
	ekpZ&15	ekpZ&16	ekpZ&17	lky nj lky ¼ekpZ 2015 dh rqyuk esa ekpZ 2016½		lky nj lky ¼ekpZ 2016 dh rqyuk esa ekpZ 2017½	
				jkf'k	%	jkf'k	%
एनपीएस प्रमुख	594	1273	3126	679	114	1853	146
निजी क्षेत्र में शेयर %	8	10	14	14		23	
कुल एनपीएस में शेयर %	1	1	2	2		3	
एनपीएस कॉर्पोरेट	5675	9290	14953	3615	64	5663	61
निजी क्षेत्र में शेयर %	72	71	66	75		70	
कुल एनपीएस में शेयर %	7	8	9	10		10	
एनपीएस लाइट	1606	2108	2639	502	31	531	25
निजी क्षेत्र में शेयर %	20	16	12	11		7	
कुल एनपीएस में शेयर %	2	2	2	1		1	
एपीवाई	0	506	1885	506	.	1379	273
निजी क्षेत्र में शेयर %	0	4	8	11		17	
कुल एनपीएस में शेयर %	0	0	1	1		3	
उप कुल (निजी क्षेत्र)	7875	13177	22603	5302	67	9426	72
कुल एनपीएस में शेयर %	10	11	13	13		14	
केंद्र सरकार	36737	48135	67040	11398	31	18905	39
सरकारी क्षेत्र में शेयर %	50	46	44	35		41	
कुल एनपीएस में शेयर %	45	41	39	30		34	
राज्य सरकार	36244	57498	84917	21254	59	27419	48
सरकारी क्षेत्र में शेयर %	50	54	56	65		59	
कुल एनपीएस में शेयर %	45	48	49	57		49	
उप कुल (सरकारी क्षेत्र)	72981	105633	151958	32652	45	46325	44
कुल एनपीएस में शेयर %	90	89	87	87		83	
dqy ;ksx	80855	118810	174561	37955	47	55751	47

स्रोतः एनपीएस न्यास

नोटः

1. एनपीएस मुख्य में UoS द्वितीय श्रेणी एयूएम भी शामिल है
2. कॉर्पोरेट में DVC डीवीसी शामिल हैं

i'ku QM ic/kdk dk çn'ku

तालिका 3.9 : पेंशन फंड प्रबंधकों के साथ प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति (AUM) की स्थिति

i'ku QM ic/kd	ic/ku ds v/khu ifjlaifÙk ¼AUM½ ¼#i;s esa½			
	ekpZ 2016	ekpZ 2017	2016&17 ds nkSjku ,;w,e esa of)	
			jkf'k	%
एसबीआई पेन्शन फंड प्राइवेट लिमिटेड	46019	66723	20704	45
यूटीआई सेवानिवृत्ति समाधान लिमिटेड	35918	52043	16125	45
एलआईसी पेन्शन फंड लिमिटेड	35512	52709	17197	48
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	701	1442	741	106
कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	173	312	139	80
रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड लिमिटेड	111	169	58	52
एचडीएफसी	376	1163	787	209
dqy	118810	174561	55751	47

स्रोतरू एनपीएस न्यास

तालिका 3.10 : वित्तीय वर्ष 2016–17 में योजना और पेंशन फंड अनुसार प्रतिदान तथा आरंभ से

;kstuk	vof/k	,lch vkbZ ih,Q	,yvkbZ lh ih,Q	;wVhvkbZ vkj ,l,y	dksVd ih,Q	vkbZlhvkbZ lhvkbZ ih,Q	fjyk;al ih,Q	,pMh ,Qlh ih,Q
केंद्र सरकार	1 वर्ष जो है 2016.17	13.13	13.35	13.64				
	आरंभ से	10.52	10.20	10.13				
राज्य सरकार	1 वर्ष जो है 2016.17	13.24	13.33	13.56				
	आरंभ से	10.14	10.31	10.20				
एनपीएस लाइट	1 वर्ष जो है 2016.17	13.37	13.65	13.60	12.98			
	आरंभ से	11.21	11.03	11.06	11.29			
कॉर्पोरेट सीजी	1 वर्ष जो है 2016.17	13.36	13.87					
	आरंभ से	10.78	10.97					
परिसंपत्ति वर्ग ई	1 वर्ष जो है 2016.17	21.83	21.22	22.93	22.23	21.42	20.35	22.96
	आरंभ से	9.53	13.68	11.64	10.68	11.78	10.81	16.60
परिसंपत्ति वर्ग सी	1 वर्ष जो है 2016.17	11.96	11.64	12.04	12.35	12.48	11.99	12.20
	आरंभ से	11.26	11.90	9.91	11.18	11.2	9.73	11.91
परिसंपत्ति वर्ग जी	1 वर्ष जो है 2016.17	12.44	14.31	11.66	12.63	12.18	12.50	12.23
	आरंभ से	10.18	12.68	8.86:	9.08	9.14	8.75	11.36
परिसंपत्ति वर्ग ई–II	1 वर्ष जो है 2016.17	21.59	21.13	22.04	21.94	21.40	20.26	23.31
	आरंभ से	9.15	8.55	9.51	9.80	9.22	9.38	12.03

;kstuk	vof/k	,lch vkb ih,Q	,yvkb lh ih,Q	;Vhvkb vkj ,l,y	dkVd ih,Q	vkbl lhvkb lhvkb ih,Q	fjyk;al ih,Q	,pMh ,Qlh ih,Q
परिसंपत्ति वर्ग सी–II	1 वर्ष जो है 2016.17	11.73	12.31	11.65	12.42	12.36	11.96	12.33
	आरंभ से	10.93	10.21	10.09	9.92	11.18	9.53	10.08
परिसंपत्ति वर्ग जी–II	1 वर्ष जो है 2016.17	12.55	13.68	11.96	12.41	12.14	12.36	12.11
	आरंभ से	10.43	12.97	10.01	8.96	9.33	9.09	12.01

स्रोतः एनपीएस न्यास

1 वर्ष से ऊपर के रिटर्न का वार्षिकीकरण किया जाता है

एलआईसी स्थापना की तारीख 23 जुलाई, 2013, एचडीएफसी 01 अगस्त 2013 (ई–I)

कोटक स्थापना की तारीख 31 जनवरी 2012 है (एनपीएस लाइट)

यूटीआई योजना कॉर्पोरेट सीजी वित्तीय वर्ष 2013–14 (कॉर्पोरेट सीजी) में समाप्त हुई

एलआईसी स्थापना की तारीख 12 अगस्त 2013, एचडीएफसी 01 अगस्त 2013 (ई–II)

एलआईसी स्थापना की तारीख 23 जुलाई 2013, एचडीएफसी 01 अगस्त 2013 (सी–I)

एलआईसी स्थापना की तारीख 12 अगस्त 2013, एचडीएफसी 01 अगस्त 2013 (सी–II)

एलआईसी स्थापना की तारीख 23 अगस्त 2013, एचडीएफसी 01 अगस्त 2013 (जी–I)

एलआईसी स्थापना की तारीख 12 अगस्त 2013, एचडीएफसी 01 अगस्त 2013 (जी–II)

3.10 विनियमित संपत्ति

विनियमित संपत्ति का अर्थ है मूर्त और अमूर्त संपत्ति है जो विशेष रूप से सीआरए के संचालन के उद्देश्य से बनाई गई है, जिसमें एपलिकेशन चलाने हेतु सभी घटकों के साथप्रमुख सॉफ्टवेयर, किसी भी अन्य तीसरे पक्ष का सॉफ्टवेयर और सीआरए आवेदन प्रणाली के लिए विशिष्ट शेल्फ के घटक, सब प्रासंगिक सीआरए परियोजना डाटा, डाटा केंद्र तथा आपदा राहत केंद्र के समर्पित विशिष्ट हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर घटक, नेटवर्क तथा सभी सुविधाएं शामिल हैं, भौतिक बुनियादी ढांचे (निर्माण, एयर कंडीशनर, बिजली की आपूर्ति के बुनियादी ढांचे, फर्नीचर) को छोड़कर।

पंजीकरण के कार्यकाल की अवधि समाप्त होने पर या सीआरए की समाप्ति की स्थिति में, सीआरए द्वारा आयोजित सूचना और विनियमित परिसंपत्तियों को प्राधिकरण के साथ पंजीकृत अन्य सीआरए में समय सीमा के भीतर और ढंग से स्थानांतरित किया जाएगा, जैसा कि पीएफआरडीए अधिनियम, नियम या विनियम के तहत आवश्यक हो सकता हैया प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

3.11 वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाए या जुटाए गए शुल्क या अन्य शुल्क

एनपीएस के अभिदाताओं पर सेवा प्रदान करने वाले मध्यस्थों द्वारा विभिन्न चरणों में शुल्क और प्रभार लगाए जाते हैं। एनपीएस प्रणाली में प्रवेश के लिए बिचौलिये एनपीएस यानी पीओपी जो ग्राहकों के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार हैं ग्राहकों से शुल्क एकत्र करते हैं। अटल पेंशन योजना (APY) के पंजीकरण के लिए शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अगले चरण में, सीआरए, रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, खाते खोलने और प्राण की स्थापना के लिए, तथा खाते के रखरखाव के लिए इकाइयों को रद्द करने के लिए भुल्क लेते हैं। उसके बाद, प्रत्येक लेनदेन में ग्राहकों के योगदान को शामिल करने के लिए सीआरए और पीओपी दोनों के द्वारा शुल्क लिया जाता है। निवेश प्रबंधन शुल्क पेंशन निधियों द्वारा अभिदाताओं के निवेश पोर्टफोलियों के प्रबंधन के लिए लिया जाता है। परिसंपत्तियों के लिए प्रतिभूति के संरक्षक द्वारा शुल्क लिया जाता है एनपीएस न्यास के खर्चों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों से की जाती है।

तालिका 3.11 : विभिन्न चरणों में ग्राहकों के लिए शुल्क और देय

e/;LFk	pk t! gM	lsok 'kYd				dVkrh dh fof/k
		निजी क्षेत्र		सरकारी	लाईट/ एपीवाई	
पीओपी (प्रत्येक ग्राहक के लिए शुल्क)	अभिदाता पंजीकरण	रु. 125		NA	NA	अभिदाता से अग्रिम राशि इकट्ठा करना। एपीवाई का सरकार द्वारा भुगतान
	लेनदेन जिसमें सम्मिलित है योगदान	योगदान का 0.25%, न्यूनतम रुपये 20 अधिकतम रुपये 25000		NA	NA	
	ई–एनपीएस मंच पर	योगदान का 0.05%, न्यूनतम रुपये 5 अधिकतम रुपये 5000				
केंद्रीय रिकार्ड कीपिंग ऐजेंसी (सीआरए)	पीआरए खोलने का मूल्य	एनएसडीएल	कार्वी			सरकार के लिए इकाइयों को रद्द करने के माध्यम से। सरकारी ग्राहकों का सरकार द्वारा भुगतान
	एएमसी प्रति खाता	रु. 50	रु.39.36	रु.50*	रु.15	
	प्रति लेन देन शुल्क	रु.190	रु.57.63	रु.190*	रु.40	
	पीआरए खोलने का मूल्य	रु.4	रु.3.36	रु.4*	12 नि:शुल्क	
न्यास बैंक	Nil	Nil				NA
पीएफएम प्रभार	निवेश प्रबंधन शुल्क	0.01% प्रति वर्ष		0.0102% प्रति वर्ष		निवल आस्ती वैल्यू (NAV) समायोजन के माध्यम से
संरक्षक (अधीन परिसंपत्ति मूल्य पर)	परिसंपत्ति सेवा मूल्य	इलेक्ट्रॉनिक खंड के लिए 0.0032% प्रति वर्ष और भौतिक खंड के लिए 0.05% प्रति वर्ष				निवल आस्ती वैल्यू (NAV) समायोजन के माध्यम से
एनपीएस न्यास	खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.01% प्रति वर्ष				निवल आस्ती वैल्यू (NAV) समायोजन के माध्यम से
सेवानिवृत्ति सलाहाकार	सेवानिवृत्ति सलाह हेतु प्रदान शुल्क तथा राष्ट्रीय पेंशन योजना में जाने हेतु तथा बाद में सेवाओं को प्राप्त करने में सहायता करना	रुपये 120/– ज्ञान प्राप्ति पर और रु 20/– बाद की सेवाओं पर, अधिकतम सेवाओं के साथ 100/– सालाना।				अग्रिम राशि एकत्र करना

• सरकारी कर्मचारियों के मामले में, संबंधित सरकारों द्वारा सीआरए शुल्क का भुगतान किया जा रहा है

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान विभिन्न मध्यस्थों से पीएफआरडीए द्वारा प्राप्त शुल्क नीचे दी गई तालिका में है :

तालिका 3.12 : वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्त शुल्क

yk[k #i;k e

Ø- l	e/;LFk	okf"kd 'kYd	iath;u 'kYd	vkj,Qih çlLdj.k@ ,eiuyeV "kYd	dy
1	न्यासी बैंक–एक्सिस बैंक	1,497.89	.	.	1,497.89
2	सीआए–एनएसडीएल–ई गवर्नेस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	803.31	.	.	803.31
3	सीआए–कार्वी कंप्यूटरशेयरप्राइवेट लिमिटेड	.	25.00	.	25.00
4	कस्टोडियन–एसएचसीआइएल	55.15	25.00	.	80.15
5	पेंशन निधि	644.05	.	90.00	734.05
6	सेवानिवृत्ति सलाहकार	.	0.27	.	0.27
7	पीओपी उपस्थिति अस्तित्व	.	21.45	.	21.45
8	एग्रीगेटर संकलनकर्त्ता	.	6.80	.	6.80
9	एएसपी–मैक्स लाइफ इंश्योरेंस	.	.	1.00	1.00
	dy	**3]000-41**	**78-52**	**91-00**	**3]169-92**

3.12 किए गए निरीक्षण, आयोजित पूछताछ और जांच, जिसमें पेंशन फंड के साथ जुड़े हुए बिचौलियों और अन्य संस्थाओं या संगठनों की लेखा परीक्षा की सूचना के लिए की गई मांग।

पीएफआरडीए और एनपीएस ट्रस्ट सीआरए, न्यासी बैंकों और उनके लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की समीक्षा यह सुनिष्चित करने के लिए करता है कि मध्यस्थ सेवा स्तर के समझौतों के अनुसार परिभाषित बदलाव के समय का पालन कर रहा है। पीएफआरडीए के पास केंद्रीय रिकार्डकीपिंग एजेंसी और ट्रस्टी बैंक विनियम हैं जिसमें लेखा और निरीक्षण का प्रावधान है जिससे ग्राहकों के हितों की रक्षा की जा सके। 2016–17 के दौरान, सभी पेंशन निधियों की आंतरिक लेखा परीक्षा, पेंशन निधियों द्वारा नियुक्त आंतरिक लेखापरीक्षक द्वारा ली गई जिनकी नियुक्ति प्राधिकारण द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति के संबंध में जारी मंजूरी नोट के अनुसार की गई थी। योजनाओं की लेखा परीक्षा संबंधित पेंशन निधियों द्वारा प्रबंधित की गई। पेंशन निधियां भी वैधानिक लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

3.13 अन्य

3.13.1 अधिनियम के तहत आने वाली राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य पेंशन योजनाओं के तहत आवृत्त सदस्य (श्रेणी वार)

,½ xr o"kk e ,uih,l d rgr xkgdk dh l[;k

एनपीएस में अभिदाताओं का नामांकन मार्च 2016 में 122.35 लाख सेबढ़कर मार्च 2017 में 154.37 लाख हो गया। 2016–17 के दौरान ग्राहकों की संख्या की वृद्धि 26.2 प्रतिशत है।

तालिका 3.13 : एनपीएस तथा एपीवाई के तहत अभिदाताओं की क्षेत्रवार संख्या

{k=	ekp' &16	ekp' &17	fujis{k of)	% of)
dsæ ljdkj	1,657,623	1,788,699	131,076	7.9
dqy %	13.5	11.6		
jkT; ljdkj	2,923,882	3,332,526	408,644	14.0
dqy %	23.9	21.6		
d,iksjsV	473,515	585,595	112,080	23.7
dqy %	3.9	3.8		
;wvk,l¼lHkh ukxfjd½	215,372	437,076	221,704	102.9
dqy %	1.8	2.8		
,uih,l ykbV@Lokoyacu	4,480,014	4,429,342	–50,672	–1.1
dqy %	36.6	28.7		
,ihokbZ	2,484,895	4,863,699	2,378,804	95.7
dqy %	20.3	31.5		
dqy ;ksx	12,235,301	15,439,013	3,203,712	26.2

* 06 अप्रैल, 2016 तक जारी किये गये PRAN

चार्ट 3.3 : वर्ष के अनुसार एनपीएस तथा एपीवाई अभिदाताओं की संख्या

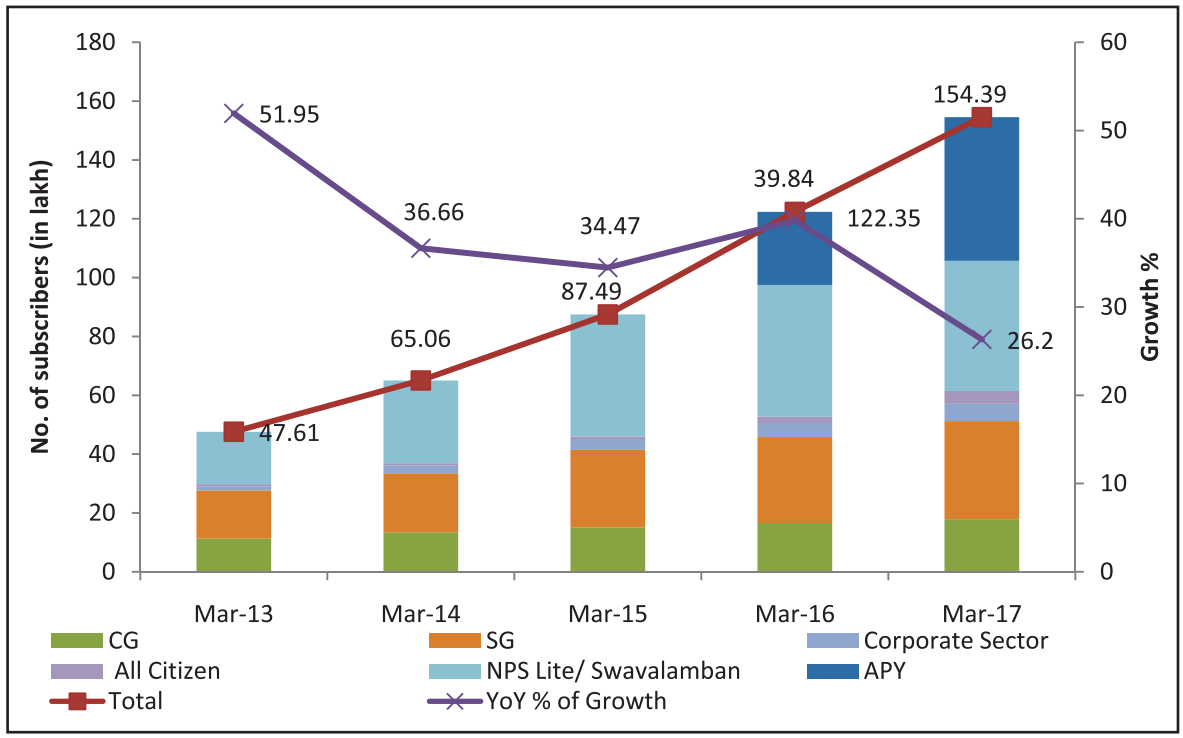

c½ xzkgdksa dh la[;k & {ks= ds vuqlkj

ljdkjh {ks=

- सरकारी अभिदाता की संख्या में मार्च 2016 की तुलना में 45.82 लाख से बढ़कर मार्च 2017 के अंत के में 51.21 लाख वृद्धि हुई है, जिससे 5.39 लाख (11.8%) की वृद्धि दर्ज की गई है।

31–03–2017 को स्थिति

तालिका 3.14 : सरकारी क्षेत्र के अभिदाता, अंशदान तथा प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तिया 31.03.2017 तक

	vfHknkrkvksa dh la[;k	;kxnku ¼:- djksM+ esa½	,;w,e :- djksM+ esa
राज्य सरकारें	33,22,526	67,099	84,917
केंद्र सरकारें	17,88,699	48,452	67,040
dqy	51,21,225	1,15,551	1,51,957

- साल दर साल अभिदाता पंजीकरण

चित्र 3.4(अ) : नए जोड़े गए अभिदाता
(राज्य सरकार जिसमें राज्य स्वायत्त निकाय सम्मिलित हैं)

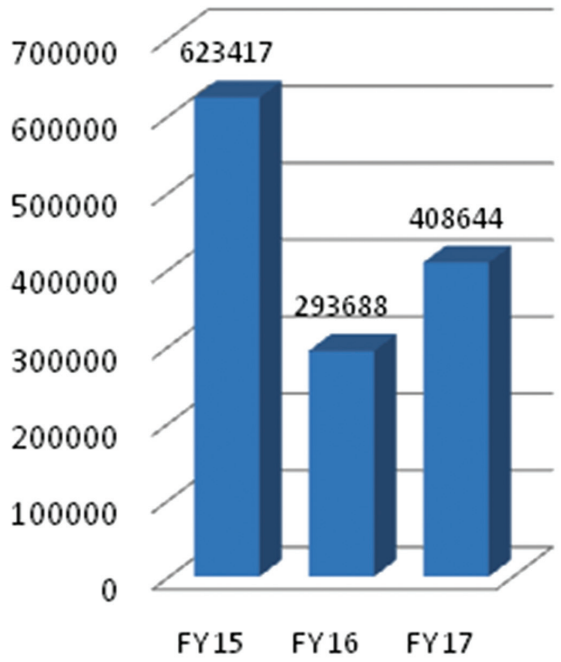

चित्र 3.4(ब) : नए जोड़े गए अभिदाता
(केंद्र सरकार जिसमें केंद्र स्वायत्त निकाय सम्मिलित है)

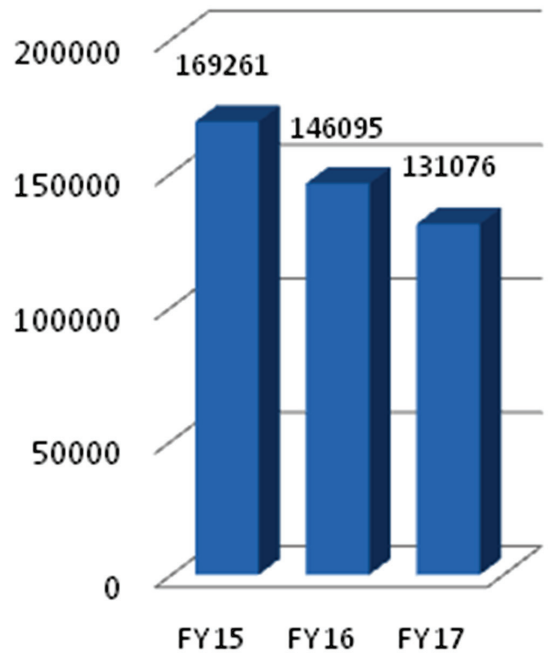

निजी क्षेत्र

- निजी क्षेत्र के तहत, कॉर्पोरेट ग्राहकों की संख्या, रुपये 4.74 लाख से बढ़कर 5.86 लाख हुई है, जसे कि अभिदाताओं की 1.12 लाख (23.6%) की वृद्धि है।

यूओएस के तहत आने वाले ग्राहक/सभी नागरिकों की संख्या मार्च 2016 के अंत में 4.37 लाख की तुलना में मार्च 2017 में 2.15 लाख बढ़ी है जो कि 2.22 लाख (32. 22%) ग्राहकों की वृद्धि है ।

तालिका 3.15 : निजी क्षेत्र के अभिदाता, अंशदान तथा प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तिया 31.03.2017 तक

	vfHknkrkvksa dh la[;k	;kxnku ¼:- djksM+ esa½	,;w,e :- djksM+ esa
कॉरपोरेट क्षेत्र	585,595	12,473	14,953
यूओएस/सभी नागरिक	437,076	3022	3,123
कुल	1,022,671	15,495	18,076

- एनपीएस–लाइट और एपीवाई के तहत ग्राहकों की संख्या, एक साथ, जो मार्च 2016 के 69.65 लाख की तुलना में मार्च 2017 में 93.12 लाख बढ़ी है, जो कि 23.47 लाख उपभोक्ताओं (33.7%) की वद्धि है।

31–03–2017 को स्थिति

तालिका 3.16 : एपीवाई तथा एनपीएस लाईट के अभिदाता, अंशदान तथा प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तिया 31.03.2017 तक

	अभिदाताओं की संख्या	योगदान (करोड़ में) 31-03-17 तक)	एयूएम करोड़ में
एनपीएस लाइट / स्वावलंबन	44,29342	2,119	2,639
अटल पेंशन योजना	48,63,699	1,751	1,885
कुल	9,293,941	3,870	4,524

- स्वावलंबन योजना के तहत नए पंजीकरण 1 अप्रैल 2015 से बंद किया गया है, जो किएपीवाई के आरंभ मई, 2015 के फलस्वरुप हुआ, जो 1 जुलाई 2015 से परिचालित हो गया। अटल पेंशन योजना भारत के गरीब और वंचित वर्ग पर ध्यान केंद्रित करती है, यह 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम गारंटी पेंशन प्रदान करेगी।
- एपीवाई के अंतर्गत, ग्राहक न्यूनतम गारंटी पेंशन रु. 1000 / – प्रति माह, रु. 2000 / – प्रति माह, रु. 3000 / – प्रति माह, रु.4000 / – प्रति माह, रु. 5000 प्रति माह, 60 साल की उम्र में, अपने योगदान के आधार पर, जो स्वयं एपीवाई में शामिल होने की उम्र पर आधारित होगा, तक प्राप्त कर सकेंगे। एपीवाई में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। इसलिए, एपीवाई के तहत किसी भी ग्राहक द्वारा योगदान की न्यूनतम अवधि 20 साल या इससे ज्यादा होगी।
- योजना सभी बैंक शाखाओं/डाकघर जिनके पासकोर बैंकिंग समाधान मंच (सीबीएस) है और जो केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) के साथ पंजीकृत है, के माध्यम से संचालित होगी।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 24.22 लाख उपभोक्ताओं एपीवाई में पंजीकृत किए गए जिनमें से 13.73 लाख उपभोक्ताओं सरकारी सह–योगदान के पात्र थे।
- बैंक और डाकघर एपीवाई के लिए प्रमुख वितरण चैनल हैं। विभिन्न श्रेणियों के बैंकों और डाकघरों के माध्यम से एपीवाई उपभोक्ताओं की संख्या को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 3.17 : अभिदाताओं की संख्या जो विभिन्न वितरण चैनलों के माध्यम से एपीवाई में पंजीकृत हुए

क्रम. संख्या	बैंक की श्रेणी	वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान पंजीकृत अभिदाताओं की संख्या	वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पंजीकृत अभिदाताओं की संख्या
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	333,868	174,722
2	एसबीआई को छोड़कर प्रमुख बैंक (पीएसबी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस और जम्मू और कश्मीर)	1,519,916	1,442,004
3	निजी बैंक (एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस और जम्मू और कश्मीर को छोड़कर)	38,316	35,770
4	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	471,843	643,414
5	डीसीसीबी / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / शहरी सहकारी बैंक	21,709	12,269
6	डाक विभाग	75,343	114,655
	कुल	**2,460,995**	**2,422,834**

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 24.22 लाख एपीवाई ग्राहक पंजीकृत किए गए, 67.72% ने 1000/– रुपये के लाभ के लिए और 24.23 5 सदस्यों ने रुपये 5000/– के लाभ का विकल्प चुना है।

तालिका 3.18 : एपीवाई अभिदाताओं की पेंशन राशि के अनुसार संख्या

foÙk o"k 2016&17 d fy, i'ku jkf'k d vulkj			
Øe- l[;k	i'ku jkf'k	ith—r lnL;k dh l[;k	çfr'kr
1	1000	1,519,577	62.72%
2	2000	182,894	7.55%
3	3000	94,470	3.90%
4	4000	38,744	1.60%
5	5000	587,149	24.23%
	dy	2]422]834	100-00%

वित्तीय वर्ष 2016–17 में एपीवाई के तहत 24.22 लाख उपभोक्ताआ पंजीकृत किए गए, 27.04% अभिदाता 26–30 साल के ग्राहकों के आयुवर्ग में और 24.34% एवं 23.36%, 21–25 के और 31–35 साल के आयु वर्ग में हैं, क्रमशः।

एपीवाई अभिदाताओं का आयु के अनुसार वितरण तालिका 3.19 में दिया गया है

तालिका 3.19 : एपीवाई अभिदाताओं का आयु के अनुसार वितरण 31.03.2017 तक

Øe- l[;k	vk;q oxZ	ith—r lnL;k dh l[;k	çfr'kr
1	18 से 20 वर्षों के बीच	261,145	10.78%
2	21 से 25 वर्षों के बीच	589,813	24.34%
3	26 से 30 वर्ष के बीच	655,055	27.04%
4	31 से 35 वर्षों के बीच	566,088	23.36%
5	35 वर्ष से अधिक	350,733	14.48%
		2]422]834	100-00%

एपीवाई उपभोक्ताओं के लिए शीर्ष तीन योगदानकर्ता, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र हैं। एपीवाई उपभोक्ताओं की राज्यवार संख्या अनुलग्नक I में दी गई है।

3.13.2 उपस्थिति अस्तित्व

मार्च 2016 के अंत में 55 पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्व थे। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, 14 मौजूदा पीओपी और 6 नए पीओपी पंजीकृत किए गए और उनके लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया। विनियमों के अनुसार, 6 कंपनियों और 10 विशेष संस्थाओं को पीओपी के रूप में पंजीकृत किया गया और उनके लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

31 मार्च 2017 तक पीएफआरडीए में पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्व अनुलग्नक II नें प्रदान किए गए हैं। पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्व की सत्यापित/प्राधिकृत शाखाएँ हैं। जिन्हें पीओपी एसपी कहा जाता है। पीओपी–एसपी का विवरण एनपीएस के तहत तालिका 3.20 में प्रदान किया गया हैं

तालिका 3.20 : एनपीएस के तहत पंजीकृत पीओपी–एसपीस

	31 ekpZ 2015 rd	31 ekpZ 2016 rd	31 ekpZ 2017 rd	ioZ foÙk o"kZ 2015&16 ¼l[;k½ dh nkjku of)	ioZ foÙk o"kZ 2015&16 dh nkjku of) ifr'kr	ioZ foÙk o"kZ 2016&17 ¼l[;k½ dh nkjku of)	ioZ foÙk o"kZ 2016&17 dh nkjku of) ifr'kr
पीओपी–एसपी की कुल संख्या	38420	55581	69007	17161	44.67	13426	24.16
जिसमें सक्रिय पीओपी–एसपीस ***	4462	7170	13396	2708	60.69	6226	86.83
सक्रिय पीओपी–एसपीस का प्रतिशत	11.61	12.9	19.41	1.29	11.08	6.51	50.48

' कोर्पारेट क्षेत्र में सक्रिय उपस्थिति अस्तित्व(पीओपी) का मतलब है कम से कम 5 पंजीकृत कार्पोरेट

'' सभी नागरिक क्षेत्रों में सक्रिय उपस्थिति अस्तित्व(पीओपी) का मतलब है कम से कम 10 सक्रिय सदस्य के साथ उपस्थिति अस्तित्व(पीओपी)

''' उपस्थिति अस्तित्व(पीओपी)–सभी नागरिक क्षेत्र में का मतलब है, उपस्थिति अस्तित्व(पीओपी)–एसपी कम से कम 1 सक्रिय अभिदाता के साथ।

योगदान और प्रबंधन के अधीन संपत्तियां (एयूएम) में टीयर ।। खाता सदस्यता शामिल है।

+ कॉरपोरेट सेक्टर में दामोदर घाटी निगम का डाटा शामिल है।

3.13.3 योजना के अनुसार प्रबंधन के तहत संपत्ति

नीचे दी गई सारणी में योजना के अनुसार प्रबंधन के तहत संपत्ति का ब्योरा दिया गया है:

तालिका 3.21 : प्रबंधन के तहत संपत्ति का विवरण

;kstuk	ekpZ &16	ekpZ &17	% of)
केंद्र सरकार (सीजी)	48135	67040.15	
राज्य सरकार (एसजी)	57693	85171.5	
उप–योग	105828	152212	44%
कॉर्पोरेट (सीजी)	6805	10753.48	
ई–I	1181	2538.98	
सी–I	888	1684.95	
जी– I	1325	2506.93	
ए – I	–	1.06	
ई–II	–	125.9	
सी–II	55	101.33	
जी– II	54	112.43	
ए – II	–	0.1	
एनपीएस लाईट	2108	2639.21	
एपीवाई	506	1885.01	
उप–योग	12922	22349.4	73%
कुल योग	118750	174561	47%

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि एनपीएस योजनाओं के तहत सरकारी कर्मचारियों (सीजी और एसजी) के लिए प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां 44 प्रतिशत से बढ़ी है, जबकि इन दोनों योजनाओं के अतिरिक्त योजनाओं के तहत आने वाली प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां 73 प्रतिशत तक बढ़ी है। अतः सही मायनों में सरकारी योजनाओं में औसतन रुपए 46383.65 करोड़ तक की वृद्धि हुई है जबकि अन्य योजनाओं मे रुपए 9427.38 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

3.13.4 केंद्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, उसके कार्य तथा भूमिका :

एनएसडीएल ई–गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, संेट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी के रूप में पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त किया गया था, और एक समझौते को 26 नवंबर, 2007 को कार्यान्वित किया गया था।

पीएफआरडीए (संेट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी) विनियम, 2015 की अधिसूचना अप्रैल 27, 2015 के बाद से, एनएसडीएल ई–गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 18 नवंबर, 2015 से केंद्रीय अभिलेखकारी एजेंसी के रूप में वास्तविक अनुबंध दिनांक 26 नवंबर, 2007 से 10 वर्ष के लिए काम करने के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया था जो कि 01 दिसंबर, 2007 से प्रभाव में लाया गया।

सीआरए सभी मध्यस्थों के लिए एक परिचालन अंतरण के रूप में कार्य करता है। भूमिका में सभी आवश्यक बाहरी एजेंसियों और एनपीएस के सभी ग्राहकों के लिए रिकॉर्ड रखने, प्रशासन और ग्राहक सेवा कार्यों के साथ मेलजोल भी शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान प्राधिकरण ने एम/एस कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को द्वितीय केंद्रीय रिकार्डकीपिंग एजेंसी के रुप में पंजीकृत किया तथा उसे एनपीएस न्यास के ई–एनपीएस उपागम द्वारा बने खातों की सेवा हेतु कार्य करने की अनुमति प्रदान की जिसमें अभिदाता को एनएसडीएल ई–गवर्नेंस लिमिटेड (प्रथम सीआरए) तथा एम/एम कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड (द्वितीय सीआरए) के बीच में से 15 फरवरी 2017 से तथा तत्प चात् अन्य वितरण शाखाओं से विकल्प चुनने की सुविधा मिली। यह तय किया गया एम/एम कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड 31 मार्च 2017 तक नए खातों को सेवा प्रदान कर सकता है तत्पश्चात् उसे 1.04.2017 से अंतरचालित गुण के तहत एनपीएस के मौजूदा ग्राहकों के तहत स्थानांतरित करने के विकल्प के साथ पूर्ण सीआरए के रुप में कार्य करने की अनुमति होगी।

सीआरए विनियमों के विनियम 3 के उप–विनियम 4 के तहत, अभिदाताओं का मौजूदा केंद्रीय रिकार्डकीपिंग एजेंसी तथा अन्य रिकार्डकीपिंग ऐजेंसी तथा अन्य रिकार्डकीपिंग एजेंसी या एजेंसियों के बीच आबंटन, यदि उन्हें नियुक्त किया जाता है तो, वे पारदर्शी मानदंड के आधार होंगे तथा प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अभिदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए होंगी, तदनुसार, अभिदाताओं के आबंटन के लिए मानदंड नीचे अंकित है।

ऐसी स्थिति में जहां कर्मचारी–नियोक्ता संबंध हो, जिसमें कोर्पोरेट भी सम्मिलित हों, यदि सीआरए भुगतान नियोक्ता द्वारा वहन किए जाएं, सीआरए के चयन का निर्णय नियोक्ता के पास रहे, जब तक कि वह विशेष रुप से एक कर्मचारी को विकल्प नहीं सौंपता तथा अन्य सभी मामलों में, सीआरए के चुनाव का विकल्प नियोक्ता/अभिदाता के पास एनपीएस के तहत रहेगा। स्वैच्छिक अभिदाताओं के मामले में (बिना किसी कर्मचारी–नियोक्ता संबंध के विस्तार के) सीआरए के चुनाव का विकल्प सामान्य तौर पर अभिदाता के पास रहता है। यदि अभिदाता अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत है तो, संबंधित सरकार सीआरए का चयन सेवाओं के प्रतिपादन के लिए कर सकती है। एनपीएस–लाईट अभिदाताओं के मामले में संकलनकर्त्ता के पास सीआरए के चयन का विकल्प होता है।

सीआरए के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

1- u, x.kk dh fujrj of) rFkk fodkl

यह सीआरए की जिम्मेदारी है कि वह देश भर में सुविधा केंद्र नेटवर्क बनाए तथा स्थापित करें। उन्हें विभिन्न नई कार्यक्षमताओं/उपयोगिताएं विकसित करने चाहिए तथा विभिन्न हिस्सेदारों की बदलती आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए उपागम का निरंतर विस्तार तथा विकास करना चाहिए

2- lHkh {k=k d vfHknkrkvk dk lok

सीआरए का प्राथमिक कार्य रिकॉर्डकीपिंगए प्रशासन सभी एनपीएस अभीदाताओं को उपभोक्ता सेवा प्रदान करना है, विशेष स्थाई सेवानिवृत्ति खाता संख्या (pran) तथा अभिदाताओं के लिए IPIN/TPIN जारी करना है। अभिदाताओं को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं में सम्मिलित है एसएमएस अलर्ट भेजना, पंजीकरण के समय ईमेल भेजना, इकाइयों का क्रेडिट डेबिट/प्रत्याहरण, प्राण में शेषराशि, अभिदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन तथा सभी एनपीएस भागीदारों को वेब आधारित अधिगम प्रदान करना।

सीआरए केंद्रीयकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रदान करती

है तथा अभिदाताओं एवं केंद्रक अधिकारी को कॉल सेंटर सुविधा प्रदान करती है। इन सेवाओं के अतिरिक्त सभी अभिदाता के लिए रखरखाव सेवाएं हैं, जैसे योजना परिवर्तन, जनसांख्यिकीय वितरण में परिवर्तन, शिकायत प्रबंधन आदि सीआरए द्वारा प्रतिपादित की जाती है।

3- e/;LFkk dk lsok,a

¼d½ isa'ku fuf/k çca/kd¼

यह सीआरए की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि समय पर पेंशन निधि प्रबंधकों को निधियां आवंटित कर सके, समेकित निवेश वरीयता योजना सूचना को तैयार करना तथा भेजना न्यासी बैंकों द्वारा प्राप्त निधि स्थानांतरण रिपोर्ट के पुष्टिकरण के आधार पर पेंशन निधि प्रबंधकों को कुल निधि स्थानांतरण रिपोर्ट भेजना तथा पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा सीआरए को एनएवी का उपयोग करते हुए योजना की प्रदर्शन रिपोर्ट का मूल्यांकन।

¼[k½ U;klh cSd¼

न्यासी खातों के साथ योगदान सूचना प्रतिवेदन से प्राप्त पेंशन निधि प्रतिवेदनों को ठीक करना तथा निधि समाधान पर अशुद्धि/असहमति रिपोर्ट जारी करना, न्यासी बैंकों को अभिदाताओं के खातों में प्रत्याहरण निधि छोड़ने के लिए निर्देश देना तथा वार्षिकी सेवा प्रदाताओं के खातों में शेष बची राशि वार्षिकी योजना के विरुद्ध वापस करना।

¼x½ okf"kZdh lsok çnkrk¼

अभिदाताओ से भौतिक आवेदन पत्र प्राप्त करना तथा उन्हें वार्षिकी सेवा प्रदाताओं के पास भेजना तथा अभिदाताओं की वार्षिकी के निधि स्थानांतरण विवरण को वार्षिकी सेवा प्रदाताओं को स्थानांतरित करना। अभिदाता के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक डेटा को वार्षिकी सेवा अभिदाताओं को भेजना तथा वार्षिकी योजना के लिए निर्देश भेजना।

¼?k½ vU;¼

पीएफआरडीए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा वित्त मंत्रालयको अवधिक तथा अनौपचारिक MIS (शिकायत निवारण सम्मिलित) प्रदान करना अभिविन्यास कार्यक्रम केंद्रक कार्यालयों के लिए आयोजित करना तथा सीआरए प्रणाली पेंशन निधि प्रबंधको तथा न्यासी बैंकों एवं एनपीएस की अन्य संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए अनेक तथा त्रुटिमुक्त तंत्र कार्यक्रम प्रदान करना।

okf"kZd 'kqYd ¼

पीएफआरडीए (केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी) विनियम 2015 में निर्दिष्ट विनियम 22 के तहत केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी वार्षिक शुल्क का जो कि सेवा शुल्क का 0.05 गुना होता है भुगतान करती है।

lhvkj, lsok 'kqYd

नियमित एनपीएस तथा एनपीएस लाइट अभिदाताओं के लिए प्रदान शुल्क ढांचा सभी की जानकारी हेतु यहां नीचे दिया गया है।

उपागम के विकास तथा निरंतर वृद्धि के लिए जिससे विभिन्न हिस्सेदारों की बदलती आवश्यकताओं का पता चले, सीआरए के प्रमुख लक्ष्य में से एक है।

एनपीएस के कार्यान्वयन के लिए सीआरए द्वारा विभिन्न कार्यक्षमताओं का विकास सुनिश्चित किया गया। इन प्रमुख विकास में से कुछ इस प्रकार हैः–

fons'kh [kkrk dj vuqikyu vf/kfu;e (FATCA) ?kks"k.kk dk v,uykbu Hkstuk

त्वरित FATCA अनुपालन की सुविधा प्रदान करने के क्रम में FATCA की स्वःप्रमाणन की ऑनलाइन जमा सुविधा अभिदाताओं को उनके सीआरए लॉगइन www.cra-nsdl.com पर दी गई है। कथित क्रियाशैली के बारे में सूचना सीआरए की वेबसाइटों पर उपलब्ध है। अभिदाताओं द्वारा ऑनलाइन FATCA स्वःप्रमाणन जमा करने हेतुसोपान वेबसाइट पर अंकित किए गए हैं।

dsæh; fjdkMZ dhfiax ,tsalh dk chp esa varjpkydrk

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को एनपीएस के तहत द्वितीय सीआरए के रूप में चयनित किया गया है। अभिदाता/केंद्रक कार्यालयों के पास किसी भी सीआरए में स्थाई सेवानिवृत्ति खाता खोलने का विकल्प है मौजूदा अभिदाता अपनी पसंद के सीआरए का चुनाव कर सकती/सकता है। सीआरए मैं अभिदाताओं के प्रवास की सुविधा के लिए

(कार्वी–सीआरए से एनएसडीएल–सीआरए तथा एनएसडीएल–सीआरए से कार्वी –सीआरए) सीआरए अंतरचालित क्रियाशैली विकसित की गई है। अभिदाता को स्थानांतरण अनुरोध के लिए लक्षित सीआरए को आग्रह करना आवश्यक है, लक्षित सीआरए स्थानांतरण अनुरोध को एनपीएस के तहत सुविधा प्राप्त करेगा। अंतर सीआरए स्थानांतरण अनुरोध वित्तीय वर्ष में एक बार स्वीकार्य होगा।

b&,uih,l d rgr u, x.k

ई–एनपीएस वेबसाइट का हिंदी संस्करण

1) एनपीएस अभिदाता की सुविधा के लिए ई–एनपीएस वेबसाईट का द्विशाषी संस्करण विकसित किया गया। ई–एनपीएस में पंजीकरण या उसके द्वारा योगदान के लिए अभिदाता अब इच्छित भाषा (अंग्रेज़ी या हिंदी) में से एक का चुनाव कर सकता है।

2) आधार के द्वारा पंजीकरण के मामले में आधार पंजीकरण के लिए ई–साईन, अभिदाता के लिए यह अनिवार्य है कि ई–एनपीएस के पंजीकरण की 90 दिन की अवधि पूर्ण होने से पूर्व भौतिक आवेदन पत्र जमा करे।

   ई–एनपीएस मंच के साथ ई–साईन सुविधा (आधार ई–केवाईसी सेवाएं) जोड़ी गई जिससे अभिदाता इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपने प्राण (PRAN) आवेदन पर हस्ताक्षर कर सके। यह प्रक्रिया, सीआर प्रणाली में भौतिक दस्तावेज़ों को जमा करने की आवश्यकता को खत्म करती है।

3½ u;k Hkxrku ekx&fcy MLd

ई–एनपीएस में, एसबीआई ई भुगतान के साथ बिलडेस्क को द्वितीय भुगतान मार्ग सेवा प्रदाता के साथ जोड़ा गया। यह अभिदाता को अपनी पसंद के किसी भी सेवा प्रदाता के माध्यम से उपलब्ध भुगतान विकल्पों के चयन द्वारा भुगतान करने में सहायता प्रदान करेगा। बिलडेस्क को नए भुगतान मार्ग के रुप में नए बैंकों की सहभागिता को जोड़ना सुनिश्चित करेगा, जो कि एसबीआई–ई–भुगतान का भाग नहीं है मुख्य रुप से एक्सिस तथा एचडीएफसी बैंक।

,uih,l ekckby ,Ik e u, x.k

1- fV;j&II iR;kgj.k

एनपीएस के तहत मोबाइल एप का प्रयोग करते हुए अभिदाता टियर–II खाता प्रत्याहरण का आरंभ कर सकता है। अभिदाता अपनी यूजर आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन कर सकता है। टियर–II प्रत्याहरण तथा एक समय उपयुक्त पासवर्ड (OTP) मोबाइल एप पर उपलब्ध है। सही ओटीपी डालने पर, अभिदाता के पास प्रत्याहरण का तरीका चुनने का विकल्प प्रस्तुत होगा–

i) एकमुश्त (राशि) या

ii) योजनावार इकाईयां

अभिदाता द्वारा एक बार विकल्प में चुनाव तथा उपयुक्त विवरण जमा करने पर, समान विवरण सीआरए प्रणाली में निश्पादित हो जाएगा तथा निधियां अभिदाता के सीआरए के तहत पंजीकृत खातों में स्थानांतरित हो जाएगी।

2- vk/kkj chtkjki.k

अभिदाता अपने मोबाइल एप का प्रयोग करते हुए अपने आधार को एनपीएस खाते के साथ जोड़ सकता है। अभिदाता एप में, अपनी आईडी तथा पासवर्ड से करते हुए आधार संख्या जोडना/नवीनीकृत करना, के विकल्प को चुन सकता है। यह विकल्प अभिदाता को उसके आधार की प्राप्ति के लिए प्रदान किया जाएगा। एक बार आधार को डाल देने पर, एनपीएस के तहत दर्ज अभिदाता का विवरण UIDAI डाटाबेस में उपलब्ध विवरण के साथ प्रमाणित हो जाएगा। प्रमाणीकरण से पूर्ण, UIDAI में दर्ज अभिदाता के मोबाईल नं पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। अभिदाता ओटीपी डालेगा तथा सही ओटीपी डालने पर, आधार PRAN हेतु बीजारोपित हो जाएगा।

3½ vkVhih dk i;kx djr g, nkckjk ikIoM cnyuk

अभिदाता मोबाईल एप का प्रयोग करते हुए ओटीपी द्वारा पासवर्ड बदल सकता है। अभिदाता को अपना PRAN, जन्मतिथि तथा नया पॉसवर्ड, ओटीपी जारी करने के लिए अंकित करना होगा। उसके मोबाईल (सीआरए में

पंजीकृत) पर आए सही ओटीपी दर्ज करने पर, पासवर्ड सक्रिय हो जाएगा। यह विकल्प गुप्त प्रश्न के प्रयोग द्वारा पासवर्ड बदलने के विकल्प के साथ उपलब्ध है।

vVy i'ku ;ktuk d u, x.k

1) ई–प्राण कार्ड तथा लेनदेन विवरण

एपीवाई अभिदाताओं के लिए ई–प्राण कार्ड तथा लेनदेन विवरण डाउनलोड/या मुद्रित कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एपीवाई अभिदाता अपने ई–प्राणकार्ड तथा लेनदेन विवरण को सीआरए के माध्यम से, एनपीएस लाईट वेबसाइट (www.npslite-nsdl.com) के द्वारा निकाल सकते हैं। अभिदाता के पास ई–प्राणकार्ड तथा लेनदेन विवरण प्राण विवरण के साथ/बिना, ढूंढने का विकल्प है। तब अभिदाता को न्यूनतम विवरण जैसे प्राण तथा बैंक खाता संख्या या अभिदाता नाम, बैंक खाता संख्या तथा एपीवाई के तहत सीआरए प्रणाली में पंजीकृत जन्मतिथि देने की आवश्यकता है।

2) शिकायत हेतु अलर्ट

एक ई–मेल/एसएमएस (टोकन नं के साथ) एपीवाई अभिदाता को सीआरए प्रणाली में शिकायत के जारी होने तथा समाधान होने पर भेजा जाता है।

vkgj.k rFkk lforj.k dk;ky;k }kjk vkuykbu vfHknkrk ithdj.k

ऑनलाइन प्राण जारी उपागम (OPGM) के उपयोग द्वारा अभिदाता पंजीकरण की सुविधा सरकारी क्षेत्र के आहरण तथा संवितरण कार्यालयों में उपलब्ध करने के लिए सीजीएमएस में उपलब्ध है। सीआरए प्रणाली में डीडीओस अभिदाता पंजीकरण विवरण प्राप्त कर सकते हैं। डीडीओस द्वारा अंकित विवरण संबंधित प्रमुख लेखा कार्यालयों द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता है। सीआरए प्रणाली में पंजीकृत विवरण के सत्यापन पर, प्राण ऑनलाईन जारी होगा। यह सुविधा, प्रमुख लेखा कार्यालयों में पहले से ही उपलब्ध कायक्षमताओं का विस्तार है।

केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CGMS) में वृद्धि

1. संबंधित शंका वर्ग के खिलाफ उत्तर के साथ मानक पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) अब अभिदाता और ईकाई (एनपीएस अभिदाता की तरफ से शिकायत करना) के लिए सीजीएमएस में उपलब्ध है। सीजीएमएस के माध्यम से कोई भी प्रश्न उठाने के लिए अभिदाता के पास चयनित शिकायतों की श्रेणी के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नों और प्रासंगिक उत्तरों को देखने के लिए प्रावधान है।

2. लंबित शिकायतों के लिए पाक्षिक ईमेल अलर्ट केंद्रक कार्यालय को भेजे जाते हैं। अब, इन चेतावनियों को सभी लंबित शिकायतों का विवरण प्राप्त करने के लिए बढ़ाया गया है।

3. संबधित अभिदाता के लिए लंबित परामर्श डाउनलोड करने के लिए एनपीएस लाइट और एपीवाई के तहत केंद्रक कार्यालय हेतु एक सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा, ईमेल अलर्ट एनपीएस लाइट और एपीवाई कार्यालय को उठाई गई/ तथा सुलझाई गई सभी शिकायतों के लिए भेजे जाते हैं।

4. पाक्षिक ईमेल अलर्ट एनपीएस लाइट तथा एपीवाई के तहत पर्यवेक्षण कार्यालय को सीजीएमएस के अधीन शिकायतों के बारे में, जो 15 दिनों से अधिक से लंबित है, को भेजे जाएंगे।

=fV l/kkj mikxe

एक ईआरएम अनुरोध को केंद्रक कार्यालय द्वारा संसाधित किया जा सकता है जिसके माध्यम से सीआरए प्रणाली में योगदानों को अपलोड किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार के मामले में सभी अंतर्निहित केंद्रक कार्यालयों की ओर से इआरएम लेनदेन करने की सुविधा पर्यवेक्षण कार्यालय को प्रदान की जाती है। इससे विभिन्न केंद्रक कार्यालयों द्वारा प्राप्त किए गए कई ईआरएम अनुरोधों के प्रयासों और समय की बचत होगी

v,uykbu d,ikjV ithdj.k

ई–एनपीएस मंच के माध्यम से कॉरपोरेट्स के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा है। कॉर्पोरेट को अपेक्षित पंजीकरण विवरण प्रदान करने और आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए एक पीओपी का चयन करना आवश्यक है। कॉर्पोरेट द्वारा प्राप्त किए गए पंजीकरण विवरण संबंधित पीओपी द्वारा प्राधिकृत किए जाएंगे

lsokfuofÙk lykgdkj

एनपीएस के लिए सलाह देने की गतिविधि में संलग्न होने के लिए पीएफआरडीए द्वारा सेवानिवृत्ति सलाहकार नियुक्त किए गए हैं जिससे एनपीएस की पहुंच का विस्तार किया जा सकता है सेवानिवृत्ति सलाहकार एक व्यक्ति, पंजीकृत साझेदारी फर्म, निकाय, कॉर्पोरेट या कोई पंजीकृत न्यास या समाज हो सकता है। सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में किसी व्यक्ति/ईकाई के पंजीकरण की सुविधा के लिए सीआरए प्रणाली में ऑनलाइन मंच विकसित और जारी किया गया है

çR;kgj.k çfrnku@dæd dk;kZy; e ic/ku lpuk i.kkyh

बेहतर निगरानी के लिए अब प्रत्याहरण से संबंधित अतिरिक्त रिपोर्ट केंद्रक कार्यालयो को उपलब्ध कराई गई है:

- भौतिक वापसी फॉर्म प्राप्त हुए लेकिन ऑनलाइन वापसी का अनुरोध प्रसंस्कृत नहीं हुआ
- प्रत्याहरण मामलों के लिए ऑनलाइन वापसी प्रक्रिया में भौतिक फार्मों की गैर रसीद
- प्राधिकरण के लिए लंबित ऑनलाइन वापसी अनुरोध

u;k lhvkj, Vky Ýh gYiykbu

सामान्य प्रश्न/शिकायतों के संबंध में सीआरए से संपर्क करने के लिए केंद्रक कार्यालयों को समर्पित टोल फ्री नंबर (18002220081) उपलब्ध कराया जाता है। यह एनपीएस सदस्य के लिए उपलब्ध टोल फ्री नंबर (18002220080) के अतिरिक्त है।

3.13.5 पेंशन निधि

एनपीएस के तहत परिसंपत्ति का प्रबंधन तथा अन्य किसी भी योजना का जो पीएफआरडीए द्वारा विनियमित/प्रशासित है, विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए नियुक्त पेशेवर निधि प्रबंधकों द्वारा किया जाता है।

i'ku fuf/k d dk;Z

पेंशन निधि के कार्य में शामिल है

(क) प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निवेश दिशा निर्देशों के अनुसार और ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों का व्यवसायिक निवेश

(ख) प्राधिकरण द्वारा निर्धारित योजनाओं के अनुसार योजना पोर्टफोलियो निर्माण

(ग) पुस्तकों और उसके कार्यों के अभिलेख का रखरखाव

(घ) प्राधिकरण और एनपीएसटी को आवधिक अंतराल पर रिपोर्टिंग

(ङ) सार्वजनिक प्रकटीकरण

एनपीएस के तहत 8 पेंशन निधियां है निम्नलिखित 3 पेंशन निधियां सरकारी क्षेत्र की योजनाओं और एपीवाई योजना का प्रबंधन करती हैं।

(i) एलआइसी पेंशन फंड लिमिटेड

(ii) एसबीआई पेंशन फंडस प्राइवेट लिमिटेड

(iii) यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड

सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिए पेंशन निधि द्वारा लगाए गए निवेश प्रबंधन से शुल्क वर्तमान में प्रबंधन के अधीन संपत्तियों के 0.0102 प्रतिशत है।

निजी क्षेत्र की एनपीएस योजनाओं का प्रबंधन निम्नलिखित पेंशन निधियों द्वारा किया जाता है

i) एचडीएफसी पेंशन प्रबंधन कंपनी लिमिटेड

ii) आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

iii) कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड

iv) एल आई सी पेंशन फंड लिमिटेड

v) रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड लिमिटेड

vi) एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड

vii) यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

viii) बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड (23 फरवरी 2017 से व्यापार के प्रारंभ होने का प्रमाण पत्र दिया गया)

3.13.6 न्यासी बैंक

पीएफआरडीए (न्यासी बैंक) विनियम 2015 की शर्तों के मुताबिक एक्सिस बैंक लिमिटेड को एनपीएस के तहत 8 जुलाई 2015 से 5 वर्ष की अवधि के लिए एक खुली बोली प्रक्रिया के द्वारा न्यासी बैंक के रूप में चयनित किया गया

U;klh cad dh Hkfedk vkj nkf;Ro

(1) न्यासी बैंक सीआरए प्रणाली की विभिन्न संस्थाओं में निधि स्थानांतरण की सुविधा देता है जैसे–नोडल कार्यालय (अपलोड करने के कार्यालय), पेंशन निधि प्रबंधक, वार्षिकी सेवा प्रदाता और अभिदाता

(2) न्यासी बैंक एक फाइल अपलोड करता है जिसमें विभिन्न केंद्रक कार्यालय से प्राप्त सीआरए प्रणाली को उपलब्ध कराया जाता है। यह विवरण तब केंद्रक कार्यालय द्वारा सीआरए प्रणाली के लिए दिए गए योगदान के विवरण से मेल किए जाते हैं।

(3) न्यासी बैंक को सीआरए प्रणाली से निधि स्थानांतरण निर्देश प्राप्त होता है ताकि विभिन्न संस्थाओं को धन हस्तांतरित किया जा सके जैसे–पेंशन निधि प्रबंधक वार्षिकी सेवा प्रदाता वापसी खाते और पेंशन निधि प्रबंधकों से भी धनराशि प्राप्त हो सकती है।

(4) संबंधित इकाई को अपरिचित जानकारी या अधूरी जानकारी के साथ भेजे गए प्रेषण की वापसी

(5) प्रत्येक निपटान दिवस के अंत मे न्यासी बैंक खाते में शेष राशि को सीआरए प्रणाली से मेल किया जाता है

U;klh cad d fy, le; lhek

न्यासी बैंक की व्यवसायिक गतिविधियों को सीआरए में अन्य प्रक्रियाओं से जोड़ा जाता है। इसलिए बैंक यह सुनिश्चित करता है कि गतिविधियों को निर्दिष्ट समय के भीतर पूरा किया गया है। नीचे दिए गए चार्ट मूल गतिविधियों और उस समय सीमा का मूल विवरण देता है जिसके भीतर बैंक द्वारा कार्य किया गया।

तालिका 3.22 : न्यासी बैंक की कोर गतिविधियाँ

xfrfof/k dh ç—fr	le; lhek
अज्ञात निधियों की वापसी	T+1
निधि रसीद पुष्टिकरण फाइल का अपलोड	T+1 (9:00 a.m.)
सीआरए से पे–इन निर्देश फाइल डाउनलोड करे	प्रतिदिन
पेंशन निधि प्रबंधकों के लिए मिलान और बुक की गई निधियों का स्थानांतरण	T+1
बयानो का अपलोड और विभिन्न खातों के समापन शेष	प्रतिदिन

नोटः (धारणा–न्यासी बैंक द्वारा से निधि ग्रहण दिन I पर)

3.13.7 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत संरक्षक

लेनदेनओ के सुरक्षा पक्ष को संरक्षक संभालते हैं। एनपीएस न्यास के लिए आयोजित प्रतिभूति अभिरक्षक द्वारा की जाती है जो कि प्रतिभूतियों की डिलीवरी करके तथा स्वीकार कर के लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है।

vfHkj{kd d dk;l e 'kkfey g

- आयोजित प्रतिभूतियों के विवरण का रखरखाव
- प्रतिभूतियों पर लाभांश, अधिकार, बोनस आदी को एकत्रित करना
- प्रतिभूतियों के जारीकर्ता के कार्यों के बारे में सूचित करना जो लाभों को प्रभावित करेंगे

प्राधिकरण प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के चयन के लिए 6 अप्रैल को 5 साल की अवधि के लिए एक आरएफपी जारी किया और एसएचसीआईएल को प्रतिभूति अभिरक्षक के रुप में नियुक्त किया गया। आरएफपी की प्रक्रिया के सफल समापन में अभिरक्षक के तहत अभिरक्षक शुल्क को अभिरक्षित संपत्ति का 0.0032% प्रतिवर्ष कर दिया है जो पूर्व में अभिरसिंपत्ति में 0.0075% प्रति वर्ष था।

3.13.8 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास

एनपीएस न्यास केंद्र सरकार के पत्र डी.ओ.नं.5 (75)/2006–ईसीबी और पीआर दिनांक 24 अप्रैल 2007 के संदर्भ में स्थापित किया गया था। पीएफआरडीए न्यास के सेटलर हैं तथा पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस न्यास विलेख का निष्पादन 27 फरवरी 2008 को हुआ था। पीएफआरडीए और एनपीएस न्यास के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ तथा

जिसमें 1 जुलाई 2009 को दोनों पक्षों के अधिकारों और दायित्वों पर प्रकाश डाला गया।

एनपीएस न्यास को लाभार्थियों (उपभोक्ताओं) के लाभ के लिए एनपीएस के तहत संपत्ति और निधियों को रखने के लिए बनाया तथा स्थापित किया गया है। न्यासियों के पास न्यास निधियों का कानूनी स्वामित्व होता है तथा सामान्य पर्यवेक्षण, दिशा तथा न्यास के कार्यों तथा सभी शक्तियों के प्रबंधन के लिए प्राधिकरणों तथा विवेकसंगत या न्यास के प्रयोजनों से जुड़ा होना पूर्णरुप से न्यासी के अधीन होता है तथापि पीएफआरडीए के अधिनियम 2013 एनपीएस न्यास अधिनियम–1882 के प्रावधान के अधीन, एनपीएस न्यास विलेख तथा आगे ऐसे निर्देश तथा दिशानिर्देश जो कि समय–समय पर पीएफआरडीए द्वारा दिया गया है। जबकि लाभार्थी हित हमेशा एनपीएस न्यास के लाभार्थियों के साथ रहेगा।

प्राधिकरण न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रुप में उपयुक्त पृष्ठभूमि और अनुभव वाले व्यक्ति को नियुक्त करता है जो न्यास (सीईओ) के लिए दिन–प्रतिदिन प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है जो एनपीएस न्यास के बोर्ड के अधीक्षण, नियंत्रण और दिशा के अधीन होता है। बोर्ड प्रत्येक तीन महीनों में एक बार मिलता है। 31 मार्च 2017 तक एनपीएस न्यास बोर्ड का गठन तालिका में प्रदान किया गया है:

तालिका 3.23 : 31 मार्च 2017 तक एनपीएस न्यास का गठन

Øe l¡[;k	Ukke	lkn
1	श्री शैलेश हरीभक्ति	अध्यक्ष तथा न्यासी
2	श्रीमति पल्लवी श्रॉफ	न्यासी
3	श्री प्रमोद कुमार रस्तोगी	न्यासी
4	श्री एन.डी गुप्ता	न्यासी
5	श्री अश्विन पारेख	न्यासी
6	श्री कमल कुमार चौधरी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

एनपीएस न्यास द्वारा एनपीएस निधि का प्रबंधन

एनपीएस न्यास के नाम पर जुड़े अभिदाताओं की एनपीएस निधि का प्रबंधन न्यासी बोर्ड की ओर से 8 नियुक्त पेंशन निधियों द्वारा अभिदाताओं के हित में एनपीएस न्यास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। पेंशन निधि के प्रदर्शन की एनपीएस न्यास द्वारा तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है तथा अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए उन्हें निदेश/मार्गदर्शन दिया जाता है।

3.13.9 संकलनकर्त्ता सहित अन्य मध्यस्थ आदि

संकलनकर्त्ता पीएफआरडीए द्वारा पहचान प्रदत्त और अनुमोदित मध्यस्थ हैं जो उनके घटक समूहों के संबंध में एनपीएस–स्वालंबन के तहत ग्राहक इंटरफेस कार्य करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। संकलनकर्त्ताओं पहले से मौजूद संस्था है जिनके कुछ सामाजिक – आर्थिक वस्तुओं/सेवाओं के वितरण के लिए एक ज्ञात ग्राहक आधार के साथ निरंतर कार्यात्मक संबंध हैं। पीएफआरडीए (एग्रीगेटर) विनियम 2015 की अधिसूचना के बाद, 14 एग्रीगेटर्स को स्वीकृति पत्र जारी किया गया है।

संकलनकर्त्ताओं के कार्यों में शामिल हैं:

- अपने घटक समूह सदस्यों के बीच वृद्धावस्था आय सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में एनपीएस के प्रचार और जागरुकता को बढ़ावा देना।
- एएमएल/सीएफटी आवश्यकताओं के तहत अनिवार्य, संभावित एनपीएस ग्राहकों के संबंध में 'अपने ग्राहक को जानिए' की आवश्यकताओं को पूरा करना।
- निर्धारित समय सीमा के भीतर निधि और डाटा अपलोड से संबंधित जिम्मेदारियों का निर्वहन
- ग्राहकों से अंशदान का संग्रह और उसका मार्ग न्यासी बैंक को सुनिश्चित करना।
- पंजीकृत संकलनकर्त्ताओं की सूची पीएफआरडीए अनुलग्नक III में प्रदान की गई है।

- एनपीएस–लाइट के तहत अनिवार्य रुप से अंतर्निहित ग्राहकों को सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों और उनके समाधान को देखना
- कोई भी अन्य जिम्मेदारी जो पीएफआरडीए द्वारा उन्हें सौंपी गई है ताकि ग्राहकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

lokfuofÙk lykgdkj

पेंशन प्रणालियों के नमूने, परिभाषित लाभ योजनाओं से परिभाषित योगदान योजनाओं में स्थानांतरण के साथ, जहाँ व्यक्ति विशेष को वित्तीय निर्णयों को लेने की तथा बड़े वित्तीय जोखिमों को वहन करने की आवश्यकता है, पेंशन योजना भागीदारों हेतु उचित निवेश पद्धति का चयन महत्वपूर्ण है। भारत को वित्तीय ज्ञान के मामले में कमज़ोर समझा जाता है, सेवानिवृत्ति निर्णयों के लिए वित्तीय सलाह की ठोस आवश्यकता को दर्शाता है। सेवानिवृत्ति सलाहाकार उपभोक्ताओं को निवेश तथा भुगतान विकल्पों की बेहतर समझ के लिए मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह मानव पूल की उस आवश्यकता को दर्शाता है जिसमें सही कौशल हो तथा जिन्हें सेवानिवृत्ति सलाह में विशेषज्ञता प्राप्त हो तथा जिसमें उपयुक्त पेंशन/बचत उत्पाद, बाज़ार भागीदारों की सेवानिवृत्ति के लिए गुणवत्ता मध्यस्थ हो।

विदेशी अनुभव को ध्यान में रखते हुए तथा भारतीय प्रणाली के संगठित और असंगठित कर्मचारियों की आवश्यकता के लिए, सेवानिवृत्त आबादी के हितों की सुरक्षा के लिए तथा मुख्यरुप से एनपीएस के रिटर्न के विकल्पों के विषय में न्यूनतम समझ से होने वाले जोखिमों की संभावनाओं को कम करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति बाज़ार संस्थान (NISM) को सेवानिवृत्ति सलाहाकार प्रमाणन परीक्षा के हेतु मान्यता दी है।

सेवानिवृत्ति सलाहाकार की योग्यता, पंजीकरण, प्रक्रिया, शुल्क आदि के लिए रुपरेखा प्रदान करने के उद्देश्य से और पेंशन क्षेत्र के क्रमशः विकास को सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्ति सलाहाकार के कार्य के दायरे को परिभाषित करने तथा दायित्वों हेतु पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहाकार) विनियम, 2016 पीएफआरडीए द्वारा अधिसूचित किया गया।

3.13.10 पेंशन के क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा किए गए अन्य कार्य

lkoklh Hkkjrh;ksa ds fy, jk"Vªh; isa'ku ;kstuk

प्रवासी भारतीय भी एनपीएस खाता खोल सकते हैं किंतु उनकी आयु खाता खोलने के समय में 18–60 वर्ष हो। एनपीएस खाता पीओपी/पीओपी–एसपी या अपने आधार या पेन कार्ड का प्रयोग करते हुए ई–एनपीएस के माध्यम से ऑनलाईन खोल सकते हैं। अधिकतर बैंक पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्व हैं। प्रवासी भारतीय उस बैंक द्वारा खाता खोल सकते हैं जिसमें उनके एनआरआई खाता हो। आवेदन के साथ पासपोर्ट की प्रति तथा पते का सबूत होना चाहिए, यदि पता पासपोर्ट में दिए स्थानीय पते से भिन्न है। योगदान, अभिदाता क NRE या NRO खाते द्वारा किया जा सकता है। प्रत्याहरण या बर्हिगमन के समय, एकमुक्त राशि और वार्षिकी भारतीय रुपये में दी जाएगी। देश प्रत्यावर्तन नियमों के अनुसार स्वीकार्य है अन्य सभी गुण प्रवासी भारतीयों तथा स्थानीय नागरिक अभिदाताओं के लिए समान है। प्रवासी भारतीयों द्वारा योगदान राशि का भुगतान या तो सामान्य बैंकिंग शाखाओं की आंतरिक प्रेशण द्वारा किया जा सकता है या उन निधियों से जो उनके NRE/FCNR/NRO खातों में हो।

एक बार जब अभिदाता का स्तर एनआरआई स्तर से बदल कर निवासी नागरिक स्तर हो जाता है, अभिदाता इस की सूचना (CRA/POP) केंद्रीय रिकार्डकीपिंग ऐजेंसी/उपस्थिति अस्तित्व में सीआरए प्रणाली द्वारा अंकित करने के लिए दे सकता है।

b&,uih,l ep

''डिजिटल भारत अभियान'' के प्रकाश में, ई–गर्वनेंस का प्रचार करते हुए आईसीटी (सूचना तथा संप्रेषण तकनीक) मंचों का व्यापक प्रयोग करते हुए अंतिम चरण संबध प्रदान करने के लिए पीएफआरडीए एनपीएस के भावी तथा मौजूदा अभिदाताओं के लिए लेनदेन की ऑनलाईन सुविधा हेतु विकास तथा क्रियान्वयन हेतु कार्य कर रहा है। इसके लिए, अभिदाताओं के पंजीकरण के लिए ऑनलाईन मंच तथा एनपीएस (ई–एनपीएस) के तहत योगदान रिसीट, एनपीएस न्यास के माध्यम से www.npstrust.org.in पर विकसित की गई। इस मंच के द्वारा एनपीएस के लिए, भावी, अभिदाता सीधे ही एनपीएस पर

पंजीकरण और अपने स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में योगदान कर सकता है। आगे, जिन अभिदाताओं का पहले से ही एनपीएस खाता हो ई–एनपीएस के माध्यम से सीधे तौर पर योगदान कर सकते हैं। संभावी अभिदाता एनपीएस की वेबसाईट www.npstrust.org.in पर जा सकता है तथा एनपीएस ऑनलाईन मैन्यू का चयन, एनपीएस में योगदान तथा पंजीकरण के लिए कर सकता है। पंजीकरण के दौरान अभिदाता को अपना नाम तथा स्थायी खाता संख्या विवरण देना होगा जो कि आयकर विभाग के साथ ऑनलाईन रुप से सत्यापित हो जाएगा। अभिदाता को तत्पश्चात् बैंक का चयन करना होगा (जिसके द्वारा KYC सत्यापन होगा) निजी विवरण भरना तथा फोटो एवं हस्ताक्षर डालने होंगे। विवरण भरने के बाद, अभिदाता को नेट बैंकिग द्वारा चयनित बैंक के खाते से योगदान देना होगा। एकबार भुगतान होने पर प्राण (PRAN) अभिदाता को ऑनलाईन प्रदान किया जाएगा। अभिदाता के द्वारा जमा किया गया विवरण सीआरए प्रणाली के द्वारा चयनित बैंक के केवाइसी सत्यापन के लिए किया जाएगा। केवाइसीसत्यापन के पश्चात् प्राण सक्रिय तथा कार्यान्वित हो जाएगा। अभिदाता को आवेदन प्रिंट करके, फोटो चिपकाकर तथा हस्ताक्षर करके भौतिक आवेदन पत्र सीआरए को एक निश्चित समय में ऑनलाईन भुगतान करते हुए सीआरए में जमा करने की आवश्यकता है। अभिदाता किसी भी समय नेट बैकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाईन अंशदान कर सकते हैं जिसे टी2 आधार पर ग्राहक के प्राण खाते में जमा किया जाएगा। ईएनपीएस के बारे में पूरी जानकारी पीएफआरडीए वेबसाईट www.pfrda.org.in पर उपलब्ध है और एनपीएस न्यास वेबसाईट www.npstrust.org.in पर भी उपलब्ध हैं। बैंकों अर्थात् इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक और यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन केवाईसी सत्यापन की सुविधा प्रदान की है। पीएफआरडीए ने अन्य सभी बैंक पीओपी को ईएनपीएस मंच में शामिल होने और बैंकों के ग्राहकों के लिए केवाईसी के ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा प्रदान करने की सलाह दी है ताकि एनपीएस खाता ऑनलाइन खोल सकें। इस सुविधा के माध्यम से, यह उम्मीद की जाती है कि अभिदाता के पास अधिक ऑनबोर्डिंग अनुभव जैसे कई फायदे होंगे, जहाँ उन्हें उपस्थिति अस्तित्व पर जाने की आवश्यकता नहीं है और कहीं भी इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से लेनदेन की न्यूनतम लागत के साथ योगदान और विभिन्न मैनुअल गतिविधियों की वजहों से होने वाली त्रुटियों में कमी ला सकता है। 31 मार्च 2017, 1,37,899 टियर I खाते और 41,995 टियर II खाते ई–एनपीएस के माध्यम से खोल दिए गए।

भाग – IV

4.1 पेंशन सलाहाकार समिति

पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 45 कर्मचारियों, संस्थाओं, अभिदाताओं वाणिज्य तथा उद्योग मध्यस्थों एवं संगठनों जो कि पेंशन अनुसंधान में लगे हैं के प्रतिनिधित्व के साथ पेंशन सलाहाकार समिति के गठन की सुविधा प्रदान करती है ताकि प्राधिकरण को विनियमों को बनाने हेतु सलाह दे सके या जैसा कि इसे संदर्भित किया जा सकता है। प्राधिकरण ने 2 मार्च 2017 को पेंशन सलाहाकार समिति में संरचना के साथ संशोधन किया जैसा कि अनुलग्नक–IV में है। संदर्भित वर्ष के दौरान पेंशन सलाहाकार समिति की बैठक नई दिल्ली में 19 अप्रैल 2016, 15 नवंबर 2016 तथा 6 फरवरी 2017 को हुई।

19 अप्रैल 2016 को पेंशन सलाहाकार समिति की छठी बैठक में निम्नलिखित एजेंडा अंशों को चर्चा के लिए रखा गयाः

- एक नए पे आउट उत्पाद की शुरुआत
- पीएफआरडीए विनियम 2015 के तहत विनियम 32 (निकासी तथा प्रत्याहरण) के अनुसार नामांकन पर प्रस्तावित टिप्पणी
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का पुनर्निमाण
- पीएफआरडीए (एग्रीगेटर) तथा (बर्हिगमन एवं प्रत्याहरण) विनियम 2015 पर पुनः दृष्टि, एपीवाई की शुरुआत के बाद

15 नवंबर 2016 को पेंशन सलाहाकार समिति की 7 वीं बैठक में निम्नलिखित एजेंडा अंशों को चर्चा के लिए रखा गयाः–

- पीएफआरडीए (बर्हिगमन तथा प्रत्याहरण) (प्रथम संशोधन) विनियम 2016 में संशोधन
- पीएफआरडीए (एनपीएस न्यास) (प्रथम संशोधन) विनियम 2016 में संशोधन
- वैकल्पिक परिसंपत्ति वर्ग–'ए' में निवेश
- एनपीएस के तहत समान शुल्क संरचना की संभावना देखना

6 फरवरी 2017 को पेंशन सलाहाकार समिति की 8 वीं बैठक में निम्नलिखित एजेंडा अंशों को चर्चा के लिए रखा गयाः–

- एनपीएस के बर्हिगमन हेतु दावा निपटान की प्रक्रिया के लिए संशोधन– ' एकमु त तथा वार्षिकी भुगतान का जोड़
- एनपीएस (ई–एनपीएस सम्मिलित) तथा एनपीएस–लाइट, स्वाबलंबन अभिदाता के एनपीएस से बर्हिगमन हेतु स्वतः सत्यापन।
- पीएफआरडीए की अभिदाता पहल– पेंशन सलाहाकार समिति को सूचना
- एनपीएस के सेवानिवृत्ति सलाहाकारों के नामांकन की गहनता को लेकर रणनीति बनाना
- मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों, भुगतान बैंक का एनपीएस के तहत उपस्थिति अस्तित्व के रुप में पंजीकरण की संभावना का मूल्यांकन।
- एपीवाई की शुरुआत करते हुए एनपीएस–लाइट/स्वाबलंबन अभिदाताओं के लिए सेवा प्रदान करना तथा एग्रीगेटर प्रोत्साहन की गैर–उपलब्धता तथा मार्च 2017 के बाद योगदान।

4.2 निर्मित तथा संशोधित विनियम

वित्त वर्ष 2016–2017 के दौरान, निम्नलिखित विनियम बनाए गए/संशोधित किए गए।

4.2.1 नए विनियम अधिसूचितः

1. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहाकार) विनियम, 2016

4.2.2 विनियमों में किए गए संशोधन

1. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016
2. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016
3. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (एग्रीगेटर) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016

4.3 अभिदाता शिक्षा के उपयोग तथा सुरक्षा निधि के लिए समिति का गठन

पीएफआरडीए अधिनियम, 2015 की धारा 6 (अभिदाता शिक्षा तथा सुरक्षा निधि) के तहत 7 दिसंबर 2017 को समिति का गठन, अभिदाता शिक्षा, जागरुकता तथा सुरक्षा गतिविधियों एवं निधि के उपयोग के लिए सिफारिशों हेतु किया गया। समिति भौक्षिक क्रियाकलापों जैसे सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशाला, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा प्रकाशन साहित्य के वितरण के लिए निधि के उपयोग की सिफारिश करेगी जो कि विभिन्न अभिदाताओं पर लक्षित होगा। (क) भौगोलिक स्थान जिनमें सम्मिलित हैं महानगर, गैर–महानगर तथा (ख) छोटे शहर आय–समूह, आयु–समूह तथा क्षेत्र जिनमें सम्मिलित हैं– असंगठित क्षेत्र, कोर्पोरेट, स्व–सहायता समूह तथा अन्य। समिति जागरुकता कार्यक्रमों की सिफारिश कर सकती है जिनमें सम्मिलित हैं – मुद्रण, इलेक्ट्रानिक मीडिया जो कि अभिदाताओं की शिक्षा तथा उनके हितों की सुरक्षा पर लक्षित हो। समिति ने एक बार 2016–17 के दौरान मुलाकात की तथा अभिदाताओं की शिक्षा तथा पेंशन जागरुकता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

4.4 पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के तहत विनियमों का पालन के साथ विकास भूमिका निभाते हुए एक ऐसी विशेषज्ञ समिति का गठन जो संभावित हित–संघर्षों का समाधान करे

पीएफआरडीए अधिनियम के तहत जनादेश द्वारा उत्पन्न हितसंघर्ष का परीक्षण तथा जांच तथा वर्तमान योजना एवं एनपीएस ढांचे के लिए जनवरी 2017 में एक समिति का गठन किया गया। समिति राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों का अध्ययन करेगी विशेष रुप से विकासशील देशों में, उदीयमान क्षेत्र में विकास, प्रचार तथा नियंत्रण के संबंध में विनियामकों की भूमिका का अध्ययन करेगी। यह अल्प तथा मध्यम अवधि में संभावित हितसंघर्शों को कम/न्यून करने के लिए जांच हेतु उपायों की सिफारिश करेगी। वित्तीय वर्ष 2016–17 में समिति की बैठक एक बार आयोजित की गई

4.5 एनपीएस अभिदाताओं के लिए आवासीय सहायता समिति

नवंबर 2016 में आवासीय स्थान हेतु वित्तीय सुविधा प्रदान करने के लिए एनपीएस अभिदाताओं की साध्यता का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति एनपीएस के मौजूदा प्रावधानों के परीक्षण की वांछनीयता तथा व्यवहार्यता के परिश्करण हेतु कार्य करेगी ताकि अपने अभिदाताओं को आवासीय वित्त सुविधा प्रदान कर सके। इसने अनिवार्य अभिदाता (आदेशित संघ, राज्य तथा अन्य निजी क्षेत्र संगठन कर्मचारी) तथा उनके लिए जो एनपीएस से स्वेच्छा आधार पर जुड़ना चाहते हैं, इसका अध्ययन किया। एनपीएस में अभिदाताओं के लिए आवासीय वित्तीय प्रावधान को जोड़ना, सरकारी तथा अन्य हिस्सेदारों के लिए समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा। समिति की वित्तीय वर्ष 2016–17 में 2 बार बैठक हुई तथा उसने अपनी रिपोर्ट जमा की/समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

Hkkx & V

5.1 पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले

5.1.1 पीएफआरडीए बोर्ड का गठन

पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 4 प्राधिकरण की रचना के लिए एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य और तीन अंशकालिक सदस्य शामिल हैं जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ऐसा प्रावधान है। 31.03.2017 तक संरचना इस प्रकार थी:–

क) अध्यक्ष

श्री हेमंत जी कांट्रेक्टर पीएफआरडीए अधिनियम, 2014 की अधिसूचना के बाद सांविधिक पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष हैं। वह 7 अक्टूबर 2014 से पीएफआरडीए में शामिल हो गए। पीएफआरडीए में शामिल होने से पहले वह कैरियर बैंकर थे। 1974 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रुप में भारतीय स्टेट बैंक में शामिल हुए।

ख) पूर्णकालिक सदस्य

1. श्री आर वी वर्मा, पूर्णकालिक सदस्य(वित्त) 13.05.2014 से 16.01.2017 तक
2. श्री बदरी सिंह भंडारी, पूर्णकालिक सदस्य(अर्थशास्त्र) 16.05.2014 से अब तक
3. श्री प्रदीप चड्ढा, पूर्णकालिक सदस्य(कानून) 30.06.2016 से आज तक

ग) अंशकालिक सदस्य

1. सुश्री वंदना शर्मा, अपर सचिव, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग 12.12.2014 से आज तक
2. सुश्री एनी जॉर्ज मैथ्यू, संयुक्त सचिव, व्यय विभाग 12.12.2014 से आज तक
3. डॉ शशांक सक्सेना, आर्थिक सलाहाकार, वित्तीय सेवा विभाग, 30.01.2015 से 23.06.2016 तक
4. श्री सुचिन्द्रा मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग 23.06.2016 से अब तक

5.1.2 प्राधिकरण की बैठकें

नौ बैठकें जिसमें प्राधिकरण के संचालित मामले शामिल हैं, 2016–17 के वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित की गई थी

30 अप्रैल 2016 को आयोजित 54वीं प्राधिकारण बैठक

23 जून 2016 को आयोजित 55वीं प्राधिकारण बैठक

22 जुलाई 2016 को आयोजित 56वीं प्राधिकारण बैठक

31 अगस्त 2016 को आयोजित 57वीं प्राधिकारण बैठक

प्रसार के माध्यम से आयोजित 58वीं प्राधिकारी बैठक

07 नवंबर 2016 को आयोजित 59वीं प्राधिकारण बैठक

23 दिसंबर 2016 को आयोजित 60वीं प्राधिकारण बैठक

परिसंचरण द्वारा आयोजित 61वीं प्राधिकारण बैठक

20 फरवरी 2017 को आयोजित 62वीं प्राधिकारण बैठक

पीएफआरडीए अधिनियम के अनुसार कई महत्वपूर्ण निर्णय, बोर्ड बैठकों के दौरान किए गए थे जिनमें शामिल हैं:

i) पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहाकार) विनियम, 2016

ii) पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 में संशोधन

iii) पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2015 के तहत पीओपी, पीओपी कोर्पोरेट और पीओपी–एसई के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र ज़ारी करना

iv) पीएफआरडीए (एग्रीगेटर) विनियम, 2015 में संशोधन

v) एनपीएस निजी क्षेत्र–टीयर–I खाते के तहत प्रति वर्ष 6000/– से न्यूनतम योगदान की आवश्यकता को कम करते हुए 500/– प्रति वित्तीय वर्ष करना

vi) अंशदान की न्यूनतम आवश्यकता 250/– प्रति वर्ष और वित्तीय वर्ष के अंत में रु.2000/–प्रतिवर्ष के रखरखाव पर टियर–II खाते के तहत छूट।

vii) ई–एनपीएस के माध्यम से ग्राहकों द्वारा किए गए लेनदेन से जुड़े पीओपी के लिए सेवा शुल्क (ट्रेल कमीशन) की शुरुआत

viii) एनपीएस के तहत पेंशन योजनाओं के लिए प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण एजेंसी की नियुक्ति

ix) 60 वर्ष से अधिक तक योगदान या सेवानिवृत्ति तक की उम्र तक 70 साल तक।

x) विज्ञापन और मीडिया ऐजेंसियों का सूचीबद्धकरण

xi) पीएफआरडीए (केंद्रीय रिकार्डकीपिंग एंजेंसी) विनियम, 2015 के तहत, एनपीएस के लिए दूसरे सीआरए के रुप में कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड का पंजीकरण तथा प्रमाणपत्र जारी करना।

xii) पीएफआरडीए द्वारा विनियमित/प्रशासित योजनाओं के लिए प्रतिभूतियों के अभिरक्षकों का चयन

xiii) एनपीएस का पुनर्निमाण (जीवन चक्र निधि)

xiv) एनपीएस (विकल्प निवेश के लिए परिसंपत्ति वर्ग का निर्माण) का पुनर्निमाण

xv) पीएफआरडीए (पीओपी) विनियम, 2015 के तहत उन संस्थाओं, जो पीएफआरडीए में पहले से ही संकलनकर्त्ताओं के रुप में पंजीकृत है के लिए पीओपी पंजीकरण हेतु आशोधन (छूटबढ़ावा) का प्रस्ताव

xvi) पीएफआरडीए (पीओपी) विनियम, 2015 के तहत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एमआईएस रिपोर्ट के गैर–प्रस्तुतीकरण करने के लिए पीओपी पर जुर्माना खंड की शुरुआत के लिए प्रस्ताव। पेंशन सलाहाकार समिति की संरचनाओं में संशोधन (जोड़ तथा विलोपन) तथा उसकी अधिसूचना।

xvii) असंगठित कामगारों का एपीवाई में स्वतः नामांकन के लिए अवधारणा नोट।

xviii) ई–एनपीएस मंच पर आधार के माध्यम से खाता खोलने पर अभिदाता पंजीकरण शुल्क (खाता खोलना) रु.50/– की शुरुआत तथा ई–एनपीएस मंच पर आधार के द्वारा खोले गए खातों पर की गई लेनदेन पर सेवा शुल्कों का विस्तार तथा उससे संबंधित पीओपी द्वारा ई–एनपीएस मंच पर की गई लेनदेन के लिए स्वीकार्य सेवा शुल्क के बराबर लाना जो अंशदान का 0.05: यथामूल्य, न्यूनतम रुपये 5/– तथा अधिकतम रुपये 5000/– प्रति लेनदेन।

xix) एनपीएस निजी क्षेत्र (जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एपीवाई सम्मिलित नहीं है) योजनाओं के लिए पेंशननिधियों के चयन के प्रस्ताव हेतु अनुरोध या प्राधिकरण द्वारा कोई नियंत्रित/प्रशासित अन्य योजना।

xx) पीएफआरडीए (अभिदाता शिकायत निवारण) विनियम, 2015 के तहत वैतनिक लोकपाल की नियुक्ति।

xxi) पीएफआरडीए (बर्हिगमन एवं प्रत्याहरण) विनियम 2015 के तहत संशोधन ताकि एनपीएस के मौजूदा आंशिक प्रत्याहरण स्थितियों को सुलभ बनाया जा सके।

xxii) भुगतान बैंक छोटे वित्तीय बैंकों में पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम 2015 के तहत पीओपी पंजीकरण के पात्रता मानदंडों में आशोधन (छूट अर्थात् बढ़ोतरी) का प्रस्ताव

5.2 पीएफआरडीए में कर्मचारी संख्या

31 मार्च 2017 तक पीएफआरडीए की कर्मचारी संख्या 47 थी जिनमें से 45 अधिकारी संवर्ग थे। एक अधिकारी मौजूदा समय में प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रुप में कार्यरत है। आगे, पीएफआरडीए में 44 अधिकारियों में से 6 अधिकारी मौजूदा रुप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनपीएस न्यास के लिए कार्य कर रहे है, जब तक कि एनपीएस न्यास को नियमित कर्मचारी न प्रदान किए जाए।

5.3 पीएफआरडीए में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ तथा अन्य पिछड़ी जाति प्रकोष्ठ निर्माण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्लयूडी कर्मचारियों के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए पीएफआरडीए में एक प्रकोष्ठ बनाया गया। एक उपमहाप्रबंधक वर्ग के अधिकारी को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पीडब्लयूडी के लिए संपर्क अधिकारी के रुप में नामित किया गया। साथ ही, पीएफआरडीए में अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए एक अतिरिक्त प्रकोष्ठ बनाया गया ।एक उपमहाप्रबंधक वर्ग के अधिकारी को अन्य पिछड़े वर्ग के लिए संपर्क अधिकारी के रुप में नियुक्त किया गया।

5.4 कार्यस्थल पर यौन शोषण से बचाव हेतु समिति

कार्यस्थल पर यौन शोषण अधिनियम, 2013 (बचाव, रोक तथा निवारण) के तहत एक समिति जो कार्यस्थल पर यौन शोषण से बचाव के लिए गठित की गई जिसके द्वारा शिकायत ग्रहण करना, जांच गठित करना आदि किया जाएगा।

5.5 कर्मचारी कल्याण समिति

पीएफआरडीए में विभिन्न कर्मचारी कल्याणकारी क्रियाकलापों की पहचान तथा शुरुआत के लिए एक कर्मचारी कल्याण समिति की शुरुआत की गई। यह समिति कर्मचारियों के बीच आपस में तथा कर्मचारियों एवं प्रबंधन के बीच अच्छे संबंध बनाने एवं सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है। एक उपमहाप्रबंधक वर्ग का अधिकारी समिति के अध्यक्ष के रुप में नियुक्त किया जाता है।

5.6 पीएफआरडीए में कर्मचारियों का प्रशिक्षण

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान, 8 कर्मचारी, पीएफआरडीए द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं के लिए नामित किए गए जैसे–व्यवहारिक, वित्त तथा निर्णय क्षमता, निश्चित–आय सुरक्षा विश्लेशण तथा मूल्य निर्धारण, विनियामक कार्य।

5.7 राजभाषा का प्रचार

पीएफआरडीए ने भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने तथा राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा पीएफआरडीए में हिंदी के प्रचार के लिए एक राजभाषा प्रकोष्ठ का गठन किया। राजभाषा में प्राप्त संप्रेषण का राजभाषा में ही उत्तर दिया जाता है। पीएफआरडीए द्वारा बनाए गए सभी विनियम द्विभाशी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एनपीएस का बड़ा उपभोक्ता आधार जो कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं, अंग्रेज़ी में उपलब्ध विषयवस्तु का हिंदी में भी अनुवाद किया जा रहा है जिससे उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके। इसके लिए हमारे द्वारा हिंदी अनुवादकों की नियुक्ति की गई।

5.8 सूचना का अधिकार

पीएफआरडीए ने सूचना का अधिकार, अधिनियम, 2005 लागू किया। सूचना का अधिकार, अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदन हेतु एक समर्पित प्रकोष्ठ है, जो कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के अधीन है। जैसा कि आरटीआई अधिनियम में उल्लिखित है कि पीएफआरडीए में एक अपीलिय प्राधिकरण के रुप में प्राधिकारी है जहाँ केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है।

सूचना का अधिकार, अधिनियम की धारा (4), प्रत्येक लोक प्राधिकरण को कुछ प्रकटीकरण करने के दायित्व देती है। प्रकटीकरण का मुख्य केंद्र पीएफआरडीए की कार्यप्रणाली तथा चालन में पारदर्शिता लाना है। इस संबंध में, पीएफआरडीए ने कुछ कार्य, कर्त्तव्य, शक्तियां तथा अधिकारियों के कर्त्तव्य, नियम, विनियम, मैनूअल आदि निर्धारित किए हैं। सभी उपयुक्त अधिनियम, विनियम पीएफआरडीए की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान 430 आरटीआई आवेदन और 26 प्रथम अपील 31 मार्च 2017 तक प्राप्त हुए थे, इसके साथ–साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), अटल पेंशन योजना आदि के उद्घाटन, स्थानांतरण, वापसी और एनपीएस से बाहर निकलनेके आवेदन प्राप्त हुए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत, सभी आवेदनों तथा अपीलों का उत्तरधनिपटारा निर्धारित समय के भीतर कर दिया गया।

कोई भी नागरिक सूचना के अधिकार के तहत लिखित में उपयुक्त आवेदन, निर्धारित शुल्क के साथ केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, प्रथम तल, छत्रपति शिवाजी भवन, बी–14/ए, कुतुब संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110016, को सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है तथा/या एक आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाइन पोर्टल जो कि www.pfrda.org.in पर उपलब्ध है, पर दर्ज कर सकता है।

2016–17 के दौरान पीएफआरडीए में बड़ी संख्या में संसदीय प्रश्न प्राप्त हुए जो कि भारत सरकार द्वारा अग्रेशित किए गए जो कि मुख्यरुप से वित्त मंत्रालय द्वारा वृद्धावस्था आय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर थे, जिनमें एनपीएस तथा एपीवाई के संबंध में प्रश्न थे। पीएफआरडीए द्वारा समयबद्ध तरीके से उत्तर/अनेकों उत्तर देने की सुविधा प्रदान की है।

5.9 पीएफआरडीए के खाते

वित्त वर्ष 2016–17 में पीएफआरडीए को भारत सरकार द्वारा रुपए 18 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ।

वित्त वर्ष 2015–16 के बजट संबंधी भाषण में अटल पेंशन योजना की घोषणा की गई। पेंशन योजनाएं 18–40 वर्षों के आयु समूह के सभी नागरिकों के लिए बनाई गई है, जिसका मुख्यकेंद्र असंगठित क्षेत्र से संबंध रखने वाले लोग हैं। एनपीएस–लाईट/स्वाबलंबन के तहत आने वाले सभी अभिदाता अटल पेंशन योजना में स्थानांतरित होने हेतु योग्य हैं। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान, पीएफआरडीए को योजना के तहत सेवा प्रदाताओं तथा अन्य प्रचार संबंधी गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए रुपए 36 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ।

वित्त वर्ष 2016–17 के लिए, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (खातों तथा अभिलेख के वार्षिक विवरण के रुप में) नियम, 2015 के अनुसार प्राधिकरण के खातों को अंतिम रुप दिया गया है। पीएफआरडीए बोर्ड द्वारा 5 अक्टूबर 2017 को गठित उसकी 66वीं बोर्ड मीटिंग में खातों को अनुमोदित किया गया। पीएफआरडीए के तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय खाते वित्तीय विवरण के भागों को बनाने वाली अनुसूचियों के साथ अनुलग्नक – V में हैं।

पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार तथा बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात्, वित्त वर्ष 2016–17 के लिए पीएफआरडीए के खाते लेखा परीक्षण हेतु भारत के महानियंत्रक तथा लेखा परीक्षक के पास अग्रेशित किए जाएंगे।

Hkkx & VI

कोई महत्त्वपूर्ण क्षेत्र जो अभिदाता के हितों को प्रभावित करता हो।

6.1 एनपीएस का आंशिक ईईई स्तर

एनपीएस अन्य पेंशन/प्रोविडेंट निधि योजनाओं जैसे ईपीएफ, पीपीएफ, सीपीएफ (अंशदायी प्रोविडेंट निधि) के मुकाबले सेवानिवृत्ति कोश के कर उपचार के रुप में नुकसान में है। जबकि संचित सेवानिवृत्ति कोश का 40% सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त तौर पर निकाला जाए तो वह कर से मुक्त होता है, यह ऊपर वर्णित अन्य योजनाओं के समान पूर्णरुप से कर मुक्त नहीं है। अन्य प्रतिस्पर्धात्मक उत्पाद की तुलना में अंतिम प्रत्याहरण के कर उपचार तथा नियोक्ता योगदान के संबंध में एनपीएस के लिए एक समान स्तर की आवश्यकता है।

6.2 एपीवाई में शामिल होने के लिए 40 वर्ष की आयु सीमा

एनपीएस स्वाबलंबन के तहत वंचित असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए नए पंजीकरण जो कि अक्टूबर 2010 में शुरु हुए थे 2015 अप्रैल से बंद कर दिए गए जो कि एपीवाई के आरंभ के कारण हुआ जिसमें निहित अभिदाताओं के लिए न्यूनतम पेंशन गारंटी प्रदान की गई। स्वाबलंबन समूह के 18 से 40 आयु वर्ग के अभिदाताओं के लिए एपीवाई में स्थानांतरित होने का विकल्प दिया गया, जबकि एपीवाई योजना अभिदाताओं को 40 वर्ष तक (जिसमें 18 पूर्ण से 40 चलने वाले) शामिल होने की अनुमति देती है। यह 40 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग के लिए बाधा बनता है जो कि व्यक्ति विशेष के जीवन चक्र में वस्तुतः अतिरिक्त आय वाली अवधि होती है तथा जब एक व्यक्ति वास्तव में सेवानिवृत्ति के बाद की बचत के बारे में सोचना शुरु करता है। इसलिए, अनेक लोगों को इस योजना को उपलब्ध कराने के लिए पीएफआरडीए ने वित्तीय सेवा विभाग को पात्रता संबंधी आयु 18–40 वर्ष से बढ़ाकर 18–50 वर्ष करने की सिफारिश की है जिससे इस योजना का विस्तार किया जा सके।

6.3 निधि प्रबंधकों तथा निवेश वर्गों का चयन

केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन निधियां मौजूदा रुप में मुख्य रुप से तीन पेंशन निधियों (यूटीआई पीएफएम, एसबीआई पीएफएम, एलआईसी पीएफएम) के बीच उनके रिटर्न के अनुपात में आबंटित हैं।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निवेश पैटर्न सरकार द्वारा अनुबंधित होते हैं, जिसमें स्थिर आय प्रतिभूतियों की प्रधानता होती है जो कि मौजूदा रुप में 95% तक बढ सकता है जबकि इक्विटी के लिए अधिकतम एक्सपोसर 15% तक प्रतिबंधित हुआ। यह देखा गया कि एनपीएस अभिदाता अपेक्षाकृत युवा लोग है जो कि लंबी अवधि तक उसमें रहते है। इक्विटी शेयर पर लंबे समय तक निवेश, समान मैच्यूरिटी की ऋण प्रतिभूतियों की तुलना में सामान्य तौर पर अधिक रिटर्न दर प्रदान कर सकते हैं।

पीएफआरडीए अधिनियम अभिदाताओं के लिए जोखिम वापसी प्रतिमान मे अधिकतम रिटर्न के अवसर प्रदान करते हैं। पीएफआरडीए अधिनियम धारा 20(2) बताती है कि वहाँ अनेकों पेंशन निधियों तथा अनेको योजनाओं के चयन का विकल्प होता है। इसलिए पीएफआरडीए अधिनियम की अधिसूचना के बाद सरकारी कर्मचारियों जिनमें केंद्र सरकार कर्मचारी सम्मिलित है के लिए निवेश ढांचे को संरेखित करने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र के अभिदाता पेंशन निधि प्रबंधकों के चयन में पहले से ही विकल्प का आनंद उठा, रहे हैं साथ ही साथ निधियों को चार परिसंपत्ति वर्गों में बांटने के विकल्प का, जो है इक्विटी (ई) कोर्पोरेट ऋण (सी) तथा जी (सरकारी प्रतिभूतियां) तथा ए, जो 50% की इक्विटी सीमा के साथ तथा 5% तक ए पर है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए निवेश पैटर्न स्थिर आय प्रतिभूतियों की प्राथमिकता निर्धारित करती है, जो कि मौजूदा समय में 95% तक बढ़ी जबकि इक्विटी में अधिकतम एक्सपोसर 15% तक प्रतिबंधित रहा, जिसने प्रभावशाली ढंग से अभिदाता चयन को सीमित किया।

इस प्रकार, समानता के आधार पर तथा पीएफआरडीए अधिनियम को ध्याान में रखते हुए योजनओं के चुनाव की अनुमति देने के लिए यह जरुरी है केंद्र सरकार कर्मचारियों द्वारा निवेश ढांचे पर पुनः गौर किया जाए तथा निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए उपलब्ध निवेश विकल्प की भांति चयन की अनुमति दी जाए।

तदनुसार, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की धारा 20(2) के आदेश का अनुपालन करते हुए राष्ट्रीय पेंशन योजना

के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को विकल्प देने हेतु वित्तीय सेवा विभाग के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव रखे हैं:

आरम्भिक चरण में, सरकारी कर्मचारी जो कि एनपीएस के अधीन हो इनमें से चुन सकता है:

- मोडरेट जीवन चक्र निधि एलसी–50 इक्विटी के अधिकतम एक्सपोसर के साथ 50% तक
- अपरिवर्तनवादी जीवन चक्र निधि एलसी–25 जो कि इक्विटी के अधिकतम एक्सपोसर के साथ 25% तक
- योजना–'जी', जिसमें 100% निधियाँ सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की जाएंगी
- सीजी/एसजी योजना की मौजूदा पसंद, दोनों मौजूदा तथा नए अभिदाताओं के लिए डिफाल्ट योजना बन गई है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए सभी पेंशन निधियों का विकल्प स्वीकार्य होता है, जिसमें निजी क्षेत्र पेंशन निधियाँ भी सम्मिलित हैं। जबकि, पेंशन निधियों (2 या 3) के सार्वजनिक क्षेत्रों का मिश्रण, इस पर निर्भर करता है कि नई चुनाव प्रक्रिया में कितनों का चुनाव हुआ, मौजूदा तथा नए अभिदाताओं के लिए डिफाल्ट विकल्प के रुप में उपलब्ध होगा।

आगे, पूर्व निर्धारित तिथि से पहले मौजूदा आबंटित निधियां, मौजूदा पेंशन निधियों तथा योजनाओं के साथ आगे जारी रहेंगी। उपरोक्त चुनाव विकल्प मौजूदा अभिदाताओं के लिए वृद्धिशील प्रवाह पर उस तिथि पर लागू होंगे जो कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित हो।

Hkkx & VII

इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य पेंशन योजनाओं के ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा किए गए अन्य उपाय

7.1 मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड/सेवानिवृत्ति निधि से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए राशि का स्थानांतरण

2016–17 के केंद्रीय बजट में एक बार सुवाह्यता बिना किसी भी कर के निहितार्थ मान्यताप्राप्त भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति निधि से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में स्थानांतरित करने के लिए ग्राहक को अनुमति दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 से उपरोक्त प्रस्तावों के कार्यान्वयन के साथ और एनपीएस के तहत उपलब्ध कर लाभ, एनपीएस ग्राहकों के लिए बहुत आकर्षक बना हुआ है। एनपीएस अब किसी भी कर निहितार्थ के बिना सेवानिवृत्ति योजना और मान्यता प्राप्त भविष्य निधि योजना के ग्राहकों को एनपीएस में स्थानांतरित करने के लिए सहज सुविधा प्रदान करता है।

इस संदर्भ में पीएफआरडीए ने मान्यताप्राप्त भविष्यनिधि/अधिवर्षिता निधि से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (पीएफआरडीए/2017/11/पीडी/3 दिनांक 6 मार्च 2017) में राशि के हस्तांतरण पर एक परिपत्र निकाला है।

आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार, जो राशि मान्यताप्राप्त भविष्य निधि/ अधिवर्षिता निधि से एनपीएस को हस्तांतरित की गई है उसको चालू वर्ष की आय के रुप में नहीं माना जाता है और इसलिए वह कर योग्य नहीं है। इसके अलावा, हस्तांतरित मान्यता प्राप्त भविष्य निधि/सेवानिवृत्ति निधि को कर्मचारी /नियोक्ता द्वारा चालू वर्ष के योगदान के रुप में नहीं माना जाएगा और तदनुसार ग्राहक अपनी हस्तांतरित राशि के लिए योगदान पर आईटी का दावा नहीं कर सकेगा।

अनुलग्नक I

राज्यवार एपीवाई अभिदाता पंजीकरण

Ø-	jkT; dk uke	foÙk o"k 2015&16 d nkjku ithÑr vfHknkrk	foÙk o"k 2016&17 d nkjku ithÑr vfHknkrk	31-03-2017 rd dy vfHknkrk
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,001	906	1,907
2	आंध्रप्रदेश	1,83,106	1,72,327	3,55,433
3	अरुणाचल प्रदेश	1,997	2,279	4,276
4	असम	39,184	29,962	69,146
5	बिहार	2,63,068	2,68,742	5,31,810
6	चंडीगढ़	4,880	3,843	8,723
7	छत्तीसगढ़	33,266	41,350	74,616
8	दादरा एवं नगर हवेली	2,785	1,935	4,720
9	दमन तथा दियू	2,255	4,642	6,897
10.	दिल्ली	54,952	38,875	93,827
11	गेवा	7,075	6,146	13,221
12	गुजरात	1,37,421	1,17,712	2,55,133
13	हरियाणा	60,146	48,847	1,08,993
14	हिमाचल प्रदेश	26,033	12,751	38,784
15	जम्मू तथा कश्मीर	18,911	10,654	29,565
16	झारखण्ड	44,385	52,466	96,851
17	कर्नाटका	1,86,761	1,52,323	3,39,084
18	केरल	51,919	55,000	1,06,919
19	लक्ष्यद्वीप	358	1,886	2,244
20	मध्यप्रदेश	1,29,388	1,14,770	2,44,158
21	महाराष्ट्र	2,26,333	1,79,909	4,06,242
22	मणिपुर	4,574	2,652	7,226
23	मेघालय	5,604	2,724	8,328
24	मिज़ोरम	1,109	7,956	9,065
25	नागालैंड	9,117	9,212	18,329
26	ओड़िसा	1,08,803	77,358	1,86,161
27	पोंडिचेरी	4,776	3,172	7,948
28	पंजाब	78,675	82,713	1,61,388
29	राजस्थान	1,15,262	1,69,141	2,84,403

Ø-	jkT; dk uke	foÙk o"k 2015&16 d nkjku i thÑr vfHknkrk	foÙk o"k 2016&17 d nkjku i thÑr vfHknkrk	31-03-2017 rd dy vfHknkrk
30	सिक्किम	3,970	2,971	6,941
31	तमिलनाडु	1,69,937	1,75,225	3,45,162
32	तेलंगाना	60,304	74,244	1,34,548
33	त्रिपुरा	4,642	7,544	12,186
34	उत्तरप्रदेश	2,70,322	3,67,749	6,38,071
35	उत्तरांचल	17,426	23,227	40,653
36	पश्चिम बंगाल	1,54,995	99,544	2,54,539
37	एनआरआई / अन्य	155	77	232

अनुलग्नक II

एनपीएस के तहत उपस्थिति अस्तित्व की सूची

Øekd	mifLFkfr vfLrRo d uke	ihvkih ,l ih dh l[;k
1	अभिप्रा कैप्टिल लिमिटेड	64
2	अलंकित एसाइनमेंटस लिमिटेड	288
3	इलाहाबाद बैंक	286
4	आंध्रा बैंक	329
5	एक्सिस बैंक लिमिटेड	2,959
6	बजाज कैप्टिल लिमिटेड	83
7	बैंक ऑफ बड़ौदा	5
8	बैंक ऑफ इंडिया	
9	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1,851
10	कैनरा बैंक	3,568
11	सेन्ट्रल बैंक ऑफ	1,006
12	सिटी बैंक एनए	42
13	कंप्यूटर एज मेनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	1
14	कोर्पोरेशन बैंक	2289
15	सीएसी ई–गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड	1
16	डायको सिक्योरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	28
17	डीबीएफएस सिक्योरिटीज लिमिटेड	1
18	देना बैंक	1,449
19	एलाइट वेल्थ एडवाइज़रस लिमिटेड	1
20	यूरेका स्टॉक एंड शेयर ब्रोकिंग सर्विसेस लिमिटेड	11
21	गुजरात इंफोटेक लिमिटेड	1
22	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	3
23	एचडीएफसी सिक्योरिटीज लिमिटेड	1
24	आईसीआसीआई बैंक लिमिटेड	3
25	आईसीआसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड	34
26	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	1,844
27	आईएल तथा एफएस सिक्योरिटीज सर्विस लिमिटेड	75
28	इंडियन इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड	1
29	इंडिया पोस्ट एनपीएस नोडल ऑफिस	808

Øekd	mifLFkfr vfLrRo d uke	ihvkih ,l ih dh l[;k
30	इंडियन बैंक	1,834
31	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	7
32	इंडसलैंड बैंक लिमिटेड	805
33	इंटीग्रेटेड एंटरप्राइजेज (इंडिया) लिमिटेड	100
34	कर्नाटका बैंक लिमिटेड	746
35	कार्वी फाइनेनशियल सर्विसेस लिमिटेड	12
36	कार्वी स्टॉफ ब्रोकिंग लिमिटेड	8
37	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	908
38	एलआइसीएचएफएल वित्तीय सेवा लिमिटेड	1
39	मारवाड़ी शेयरस तथा फाइनेंस लिमिटेड	79
40	मुथहुट फाइनेंस लिमिटेड	33
41	नरनोलिया सिक्योरिटीज लिमिटेड	1
42	एनजे इंडिया इनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	1
43	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	983
44	प्रूडेंट कोर्पोरेट एडवाइसरी सर्विसेस लिमिटेड	1
45	पंजाब एंड सिंध बैंक	914
46	पंजाब नैशनल बैंक	6,969
47	आरबीएल बैंक लिमिटेड	201
48	रिलाएंस कैप्टिल लिमिटेड	140
49	रेलीगेयर सिक्योरिटीज लिमिटेड	11
50	एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड	1
51	एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड	27
52	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	1,323
53	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1,318
54	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	17,047
55	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	25
56	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	459
57	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	75
58	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	1,177
59	स्टील सिटी सिक्योरिटीज लिमिटेड	47
60	स्टॉक होल्डिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	212
61	सिंडिकेट बैंक	3,478

Øekad	mifLFkfr vfLrRo dk uke	ihvkih ,lih dh la[;k
62	तमिलनाड मर्सेंनटाइल बैंक लिमिटेड	506
63	फेडरेल बैंक लिमिटेड	1,073
64	करुर व्यसा बैंक लिमिटेड	1
65	लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड	459
66	साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	866
67	यूको बैंक	1,851
68	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3,872
69	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	1,098
70	यूटीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	152
71	वेंटयूरा सिक्योरिटीज लिमिटेड	1
72	विजया बैंक	1,247
73	वे टू वेल्थ ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड	2
74	येस बैंक लिमिटेड	84
75	ज़ेन सिक्योरिटीज लिमिटेड	27
	dqy	**69]005**

अनुलग्नक III

एनपीएस के तहत संकलनकर्त्ताओं की सूची

Ø-l-	ldyudÙkk dk uke
1.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
2.	द साउथ इंडियन बैंक
3.	गुजरात इंफोटेक लिमिटेड
4.	अभिप्रा कैप्टिल लिमिटेड
5.	इंडियन बैंक
6.	इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक
7.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
8.	कैनेरा बैंक
9.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
10.	सीएसी ई–गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड
11.	जागरण माइक्रोफीन प्राइवेट लिमिटेड
12.	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
13.	विजया बैंक
14.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
15.	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक
16.	श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड
17	कर्नाटका राज्य असंगठित कर्मचारी समाजिक सुरक्षा बोर्ड
18.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
19	ए.पी बिल्डिंग एंड अदर कंसट्रक्शन वकर्स वेल्फेयर बोर्ड
20	युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया
21	अधिकार माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
22	महिला तथा बाल विकास विभाग
23	जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड
24	श्री क्षेत्रधर्मशाला ग्रामीण विकास परियोजना
25	सिंडिकेट बैंक
26	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक
27	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
28	असम ग्रमीण विकास बैंक
29	देना बैंक

30	स्वयंश्री माइक्रो क्रेडिट सर्विसेज
31	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)
32	आंध्रा बैंक
33	बंधन बैंक लिमिटेड
34	ग्रामीण कूटा फाइनेंशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
35	सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग
36	सम्हिता कम्यूनिटी डेवलपमेंट सर्विसेस
37	बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
38	इएसएएफ माइक्रोफाइनेंस एंड इंवेस्टमेंटस प्राइवेट लिमिटेड (एसडी एक्सप्रायर्ड)
39	कैसपोर माइक्रो क्रेडिट
40	इंदूर इंटीडीपम प्रोडूसर्स मैक्स फैडरेशन लिमिटेड

अनुलग्नक IV

पेंशन सलाहाकार समिति (PAC) का गठन तथा पेंशन सलाहाकार समितियों के दौरान चर्चित मुद्दे

1. श्री डी.वी.एस.एस.वी. प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नियत आय धन बाज़ार तथा डेरिवेटिवस एसोशिएशन ऑफ इंडिया
2. श्री पी. के रथ, मुख्य आचार्य– जीवन, राष्ट्रीय बीमा अकेडमी, पुणे।
3. अध्यक्ष राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास
4. श्री गगन राय, प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एनएसडीएल ई–गर्वनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
5. श्री लियो पुरी, निदेशक, एसोशिएशन ऑफ म्यूच्युल फंड इन इंडिया
6. डॉ.एल.एच मंजूनाथ, कार्यपालक निदेशक, श्री क्षेत्र धर्मशाला ग्रामीण विकास परियोजना
7. श्री कुलीन पटेल, वरिष्ठ बीमांकक तथा निदेशक– ग्राहक लेखा प्रबंधन, टॉवर्स वाट्सन, गुड़गांव
8. सुश्री मेघना बाजी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन निधि प्रबंधन कं. लिमिटेड
9. श्री वी.जी कानन, मुख्य कार्यकारी, भारतीय बैंकस एसोशिएशन
10. श्री आर. श्रीधरन, प्रबंधक निदेशक, क्लियरिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
11. श्री शेलेन्द्र कुमार, प्रबंधक निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसबीआई पेंशन निधि प्राईवेट लिमिटेड
12. निदेशक, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, पुणे।
13. उपमहानिदेशक, डाक निदेशालय
14. प्रधान सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार
15. सुश्री रेनुका साने, अभ्यागत सहायक आचार्य
16. अध्यक्ष, बैंकिग बीमा तथा आईसीएआई पेंशन हेतु समिति, नई दिल्ली
17. सुश्री ज्योति विज, उपमहासचिव, फिक्की, नई दिल्ली

अनुलग्नक V

Ikki= d

¼fu;e 3 ¼d½ n[ks½

Ikk'ku fuf/k fofu;ked rFkk fodkl ikf/kdj.k

31 ekpZ 2017 dk rqyu i= d #i eas

(इकाई–भारतीय रुपया)

nunkfj;k	lqph	ekStnk o"kZ	iwoZ o"kZ	lEifÙk	lqph	ekStnk o"kZ	iwoZ o"kZ
1. कोश/पूंजी भंडार	1	175,681,330	204,019,970	1. अचल संपत्तियां	8		
				सकल ब्लॉक		18,514,502	16,764,464
				कम मूल्यह्रास		12,939,734	12,983,387
				कुल ब्लॉक		5,574,768	3,781,077
2. आरक्षित अधिशेष	2	–	–	2. निर्धारित/बंदोबस्ती कोश से निवेश	9	16,234,293	14,000,000
3. निर्धारित/धर्मादा निधि	3	16,405,649	14,118,509	3. निवेश–अन्य	10	–	–
4. सुरक्षित ऋण और उधारी	4	–	–	4. मौजूदा परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम राशि आदि	11	797,985,352	3,401,374,786
5. असुरक्षित ऋण और उधारी	5	–	–	5. विविध व्यय (कुछ हद तक नहीं लिखे या समायोजित किए गए)			
6. आस्थगित ऋण और देनदारियां	6	–	–				
7. मौजूदा देनदारियां और प्रावधान	7	627,707,434	3,201,017,384				
dqy		**819]794]413**	**3]419]155]863**	**dqy**		**819]794]413**	**3]419]155]863**
egRoiw.kZ y{[kkdu uhfr	24						
vkdfLed n;rk,a vkSj y{[kk&tks[kk ij uksV~l	25						

ध्यान दें:–

क. तुलन पत्र में अनुसूचियां खाते का हिस्सा हैं।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 11.08.2017

eat HkYYk
मुख्य लेखा अधिकारी

inhi pM<k
सदस्य

Mk-ch-, l-HkMkjh
सदस्य

gseUr th-dkWUVªDVj
अध्यक्ष

lki= [k

¼fu;e 3 ¼[k½ n[ksa½

lk'ku fuf/k fofu;ked rFkk fodkl ikf/kdj.k

31 ekpZ 2017 dks lekIr gq, o"kZ ds fy, vk; vkSj O;; dk ys[kk&tks[kk

(इकाई—भारतीय रुपया)

[kpZ	lwph	ekStwnk o"kZ	iwoZ o"kZ	vk;	lwph	ekStwnk o"kZ	iwoZ o"kZ
1. स्थापना व्यय	20	147,412,591	96,812,657	1. बिक्री / सेवाओं से आय	12	—	—
2. अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	2,909,823,376	1,536,198,321	2. अनुदान / अनवृत्ति	13	541,818,648	4,561,300,000
3. अनुदान सब्सिडी पर व्यय आदि	22	488,262,806	1,400,000	3. शुल्क / सदस्यता	14	316,992,205	153,225,800
4. ब्याज	23	1,591	1,361	4. निवेशों से आय(निर्धारित / बंदोबस्ती निधि के हस्तांतरण से निवेश पर आय	15	—	—
5. मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में कुल–अनुसूची 8 के तदनुसार)		1,660,958	1,161,564	5. रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	—	—
				6. अर्जित ब्याज	17	72,937,833	14,074,665
				7. अन्य आय	18	100,939	442,769

lki= [k
¼fu;e 3 ¼[k½ n[ks½
Hkkjrh; fcf/k fofu;ked rFkk fodkl ikf/kdj.k
31 ekpZ 2017 dks lekIr gq, o"kZ ds fy, vk; vkSj O;; dk ys[kk&tks[kk

(इकाई–भारतीय रुपया)

[kpZ	lwph	ekStwnk o"kZ	iwoZ o"kZ	vk;	lwph	ekStwnk o"kZ	iwoZ o"kZ
				8. तैयार माल और काम में प्रगति के शेयर में वृद्धि/(कमी)	19	–	–
dqy		**3]547]161]323**	**1]635]573]903**	**dqy**		**931]849]625**	**4]729]043]235**
शेष खर्च के मुकाबले आय से अधिक (विशेष आरक्षित को स्थानांतरित (प्रत्येक निर्दिष्ट) सामान्य आरक्षित को/से स्थानांतरित शेष का अधिशेष देना/घाटा कोश के लिए आगे भेजा/पूंजी कोश		–2,615,311,697 – – –2,615,311,697	3,093,469,332 – – 3,093,469,332				
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	24						
आकस्मिक देयताएं और लेखा–जोखा पर नोट्स	25						

ध्यान दें:–
क. तुलन पत्र में अनुसूचियां खाते का हिस्सा हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2017

eqtu HkYyk
मुख्य लेखा अधिकारी

inhi pM<k
सदस्य

Mk-ch-, l-HkkMkjh
सदस्य

gesar th-dkWUVDVj
अध्यक्ष

प्रपत्र ग
(नियम 3 (ग) देखें)

पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण
31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय का लेखा-जोखा

(इकाई—भारतीय रुपया)

	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1- प्रारंभिक शेष राशि			**1- खर्च**		
क. नकदी	20000	20000	क. स्थापना पर खर्च	144,529,065	90,477,049
बैंक बैलेंस			ख. प्रशासनिक व्यय	302,209,836	9257,360,842
चालू खातों में	–	–	**2- उपयोग किए गए अनुदान**		
			क. स्वावलंबन योगदान	1,013,474,906	860,020,891
समय जमा खातों में	–	–	ख. स्वावलंबन पदोन्नति	100,949,940	148,946,432
बैंक जमा खातों मे	3,309,125,616	167,794,017	ग. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को अनुदान	–	1,400,000
2- प्राप्त अनुदान			घ. एपीवाई अंशदान	1,051,961,410	2,11,944,730
(i) भारत सरकार से			ङ एपीवाई संवर्धन एवं विकास	357,664,832	–
क. अनुदान सहायता वेतन	90,000,000	69,900,000	च. अनुदान की वापसी	488,262,806	–
ख. अनुदान–सहायता–सामान्य	90,000,000	1,55,000,000	छ. अन्य	–	–
ग. अनुदान सहायता–स्वावलंबन योगदान	–	2,312,900,000	**3- निवेश और जमा किए गए**		
घ. अनुदान सहायता–स्वावलंबन प्रोत्साहन और विकास गतिविधियां	–	193,500,000	क. निर्धारित/धर्मादा निधि से बाहर	2,234,293	14,000,000
			ख. स्वयं के धन से बाहर (निवेश – अन्य)	–	–
ङ. अनुदान सहायता एपीवाई अंशदान	–	1,500,000,000	**4- अचल संपत्तियों और काम में प्रगति पर लगी पूंजी पर व्यय**		
च. अनुदान सहायता एपीवाई संवर्धन एवं विकास	360,000,000	230,000,000	क. अचल संपत्तियों की खरीद	3,705,586	1,614,217
			ख. काम में प्रगति पूंजी पर व्यय	–	–
छ. अन्य	–	–	**5- अधिशेष राशि/ऋणों की वापसी**		
(ii) राज्य सरकार से					
क. अनुदान सहायता वेतन	–	–	क. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से वसूली	–	–
ख. अनुदान–सहायता –सामान्य	–	–			
ग. अनुदान–सहायता–स्वावलंबन योगदान	–	–			
घ. अनुदान सहायता–स्वावलंबन	–	–	ख. राज्य सरकार को	–	–
ङ प्रोत्साहन और विकास गतिविधियांअन्य	–	–	ग. धन के अन्य प्रदाताओं को	–	–

lki= x
¼fu;e 3 ¼x½ n[kk½
lk'ku fuf/k fofu;ked rFkk fodkl ikf/kdj.k
31 ekpZ 2017 dks lekIr gq, o"kZ ds fy, vk; vkj 0;; dk y[kk&tk[kk

(इकाई–भारतीय रुपया)

	ekStnk o"kZ	iwoZ o"kZ	Hkqxrku	ekStnk o"kZ	iwoZ o"kZ
iii) वित्तीय संस्थाओं से	1,818,648	100,000,000			
3- fuos'k ij vk;			**6- foÙk 'kqYd ¼C;kt½**		
क. निर्धारित/बंदोबस्ती धन	1,041,100	916,182	क. बैंक शुल्क	1,591	1,361
ख. स्वनिवेश (अन्य निवेश)	–	–	ख. अन्य	–	–
4- ikIr C;kt			**7- vU; Hkqxrku ¼fufnZ"V½**		
क. बैंक जमाराशियों पर	72,936,445	14,069,189	क. प्रीपेड	1,858,537	991,904
ख. ऋण, उधार आदि	–	–	ख. ऋण / उधार कर्मचारियों के लिए	330,000	497,669
ग. अन्य (ऋण पर ब्याज)	–	–	ग. अग्रिम राशि व्ययों के विरुद्ध	12,049,696	2,974,640
5- vU; vk; ¼fufnZ"V½			घ. सुरक्षा जमा	3,389,500	–
क. वार्षिक शुल्क	300,040,705	134,170,800	**8- vfre 'k"k**		
ख. विविध सेवाओं से प्राप्त आय	16,951,500	19,055,000	क. नकद	20,000	20,000
ग. विविध आय	3,329	444,415	ख. बैंक अतिशेष		
6- m/kkj yh xbZ jkf'k	–	–	चालू खातों में	–	–
7- dksbZ Hkh vU; jlhn			समय जमा खातों में	–	–
क. सुरक्षा/ईएमडी रसीद	–	75,000	बचत बैंक जमा खातों में	761,572,278	3,309,125,616
ख. उधार की वसूली	764,414	738,927			
ग. संपत्ति के हस्तांतरण	266,479	4,000			
घ. अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि	1,246,040	787,819			
dqy	**4]244]214]276**	**4]899]375]350**	**dqy**	**4]244]214]276**	**4]899]375]350**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2017

eatw HkYyk
मुख्य लेखा अधिकारी

inhi pM<k
सदस्य

Mk-ch-,l-HkkMkjh
सदस्य

gesar th-dkWUVDVj
अध्यक्ष

lk'ku fuf/k fofu;ked rFkk fodkl ikf/kdj.k
31 ekp 2017 dk r|yu i= l tMuk vkj mldk fgLlk cuuk

(इकाई–भारतीय रुपया)

fooj.k	ek tnk o"k	io o"k
vu|lph 1 % dk'k@i:th HkMkj		
शेष राशि वर्ष के आरंभ में	204,019,970	157,827,280
जोड़ः अप्रयुक्त कोश निधि की शुरुआती शेष राशि	3,175,972,328	128,695,686
कमः अप्रयुक्त कोश निधि की समापन शेष राशि	–588,999,270	–3,175,972,328
जोड़ः घटाएंः शुद्ध आय व्यय की शेष राशि जो आय और व्यय खाते से स्थानांतरित की गई है	–2,615,311,697	3,093,469,332
जोड़ः सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली सरकारी अनुदान/ आय और व्यय खाते से स्थानांतरित	–	–
वर्ष के अंत में शेष राशि के रुप में	**175]681]330**	**204]019]970**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2017

e:t HkYyk
मुख्य लेखा अधिकारी

inhi pM<k
सदस्य

Mk-ch-, l-HkMkjh
सदस्य

ge:r th-dkVDVj
अध्यक्ष

Ik'ku fuf/k fofu;ked rFkk fodkl ikf/kdj.k
31 ekp 2017 dk rqyu i= l tqMuk vkj mldk fgLlk cuuk

(इकाई–भारतीय रुपया)

fooj.k	ekStnk o"k	iol o"k
vuqlwph 2 % HkMkj vkj vf/k'k"k		
1. पूंजी कोश		
क. वर्ष के आरंभ में		
ख. वर्ष के दौरान जोड़ना		
ग. कमः वर्ष के दौरान कटौती	–	–
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित		
क. वर्ष के आरंभ में		
ख. वर्ष के दौरान जोड़ना		
ग. कमः वर्ष के दौरान कटौती	–	–
3. विशेष आरक्षित		
क. वर्ष के आरंभ में		
ख. वर्ष के दौरान जोड़ना		
ग. कमः वर्ष के दौरान कटौती	–	–
4. सामान्य आरक्षित		
क. वर्ष के आरंभ में		
ख. वर्ष के दौरान जोड़ना		
ग. कमः वर्ष के दौरान कटौती	–	–
dqy	&	&

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2017

ent HkYyk
मुख्य लेखा अधिकारी

inhi pM<k	**Mk-ch-, l-HkMkjh**	**gemr th-dkVDVj**
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

Ik'ku fuf/k fofu;ked rFkk fodkl ikf/kdj.k
31 ekpl 2017 dk rqyu i= ls tqMuk vkj mldk fgLlk cuuk

(इकाई–भारतीय रुपया)

fooj.k	/ku vk/kkfjr C;kjk		vfHknkrk f'k{kk vkj lj{k.k fuf/k	
	fuf/k XX	fuf/k YY	ekt nk o"k	io o"k
vulph 3 ¼ ,eckdlM@v{k; fuf/k			14,118,509	39,118,331
1. धन की प्रारंभिक शेष राशि				
2. धन में जोड़				
(क) दान/अनुदान				
(ख) धन के खाते में किए निवेश पर आय			1,041,100	916,182
(ग) एनपीएस न्यास जुर्माना और एनपीएस न्यास निवेशक जागरुकता खाते में स्थानांतरण			–	643,968
(घ) वर्ष के दौरान रसीद			1,246,040	438,735
(ई) अन्य जोड़ (प्रकृति निर्दिष्ट करें)			–	–
dqy ¼1+2½	**&**	**&**	**16]405]649**	**41]117]215**
3. निधियों के उद्देश्यों की दिशा में उपयोग/व्यय				
(क) पूंजीगत व्यय				
(i) अचल संपत्तियाँ			–	–
(ii) अन्य संपत्तियाँ			–	–
dqy	**&**	**&**	**&**	**&**
(ख) राजस्व व्यय				
(i) वेतन, मजदूरी और भत्ता आदि			–	–
(ii) किराया			–	–
(iii) अन्य प्रशासनिक खर्चे			–	–
(ग) अन्य				
(i) स्वावलंबन कोश के लिए स्थानांतरण			–	26,703,823
(ii) गुजरात सरकार को दंड का हस्तांतरण			–	294,883
dqy	–	–	–	26,998,706
कुल (3)	–	–	–	26,998,706
साल के अंत में शुद्ध बैलेंस (1̣2̣3)	–	–	16,405,649	14,118,509

ukV

1. अनुदान के लिए संलग्न शर्तों के आधार पर प्रासंगिक शीर्षों के अंतर्गत प्रकटीकरण।
2. केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त नियोजित धनराशि को अलग से धन के रुप में दिखाया जाना चाहिए और किसी भी अन्य निधि के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2017

eatq HkYyk
मुख्य लेखा अधिकारी

inhi pM<k — सदस्य
Mk-ch-,l-HkaMkjh — सदस्य
gener th-dkWDVj — अध्यक्ष

lk'ku fuf/k fofu;ked rFkk fodkl ikf/kdj.k
31 ekpl 2017 dk rqyu i= l% tqMuk vkj mldk fgLlk cuuk

(इकाई–भारतीय रुपया)

fooj.k	ekStnk o"kZ	iwoZ o"kZ
vuqlwph 4 % lqjf{kr _.k rFkk m/kkjh		
1. केंद्र सरकार	–	–
2. राज्य सरकार	–	–
3. वित्तीय संस्थाएं		
(a) सावधि ऋण		
(b) अर्जित ब्याज और देय	–	–
4. बैंक		
(a) सावधि ऋण		
– अर्जित ब्याज और देय		
(b) अन्य ऋण (निर्दिष्ट)		
– अर्जित ब्याज और देय	–	–
5. अन्य संस्थान	–	–
6. डिबेंचर और बांड	–	–
7. अन्य	–	–
कुल	–	–

ukV% एक वर्ष के भीतर देय राशि

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2017

eut HkYyk
मुख्य लेखा अधिकारी

inhi pM<k	**Mk-ch-,l-HkMkjh**	**gejr th-dkVDVj**
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

lk'ku fuf/k fofu;ked rFkk fodkl ikf/kdj.k
31 ekpl 2017 dk r|yu i= l: t|Muk vkj mldk fgLlk cuuk

(इकाई–भारतीय रुपया)

fooj.k	ekt nk o"k	io o"k
vu|lph 5 % vlqjf{kr _.k rFkk m/kkjh		
1. केंद्र सरकार	–	–
2. राज्य सरकार	–	–
3. वित्तीय संस्थाएं	–	–
4. बैंक		
(a) सावधि ऋण	–	–
(b) अन्य ऋण (निर्दिष्ट)	–	–
5. अन्य संस्थान	–	–
6. डिबेंचर और बांड	–	–
7. सावधि जमा	–	–
8. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
d|y	&	&

नोटः एक वर्ष के भीतर देय राशि

(इकाई–भारतीय रुपया)

fooj.k	ekt nk o"k	io o"k
vu|lph 6 % vkLFkfxr ØfMV nunkfj;k		
1. पूंजी उपकरणों और अन्य आस्तियों की उपप्राधीयन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां		
2. अन्य	–	–
कुल	–	–

नोटः एक वर्ष के भीतर देय राशि

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2017

ei t HkYyk
मुख्य लेखा अधिकारी

inhi pM<k
सदस्य

Mk-ch-, l-HkMkjh
सदस्य

ger th-dkVDVj
अध्यक्ष

lk'ku fuf/k fofu;ked rFkk fodkl ikf/kdj.k
31 ekp 2017 dk rqyu i= l tqMuk vkj mldk fgLlk cuuk

(इकाई–भारतीय रुपया)

foo j.k	ek tnk o"k	io o"k
vu|lph 7 % ek tnk n;rk,i vkj mic/k		
1. स्वीकृतियां		
2. फुटकर लेनदार और देनदारियां	17,096,564	6,321,184
3. उधार प्राप्त	7,140,000	7,200,000
4. अर्जित ब्याज पर देय नहीं है:		
क. सुरक्षित ऋण/उधारी	–	–
ख. असुरक्षित ऋण/उधारी	–	–
5. वैधानिक देनदारियां		
क. अतिदेय	–	–
ख. अन्य	282,504	272,403
6. अन्य चालू देनदारियां		
क. 31 मार्च को भारत सरकार को देय अप्रयुक्त अनुदान के रुप में	588,999,270	3,175,972,328
ख. अन्य	31,988	31,988
d|y	**613]550]326**	**3]189]797]903**
ikо/kku		
1. कराधान के लिए		
2. ऐच्छिक दान	13,603,720	10,656,583
3. व्यापार वारंटियां/दावे	–	–
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	–	–
5. पेंशन अंशदान देय	323,808	279,151
6. वेतन देय भुगतान	229,579	283,746
d|y	**14]157]107**	**11]219]480**
कुल योग	627,707,434	3,201,017,384

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2017

e|t HkYyk
मुख्य लेखा अधिकारी

inhi pM<k	**Mk-ch-, l-HkMkjh**	**ger th-dkVDVj**
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

Iks'ku fuf/k fofu;ked rFkk fodkl ikf/kdj.k
31 ekpZ 2017 dks rqyu i= ls tqMuk vkj mldk fgLlk cuuk

vuqlwph 8 % vpy lEifÙk;k (इकाई–भारतीय रुपया)

fooj.k	dqy lEifÙk;k				eY;gkl				dqy Cykd	
	Ok"kZ dh vkjEHk esa ykxr@ eY;kdu dh #i esa	Ok"kZ ds nkSjku ifjo/kZu	Ok"kZ ds nkSjku dVkSrh	Ok"kZ dh vr esa ykxr@ eY;kdu dh #i esa	Ok"kZ dh vkjEHk dh #i esa	Ok"kZ ds fy,	Ok"kZ ds nkSjku dVkSrh ij	dqy o"kZ dh vr rd	Pkkyw Ok"kZ dh #i esa	iwoZ Ok"kZ dh #i esa
vPky lEifÙk;k										
1. भूमि										
क. फ्रीहोल्ड										
ख. पट्टेदारी										
2. बिल्डिंग										
क. फ्रीहोल्ड जमीन पर										
ख. पट्टेदारी जमीन पर										
ग. स्वामित्व फ्लैट/परिसर जमीन पर										
घ. सुपरस्ट्रक्चर जो किसी इकाई से संबंधित नहीं										
3. संयंत्र मशीनरी और उपकरण										
4. वाहन	1,037,399	.	.	1,037,399	731,093	45,945	.	777,038	260,361	306,306
5. फर्नीचर तथा अलमारियां	2,778,281	529,372	.	3,307,653	1,216,142	193,120	.	1,409,262	1,898,391	1,562,139
6. कार्यालय उपकरण	3,225,304	1,264,173	173,475	4,316,002	1,809,548	319,437	56,514	2,072,471	2,243,531	1,415,756
7. कंप्यूटर/सहायक उपकरण	9,464,809	1,846,564	1,782,073	9,529,300	8,994,577	1,041,058	1,648,097	8,387,538	1,141,762	470,232
8. विद्युत प्रतिष्ठान	129,408	22,500	.	151,908	102,765	18,421	.	121,186	30,722	26,643
9. लाइब्रेरी की किताबें	129,262	42,977	.	172,239	129,262	42,977	.	172,239	.	.
10. अन्य अचल संपत्तियां										
चालू वर्ष का कुल	**16]764]464**	**3]705]586**	**1]955]548**	**18]514]502**	**12]983]387**	**1]660]958**	**1]704]611**	**12]939]734**	**5]574]768**	**3]781]077**
पिछला वर्ष	**17]841]743**	**1]692]521**	**2]769]800**	**16]764]464**	**13]449]766**	**1]161]564**	**1]627]943**	**12]983]387**	**3]781]077**	**4]391]978**
पूंजीकार्य में प्रगति										
कुल									**5]574]768**	**3]781]077**

नोटः (ऊपर शामिल संपत्ति की लागत पर किराया खरीद आधार पर दिया जाएगा।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2017

eqtt HkVYyk
मुख्य लेखा अधिकारी

iznhi pM<k
सदस्य

Mk-ch-, l-HkMkjh
सदस्य

gemr th-dkVDVj
अध्यक्ष

lk'ku fuf/k fofu;ked rFkk fodkl ikf/kdj.k
31 ekpl 2017 dk rqyu i= ls tqMuk vkj mldk fgLlk cuuk

(इकाई–भारतीय रुपया)

fooj.k	ekStnk o"kZ	iwoZ o"kZ
vuqlwph 9 % mfí"V@/kekZnk fuf/k esa fuos'k		
1. सरकारी प्रतिभूतियां	–	–
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	–	–
3. शेयर	–	–
4. डिबेंचर और बांड	–	–
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम		
6. सावधि जमा	16,234,293	14,000,000
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
dqy	**16]234]293**	**14]000]000-00**

(इकाई–भारतीय रुपया)

fooj.k	ekStnk o"kZ	iwoZ o"kZ
vuqlwph 10 % fuos'k&vU;		
1. सरकारी प्रतिभूतियां	–	–
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	–	–
3. शेयर	–	–
4. डिबेंचर और बांड	–	–
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	–	–
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	–	–
dqy	**&**	**&**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2017

eqdsk HkYyk
मुख्य लेखा अधिकारी

inhi pM<k — सदस्य

Mk-ch-,l-HkMkjh — सदस्य

gesar th-dkWVDVj — अध्यक्ष

lk'ku fuf/k fofu;ked rFkk fodkl ikf/kdj.k
31-03-2017 dk rqyu i= dk Hkkx dk #i e ekStnk ifjlifÙk;k] _.k vkj m/kkj

(इकाई–भारतीय रुपया)

fooj.k	ekStnk o"k	iwo o"k
vulph 11		
क) वर्तमान संपत्तियां		
1. माल		
• संचित और अतिरिक्त	–	–
• शिथिल उपकरण	–	–
• बिक्री के लिए माल		
तैयार माल	–	–
कार्य प्रगति पर है	–	–
कच्चा माल		
2. विविध देनदारः		
• 6 महीने की अवधि के लिए बकाया ऋण	–	–
• अन्य	30,585	30,585
3. नकदी	20,000	20,000
4. बैंक बैलेंस		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
• चालू खातों पर	–	–
• समय जमा खातों पर	–	–
• बचत बैंक जमा खातों पर	761,572,278	3,309,125,616
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ		
• बचत बैंक जमा खातों पर	–	–
• चालू खातों पर	–	–
• समय जमा खातों पर	–	–
5. डाकघर–बचत खाते	–	–
6. अन्य	–	–
dy ¼d½	**761]662]863**	**3]309]176]201**

lk'ku fuf/k fofu;ked rFkk fodkl ikf/kdj.k
31-03-2017 dk rqyu i= d Hkkx d #i e ekktnk ifjlifÙk;k] _.k vkj m/kkj

(इकाई–भारतीय रुपया)

fooj.k	ektnk o"k	iol o"k
ख) ऋण, उधार और अन्य परिसंपत्तियां:		
1. ऋण:		
• स्टॉफ	346,376	592,388
• अन्य संस्था, जो संस्था की तरह के गतिविधियों/उद्देश्यों में संलग्न है:	–	–
• अन्य (निर्दिष्ट करें)	–	–
2. उधार और अन्य राशि जो नकद या वस्तु के रुप में या वसूली जाने वाली कीमत के रुप में प्राप्त हो:		
• पूंजी खाते पर	–	–
• पूर्वभुगतान	1,792,084	–
• सुरक्षा जमा	3,647,500	–
• अन्य	30,576,529	–
3. आय अर्जित		
• उदिष्ट और धर्मादा निधि से निवेश पर	–	–
• अन्य–पर निवेश	–	–
• ऋणों तथा उधारों पर	–	–
• अन्य (इसमें अचेतन देय राशि रु............... भी शामिल है।)	–	–
4. प्राप्त दावे	–	–
dqy ¼[k½	**36]362]489**	**92]198]585**
dqy ;kx ¼d½¼[k½	**797]985]352**	**3]401]374]786**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2017

eut HkYyk
मुख्य लेखा अधिकारी

inhi pM<k
सदस्य

Mk-ch-, l-HkkMkjh
सदस्य

gen th-dkVDVj
अध्यक्ष

lk'ku fuf/k fofu;ked rFkk fodkl ikf/kdj.k
31 ekp] 2017 d vr e vk; rFkk 0;; [kkr l tMuk rFkk mld Hkkx
d #i e iLrr gkuk

(इकाई–भारतीय रुपया)

fooj.k	ek tnk o"k	io o"k
vu lph 12 % fcØh@ lokvk l vk;		
1- fcØh l vk;		
(a) तैयार माल की बिक्री	–	–
(b) कच्चे माल की बिक्री	–	–
(c) कबाड़ की बिक्री	–	–
2- lokvk l vk;		
(a) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क	–	–
(b) व्यवसायिक/परामर्श सेवाएं	–	–
(c) ऐजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज	–	–
(d) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	–	–
(e) अन्य (निर्दिष्ट करें)	–	–
dy	**&**	**&**

(इकाई–भारतीय रुपया)

fooj.k	ek tnk o"k	io o"k
vu lph 13 % vunku@vuofÙk		
1. केंद्र सरकार	540,000,000	4,461,300,000
2. राज्य सरकार	–	–
3. सरकारी अभिकरण	–	–
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय	1,818,648	100,000,000
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	–	–
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	–	–
dy	**541]818]648**	**4]561]300]000**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2017

et HkkYyk
मुख्य लेखा अधिकारी

inhi pM<k — सदस्य
Mk-ch-, l-HkkMkjh — सदस्य
ger th-dkVDVj — अध्यक्ष

lk'ku fuf/k fofu;ked rFkk fodkl ikf/kdj.k
31 ekpZ 2017 dks vUr esa vk; rFkk O;; [kkrs ls tqMuk rFkk mlds Hkkx
ds #i esa iLrqr gkuk

(इकाई–भारतीय रुपया)

fooj.k	ekStwnk o"kZ	iwoZ o"kZ
vuqlwph 14 % 'kqYd@lnL;rk		
1. प्रवेश शुल्क	–	–
2. वार्षिक शुल्क / सदस्यता	300,040,705	134,170,800
3. संगोष्ठी / कार्यक्रम शुल्क	–	–
4. सलाहकारी संस्था का शुल्क	–	–
5. लाइसेंस शुल्क		
6. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	16,951,500	19,055,000
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	–	–
dqy	**316]992]205**	**153]225]800**

(इकाई–भारतीय रुपया)

fooj.k	fu/kkZfjr /kujkf'k ls fuos'k		fuos'k&vU;	
	orZeku o"kZ	iwoZ o"kZ	orZeku o"kZ	iwoZ o"kZ
vuqlwph 15 % fuos'k ls vk; (उद्दिश्ट और धर्मादा निधियों के निधि में हस्तांतरण से निवेश आय)				
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	–	–	–	–
ख. अन्य बांड / डिबेंचर्स	–	–	–	–
ग. अन्य	1,041,100	916,182	–	–
2. लाभांश				
क. शेयरों पर	–	–	–	–
ख. म्यूचुअल फंड पर	–	–	–	–
ग. अन्य	–	–	–	–
3. किराया	–	–	–	–
4. अन्य (निर्दिष्ट करें)	–	–	–	–
कुल	1,041,100	916,182	–	–
उद्दिश्ट और धर्मादा निधि को हस्तांतरित				

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2017

eqtq HkYyk
मुख्य लेखा अधिकारी

inhi pM<k — सदस्य
Mk-ch-,l-HkaMkjh — सदस्य
gseUr th-dksVDVj — अध्यक्ष

Ik'ku fuf/k fofu;ked rFkk fodkl ikf/kdj.k
31 ekp 2017 dk vr e vk; rFkk O;; [kkr l tMuk rFkk mldk Hkkx dk #i e iLrr gkuk

(इकाई—भारतीय रुपया)

fooj.k	orZeku o"kZ	iwoZ o"kZ
vuqlwph 16 % iHkkRo 'kYd] idk'kr vkfn l vk;		
1. प्रभुत्व शुल्क से आय	–	–
2. प्रकाशन से आय	–	–
3. अन्य (निर्दिष्ट)	–	–
dqy	**&**	**&**

(इकाई—भारतीय रुपया)

fooj.k	orZeku o"kZ	iwoZ o"kZ
vuqlwph 17 % vftZr C;kt		
1. सावधि जमा खातों पर		
क. अनुसूचित बैंकों के साथ	–	–
ख. गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	–	–
ग. संस्थानों के साथ	–	–
घ. अन्य	–	–
2. बचत बैंक जमा खातों पर		
क. अनुसूचित बैंकों के साथ	72,936,445	14,069,189
ख. गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	–	–
ग. डाकघरों के साथ	–	–
घ. अन्य	–	–
3. ऋण पर:		
क. कर्मचारी/स्टॉफ	1,388	5,476
ख. अन्य	–	–
4. देनदार तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	–	–
dqy	**72]937]833**	**14]074]665**

स्रोत पर कर कटौती का संकेत दिया जाए

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2017

et HkYyk
मुख्य लेखा अधिकारी

inhi pM<k
सदस्य

Mk-ch-, l-HkMkjh
सदस्य

ger th-dkVDVj
अध्यक्ष

Ik'ku fuf/k fofu;ked rFkk fodkl ikf/kdj.k
31 ekpZ 2017 dks vUr esa vk; rFkk O;; [kkrs ls tqMuk rFkk mlds Hkkx
dk #i esa iLrqr gkuk

(इकाई–भारतीय रुपया)

fooj.k	orZeku o"kZ	iwoZ o"kZ
vuqlwph 18 % vU; vk;		
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
(क) स्वामित्व वाली संपत्ति	–	–
(ख) अनुदान से परे या निःशुल्क प्राप्त संपत्ति	–	–
2. निर्यात प्रोत्साहन वसूल	–	–
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	–	–
4. विविध आय	100,939	442,769
dqy	**100]939**	**442]769**

(इकाई–भारतीय रुपया)

fooj.k	orZeku o"kZ	iwoZ o"kZ
vuqlwph 19 % rS;kj eky dk LVkWd esa of)@deh vkSj dke esa izxfr		
क) समापन स्टॉक		
– तैयार माल	–	–
– कार्य प्रगति पर	–	–
क) कम – शुरुआती स्टॉक		
– तैयार माल		
– कार्य प्रगति पर	–	–
dqy of)@¼deh½ ¼d&[k½	**&**	**&**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2017

eat HkYyk
मुख्य लेखा अधिकारी

iznhi pM<k — सदस्य

Mk-ch-, l-HkMkjh — सदस्य

gseUr th-dkWUVDVj — अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण
31 मार्च 2017 को अंत में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची 20 : स्थापना व्यय		
1. वेतन और मजदूरी	133,715,315	80,642,422
2. भत्ता और बोनस	–	–
3. भविष्य निधि अंशदान	–	–
4. पेंशन के लिए अंशदान	8,874,430	4,809,853
5. कर्मचारी कल्याण व्यय	–	–
6. कर्मचारी की सेवानिवृत्ति और आवधिक लाभ पर व्यय	–	–
7. छुट्टी का वेतन	364,143	93,648
8. ट्यूशन शुल्क अदायगी	–	–
9. चिकित्सा अदायगी	1,511,566	610,151
10. ग्रेच्युटी योगदान	2,947,137	10,656,583
11. अन्य (विशिष्ट)	–	–
कुल	**147,412,591**	**96,812,657**

(इकाई–भारतीय रुपया)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची 21 : अन्य प्रशासनिक व्यय		
1. खरीदारियां	–	–
2. श्रम और प्रसंस्करण खर्चे	–	–
3. ढुलाई और अंदर की ओर कैरिज	–	–
4. बिजली और पावर	1,399,178	4,312,574
5. जल शुल्क	380,358	170,900
6. बीमा	971,420	467,323
7. मरम्मत और रखरखाव	7,006,650	6,349,059
8. उत्पाद शुल्क	–	–
9. किराया, दर और कम	65,366,989	40,828,179
10. चलते वाहन और उनका रखरखाव	8,421,062	7,858,008
11. डाक, टेलीफोन और संचार के शुल्क	6,022,060	3,907,259
12. मुद्रण और स्टेशनरी	1,447,344	3,196,718
13. यात्रा और वाहन खर्चे	6,926,264	5,085,894

Ik'ku fuf/k fofu;ked rFkk fodkl ikf/kdj.k
31 ekpl 2017 d vr e vk; rFkk 0;; [kkr l tMuk rFkk mld Hkkx
d #i e iLr|r gkuk

(इकाई–भारतीय रुपया)

fooj.k	orleku o"k	io o"k
14. सेमिनार / कार्यशालाएं / बैठकों और सम्मेलनों पर व्यय	21,104,722	28,451,172
15. सदस्यता खर्च	–	–
16. फीस और व्यय	–	–
17. लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	–	–
18. आतिथ्य खर्च	–	–
19. पेशेवर शुल्क	10,048,351	13,074,110
20. पुस्तकें और पत्रिकाएं	114,944	89,966
21. भर्ती खर्च	32,111	40,304
22. आशोध्य और संदिग्ध ऋण / उधार के लिए प्रावधान	–	–
23. संकलनकर्त्ता के लिए प्रोत्साहन राशि	100,949,940	148,946,432
24. स्वाबलंबन सरकारी अंशदान	1,013,474,906	833,317,068
25. एपीवाई सरकारी अंशदान	1,051,961,410	–
26. उपस्थिति अस्तित्व के मुद्दे पर प्रोत्साहन राशि	–	–
27. अप्रतिलभ्य शेष राशि का लेखा जोखा	–	–
28. पैकिंग खर्च	–	–
29. फ्रेट और अग्रेशण खर्च	–	–
30. वितरण खर्च	–	–
31. विज्ञापन और प्रचार खर्च	255,037,361	225,726,821
32. सदस्यता शुल्क	403,415	419,713
33. कर्मचारी कल्याण	789,710	732,426
34. कंसल्टेंसी खर्च	300,350	1,204,665
35. एपीवाई प्रचार	19,609,592	50,000,000
36. एपीवाई के लिए प्रोत्साहन राशि	338,055,240	161,944,730
37. बैठक शुल्क	–	75,000
38. अन्य (विशिष्ट)	–	–
dqy	**2]909]823]376**	**1]536]198]321**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2017

eatq HkYyk
मुख्य लेखा अधिकारी

inhi pM<k
सदस्य

Mk-ch-, l-HkkMkjh
सदस्य

ger th-dkUVDVj
अध्यक्ष

lk'ku fuf/k fofu;ked rFkk fodkl ikf/kdj.k
31 ekp 2017 d vr e vk; rFkk 0;; [kkr l tMuk rFkk mld Hkkx
d #i e iLr r gkuk

(इकाई—भारतीय रुपया)

fooj.k	orieku o"k	iol o"k
vulph 22 % vunku lfClMh ij 0;; vkfn		
1. संस्थाओं/संगठनों/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को दिया गया अनुदान	–	1,400,000
2. संस्थाओं/संगठनों को दी गई सब्सिडी	–	–
3. अन्य (विशिष्ट)	488,262,806	–
dly	**488]262]806**	**1]400]000**

(इकाई—भारतीय रुपया)

fooj.k	orieku o"k	iol o"k
vulph 23 % C;kt		
1. निर्धारित ऋणों पर	–	–
2. अन्य ऋणों पर	–	–
3. बैंक के शुल्क	1,591	1,361
4. अन्य (विशिष्ट)	–	–
dly	**1]591**	**1]361**

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 11.08.2017

et HkYyk
मुख्य लेखा अधिकारी

inhi pM<k
सदस्य

Mk-ch-, l-HkMkjh
सदस्य

ger th-dkVDVj
अध्यक्ष

Ik'ku fuf/k fofu;ked rFkk fodkl ikf/kdj.k
31 ekp 2017 dks o"kZ dh lekfIr ij [kkrk d Hkkx d #i e

vuqlph 24 % egRoiw.kZ ys[kkdu uhfr;k

1. लेखांकन और वित्तीय बयान की तैयारी का आधार

   प्राधिकरण का वित्तीय लेखा–जोखा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण नियम (लेखा और रिकॉर्ड के वार्षिक विवरण के रुप में), 2015 के अनुसार तैयार किया गया है। भारत सरकार की योजना होने के कारण स्वालंबन योजना और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अलावा वित्तीय लेखा–जोखा ऐतिहासिक लागत प्रथा के तहत प्रोद्भवन के आधार पर भुगतान आधार पर बनाया रखा जाता रहा है

2. सरकारी अनुदान

   सरकारी अनुदान की गणना प्राप्ति के आधार पर की जाती है।

3. अचल संपत्ति

   अचल संपत्तियों को उनके करों और अन्य आनुशंगिक अधिग्रहण से संबंधित खर्च सहित मूल लागत के रुप में प्रस्तुत किया जाता है।

4. मूल्यह्रास

   4.1 इसे आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार नीचे लिखे मूल्य विधि पर प्रदान किया जाता है।

   4.2 5000/– या उससे कम की कीमतों की प्रत्येक आस्तियों को पूरी तरह से प्रदान किया जाता है।

5. सेवानिवृत्ति लाभ

   प्राधिकरण योजना के अनुसार परिपक्वता के लिए प्रावधान प्रदान किया जाता है। वर्ष के अंत में परिपक्वता के लिए दायित्व इस कल्पना पर गिनी जाती है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2017

etq HkkYyk
मुख्य लेखा अधिकारी

inhi pM<k	**Mk-ch-, l-HkkMkjh**	**gear th-dkVDVj**
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

Ik'ku fuf/k fofu;ked rFkk fodkl ikf/kdj.k
31 ekp 2017 dk o"k dh lekfIr ij [kkrk l tM gku vkj Hkkx d #i e

vuIph 25 % vkdfLed n;rk, vkj [kkrk e y[ku

1. आकस्मिक देयताएं

   प्राधिकरण की 31.03.2017 पर कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

2. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और उधार

   मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋण और उधार का मूल्य कम से तुलनपत्र में दिखाई कुल राशि के बराबर मूल्य का है।

3. कराधान

   पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 34 के दृश्य में, प्राधिकरण अपने धन, आय लाभ या लाभ के संबंध में संपत्ति कर, आयकर या किसी अन्य कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तदनुसार, इस तरह का कोई प्रावधान लेखा बहियों में प्रदान नहीं किया गया है।

4. 31.03.2017 को अप्रयुक्त सरकारी अनुदान को प्रमुख मौजूदा देनदारियों और प्रावधान के तहत दर्शाया गया।

5. पिछले वर्ष के लिए संबंधित आंकड़ों को जहाँ आवश्यक था, पुनःसमूहीकृत/पुनःप्रबंधित किया गया।

6. अनुसूची 1 से 25 को 31.03.2017 के तुलनपत्र के रुप में एकत्रित किया गया और एक अभिन्न अंग और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा के रुप में लिया गया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2017

et HkYyk
मुख्य लेखा अधिकारी

inhi pM<k	**Mk-ch-, l-HkMkjh**	**ger th-dkVDVj**
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

This Report is in conformity with the format as
per the Pension Fund Regulatory and Development Authority
(Reports, Returns and Statements) Rules, 2015.

सत्यमेव जयते

हेमंत जी. कांट्रेक्टर
अध्यक्ष
Hemant G. Contractor
CHAIRMAN

पेंशन निधि विनियामक और
विकास प्राधिकरण
बी–14/ए, पहली मंजिल, छत्रपति शिवाजी भवन
कुतुब एंस्टिटूशनल एरिया, कटवारिया सराय,
नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–26517095
फैक्स : 011–26517507
ई–मेल : chairman@pfrda.org.in
www.pfrda.org.in

PENSION FUND REGULATORY
AND DEVELOPMENT AUTHORITY
B-14/A, Ist Floor, Chhatrapati Shivaji Bhawan
Qutab Institutional Area,
Katwaria Sarai, New Delhi-110016
Ph : 011-26517095
Fax : 011-26517507
E-mail : chairman@pfrda.org.in
www.pfrda.org.in

Letter of Transmittal

Ref: F.No. PFRDA/11/87/4

November 30, 2017

The Secretary
Department of Financial Services
Ministry of Finance
Government of India
New Delhi – 110 001

Sir,

In accordance with the provision of Section 46 (2) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013, I have pleasure in transmitting copies of the Annual Report of the Pension Fund Regulatory and Development Authority on the working of the Authority during the year ended March 31, 2017.

Yours faithfully

(Hemant G Contractor)

Table of Contents

Statement of Goals and Objectives ..... (i)

Vision ..... (i)

Chairman's Message ..... (ii)

Members of the Board ..... (iv)

Senior Management of the Authority ..... (v)

Abbreviations ..... (vi)

Part - I

Policies & Programmes 1

1.1 General Review of the Global Economic Scenario 1

1.1.1 Inflation 1

1.1.2 Financial Market 2

1.2 Domestic Economy 4

1.2.1 Macro-economic Developments in India 4

1.2.2 Inflation 5

1.2.3 Financial Markets 6

1.3 Review of Global Pension Market 9

1.4 Major Announcement for NPS in Budget 2017 12

1.5 Indian Demography and Old Age Income Security 13

1.6 Indian Pension Landscape 13

1.7 A brief on the review of the objectives of PFRDA during the year. 15

1.8 Intermediaries and other entities associated with National Pension System 16

1.8.1 Intermediaries associated with NPS 16

1.8.2 Types of Account 18

Part - II

Investment of Funds under NPS 20

2.1 Pension Funds (PFs) 20

2.1.1 Functions of Pension Funds 20

2.1.2 List of Pension Funds (PFs) 20

2.2 Schemes 20

2.3 Exposure of various schemes 23

2.4 Regulations, Notification, issuance of major circulars / Guidelines w.r.t. Pension Fund 24

Part - III

Functions of the Authority 25

3.1 Registration of intermediaries and suspension, cancellation, etc., of such registration; and regulation of activities 25

3.2 Approval of schemes, the terms and conditions 26

3.3 Exit of subscribers from the National Pension System 27

3.3.1 Partial Withdrawal under NPS 28

3.3.2 Details of Annuity Service Providers (ASPs) and Annuity Schemes opted by subscribers 28

3.4 Activities undertaken for protection of interests of subscribers under the National Pension System and of other pension schemes under the Act 30

3.5 Mechanism for redressal of grievances of subscribers and activities undertaken for redressal of such grievances 32

3.6 Professional organisations connected with the pension system 33

3.7 Collection of data by the Authority and the intermediaries including undertaking and commissioning of studies, research and projects 34

3.8 Steps undertaken for educating subscribers and the general public 35

3.8.1 NPS Awareness Campaigns 35

3.9 Performance of pension funds and performance benchmarks 39

3.10 Regulated Assets 43

3.11 Fees and other charges received by the Authority 43

3.12 Information sought for, inspections undertaken, inquiries conducted and investigations undertaken 45

3.13 Others 45

3.13.1 Subscribers (category wise) covered under the National Pension System 45

3.13.2 Points of presence 49

3.13.3 Assets under Management - Scheme wise 50

3.13.4 The Central Recordkeeping Agency, its role and functions 50

3.13.5 Pension funds 54

3.13.6 The Trustee Bank 55

3.13.7 The Custodian under the National Pension System 56

3.13.8 The National Pension System Trust 56

3.13.9 Other intermediaries including the Aggregator, etc. 57

3.13.10 Other functions carried out by the Authority in the area of pensions. 58

Part - IV

4.1 Pension Advisory Committee 60

4.2 Regulations Made or Amended 60

4.3 Constitution of Committee for utilization of Subscriber Education and Protection Fund 61
4.4 Constitution of an expert committee to resolve the possible conflict of Interest 61
4.5 Committee on Housing Assistance for NPS Subscribers 61

Part - V

5.1 Organizational Matters of the PFRDA 62
5.1.1 Constitution of PFRDA Board 62
5.1.2 Meetings of the Authority 62
5.2 Staff Strength in PFRDA 63
5.3 Setting up of SC/ST Cell and OBC Cell in PFRDA 63
5.4 Committee for Prevention of Sexual Harassment at Workplace 64
5.5 Staff Welfare Committee 64
5.6 Training of employees in PFRDA 64
5.7 Promotion of Official Language 64
5.8 Right to Information: 64
5.9 Accounts of PFRDA 65

Part - VI

Any critical area adversely affecting the interest of subscribers 66
6.1 Partial EEE status of NPS 66
6.2 Age limit of 40 years for joining APY 66
6.3 Choice of Fund Managers and Investment classes 66

Part - VII

Any other measure taken by the Authority to protect the interest of subscribers 68
7.1 Transfer of amount from recognized Provident Fund/Superannuation fund to National Pension System 68

List of Tables

Table1.1 : Quarterly percentage change of GVA at Basic Prices for 2016-17 (at 2011-12 prices) over previous year 5
Table 1.2 : Total investment of pension funds in selected countries, in millions of US$, 2010-2015 10-11
Table 1.3 : Share of pension fund portfolio in equities and bills & bonds in selected countries, 2013-2015 12
Table 1.4 : Number of Subscribers, Corpus and Assets Under Management under NPS/APY (as on 31st March 2017) 14
Table 1.5 : Performance Highlights of National Pension System/Atal Pension Yojana during FY 2016-17 18
Table 2.1 : 1 Details of Asset under Management 21

Table 2.2(a) : Pension Fundwise and scheme-wise Asset Under Management as on March 2017 22
Table 2.2(b) : Pension Fundwisevis-a-vis scheme-wise Asset Under Management as on March 2017 22
Table 2.3 : Asset Class wise bifurcation of Asset Under Management 23
Table 3.1 : No. of withdrawal reported, accepted & settled during April 1, 2016 to March 31, 2017 27
Table 3.2 : Withdrawal claims outstanding as on March 31, 2016 & March 31, 2017 27-28
Table 3.3 : No. of Partial withdrawal cases reported & settled during the period from April 1, 2016 to March 31, 2017 28
Table 3.4(a) : Physical Annuity requests processed during April 1, 2016 to March 31, 2017 29
Table 3.4(b) : Online Annuity requests processed during April 1, 2016 to March 31, 2017 29-30
Table 3.5 : Status of grievances received & disposed-off during 2016-17 32
Table 3.6 : Sector wise details of trainings conducted and personnel trained during FY 2016-17 36
Table 3.7 : Asset Under Management (AUM) Break up in NPS - Growth Scheme Wise Position 39-40
Table 3.8 : Asset Under Management (AUM) Break up in NPS-Growth-Subscriber Class Wise Position 41
Table 3.9 : The position of the AUM with the Pension Fund Managers 42
Table 3.10 : Scheme wise and Pension Fund wise returns in FY 2016-17 and since inception 42-43
Table 3.11 : Fees and charges to the subscribers at various stages 44
Table 3.12 : Fees received during the Financial Year 2016-17 45
Table 3.13 : NPS subscribers during FY 2016-17 46
Table 3.14 : No. of subscribers, contributions & AUM of Govt. Sector as on 31.03.2017 47
Table 3.15 : No. of subscribers, contributions & AUM of Pvt. Sector as on 31.03.2017 47
Table 3.16 : No. of subscribers, contributions & AUM of NPS Lite & APY as on 31.03.2017 48
Table 3.17 : No. of subscribers registered in APY by various distribution channels 48
Table 3.18 : Pension Amount wise no. of APY subscribers as on 31.03.2017 49
Table 3.19 : Age wise distribution of APY subscribers as on 31.03.2017 49
Table 3.20 : No. of POP-SPs registered under NPS 50
Table 3.21 : Scheme wise – AUM 50
Table 3.22 : Core activities of the Trustee Bank 56
Table 3.23 : The constitution of the NPS Trust Board as on March 31, 2017 57

List of Charts

Chart 1.1 : Global Inflation 2
Chart 1.2 : Global Bond Real Yields- A Declining Trend 3
Chart 1.3 : U.S. Pension Fund Discount Rate 4
Chart 1.4 : WPI & CPI inflation 5
Chart 1.5 : 10 Year G-Sec Yield (%) 7
Chart 1.6 : SENSEX and NIFTY movement 9

Chart 1.7 : Private Pension Investment 9
Chart 1.8 : Size of private pension investments worldwide as a percentage of GDP, 2015 10
Chart 1.9 : Annual Growth Rate in the Total Investment of Pension Funds for India and China 11
Chart 1.10 : Pension fund 5-year Nominal & Real Average Annual Return for select Nations; 2010-2015 12
Chart 2.1(a) : Asset class wise AUM as on 31.03.2016 24
Chart 2.1(b) : Asset class wise AUM as on 31.03.2017 24
Chart 3.1 : Call received –scheme wise 37
Chart 3.2(a) : Age wise distribution of callers - NPS 37
Chart 3.2(b) : Age wise distribution of callers - APY 37
Chart 3.3 : Year wise number of subscribers under NPS & APY 46
Chart 3.4(a) : New subscribers added – SG including SABs 47
Chart 3.4(b) : New subscribers added – CG including CABs 47

Annexures

Annexure I: State wise APY Subscribers registration 69
Annexure II: List of Point of Presence under NPS 71
Annexure III: List of Aggregators under NPS 74
Annexure IV: Pension Advisory Committee 76
Annexure V: Balance Sheet of PFRDA as on 31.03.2017 77

STATEMENT OF GOALS AND OBJECTIVES

Under Section 9(2) (C) of Pension Fund Regulatory and Development Authority (Reports, Returns and Statements) Rules, 2015.

OBJECTIVE

The broad objectives of the PFRDA are contained in the Preamble to the PFRDA Act 2013 as under:

"To provide for the establishment of an Authority to promote old age income security by establishing, developing and regulating pension funds, to protect the interest of subscribers to schemes of pension funds and matters connected therewith and incidental thereto."

Vision

To be a model Regulator
for promotion and development
of an organized pension system
to serve the old age income needs
of people on a sustainable basis.

Chairman's Message

Demographic factors including increasing longevity, declining fertility, reducing intergenerational support coupled with increasing fiscal stress have led many countries across the globe to re-engineer their pension systems from Defined benefit to Defined contribution systems. The introduction of the National Pension System (NPS) in 2004 in India is a step in that direction. Its architectural marvel lay in its unbundled framework, which leverages upon the professional proficiency of existing financial sector entities including the banks, NBFCs, Insurance companies, AMCs, thereby reducing the overall costs to the subscriber. The emphasis on sustainability, scalability, technology driven processes, portability and bouquet of choices to the subscriber makes it one of the most efficient retirement investment product, which has the potential to lead India to an inclusive and affordable pensioned system.

The NPS, introduced initially for the Central government subscribers, has now been adopted by various sections of the society in a phased manner through its customized variants. The subscriber base under NPS has been growing steadily, touching 1.54 crore as on 31st March 2017, thereby recording a growth of 27% in FY 2017. The Assets under Management posted a growth of 47%, growing from 1.19 lakh crore to Rs 1.75 lakh crore in FY 2017. The growth in the private sector picked up on account of introduction of eNPS and fiscal stimulus in the form of tax breaks on partial withdrawals and service tax on annuity. Addition of new features like flexibility to change the Scheme Preference twice a year, introduction of second Central record keeping agency (CRA) which fostered competition and lowered charges, also provided traction to All Citizens of India (UoS) and Corporate sector. With a view to lower the entry barrier and thereby increase outreach, the minimum annual contribution to keep the NPS Tier I account active has been reduced to Rs 1000/- from Rs 6000 earlier, and it has been waived off for Tier II account. It is the vast multitude of the unorganized sector which continued to pose the biggest challenge of on boarding and persisting with a migratory population, having tenous labour market linkages, seasonal nature of employment and low level of income and therefore remained a focus area for us. The Atal Pension Yojana, with the benefit of the sovereign guarantee and the collaborative approach of the Banks and Post offices, has been able to attract subscribers from the "Bottom of the Pyramid" and had garnered 24.22 lakh new subscribers during FY 2016-17 of which a little more than half are eligible for Government co-contribution.

Besides the expansion in coverage, the provision of old age income security also entails working towards adequacy of income post working life, which can be done by optimizing returns through appropriate investment guidelines. Toward this, a new Asset class "A" (Alternate assets) which consist of commercial and residential mortgage based securities, units issued by Real Estate Investment Trusts, asset backed securities, units of Infrastructure Investment Trusts and Alternative Investment Funds regulated by SEBI have been added as investment options under NPS for the private sector.

Taking the next step, PFRDA has introduced two additional life cycle funds in addition to the existing life cycle fund (available under default mode) for NPS Private Sector subscribers. These Life Cycle Funds are the "Aggressive Life Cycle Fund" with equity allocation of 75% upto the age of 35 years and "Conservative Life Cycle Fund" with equity allocation of 25% upto the age of 35 years. It is also proposed that LC-50 (Moderate Life Cycle Fund) and LC-25 (Conservative Life Cycle Fund) will also be made available to the Government employee along with the other options in consultation with the Government.

PFRDA continued to leverage technology across the value chain to drive efficiencies and improve ease of access to NPS for the subscribers and providers alike. Introduction of Hindi version of eNPS, eSign facility

for Aadhaar based registration, continuous upgradation of the Mobile App, ePRAN for APY, online subscriber registration of DDO's in Govt sector are some examples. These initiatives will enhance the ease of access to the subscriber and appeal to the younger and technology savvy population, who continue to remain one of our focus segments.

PFRDA, post the notification of the PFRDA Act 2013, has been engaged in laying down an extensive framework of Regulations, guidelines and circulars aimed at strengthening the corporate governance of the underlying intermediaries and subscriber protection. These regulations and guidelines are continually reviewed and, if need be, amended to make the system more robust and effective. These include reviewing and increasing the age for exit from NPS, easing the norms for partial withdrawal, modification in the eligibility criteria for PoP registration etc. Besides, PFRDA is now in the process of transitioning from a prescriptive compliance based Supervision to a more proactive " Risk Based Supervision" which will enable us to efficiently focus the Supervisory resources towards entities and activities that pose the greatest risks.

India currently is in a demographic sweet spot with a predominance of young people, mostly under the age of 25 years. This has provided the policy makers and the regulators an opportune time to build a pensioned society through a multipronged approach. I believe that building mass awareness, imparting training, introducing changes- incremental and innovative – in product and process, leveraging technology, laying the framework of corporate governance, building a credible and well regulated environment for the market players are some of the steps that will enable us to make a non-disruptive transition from a pension less society to a pensioned society.

Chairman

Members of the Board

(As on 31.03.2017 appointed under Section 4 of the PFRDA Act, 2013 (Act 23 of 2013))

(a) Chairman

Shri Hemant G. Contractor

(b) Whole-Time Members

1. Dr. Badri Singh Bhandari, Whole-Time Member (Economics) from 16.05.2014 till date
2. Shri Pradeep Chaddah, Whole-Time Member (Law) from 30.06.2016 till date

(c) Part-Time Members

1. Ms. Vandana Sharma, Additional Secretary, Department of Pension and Pensioner's Welfare from 12th December 2014
2. Ms. Annie George Mathew, Joint Secretary, Department of Expenditure from 12th December 2014 till date
3. Mr. Suchindra Misra, Joint Secretary, Department of Financial Services from 23rd June 2016 till date

SENIOR MANAGEMENT OF THE AUTHORITY

EXECUTIVE DIRECTOR

Sh Satya Ranjan Prasad

CHIEF GENERAL MANAGER

Sh Kamal Chaudhary (On deputation to NPS Trust)

CHIEF GENERAL MANAGER

Sh A. G. Das

CHIEF GENERAL MANAGER

Sh V. Peri

CHIEF GENERAL MANAGER

Smt Sumeet Kaur Kapoor

GENERAL MANAGER

Sh Ashish Kumar

GENERAL MANAGER

Sh Rakesh Sharma

Abbreviations

AIF	Alternative Investment Fund
AML	Anti-Money Laundering
APY	Atal Pension Yojana
ASP	Annuity Service Provider
AUM	Assets Under Management
BOJ	Bank of Japan
BSE	Bombay Stock Exchange
CAB	Central Autonomous Bodies
CAGR	Compounded Annual Growth Rate
CBLO	Collateralised Borrowing and Lending Operation
CBS	Cor Banking Solution
CD	Certificates of Deposit
CFT	Cross file Transfer
CG	Central Government
CGMS	Central Grievance Monitoring System
CP	Commercial Paper
CPI	Consumer Price Index
CPIO	Central Public Information Officer
CRA	Central Recordkeeping Agency
CRA- FC	Central Recordkeeping Agency- Facilitation Centre
CSO	Central Statistical Organisation
DA	Dearness allowance
DB	Defined Benefit
DC	Defined Contribution
DDO	Drawing and Disbursing Officer
DCCB	District Central Co-operative Bank
DFS	Dept. of Financial Services
DTA	Domestic Tariff Area
DTO	District Treasury Office
ECB	European Central Bank
EEE	Exempt Exempt, Exempt

Abbreviations

EET	Exempt, Exempt and Tax
EMDE	Emerging market and developing economies
EME	Emerging Market Economies
EPF	Employee Provident Fund
ETF	Exchange Traded Fund
FCNR	Foreign Currency Non-Residential
FD	Fixed Deposit
FOMC	Federal Open Market Committee
FII	Financial Institutional Investor
FPI	Foreign Portfolio Investmnet
FRC	Fund Receipt Confirmation File
FTSE	Financial Times Stock Exchange
FY	Financial Year
GDP	Gross Domestic Product
GPF	General Provident Fund
GRC	Grievance Redressal Cell
GST	Goods and Services Tax
GVA	Gross Value Added
IBA	Indian Banks Association
ICT	Information and Communications Technology
IDR	Indian Depository Receipts
IMF	International Monetary Fund
INR	Indian Rupee
IPIN	Internet Personal Identification Number
IPO	Initial Public Offering
TPIN	Trading partner identification number
IRDAI	Insurance Regulatory and Development Authority of India
ITES	Information Technology Enabled Services
IVR	Interactive Voice Response System
KYC	Know Your Customer
MSF	Marginal Standing Facility
MGNREGS	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee

MFI	Micro Finance Institution
MIS	Management Information System
NABARD	National Bank for Agriculture and Rural Development
NAV	Net Asset Value
NBFC	Non-Bank Financial Companies
NISM	National Institute of Securities Market
NLTA	Non Lending Technical Assistance
NPS	National Pension System
NPSCAN	NPS Contribution Accounting Network
NPST	National Pension System Trust
NRE	Non Resident Rupee
NRI	Non-Resident of India
NRO	Non Resident Ordinary rupee
NSDL	National Securities Depository Limited
NSE	National Stock Exchange
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development
OMO	Open Market Operations
OTP	One Time Password
PMI	Purchasing Managers' Index
RBI	Reserve Bank of India
REIT	Real Estate Investment Trust
RRB	Regional Rural Bank
RTI	Right to Information
PAN	Permanent Account Number
PAO	Pay and Accounts Office
PrAO	Principal Accounting offices
PCE	Partial Credit Enhancement
PGSP	Payment Gateway Service Provider
PF	Pension Fund
PFI	Private Finance Initiative
PFM	Pension Fund Manager
PoP	Point of Presence

PoP-SP	Point of Presence Service Provider
PPF	Public Provident Fund
PRAN	Permanent Retirement Account Number
PSU	Public Sector Undertaking
SATCOM	Satellite Communication
SCF	Subscribers Contribution File
SDL	State Development Loan
SEBI	Securities and Exchange Board of India
SG	State Government
SHCIL	Stock Holding Corporation of India Ltd
SLBC	State Level Bankers Committee
SOT	Statement of Transactions
TB	Trustee Bank
UDAY	Ujwal DISCOM Assurance Yojana
UNFPA	United Nations Population Fund
WEO	World Economic Outlook
WPI	Wholesale Price Index
WTM	Whole Time Member
YTM	Yield of Maturity

Part I
Policies & Programmes

1.1 General Review of the Global Economic Scenario

The International Monetary Fund (IMF) in its World Economic Outlook (WEO), October 2016 revised the global growth projection by 0.1 percentage point to 3.6 for 2016, following the referendum in UK in favour of leaving the European Union (Brexit) and subdued prospects in the US. Such a subdued outlook has had a spill over impact in terms of weakened global trade and lowered inflations.

World economy picked up momentum from the second half of 2016, with the advanced economies being a major driver. The confidence about the future demand in the US economy picked up; in the United Kingdom, spending proved resilient even in the aftermath of the June 2016 referendum that favored leaving the European Union (Brexit). Japan's activity picked up on account of strong net exports, whereas in Euro countries, such as Germany and Spain, domestic demand was the main driver.

In the emerging markets and developing economies, their performances have reflected a mixed trend. China's performance remained strong with a continued policy support; India saw a dip in economic activity partially on account of demonetization of specified currency notes in the third quarter. Brazil remained affected adversely by a deep recession, while weak activity has also been witnessed in countries that are fuel and non-fuel exporters. Parts of the Middle East and Turkey have geopolitical factors that have been a hindrance to their growth story.

According to the World Economic Outlook, 2017, despite an upgrade in growth projections, there remains challenges to longer term prospects, in comparison to the kind of growth experienced during previous decades. One of the most significant challenges outlined by the WEO is the turn towards protectionism, mainly by advanced economies, which in turn may have an underlying impact on trade, or even trade warfare. The advanced economies have been battling low levels of growth since the global financial crisis, 2008, which have been accompanied by structural problems such as slow growth of their productivity, rising inequality and a slower rise in their median incomes, coupled with general disruptions in their labor market- all of which have garnered political support in ways that could undermine the existing trading relations and patterns, and general multilateral cooperation.

1.1.1 Inflation

The consumer price inflation was 0.3 percent for advanced economies in 2015, which has been the lowest since the global financial crisis. Since then, in the first half of 2016, inflation has moved up to about 0.5 percent on account of higher oil and other commodity prices outlook. In the EMDEs, inflation has held steady in tandem with stable exchange rates.

Chart 1.1: Global Inflation

(Year-over-year percent change)

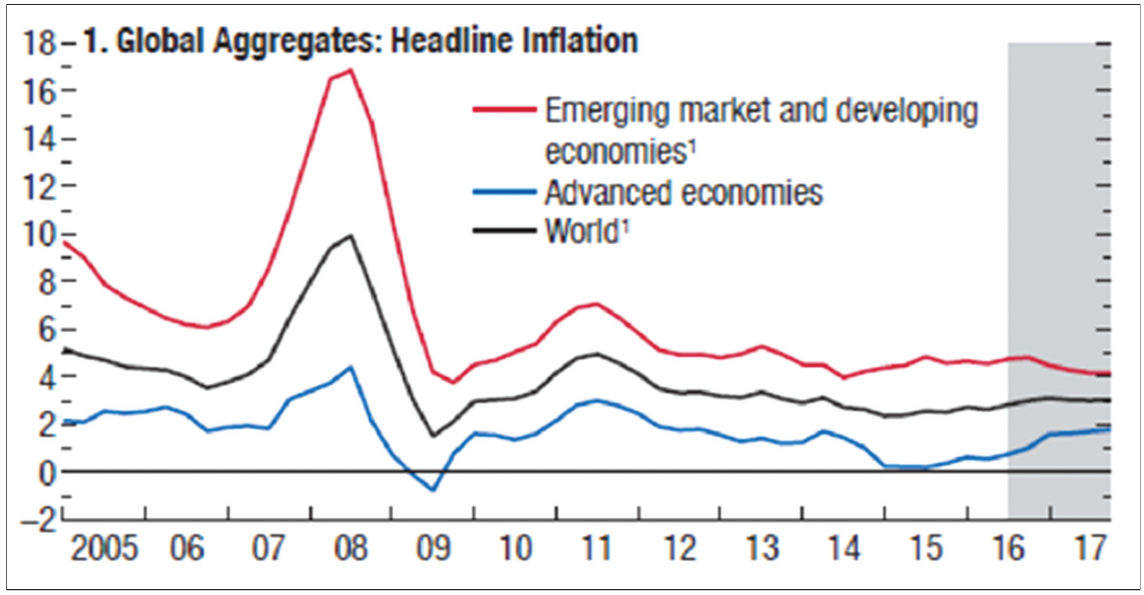

Source: WEO, October 2016.

1.1.1.1 Inflation Outlook for 2017-18:

The headline inflation is expected to be higher in general in 2017 than in 2016 against the backdrop of rising commodity prices. According to IMF, inflation is projected to be at 2.0 percent for advanced economies as a whole for 2017, against 0.8 percent in 2016. In the emerging market economies, it is expected to be at 4.7 percent in 2017, up from 4.4 percent previously.

1.1.2 Financial Market

One of the major events in the global financial scenario in 2016 was the Brexit vote that caught investors by surprise and caused short term volatility. However, there were no lasting short term disorders in the global markets, mitigated in time by the quick and adequate response by the central banks, other than a sharp volatility in the U.K.-based real estate funds. However, the upcoming challenge lies in the uncertain course of events in long term future due to Brexit's impact on the United Kingdom's globally integrated financial sector and the trade arrangements with EU and the rest of the world.

The prolonged slowdown in the global growth, especially the advanced economies, has prompted a prolonged period of low inflation and low interest rate in the pasts, and subsequent expectation of such a trend by the financial markets. Though an accommodative monetary stance was necessary to help boost demand via consumption and investment, an extremely prolonged accommodative stance could hurt the banks and financial institutions, which would have a tough challenge in staying profitable and sustainable in the environment of prolonged low interest rates. Lower yields also pose a challenge to the insurers and pension funds that offer guaranteed returns and benefits to its customers.

1.1.2.1 Bond market:

Consistent with the persistent low inflation and expectation of policy rates in the lower zone, the long term bonds have reflected interest rates on the downward trend through much of 2016.

Chart 1.2: Global Bond Real Yields- A Declining Trend

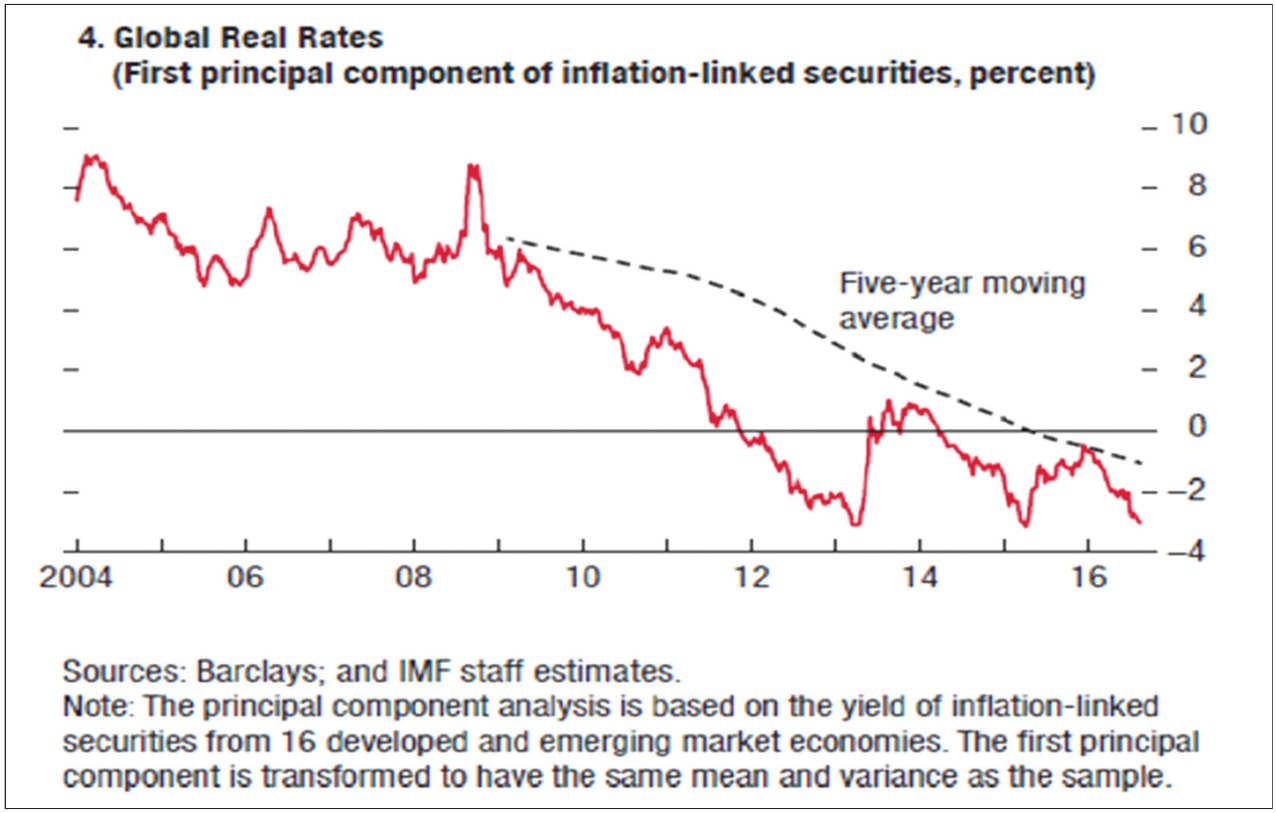

The global financial markets have been riding on the lowered expectations in the short term interest rates. This is what gets partially reflected in the lowered yields. The other aspect is the term premium component of the bond yields, which is a measure of the compensation for the risk borne by the investors. According to the IMF, there has been a progressive erosion of term premiums for many major economies, even turning negative for countries such as Germany, Japan, UK and the US.

The erosion in the term premium on bonds is, in turn, on account of bulk purchases made by the central banks around the world that has pushed the premium down. Besides, a new set of **aging population and this demographic shift** has perhaps resulted in higher demand for safe assets. Subsequently**, demand for safe long duration assets has risen from investors such as the insurers and the pension funds**. Lastly, demand for these safe instruments has risen with higher political and policy uncertainties globally.

1.1.2.2 Challenges for Life Insurance Companies and Pension Funds in a Low-Rate Environment

The outlook for many insurance companies deteriorated in 2016 due to the expectations of low interest rates in the markets, with their equity prices declining for many insurance companies in 2016. These sustained low interest rates are hampering the viability of business models for many life insurance companies and pension funds. It brings new challenges because the demographic dynamic change is bringing in a large set of aging population, which would result in an increased need of funding by the pension funds. Pension funds are already facing funding gaps because of the present value of the future liabilities exceeding their market assets. With the sustained low interest rate in picture, the funding gap could widen due to a smaller discount rate on the present value of the future liabilities.

Chart1.3: U.S. Pension Fund Discount Rate: Plummeted in the low interest rate environment.

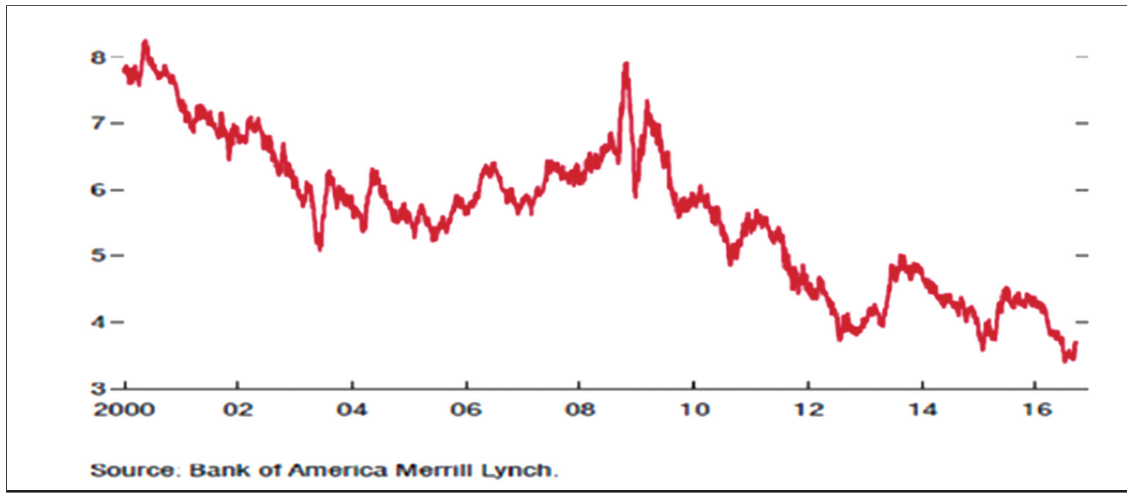

The more shifts there are in asset allocation towards these assets, the more the decline on these yields are possible. This potential vicious cycle could affect the funding gaps adversely further in future. Besides, the insurance sector is an important player in the global financial markets. With the interconnectedness among the pension funds, insurance companies and the global financial system, there are contagion risks that can spill over from large insurance companies being strained in the low interest rate environment. This underscores the need for enhanced regulatory conditions to safeguard against such risks.

1.1.2.3 Global Stability Challenges in the New Era

The global economic and political scenario brings challenges to raise global growth. The financial system needs to be strengthened and countries need to infuse positive confidence to the global system to avoid economic and financial stagnation. The weak economic environment since the Global Financial crisis has given rise to discontent over subdued income growth and rising inequality. This has made space for protectionist and populist policies, which may hamper the global financial system and overall growth. An important risk is that U.S. policy imbalances could lead to tighter financial conditions and a rise in volatility and risk aversion, which could aggravate the financial system in the emerging markets by leading to capital outflows from these markets. Inward looking policies by advanced economies would hurt Asia largely because of its large financial, trade and labour market integration.

There is also the risk from China's rebalancing its economy from investment towards consumption led growth. Though the reform is hailed as an important for long term sustainable Chinese economy, it is to have impact on many economies. Asian economies would have to face large impact due to its trade and financial linkages. This balancing away from investment to consumption would lead to a decline in demand of imports by China for commodities.

1.2. Domestic Economy

1.2.1 Macro-economic Developments in India

GDP at current prices in the year 2016-17 is estimated at Rs. 151.84 lakh crore, showing a growth rate of 11.0 percent over the estimates of GDP for the year 2015-16 of Rs. 136.82 lakh crore.

Real GDP or GDP at constant (2011-12) prices for the year 2016-17 is estimated at Rs 121.90 lakh crore showing a growth rate of 7.1 percent over the year 2015-16 of Rs. 113.81 lakh crore.

The per capita income in real terms (at 2011-12 prices) during 2016-17 is likely to attain a level of Rs. 82,269 as compared to Rs. 77,803 for the year 2015-16.

Table1.1: Quarterly percentage change of GVA at Basic Prices for 2016-17 (at 2011-12 prices) over previous year

Industry	Q1	Q2	Q3	Q4
Agriculture Forestry and Fishing	2.5	4.1	6.9	5.2
Mining & Quarrying	-0.9	-1.3	1.9	6.4
Manufacturing	10.7	7.7	8.2	5.3
Electricity, Gas, Water Supply & other utility services	10.3	5.1	7.4	6.1
Construction	3.1	4.3	6.4	-3.7
Trade, Hotels, Transport & Communication and services related to broad casting	8.9	7.7	8.3	6.5
Financial, Real estate & Professional Services	9.4	7	3.3	2.2
Public administration, defence and other services	8.6	9.5	10.3	17
Total	7.6	6.8	6.7	5.6

1.2.2 Inflation

Chart 1.4: WPI & CPI inflation

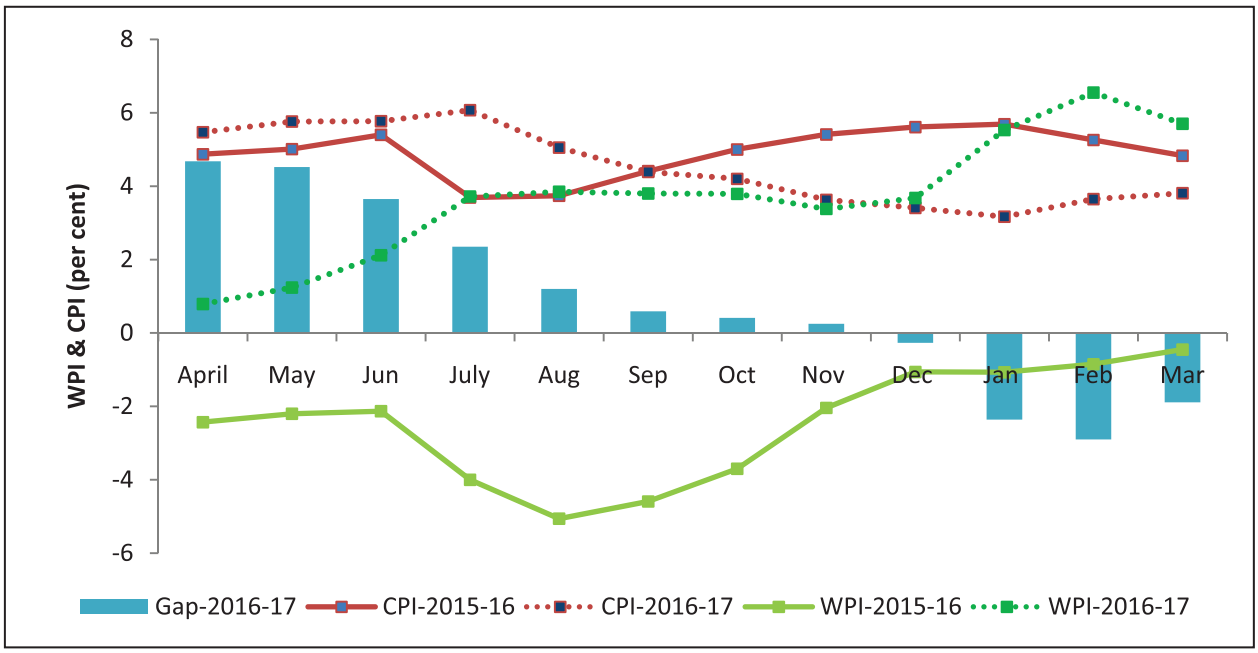

After witnessing decline during the last quarter of 2015-16, inflation based on the Consumer Price Index (CPI) was on upward trajectory during the first quarter of FY 2016-17. After reaching the highest 6.07 % in July 2017, it witnessed a downward spiral and reached to 3.17% in January 2017. During the last two months of the FY 2016-17, there was an upward trajectory in the CPI inflation. The decline during July 2016 to January 2017 period was due to fall in food prices, which again witnessed an increase with increase in fuel price during the last two months of the FY 2016-17, putting upward pressure on the CPI inflation.

WPI inflation which remained in negative territory throughout in 2015-16, witnessed upward movement during most part of FY 2016-17. The gap between the CPI and WPI inflation narrowed down during April – November 2016 and became negative in December 2016, before rising in the next two months i.e. January – February 2017. The increase in WPI was due to surge in international commodity prices.

1.2.3 Financial Markets

Liquidity condition

RBI in its monetary policy review on April 5, 2016 reduced the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) by 25 basis points from 6.75 % to 6.50 %. RBI adjusted reverse repo rate under LAF to 6.00 % narrowing the policy rate corridor from (+/-) 100 bps to (+/-) 50 bps, and reduced marginal standing facility rate(MSF) by 75 bps (to 7 percent) with a view to ensuring finer alignment of weighted average call rate (WACR) with repo rate. The minimum daily maintenance of cash reserve ratio (CRR) reduced from 95 % of the requirement to 90 % with effect from the fortnight beginning April 16, 2016.

In its April policy meeting RBI indicated that it would move to a neutral liquidity regime from its target of a banking system deficit of 1% of net demand and time liabilities (NDTL), which has been the norm for the past six years. Ample liquidity prevailed during most of the fiscal, with demonetization contributing toward keeping the call rate low. To drain excess funds, the RBI resorted to issuance of securities under the Market Stabilization Scheme (MSS) and temporarily raising the incremental cash reserve ratio on deposits with banks.

Government Securities Market

G-Sec market opened the first quarter of FY 2016-17 on positive note on the back of Fed Reserve Chair's cautious stance on raising interest rates. Gilt yields hardened and rising international crude prices added an upside. In Q2 Gilt yields softened with abundant liquidity and optimism generated by the satisfactory progress of the monsoon. The post-Brexit resumption of portfolio flows into the gilt segment of the bond markets also softened yields. Global funds pushed out of advanced economies due to negative yields and also profit booking by banks. The new 10-year benchmark announced on August 29, 2016 closed at 6.98 per cent on September 2, when trading ceased in that segment, setting the stage for the OTC market. Overall in H1 of 2016-17, gilt yields eased by more than 50 bps as against a policy repo rate cut of 25 bps.

Yields in the government securities (G-sec) market remained volatile in H2, induced by three major events. First, G-sec yields softened in October 2016 following the 25 bps policy repo rate cut by the Reserve Bank and the yield curve shifted downwards. Second, G-sec yields softened significantly after the announcement of demonetisation and the resultant surge of liquidity in the system. The yield on the benchmark 10-year paper dropped from 6.80 per cent on November 8, 2016 to 6.19 per cent on November 24, 2016 (touching an intra-day low of 6.11 per cent on November 25, 2016, i.e., below the policy repo rate). Yields aligned with the policy rate in the first week of December 2016. Yields hardened in December 2016 due to factors like imposition of incremental CRR to absorb surplus liquidity in the banking

system; portfolio outflows from the debt market following the hike in interest rate by the US Fed accompanied by the hawkish statement about future rate hikes; expectations of fiscal stimulus in the US (which pushed up US bond yields); rising crude oil prices; and the status quo on monetary policy announced by the Reserve Bank.

G-sec yields hardened in February 2017 and the yield curve steepened in response to the shift in the monetary policy stance of the Reserve Bank from accommodative to neutral, higher CPI inflation excluding food and fuel, and bunching of Ujwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY) bonds with State Development Loans (SDLs) issuances. The generic 10-year yield rose on the date of announcement of the change in the monetary policy stance in February by 31 bps to 6.93 per cent.

The reduction of market borrowings in Q4 of 2016-17 through dated securities and T-bills, which reduced the supply of sovereign paper in the market by Central Government, had bearing on the G Sec yields.

Chart 1.5: 10 Year G-Sec Yield (%)

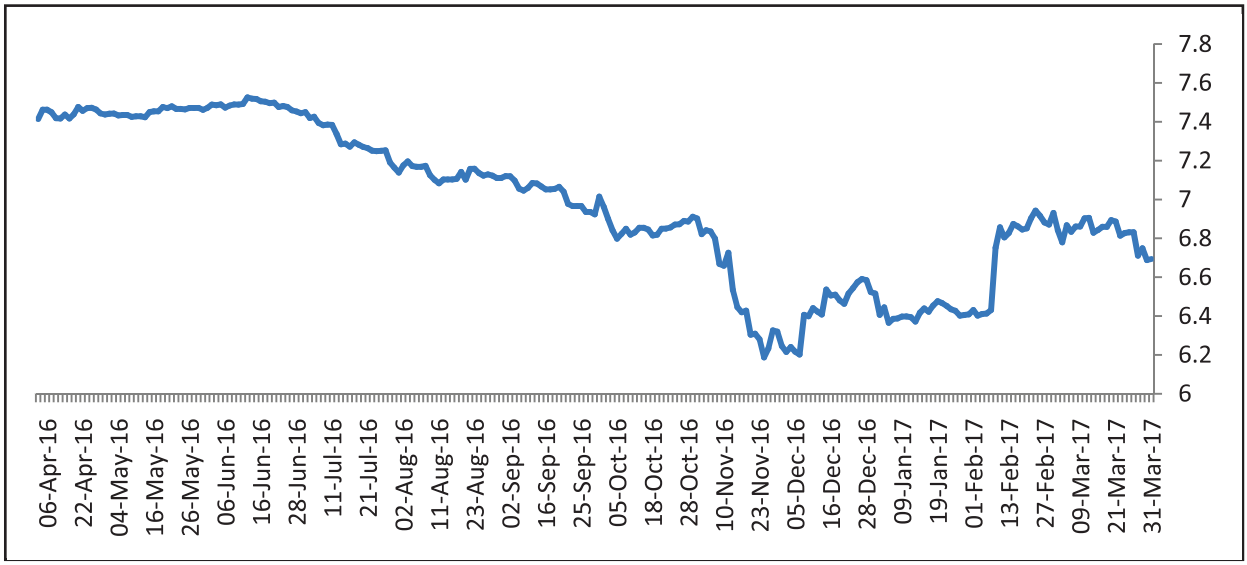

Corporate Bond Market

In the corporate bond segment, issuances fell by 4.1 per cent in Q1 indicating subdued corporate investment with a preference for refinancing rather than investing in new capacities. Corporate bond yields – especially on AAA corporate bonds – declined significantly in Q2, tracking gilts. This stimulated a spate of issuances to take advantage of the rate differential vis-à-vis bank lending rates. Overall resources mobilized through private placement increased by around 12 per cent in H1 over the corresponding period of last year. Corporates also raised resources through issuances of masala bonds. These bonds are denominated in rupees and entail no exchange rate risk for the issuers. With these alternative avenues, corporates have cut down substantially on their recourse to external commercial borrowings.

The corporate bond yield (AAA 5-year benchmark) softened between October 2016 and January 2017, tracking the movements in G-sec yields on surplus liquidity conditions after demonetisation. However, after the February monetary policy announcement, the corporate bond yield hardened before declining at end of March 2017.

Foreign portfolio investment in the corporate bond market declined during November 2016 to January 2017 on account of risk-off strategies followed by international investors. Portfolio flows turned

positive from February due to global risk-on portfolio shifts and also to take advantage of higher domestic yields. Some of the measures announced to deepen the corporate bond market were (i) enhancing the aggregate limit of partial credit enhancement (PCE) provided by banks to 50 per cent; (ii) permitting brokers in corporate bond repos; and (iii) allowing consolidation and re-issuance of corporate bonds.

Equity Market

Equity markets witnesseda choppy trading in Q1. The Brexit referendum caused some panic Foreign Portfolio Investment (FPI) selling. However, in the last week of June, the Sensex recovered these losses and posted increases on the back of optimism over the progress of the monsoon and the Cabinet's approval of the 7th Pay Commission recommendations.

The prospects of the Goods and Services Tax (GST) coming into force also lifted market sentiment. Overall, the benchmark BSE Sensex posted a gain of around 21 per cent over its February 2016 level in the first half of 2016- 17. Through the first half of 2016-17, resource mobilisation through Initial Public Offerings (IPOs) and right issues has been high – 32 companies raised Rs. 162.9 billion in H1 as against Rs. 126.6 billion during the same period a year ago. This buoyancy in IPOs also evinced strong retail interest.

In H2 the stock market (BSE Sensex) gained by 6.3 percent. In October 2016, the stock market remained volatile due to factors such as increasing prospects of an interest rate hike by the US Fed in December and consequent portfolio outflows. Following the 25 bps cut in the repo rate by the Reserve Bank in October 2016, it gained modestly. During November 2016, the BSE Sensex plunged by 4.6 per cent on uncertainty over the impact of demonetisation on economic growth and corporate earnings and also portfolio equity outflows triggered by the risk-off market reactions to the US presidential election results.

The stock market revived in January 2017 due to value buying by domestic institutional investors, better than expected quarterly corporate results for Q3, revival of foreign portfolio equity investment from mid-January and positive cues from global markets. The recovery continued in February 2017 on proposals made in the Union Budget, particularly a lower fiscal deficit target for 2017-18, exemption of category I and category II foreign portfolio investors from taxation on indirect transfers, and an unchanged capital gains tax rate for the capital market. FPIs stepped up buying following the status quo maintained by the US Fed and positive cues from global equity markets.

In March, the stock market gained further on better than expected Q3 GDP growth estimates in India released by the CSO, PMI for both manufacturing and services for the month of February pointing to expansion after the demonetisation-induced contraction, and approval of the draft Central GST (CGST) and Integrated GST (IGST) bills by the GST Council.

Chart 1.6: SENSEX and NIFTY movement

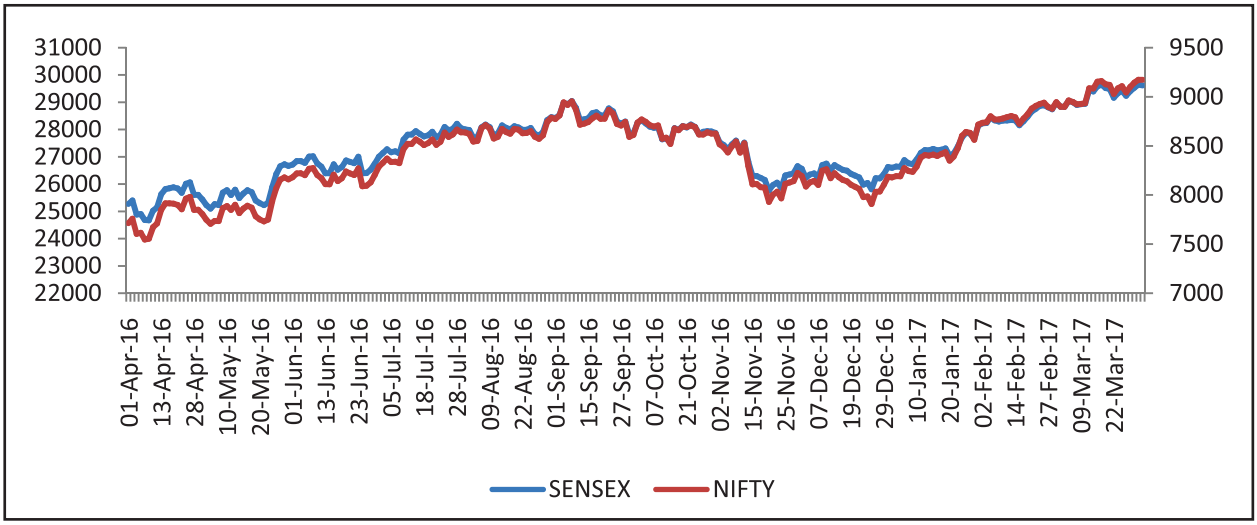

1.3. Review of Global Pension Market

According to OECD, worldwide Investments by pension vehicles in financial markets were to the tune of US$ 38 trillion in 2015. Of these, US$ 36.9 trillion was invested by the 35 OECD countries, the corresponding figure for a sample of 45 non-OECD countries, including BRICS countries, amounted to US$ 1.3 trillion.

Chart 1.7 : Private Pension Investment

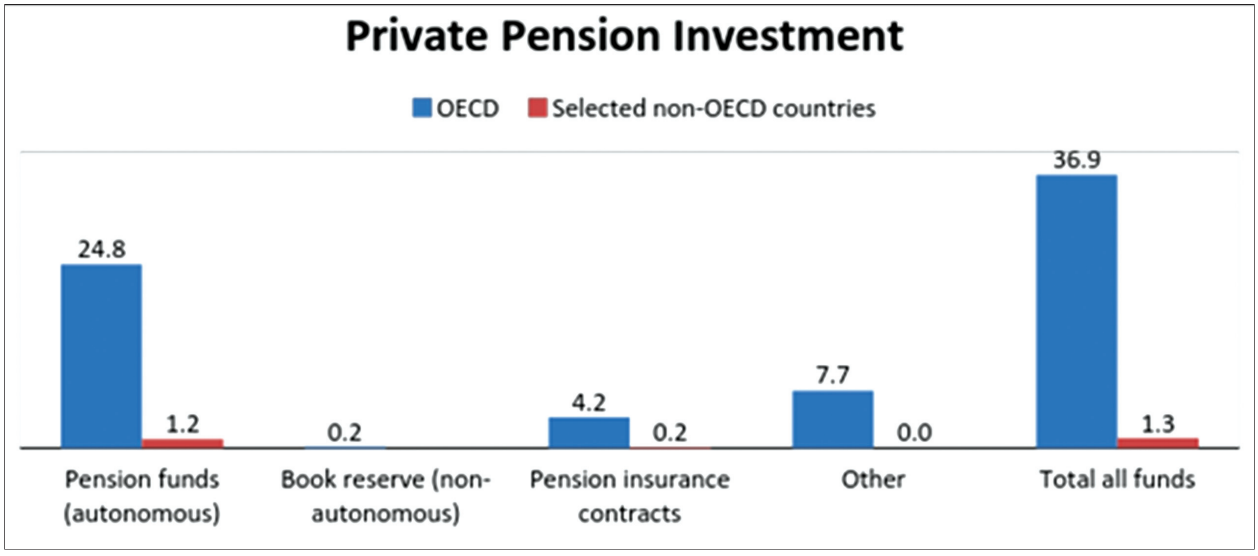

Source: OECD data (in USD trillion)

From the figure above it is highlighted that the pension funds are the major vehicles for retirement savings in both OECD and selected non-OECD nations. Besides, the size of the private pension investments in the select non-OECD is comparatively small in relation to OECD nations. The total 1.3 trillion US$ of the non-OECD nations is a mere 3.523% of the total US$ 36.9 trillion that belong to the developed OECD nations. Even in relation to the GDP, the pension market in developing nations has a huge scope for

improvement as can be seen from the graph below. The ratio of private pension investment to GDP is as high as 205.9% in Denmark, and the trend is similarly high for other developed nations, while in countries such as India, it is 0.8% of GDP (only NPS fig. included) and 1.4% of GDP for China.

Chart 1.8 : Size of private pension investments worldwide as a percentage of GDP, 2015

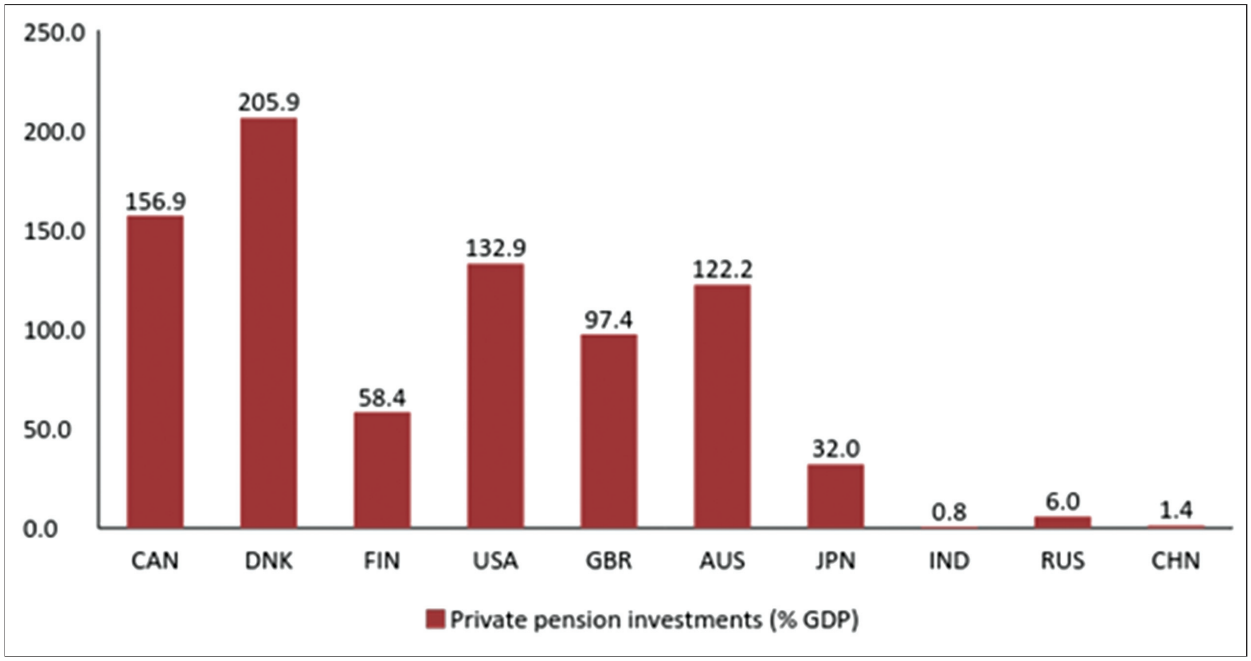

Source: OECD

In general, pension funds have witnessed an increase in the investments between 2010-2015. According to OECD, the pension fund investments grew on average by 4.3% over the 5-year period between Dec 2010-Dec 2015. The Table 1.2 depicts this size of investment over the time period between 2010-2015 for select countries. In the subsequent Chart 1.9, the annual rate of growth in the pension fund investment has been compared between India and China. While China has witnessed a positive year on year growth, the trend is linearly downward. In contrast, India has a varied movement with alternate years of high and low.

Table 1.2 : Total investment of pension funds in selected countries, in millions of US$, 2010-2015

Countries	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Canada	1,047,504	1,072,056	1,199,201	1,260,157	1,297,732	1,195,696
Denmark	154,612	154,535	161,358	146,700	152,349	130,393
France	5,345	6,470	8,840	11,860	12,594	13,282
Germany	187,280	192,912	221,112	236,932	236,204	218,473
Iceland	17,132	17,507	18,773	23,196	22,985	25,277
Japan	1,730,255	1,814,972	1,674,619	1,406,066	1,302,813	1,326,799
Switzerland	661,168	664,571	734,001	807,893	785,906	793,201

Countries	2010	2011	2012	2013	2014	2015
United Kingdom	2,018,041	2,232,598	2,529,995	2,810,564	2,784,630	2,690,204
United States	11,041,475	11,021,671	11,926,687	13,712,784	14,240,069	14,249,746
Brazil	319,785	308,273	315,153	273,965	250,471	174,675
China	42,413	56,659	76,650	98,896	125,658	146,746
India	3,347	2,848	5,450	6,819	11,465	16,253
Indonesia	13,983	15,058	15,900	12,930	14,963	14,506
Russia	..	..	..	117,179	70,850	65,767
South Africa	331,501	298,395	323,385	306,107	317,525	..
Thailand	19,165	19,532	22,847	22,965	25,529	24,667

Source: OECD data

Chart 1.9 : Annual Growth Rate in the Total Investment of Pension Funds for India and China

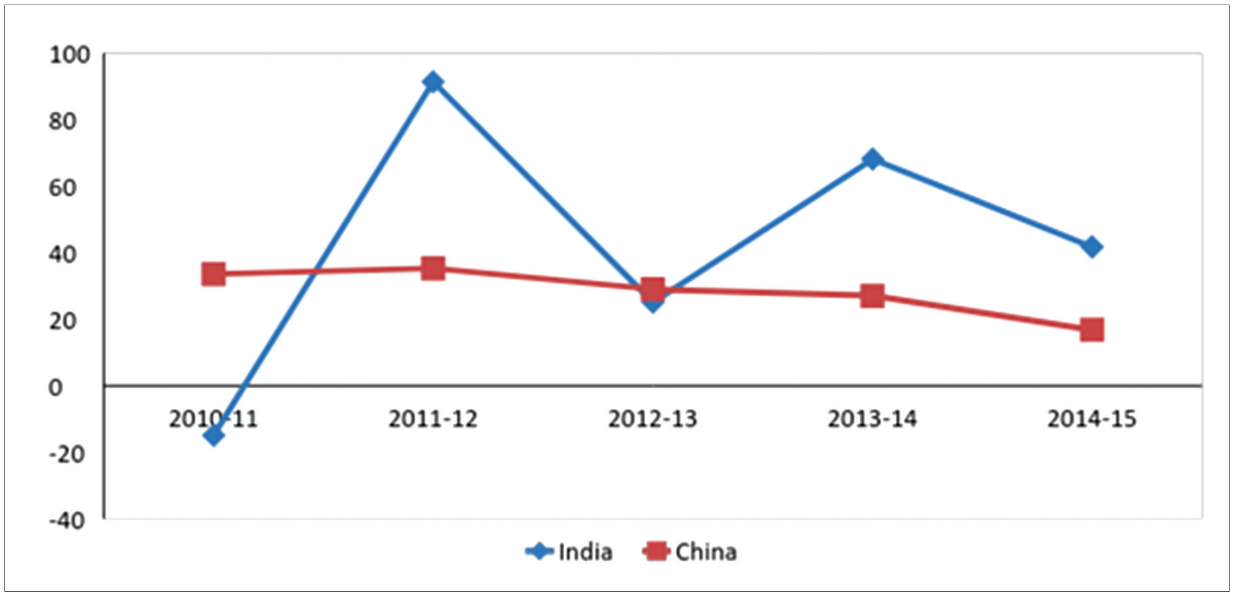

Source: OECD data

The OECD has also reported a positive real rate of return net of investment expenses for most of the pension fund investments across nations. For all the nations reported, the average 5-year investment rates of returns were positive and remained so even after having been accounted for inflation. The OECD is also of the view that returns of the pension fund investments are most likely driven by the movements in the equity and bond markets as the findings show that most of the pension fund investments are directed towards these two asset classes.

Chart 1.10 : Pension fund 5-year Nominal & Real Average Annual Return for select Nations; 2010-2015

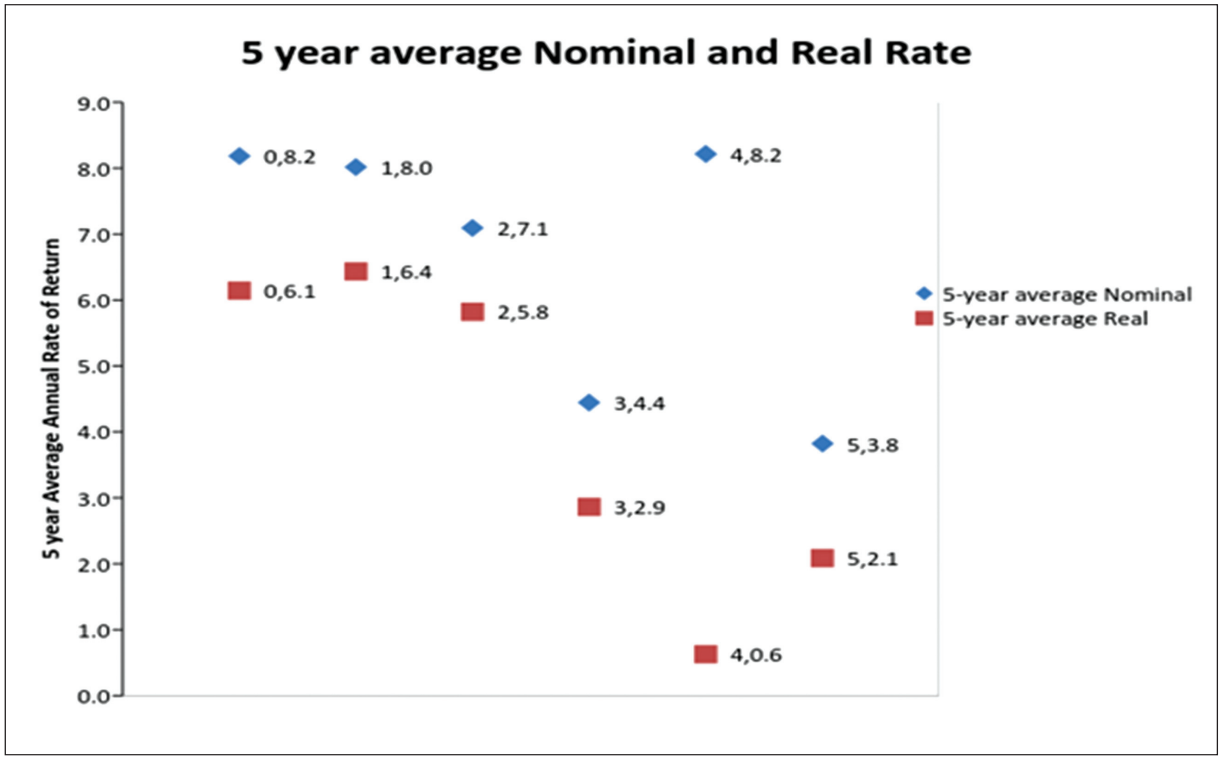

Source: OECD.

Table 1.3 : Share of pension fund portfolio in equities and bills & bonds in selected countries, 2013-2015

(As a percentage of total investment)

Countries	2013			2014			2015		
	Equity	Bills & Bonds	Cash, Deposits, Others	Equity	Bills & Bonds	Cash, Deposits, Others	Equity	Bills & Bonds	Cash, Deposits, Others
Canada	31.70	34.60	33.60	30.10	35.60	34.30	28.30	34.80	36.90
UK	22.80	31.00	46.20	21.30	32.40	46.30	20.20	34.40	45.40
US	46.20	35.20	18.60	46.10	35.40	18.50	44.20	37.00	18.90
Denmark	15.30	66.40	18.30	15.90	60.20	24.00	17.80	63.10	19.00
Australia	49.10	8.50	42.40	50.30	8.70	41.00	50.60	9.10	40.40
Thailand	14.20	57.20	28.50	16.70	52.10	31.20	16.30	57.80	25.90
India	8.64	86.53	4.83	10.20	86.10	3.70	10.65	85.95	3.40

Source: OECD

1.4. Major Announcement for NPS in Budget 2017

In the Budget 2017, a new clause (12B) in the section 10 of Income Tax Act, 1961 has been inserted to provide exemption on partial withdrawal not exceeding 25% of the contribution made by an employee.

Salaried Employee also gets the tax benefit on employer contribution to his/her NPS account. Contribution made by the employer upto 10% of

salary (Basic + Dearness Allowance) can be claimed as deduction from the taxable income under section 80CCD(2) of the Income Tax Act,1961. There is no upper cap (in terms of amount) on this tax deduction. This deduction is over and above the deductions provided under section 80 CCD(1) with a ceiling limit of Rs 1.5 lakhs and that of Rs 50,000 under Section 80CCD(1B). However, this benefit is available to salaried employees only. For self-employed contributions upto 10% of the Gross Income was deductible from the taxable income under section 80CCD(1) of the Income Tax Act, subject to a ceiling of Rs. 1.50 lakhs under Section 80CCE. In the Budget 2017, the limit of contribution eligible for deduction for self-employed individual has been increased to 20% of Gross Income. This enhanced limit will be applicable for contribution made on or after 1st April 2017.

1.5. Indian Demography and Old Age Income Security

India's rich demographic dividend makes it a young country and is expected to remain so for the next couple of decades. About 50% the population was under the age of 25 years as per Census 2011, almost 90% of the population was below the age of 60 years and the working age population proportion stood at 44% in 2015. But the population is also ageing with each passing day. The share of the elderly in total Indian population has risen to 8.6% in 2011 from 5.6% in 1961. According to the 'Population Projections for India and States 2001 - 2026', this would increase further to 12.4% by 2026. Further, every fifth Indian will be a sexagenarian in 2050 compared with one in 12 now. Thus, by 2050, India would be in a similar position to today's developed world in terms of the share of the elderly in population. For India, the old age dependency ratio as per 2011 census data stood at 142 per 1000, or a ratio of one elderly person for 7 people of working age. As per technical projections, the old age dependency ratio will rise to 192 per 1000 by 2026. This implies that for each elderly person, we would have only 5 people of working age.

As per World Health Organisation, India's life expectancy has also been on the rise – going from 62.5 in 2000 to 68.3 in 2015. Also, the life expectancy at age 60 stands at 17.9 in 2015 vis-à-vis 16.5 in 2000. Significantly, there is a difference in life expectancy across gender, with female life expectancy being higher than male, both at birth and at age 60. For 2015, the life expectancy at birth and at age 60 stood at 69.9 and 18.6, respectively, for females, compared with 66.9 and 17.2 for males. Our generation will live longer than previous ones due to better income levels, improved medical and healthcare, implying the need to accumulate enough funds that can sustain longer life and take care of healthcare needs and other such expenses.

From a pension perspective, an increase in life expectancy at age 60 impacts the fiscal spending that the government might need to entail on old age care. Since females have been mostly dependent on their counterparts, a longer life expectancy for females implies increased social support from the exchequer. Further, industrialization, urbanisation and migration of population have brought the concept of nuclear family resulting in declining inter-generational support within families. This makes it imperative to have a well-developed, self-sustaining pension system in the country.

1.6. Indian Pension Landscape

The landscape of Indian pension system includes non-contributory social pension schemes financed by the Government to provide minimum level of protection like National Social Assistance Programme (NSAP), mandatory defined benefit pension scheme on pay-as-you-go basis like Civil Service Pension for employees who joined service before 2004, Employees' Provident Fund (EPF) and Employees' Pension Scheme(EPS) under the EPFO, other Statutory Provident Funds like Coal Mines, Seamen's, Assam Tea Plantations etc. schemes, the National Pension System (NPS) for the Central government employees joining on or after 1st January 2004 on mandatory basis, employees of those State Governments who have joined NPS, NPS for all citizens on voluntary basis covering both

employees and self-employed including those in the unorganised sector, Public Provident Fund, retirement and superannuation plans offered by insurance companies and mutual funds.

The fiscal stress of the defined benefit pension system was the major factor driving pension reforms and introduction of NPS for Government employees. Owing to the financial and practical difficulties of extending coverage to the unorganised sector through the mandatory scheme like EPF (specially for organized sector workers), voluntary retirement savings are seen as an important policy tool to extend the coverage of pension provision in India. The important policy measure to achieve a higher coverage of the unorganised sector workers (about 84% of the total labour force of 47.29 crore workers without any formal pension provision) under the pension system is the extension of the NPS, which is a financially self-sufficient, low cost and efficient system.

NPS introduced earlier for the government sector has also been extended to new segments, such as, autonomous bodies, State Governments and un-organised sector. NPS has been adopted resoundingly by the State Governments. Twenty seven State Governments and Union Territories have notified adoption of NPS for their new employees. To encourage people from the unorganised sector to voluntarily save for their old age, Government had launched the co contribution scheme - Swavalamban Scheme in September, 2010.

Subsequently, Atal Pension Yojana(APY) was launched on 9th May, 2015 by the Prime Minister and the Scheme is being implemented with effect from 1st June, 2015 with the focus on unorganized sector. The subscribers under APY shall get a Govt guaranteed pension of Rs 1000, Rs 2000, Rs 3000, Rs 4000 or Rs 5000 depending upon the contribution level opted by them. APY, DB pension scheme has a total of about 48.64 lakh subscribers and corpus of Rs. 1751 crore as on 31 March 2017. As on 31 March, 2017, 231 banks which include Public Sector Banks, Pvt. Banks, Foreign Banks, Regional Rural Banks, District Commercial Banks, Schedule Commercial Banks, Urban Commercial Banks and the Department of Post through its Post Offices are involved in APY subscribers enrolment and servicing.

Till 31st March 2017, a total of 154.39 lakh members/ subscribers (incl. APY) have been enrolled under the NPS. Assets Under Management which includes the returns on the corpus under the NPS have witnessed an increase from Rs. 118,810 crore as on 31 March 2016 to Rs. 1,74,561 crore as on 31 March 2017, registering an increase of 46.92 per cent. APY, a minimum guaranteed pension scheme launched in June 2015 has a total of about 48.64 lakh subscribers and corpus of Rs. 1885crore as on 31 March 2017.

The number of Subscribers, Corpus and Assets Under Management under NPS are given in table below:

Table 1.4 : Number of Subscribers, Corpus and Assets Under Management under NPS/APY (as on 31st March 2017)

	No. of subscribers	Contribution (Rs. crore)	AUM (Rs. crore)
Central Government	1,788,699	48,452	67,040
State Government	3,332,526	67,099	84,917
Corporate	585,650	12,131	14,953
Unorganized	439,097	3,025	3,126
NPS Lite/Swavalamban	4,429,342	2,119	2,639
APY	4,863,699	1,751	1,885
Grand Total	**15,439,013**	**134,577**	**174,561**

Both NPS and APY are comparatively new schemes and awareness of these schemes needs to be spread for their acceptance across the various segments of the society. Government support to these schemes in the form of tax benefits and guarantee for APY increases the appeal of these schemes but they still have to be pushed to the people. The major challenges in extending the NPS for all citizens are increasing the awareness and financial literacy among potential subscribers through publicity campaigns, increasing the distribution and marketing network of NPS and ensuring tax equivalence with other pension products such as EPF, GPF, PPF etc. There is a strong need to have trained advisors for consultative selling, given the low level of awareness about pension and retirement planning. PFRDA is appointing retirement advisors who will help the prospects/ subscribers in deciding retirement plans and guide them toward a financially secure retirement.

Further, to ensure dissemination of NPS awareness, PFRDA has aggressively embarked upon promotional and developmental activity by appointing a dedicated agency for imparting training and capacity building for officials of banks, post offices, POPs, Nodal Offices etc which are the primary distribution channels for the NPS and the APY.

PFRDA continued to leverage technology across the value chain to drive efficiencies and improve ease of access to NPS for the subscribers and providers alike. e-NPS, a convenient online based subscriber registration and contribution facility for NPS has been introduced for the existing and potential subscribers. eNPS facilitates opening of Individual Pension Account under NPS and making initial and subsequent contribution to the Tier I as well as Tier II account online. This feature also enables the subscribers to change their Pension Fund Managers, Asset Class, Allocation Ratio, and Scheme Options after authentication. NPS subscribers can initiate withdrawal request from Tier II account by using their login credentials and OTP authentication on registered mobile number.

In order to increase the pension coverage in the country, PFRDA is studying various international best practices including Auto enrolment as adopted by various countries like New Zealand, United Kingdom, Turkey, etc and bundling of other components like health and life insurance to make the pension product more attractive.

1.7 A brief on the review of the objectives of PFRDA during the year.

The preamble to the PFRDA Act 2013, lays down the objectives of the Authority as the promotion of old age income security, through regulation and development and protection of the interests of the subscribers.

PFRDA has been actively engaged in the promotion and development of National Pension System (all its variants) and Atal Pension Yojana, regulation and supervision of all intermediaries under NPS towards the overall objective of provision of old age income security and protection of subscriber's interest. While engaged in these activities, in keeping with the Preamble of PFRDA Act 2013 and the best global practices, the PFRDA endeavours to achieve the following broad objectives/ outcomes:

1) Increasing Coverage
2) Security
3) Efficiency
4) Adequacy
5) Sustainability

Increasing Coverage

Provision of the old age income security to all sections of the population has been one of the important objectives of the Authority. While PFRDA Act 2013 mandates regulation of NPS, a number of variants of NPS have been introduced to cover different sections of the population viz Central Government, State Government, Corporate, All citizens, NPS Lite, Atal pension Yojana (a GOI scheme, administered and regulated by PFRDA). The Authority has been engaged in expanding coverage through creation of mass awareness

through print, electronic and social media, engaging a training agency for imparting training and capacity building for officials of banks, post offices, POPs, Nodal Offices etc, appointment of retirement advisors etc, facilitating ease of on-boarding and transaction through eNPS etc. Consequently, the subscriber base under NPS has grown from 1.22, crore to 1.54 crore in FY 17 i.e a growth of 26%.

Security

PFRDA has put in place an extensive framework of regulations under the PFRDA Act 2013 to ensure the security of pension assets to minimize the risk to the pension funds that have been accumulated to provide retirement benefits. These regulations include strenuous eligibility criteria for selection, detailed Corporate Governance frameworks, fit and proper criteria, extensive code of conduct, detailed roles and responsibilities, penalty structures for all intermediaries including pension funds to ensure the security of assets. These regulations have been reviewed and strengthened from time to time. In order to further strengthen the supervisory processes, the PFRDA, in collaboration with the World Bank, is also working on introduction of the Risk Based Supervision of intermediaries.

Efficiency

It has been the Authority's endeavour to optimize the efficiency in the system through maximizing net-of-fee returns to the subscribers subject to acceptable risks. This has been done through review of the investment guidelines from time to time to optimize the returns. Introduction of two new life cycle funds viz LC 25 and LC 75 and introduction of a new Asset class "A" for private sector subscribers is a step in this direction.

Efficiency also relates to the efficiency of the labor and capital markets, as each interacts with the pension system through direct contributions to pensions (through longer working lives and contributions, lower costs of capital, or greater financial inclusion) as well as through indirect contributions to jobs and investment. PFRDA has been actively engaged in financial inclusion through awareness creation for NPS and APY subscribers.

For capital markets, efficiency relates to capital market depth through the development of non-bank financial capital to fund productive investment and maximize the benefits of wider capital market reforms. PFRDA has been a part of number of inter regulatory groups and committees including Report of the Working Group on Development of Corporate Bond Market in India.

Adequacy

One of the important objectives of any pension system is ensuring that consumption smoothening of subscribers during their life cycle i.e facilitating accumulation of retirement benefit entitlements that protect them from old age income poverty. While NPS is a defined contribution scheme, without guarantee of any benefits, however, as a measure of Good practice, Authority's endeavour has been to work towards ensuring adequate pension wealth on retirement, through various measures including increasing the age of contribution to NPS beyond 60 years, review of investment guidelines for optimizing returns, increasing contributions through engaging with Government for tax concessions etc.

1.8. Intermediaries and other entities associated with National Pension System and other pension schemes covered under the Act

1.8.1 Intermediaries associated with NPS

The National Pension System (NPS) works under an unbundled architecture with each function assigned to specialized entities in the field. The NPS architecture consists of Points of Presence (POP), Central Recordkeeping Agency (CRA), Trustee Bank, Pension Fund Managers (PFM's), NPS Trust, Custodian and Annuity Service Providers.

Points of Presence (PoPs)

Points of Presence are banks and non-banking

financial companies etc registered with PFRDA for registration and servicing of the subscribers to the NPS. A PoP is the first point of interaction between the subscriber and the NPS. The registered PoPs have authorized branches called POP-Service providers (PoP-SP)to act as collection points and extend services to customers. The functions of the PoP include: subscribers registration, processing subscriber contributions, change in personal details, change in investment scheme/fund manager, processing subscriber shifting from one model to the other, issuing printed account statement, processing of withdrawal/ exit request on superannuation etc.

Central Record-keeping Agency (CRA)

NSDL e-Governance Infrastructure Ltd. and Karvy Computer Share Pvt. Ltd. have been designated the CRAs for the NPS. Their main functions include:

- Maintaining subscriber records, administration and customer service functions.
- Issuing Permanent Retirement Account Number (PRAN) for each subscriber, maintaining the database of all PRANs and recording transactions relating to each PRAN.
- Acting as the interface between the various intermediaries of the NPS system. This includes monitoring contributions by each member and instructions and communication of the same to the pension funds. Periodically, they also send PRAN statement to each member.
- Providing a centralized grievance management system.
- Providing timely fund transfer to fund managers.
- Co-ordinate instructions with the trustee bank for remitting withdrawal funds to subscriber's account and to annuity service provider for the annuity scheme.

Trustee Bank

The trustee bank handles the flow of funds between various intermediaries under NPS. Axis Bank Ltd is the designated bank to facilitate fund transfers across subscribers, fund managers and the annuity service providers based on the instructions received from the subscribers through the CRA. The trustee bank receives funds from the nodal offices/ PoPs/ Aggregators and reconciles it with the subscriber contribution file. The trustee bank holds the funds in the name of the NPS Trust and the subscribers are the beneficial owners.

Pension Funds (PFs)

These are professional pension funds registered with PFRDA appointed to invest, judiciously and prudently, the pension corpus in a portfolio of securities and manage them. Currently there are eight pension funds namely – LIC Pension Fund Ltd, SBI Pension Fund Pvt. Ltd., UTI Retirement Solutions Ltd, ICICI Prudential Pension Funds Management Company Ltd., HDFC Pension Management Co Ltd., Kotak Mahindra Pension Fund Ltd., Reliance Capital Pension Fund Ltd., and. Birla Sun Life Pension Management Limited. Their functions include:

- Investing the contributions as per the instructions provided by CRA
- Constructing the scheme portfolio
- Maintenance of books and records, reporting to authorities and making disclosures.

Custodian of Securities

The securities purchased from NPS corpus in the name of the NPS Trust are held by the Custodian of Securities, who also facilitates securities transactions by making and accepting delivery of securities. The PFRDA has appointed the Stock Holding Corporation of India Ltd as the Custodian. The functions include:

- Having Custody of the Securities held in the name of NPS Trust, purchased out of NPS Corpus
- Maintaining details of securities held
- Collecting the benefits like dividend, rights, bonus etc. on securities

- Informing about the actions of the issuers of securities held that may impact the benefits.

NPS Trust

NPS Trust is a trust set up under the Indian Trusts Act, which holds the assets of the NPS for the benefit of subscribers. The Trust has the fiduciary responsibility of taking care of the funds and protecting the subscriber interests. The NPS Trust monitors and supervises the functioning of the Pension Fund Managers and interacts with other intermediaries like the Central Recordkeeping Agency (CRA), Trustee bank, Custodians and other entities.

Annuity Service Providers

Annuity Service Providers (ASPs) are insurance companies regulated by IRDAI, and empanelled by the PFRDA to provide the annuity to the NPS subscribers from the bouquet of annuities offered by them. Presently five ASPs have been empanelled which are Life Insurance Corporation of India, HDFC Life Insurance Co. Ltd, ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., SBI Life Insurance Co. Ltd., Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.

1.8.2 Types of Account

Under NPS following two types of accounts are available:

1. Tier-I account: Under Tier-I account the subscriber contributes his savings for retirement/ pension into this partially-withdrawable account. Premature withdrawals are allowed subject to certain conditions.
2. Tier-II account: This is a voluntary savings facility. Where the subscriber is free to contribute and withdraw the savings from this account whenever he/she wishes.

Beside the above Schemes under the NPS, PFRDA also administers and regulates the Atal Pension Yojana.

Table 1.5: Performance Highlights of National Pension System / Atal Pension Yojana during FY 2016-17

Measures	2015-16	2016-17	Growth (%)
Government Subscribers	4581505	5121225	11.78
All Citizen + Corporate Subscribers	688887	1,024,747	48.75
APY Subscribers	2484895	4863699	95.73
No. of POP-SPs	55581	69005	24.16
No. of APY-SPs	373	397	6.43
No. of CABs	510	528	3.53
No. of SABs	627	806	28.55
No. of Corporates	2370	3429	44.68
No. of officials trained	93015	23923	-74.28

- Government subscribers have increased from 45.82 lakh as end of March 2016 to 51.21 lakh subscribers as end of March 2017, registering an increase of 5.39 lakh (11.8%).
- Under Private sector, number of corporate subscribers has increased from 4.74 lakh to 5.86 lakh, an increase of 1.12 lakh (23.6%) subscribers. The subscribers under UoS/All Citizen have increased from 2.15 lakh as end of March 2016 to 4.37 lakh as end of March 2017, an increase of 2.22 lakh (32.22%) subscribers.
- No. of APY subscribers have almost doubled from 24.85 lakh subscribers at end of March 2016 to 48.63 lakh at end of March 2017. In percentage terms, it witnessed a growth of 95.73%.
- PoP-SPs increased from 55581 as end of March 2016 to 69005 as end of March 2017. Meetings, workshops with banks post offices and other entities are being conducted to push distribution channels vigorously. The number of active branches of banks almost doubled last

year. The number of active branches has incresed from 7,170 as end of March 2016 to 13,396 as end of March 2017. The no. of Service Providers for APY has increased from 373 as end of March 2016 to 398 as end of March 2017, registering a growth of 6.43 %.

- All employees of Central Government along with CABs and SABs and state governments which have adopted NPS are mandatorily covered under NPS. However, there are number of CABs and SABs which have not yet registered in NPS. This year 18 new CABs and 179 SABs have been brought under NPS taking total no. of CABs and SABs to 528 and 806, respectively.
- Corporate sector offers NPS to their employees on mandatory or voluntary basis. As end of March 2017, total 3429 corporates are registered under NPS against 2370 corporates as end of March 2016.
- To further the cause of fulfilling PFRDA's mandate of creating awareness about the need of saving for retirement and retirement planning, PFRDA undertakes various activities including imparting training through training agencies selected by PFRDA. These training agencies impart training to the Central and State Govt. nodal officers- Pay & Accounts Offices (PAOs), Drawing & Offices (DDOs), Points of Presence/ banks/ Post Offices aggregators, etc. involved in the registration of subscribers, about the salient features of the NPS / APY, the process of joining etc. Further, training workshops/ camps have been organized for subscribers across the sector and geography as a part of a wider financial consumer protection policy. Total 595 training sessions were conducted and 23923 officials were trained during the year.

Part II
Investment of Funds under NPS

This chapter deals with the investments of funds under NPS and other pension schemes covered under the Act, and the extent of exposure in the National Pension System, in different categories of investments including Government securities, debt securities and equities in accordance with Appendix II of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Reports, Returns and Statements) Rules, 2015.

2.1 Pension Funds (PFs)

The management of the assets under NPS and any other scheme regulated / administered by PFRDA is done by professional fund managers appointed exclusively for this purpose.

2.1.1 Functions of Pension Funds

The functions of the Pension Funds include:

a. Professional investment of assets under management as per investment guidelines prescribed by the Authority and in the best interest of subscribers.

b. Scheme portfolio construction as per laid out schemes by the Authority.

c. Maintenance of books and records of its operations.

d. Reporting to the Authority and NPST at periodical interval.

e. Public disclosure.

2.1.2 List of Pension Funds (PFs)

List of Pension Funds (PFs) for Government Sector NPS Schemes (i.e. CG and SG), and APY

i) LIC Pension Fund Limited

ii) SBI Pension Funds Pvt. Ltd

iii) UTI Retirement Solutions Ltd

The investment management fee charged by Pension Funds for managing the Govt. employees' NPS portfolio is presently 0.0102 per cent per annum of the assets under management.

List of Pension Funds (PFs) for Private Sector NPS schemes

i) HDFC Pension Management Co. Ltd.

ii) ICICI Prudential Pension Fund Management Co. Ltd.

iii) Kotak Mahindra Pension Fund Ltd.

iv) LIC Pension Fund Ltd.

v) Reliance Capital Pension Fund Ltd.

vi) SBI Pension Funds Pvt. Ltd

vii) UTI Retirement Solutions Pvt. Ltd

viii) Birla Sun Life Pension Management Limited (Certificate of Commencement of business granted on 21st February 2017)

The Investment management fee charged by Pension funds for the non-govt. sector portfolio is 0.01 per cent per annum of the assets under management.

2.2 Schemes

Presently the following Scheme(s) under National Pension System managed by the Pension Funds are operative:

A. Scheme applicable to Central Government Employees and employees of Central Autonomous Bodies – called as the CG scheme- wherein the maximum permitted exposure to Asset class E (Equity) is 15%, to Asset class C (Corporate Bond) is 45% and to Asset class G (Government Securities) is 50%. The individual subscribers do not have the choice of asset allocation or pension funds. The assets under management are distributed across three pension funds *viz* LIC Pension Fund, LIC Pension Fund Limited, SBI Pension Funds Pvt. Ltd and UTI Retirement Solutions Ltd as per directions of the Authority in accordance with the last year returns. The

assets under management for the FY 2016-17 have been allocated to SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd. in the ratio 35:33.5:31.5

B. Scheme applicable to State Govt. employees and employees of State Autonomous Bodies - called as the SG scheme- This follows the same investment pattern and pension funds as the CG scheme. The individual subscribers do not have the choice of asset allocation or pension funds. The assets under management for the FY 2016-17 have been allocated in to SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd. in the ratio 35:33.5:31.5

C. Schemes applicable to Individuals and Corporates:-

The following schemes are applicable to the individual and corporate subscribers:-

1. NPS- Lite Scheme- This follows the same asset allocation pattern as the CG scheme. However, the aggregators can choose any one pension fund from the eight pension funds.
2. APY Scheme: This follows the same asset allocation pattern as the CG scheme. The assets under management are distributed across three pension funds *viz* LIC Pension Fund Limited, SBI Pension Funds Pvt. Ltd and UTI Retirement Solutions Ltd.
3. Corporate CG Scheme- This follows the same asset allocation as the CG scheme. However, the employer/ employee can choose one pension fund from the three public sector Pension Funds (i.e. to SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd.). This scheme has been closed for any fresh employees.
4. E-C-G-A pattern for Tier I & Tier II – The assets are invested in Equity, Corporate Bonds, Government Securities and Alternative Investment Funds.

SEBI Regulated 'Alternative Investment Funds' AIF (Category I and Category II only) as defined under the SEBI (Alternative Investment Fund) regulations 2012.

The details of the scheme-wise asset under management in given in the Table 2.1 below.

Table 2.1 : 1 Details of Asset under Management

Scheme	Mar-16	Mar-17	% Growth
CG	48135	67040.15	
SG	57693	85171.5	
Subtotal	**105828**	**152212**	**44%**
Cor.CG	6805	10753.48	
E-I	1181	2538.98	
C-I	888	1684.95	
G-I	1325	2506.93	
A-I	-	1.06	
E-II	60	125.9	
C-II	55	101.33	
G-II	54	112.43	
A-II	-	0.1	
NPS Lite	2108	2639.21	
APY	506	1885.01	
Subtotal	**12982**	**22349.4**	**72%**
Grand Total	**118810**	**174561**	**47%**

The table above indicates that the asset under management for government sector NPS schemes (CG and SG) has grown by around 44%, however the asset under management of the schemes other than these two schemes has grown by around 73%. Though in absolute terms government sector schemes grew by Rs. 46383.65 crores whereas other schemes in aggregate grew by Rs. 9427.38 crores.

As explained above, the different schemes are managed by different Pension Fund managers, the details of asset under management of various schemes under the respective Pension Funds are given below;-

Table 2.2(a) Pension Fundwise and scheme-wise Asset Under Management as on March 2017

Figures in Crores

Name of Pension Fund/ SCHEMES	CG	SG	NPS Lite	Corp. CG	APY	Grand Total
SBI Pension Funds Pvt. Ltd	24,027.26	28,958.92	1,093.23	8,880.49	641.87	63,601.77
LIC Pension Fund Ltd.	20,721.72	28,188.31	759.66	1,872.99	620.79	52,163.47
UTI Retirement Solutions Ltd	22,291.17	28,024.28	746.12	-	622.35	51,683.92
ICICI Pru. Pension Fund Mgmt Co. Ltd.	-	-	-	-		-
Kotak Mahindra Pension Fund Ltd.	-	-	40.20	-		40.20
Reliance Capital Pension Fund Ltd.	-	-	-	-		-
HDFC Pension Management Co. Ltd.	-	-	-	-		-
TOTAL	**67,040.15**	**85,171.50**	**2,639.21**	**10,753.48**	**1,885.01**	**1,67,489.36**

Table 2.2(b) Pension Fundwise vis-a-vis scheme-wise Asset Under Management as on March 2017

Figures in Crores

Name of Pension Fund/ SCHEMES	E-I	C-I	G-I	E-II	C-II	G-II	A-I	A-II	Grand Total
SBI Pension Funds Pvt. Ltd.	1,026.32	703.62	1,263.35	45.91	37.07	44.72	0.35	0.04	3,121.38
LIC Pension Fund Ltd.	220.78	137.83	175.85	3.69	3.26	4.30	0.07	0.01	545.78
UTI Retirement Solutions Ltd	129.64	81.94	122.90	9.86	6.68	8.15	0.06	0.00	359.24
ICICI Pru. Pension Fund Mgmt Co. Ltd.	544.66	365.95	422.44	39.09	35.89	33.15	0.28	0.03	1,441.48
Kotak Mahindra Pension Fund Ltd.	93.30	67.51	88.79	8.42	6.09	7.67	0.05	0.01	271.85
Reliance Capital Pension Fund Ltd.	57.61	39.63	56.75	6.74	3.38	4.84	0.02	0.00	168.97
HDFC Pension Management Co. Ltd.	466.67	288.48	376.86	12.17	8.96	9.60	0.24	0.01	1,162.99
TOTAL	**2,538.98**	**1,684.95**	**2,506.93**	**125.90**	**101.33**	**112.43**	**1.06**	**0.10**	**7,071.69**

2.3 Exposure of various schemes regulated and administered by PFRDA to different categories of investments

A. The maximum prescribed exposure, as per the investment guideline of PFRDA in respect of the portfolio under **CG, SG, Corporate CG and NPS Lite and APY scheme** in various investment instruments has been provided in the table below:

Category	Asset class/ instruments	Maximum exposure (%)
(i)	Government Securities and Related Investments including State Development loans	50%
(ii)	Debt Instruments and Related Investments	45%
(iii)	Short term Debt Instruments and Related Investments	5%
(iv)	Equities and Related Investments	15%
(v)	Asset Backed, Trust Structured and Miscellaneous Investments	5%

B. Subscribers opting for the schemes other than the Government sector schemes(CG and SG), NPS Lite, corporate CG and APY, can decide the allocation of their assets in Asset class E (Equity), C (Corporate Debt) & G (Government Securities) and Asset class A (Alternate Assets). However, this allocation is restricted for Asset class E and Asset class A. The ceiling on Asset Class E (Equity), and Asset class A (Alternate Assets) is 50 per cent, and 5% respectively. Subscribers can allocate, entire corpus in Asset class C (Corporate Debt) & Asset class G (Government Securities). In case of Tier II accounts, no investment is permitted in Asset class A, other prudential ceilings remaining the same.

The asset class wise bifurcation of the assets under management as on March, 2017 visa vis March 2016 is given below:-

Table 2.3 : Asset Class wise bifurcation of Asset Under Management

Asset Class	31-Mar-16		31-Mar-17	
	Amount (Rs Cr)	% of Investment	Amount (Rs Cr)	% of Investment
G-Sec	60185	50.66%	83674	47.93%
Corporate Bond	41931	35.29%	61470	35.21%
Equity	12656	10.65%	23557	13.50%
Money Market	1087	0.91%	2014	1.15%
Cash & Net Current Assets	2951	2.48%	3846	2.20%
Total AUM	**1110**	**100.00%**	**174561**	**100.00%**

Chart 2.1 (a)

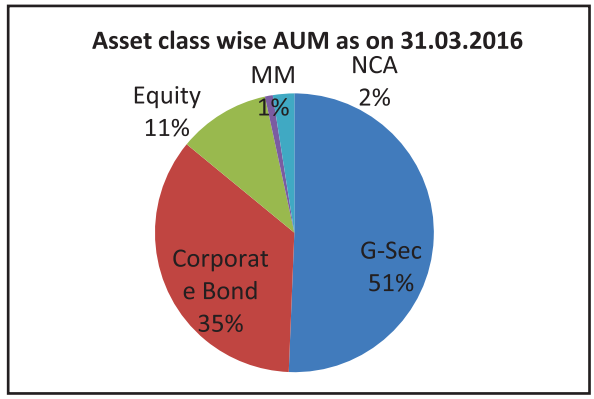

Chart 2.1 (b)

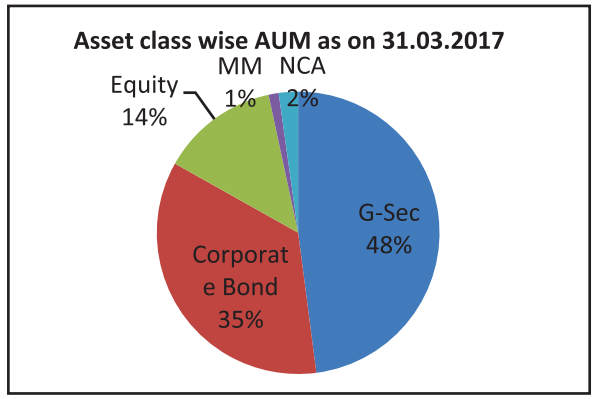

The above table and figure indicates the shifting of the asset allocation from asset class G to asset class E. The exposure to asset class E has increased to 13.5% as on 31st March 2017 from 10.65% at the end of FY 2015-16. Further, the percentage exposure to Govt. Securities has declined from 50.66 per cent as end of March 2016 to 47.93 per cent as end of March 2017.

2.4 Regulations, Notification, Issuance of major circulars / Guidelines w.r.t. Pension Fund

1. Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (First Amendment) to Regulations, 2016 was notified on 17th August, 2016 regarding manner of calculation of Investment Management fee.

2. Introduction of Alternative Investment Funds (AIF): Investment in SEBI Regulated 'Alternative Investment Funds' AIF (Category I and Category II only) as defined under the SEBI (Alternative Investment Fund) regulations 2012 are permitted for the NPS Schemes (Other than Govt. Sector (CG &SG), Corporate CG, NPS Lite and APY) with a ceiling of 2% of the Pension Fund Corpus w.e.f 8th April, 2016.

3. Introduction of two new Life Cycle (LC) Funds (LC 75 and LC 25): Two new Life Cycle Funds for private sector subscribers were introduced in November 2016, in addition to the existing Life Cycle Fund to provide a pre-programmed diversification of assets in various asset classes as per the age and risk profile of the subscriber. These two newly introduced Life cycle funds are Aggressive Life Cycle Fund and Conservative Life Cycle Fund. In Aggressive Life Cycle Fund (LC-75), the maximum investment in equity is restricted to 75% whereas the same has been restricted to 25% in case of Conservative Life Cycle Fund (LC-25). The existing Life Cycle Fund (LC-50) where the investment in equity is restricted to 50% would continue as a default scheme and shall be called as Moderate Life Cycle Fund (LC- 50).

4. Introduction of Scheme 'A": A separate asset class- A (for Alternate Investments) is created for Private Sector NPS subscribers in addition to the existing asset classes i.e. Equity (E), Corporate Bond (C) and Government Debt (G). and with effect from 1st October 2016. Investment in such asset class is restricted to 5% of total investment.

Part- III
Functions of the Authority

The chapter deals with duty, power and functions of the Authority for promotion and orderly growth of the National Pension System and pension schemes in accordance with Section 14 of Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 to protect the interests of subscribers of such System and schemes.

3.1 Registration of intermediaries and suspension, cancellation, etc., of such registration; and regulation of activities of the intermediaries associated with the National Pension System or the pension schemes

Section 14 of the PFRDA Act, 2013 lays down the duties, powers and functions of the Authority to regulate, promote and ensure orderly growth of the National Pension System and pension schemes, and to protect the interests of subscribers of such system and schemes.

The National Pension System and any other Pension Scheme not regulated by any other enactment are operationalized by PFRDA through large number of entities such as **Pay & Accounts offices / Treasury Offices** at the Central and State government which are responsible for the registration and upload of the periodic NPS subscription of the Government employees on the NPSCAN, the **Point of Presence (PoPs)** which are banks, non-banking financial companies (NBFC), micro finance institutions (MFI) etc. which assist in the registration and upload of NPS subscription for the corporates, private sector and unorganised sector employers, the **aggregators** which help in the last-mile reach to the potential subscribers particularly in the informal sector, the **Central Record Keeping Agency (CRA)**, which is responsible for the recordkeeping of individual pension accounts called PRAN of the subscribers and acts as a coordinator for the NPS architecture, **Trustee Bank,** responsible for the day-to-day flow of funds and banking facilities, the **Pension Funds (PFs)**, mandated to invest and manage the pension assets of the subscribers covered under NPS as per the investment guidelines prescribed by PFRDA and annuity service providers (**ASPs),** empanelled with PFRDA to provide a monthly annuity pension to the subscriber.

As on 31st March, 2017 there are 4339 Pay & Account Offices and 302 Treasury & Account Offices, 75 PoPs, 40 Aggregators, two Central Recordkeeping Agency, one Trustee Bank, eight Pension Funds and five Annuity Service Providers.

During the year 2016-17, Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016 was notified and the existing regulations for Point of Presence, Pension Funds, Aggregators were amended.

With the objective to provide a framework for eligibility, registration process, fees etc. of Retirement Adviser and to define the scope of work and responsibility of the Retirement Adviser, Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016 were notified by PFRDA.

Based on a few complaints/representation it came to the notice of PFRDA that some persons/entities which are not registered with PFRDA were soliciting subscription under NPS Lite/Swavalamban, PFRDA issued public notices advising such entities/ persons to desist and refrain from operating under NPS Lite/Swavalamban.

During the FY 2016-17, the Authority has registered M/s Karvy Computershare Private Limited as second CRA and allowed it to start its operations initially for servicing of accounts sourced through e-NPS module of NPS Trust wherein the subscriber would be provided an option to choose between NSDL e-governance Ltd (1st CRA) and M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd (2nd CRA) with effect from February 15, 2017. The full–fledged operation of M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd. with interoperability function providing for option to shift for existing subscribers of NPS has been allowed w.e.f 1st April 2017.

During the FY 2016-17, three Pension Funds have been managing the investments of the Govt. employees mandatorily covered under the NPS and eight Pension Funds have been managing the assets of rest of the subscribers under the NPS. On 21st February, 2017, Authority has issued Certificate of Commencement of Business to Birla Sun Life Pension Management Limited to enable it to commence its operations.

Authority had issued a RFP on 6th April 2016 for the selection of Custodian of Securities for the schemes regulated/administered by PFRDA. Under this process SHCIL was again appointed as Custodian of Securities for a period of five years w.e.f 14th May 2016. Based on the competitive bids received through the RFP the custodian charges were reduced to 0.0032% p.a. of asset under Custody from 0.0075% p.a. of asset under custody.

There were 55 registered POPs as end of March 2016. During FY 2016-17, 14 existing PoPs and 6 new POPs have been registered and were issued Certificate of Registration. As per the Regulations, Six corporates and Ten special entities have been registered as PoPs and also have been issued Certificate of Registration.

During FY 16-17, PFRDA has processed 40 applications of Aggregators who have applied for registration as per PFRDA (Aggregator) Regulations, 2015 and Certificate of Registration have been issued.

3.2 Approval of schemes, the terms and conditions thereof including norms for the management of corpus of the pension funds and investment guidelines under such schemes

Presently the following Scheme(s) under National Pension System managed by the Pension Funds are operative:

Scheme applicable to Central Government Employees and employees of Central Autonomous Bodies – called as the CG scheme- wherein the maximum permitted exposure to Asset class E (Equity) is 15%, to Asset class C (Corporate Bond) is 45% and to Asset class G (Government Securities) is 50%. The individual subscribers do not have the choice of asset allocation or Pension Funds. The assets under management are distributed across three pension funds *viz* LIC Pension Fund Limited, SBI Pension Funds Pvt. Ltd and UTI Retirement Solutions Ltd as per directions of the Authority in accordance with the last year returns. The Assets under management for the FY 2016-17 have been allocated to SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd. in the ratio 35:33.5:31.5

Scheme applicable to State Govt. employees and employees of State Autonomous bodies - called as the SG scheme- This follows the same investment pattern and Pension Funds as the CG scheme. The individual subscribers do not have the choice of asset allocation or pension funds. The assets under management for the FY 2016-17 have been allocated in to SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd. in the ratio 35:33.5:31.5.

Schemes applicable to Individuals and Corporates:-

The following schemes are applicable to the individual and corporate subscribers:-

i) NPS- Lite Scheme- This follows the same asset allocation pattern as the CG scheme. However, the aggregators can choose any one pension fund from the eight pension funds.

ii) Corporate CG Scheme- This follows the same asset allocation as the CG scheme. However, the employer/ employee can choose one pension fund from the three public sector Pension Funds (i.e. to SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd.). This scheme has been closed for any fresh employees.

iii) E-C-G-A pattern for Tier 1& II – The assets are invested in Equity, Corporate Bonds, Government Securities and Alternative Investment Funds. (SEBI Regulated

'Alternative Investment Funds' AIF (Category I and Category II only) as defined under the SEBI (Alternative Investment Fund) regulations 2012).

3.3 Exit of subscribers from the National Pension System

The PFRDA (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 were notified on May 11, 2015. The regulations aim at providing an effective mechanism in the interest of subscribers, upon exit or withdrawal from the NPS, including the conditions, purpose, frequency and limits for withdrawals from individual pension account, as also the conditions, subject to which a subscriber shall exit from the NPS and purchase an annuity there upon.

For the purpose of exit from the NPS, the subscribers are categorized and defined as (1) Government sector, (2) All citizens including Corporate Sector and (3) NPS- Lite and Swavalamban subscribers. The exit regulations specified shall apply accordingly to the category to which the subscribers belong.

Table 3.1 : No. of withdrawal reported, accepted & Settled during April 1, 2016 to March 31, 2017

Sr. No.	Sector	Online Withdrawal			Physical Withdrawal		
		Reported *	Accepted $	Settled	Reported #	Accepted ***	Settled
1	Central Government	3,205	2,741	2,689	221	830	908
2	State Government	8,292	7,149	7,091	493	1,641	1,757
3	UOS	899	685	653	15	151	161
4	Corporate	778	701	676	23	92	94
5	NPS Lite	14,556	14,189	13,871	209	1,195	1,221
	Total	**27,730**	**25,465**	**24,980**	**961**	**3,909**	**4,141**

Note:

**** Online Withdrawal:** Reported implies the cases authorised by Nodal Office and pending for authorisation by Nodal Office.*

***$ Online Withdrawal:** Accepted implies the cases where Nodal Office has authorised the withdrawal request in CRA system.*

***# Physical Withdrawal:** Reported implies the cases where CRA has received the physical withdrawal requests from Nodal Office/Subscriber till April 30, 2016.*

****** Physical Withdrawal:** Accepted implies the cases which were on hold at CRA and for which necessary documents received from Nodal Office/Subscriber.*

Table 3.2 : Withdrawal claims outstanding as on March 31, 2016 & March 31, 2017.

Sr. No.	Sector	Physical Withdrawal Pending		Online Withdrawal Pending	
		As on March 31, 2016	As on March 31, 2017	As on March 31, 2016	As on March 31, 2017
1	Central Government	1,899	896	-	464
2	State Government	2,633	873	-	1,143
3	UOS	347	96	-	214

4	Corporate	138	38	-	77
5	NPS Lite	2,519	789	-	367
	Total	**7,536**	**2,692**	**-**	**2,265**

Note:
Physical Withdrawal: *Withdrawal claims outstanding at the end of the year are the cases where Subscriber/ Nodal Office is yet to submit necessary documents to CRA.*
Online Withdrawal: *Withdrawal claims outstanding at end of the year are the cases where Nodal Office is yet to authorise the withdrawal request in CRA system.*

It has been observed that in majority of the cases the withdrawal applications pending for processing is due to missing/ inadequate documents submitted by the subscribers or the Nodal Offices.

3.3.1 Partial Withdrawal under NPS

NPS offers two types of accounts, namely Tier I and Tier II. While Tier I account is the Pension account and is mandatory for opening of Tier II account, Tier II account which is an investment account and is optional. Tier-I account provides for partial withdrawals, not exceeding 25 percent of the contribution made by the subscriber for higher education and marriage of children, purchase / construction of a house and medical treatment of specified illnesses on completion of 10 years from the date of joining of the NPS. A maximum of 3 withdrawals are allowed subject to a gap of 5 years between any two withdrawals. Tier II account provides for voluntary investments with complete flexibility of contribution and withdrawal of funds.

Table 3.3 : No. of Partial withdrawal cases reported & Settled during the period from April 1, 2016 to March 31, 2017

Sr. No.	Sector	Partial Withdrawal	
		Reported *	Settled
1	Central Government	726	394
2	State Government	457	253
3	UOS	-	-
4	Corporate	-	-
	Total	**1,183**	**647**

Note:
** Reported cases includes authorised by Nodal Office and pending for authorisation by Nodal Office.*

3.3.2 Details of Annuity Service Providers (ASPs) and Annuity Schemes opted by subscribers

Annuity provides for a monthly payment of pension against deposit of a lump sum amount. The subscriber has to mandatorily buy the annuity as specified in the exit rules of NPS, from a PFRDA empanelled Annuity Service Providers.

Annuity Service Providers are Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) licensed and regulated life insurance companies, transacting annuity business in India and these are empanelled by PFRDA for servicing the annuity requirements of the NPS subscribers.

As on March 31, 2017 the following 5 ASPs are providing the Annuity services to NPS subscribers.

- Life Insurance Corporation of India

- SBI Life Insurance Co. Ltd.
- ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.
- HDFC Standard Life Insurance Co Ltd
- Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.

These ASPs are governed under prudential regulations and monitored by Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI). Under National Pension System (NPS), the subscriber has the option to choose the type of Annuity and the Annuity Service provider. The subscriber may choose the annuity type/scheme basing on his requirements from the available schemes offered by the respective ASPs.

Table 3.4(a) : Physical Annuity requests processed during April 1, 2016 to March 31, 2017

Sr. No.	Annuity Service Providers	No. of Cases	Amount Transferred (in Rs.)
1	Life Insurance Corporation of India	1,439	349,947,005
2	HDFC Life Insurance Co. Ltd	746	185,017,004
3	SBI Life Insurance Co. Ltd.	350	78,345,868
4	ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd	11	4,909,788
	Grand Total	**2,546**	**618,219,664**

Table 3.4(b) : Online Annuity requests processed during April 1, 2016 to March 31, 2017

Sr. No.	Annuity Service Providers/Annuity Schemes	No. of Cases	Amount Transferred (in Rs.)
HDFC Life Insurance Co. Ltd			
1	Annuity for life with return of purchase price on death	83	63,315,383
2	Annuity for life	29	6,843,477
3	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant with return on purchase of annuity	10	4,213,220
4	Joint Life Annuity with 100% annuity to the secondary annuitant	17	3,861,939
	Sub-Total	**139**	**78,234,019**
Life Insurance Corporation of India			
1	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant with return on purchase of annuity	139	58,162,511
2	Annuity for life with return of purchase price on death	119	57,153,053
3	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant	111	35,355,413
4	Annuity for life	91	24,096,350
	Sub-Total	**460**	**174,767,327**

SBI Life Insurance Co. Ltd.			
1	Annuity for life with return of purchase price on death	66	28,121,890
2	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant	75	24,645,891
3	Annuity for life	72	21,122,596
4	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant with return on purchase of annuity	40	16,361,881
5	NPS - Family Income Option	4	1,884,501
	Sub-Total	**257**	**92,136,759**
	Grand Total	**856**	**345,138,105**

3.4 Activities undertaken for protection of interests of subscribers under the National Pension System and of other pension schemes under the Act

One of the major objectives of PFRDA is protection of subscribers' interest and PFRDA has been engaged in multifarious activities in furtherance of this cause.

i) With a view to provide quick, neutral and cost effective justice to an aggrieved complainant under NPS, an ombudsman has been appointed by PFRDA. If subscriber does not receive any response within thirty (30) days of his complaint or is not satisfied with the resolution by intermediary, in such case subscriber can escalate the grievance to NPS Trust. Similarly, if the subscriber is not satisfied with the response or no response has been received within 30 days, subscriber can escalate the grievance to Ombudsman. The subscriber can also appeal to designated member of PFRDA if they are not satisfied with the order passed by the Ombudsman. In December 2016, Shri Vinod Kumar Pande has been appointed as Stipendiary Ombudsman.

ii) In order to boost competition, improve quality of service and lower costs, a RFP was floated for a second CRA. Karvy Computershare Pvt. Ltd. has been registered as second CRA of NPS. M/s Karvy Computershare Private Limited started its operations for servicing of accounts sourced through e-NPS module of NPS Trust wherein the subscriber are provided an option to choose between NSDL e-governance Ltd (1st CRA) and M/s Karvy Computerized Pvt. Ltd (2nd CRA) with effect from February 15th, 2017 and thereafter for servicing other distribution channels. M/s Karvy Computershare was allowed to service the new accounts till March 31st 2017 and thereafter it has been allowed to function as a full-fledged CRA with interoperability functionality providing for option to shift for existing subscribers of NPS from April 01st 2017 onwards. With the selection of Karvy as second CRA of NPS, the NSDL (existing CRA) has revised its account opening charges as well as annual maintenance charges downward thereby bringing down the overall cost for the subscribers.

iii) With a view to reduce entry barrier and encourage the access of NPS to all segments and improve coverage of the society, including the unorganized sector, it has been decided to reduce the requirement of minimum contribution from Rs. 6000/- to Rs. 1000/- per financial year.

iv) Similarly, keeping in view that NPS Tier II account is a savings account having features of high liquidity and capacity to earn higher returns, to provide an easy and hassle free operation of this account, the requirement of

maintaining minimum balance of Rs. 2000/- at the end of the financial year and contribution of at least Rs. 250/- per financial year in the Tier II account is now waived off.

v) As a one- time measure all accounts under Tier I and Tier II, frozen in past due to non-contribution of minimum contribution of Rs. 6000/- per annum in Tier I account and minimum contribution of Rs. 250/- per annum in Tier II account and the minimum balance requirement of Rs. 2000/- at the end of the financial year in the Tier II account in the CRA system has been unfrozen. All these subscribers can now make contribution to their NPS account in a normal way without the necessity of using UOS-S10 A form.

iv. Requirement of submission of physical application form in case of online opening of account has been dispensed with.

v. Subscribers have been given options to change the investment choice or asset allocation ratio twice in a financial year.

vi. The process of Transfer of Superannuation / Recognized Provident Fund to National Pension System has been initiated.

vii. eNPS platform has been introduced to provide subscribers the facility to open NPS account online and make contributions thereto. Further, the NPS subscribers pertaining to any sector can make subsequent contributions through eNPS platform.

viii. With a view to incentivize the POPs to actively promote & distribute NPS, the associated POP of the subscriber has been permitted service charges on contribution through e-NPS. The service charges would be applicable only to the subscribers who are associated with any of the POP and also to the subscribers who have opened account through PAN and Bank KYC verification on eNPS platform. However these Service Charges shall not be applicable on the subscribers who have opened account through Aadhaar mode on eNPS platform.

The service charge recovered from the subscribers making contributions through eNPS and associated with/ tagged to POPs is 0.05% of the contribution amount ad valorem, subject to minimum of Rs. 5/- and maximum of Rs. 5,000/- per transaction, rounded to the nearest rupee and service tax and cess thereupon on the service charges would be on actual basis.

ix. Intimation about return of remittances to the respective Nodal Offices is sent through emails as well as physical letters. Apart from reasons for rejection of the remittances, remedial action and precautions to be taken by the nodal office is provided to them to avoid repetition of the errors and avoid return. This ensures timely investment of the contribution made by subscribers.

x. PFRDA undertakes activities for enhancement of consumers' awareness on NPS and provide financial education programmes through the training agencies selected by PFRDA. These training agencies impart training to the Central and State Govt. nodal officers- Pay & Accounts Offices (PAOs), Drawing & Disbursing Offices (DDOs), Points of Presence/ Banks/ Post Offices involved in the registration of subscribers, aggregators, etc. about the salient features of the NPS / APY, the process of joining etc. Further training, workshops, camps, have been organized for subscribers across the sector and geography as a part of a wider financial consumer protection policy.

xi. PFRDA's website serves the subscribers and potential subscribers with information and guidance materials including information on the protection of subscribers' rights and interests, regulations, circulars, pension schemes products, pension funds, intermediaries, exit and benefits.

xii. The website of the NPS Trust facilitates better dissemination of information regarding NPS that are useful for the subscribers at one place. NAV details, Returns of the schemes, Portfolio

details of the schemes are disclosed for subscriber's information/comparison, to ensure transparency.

3.5 Mechanism for redressal of grievances of subscribers and activities undertaken for redressal of such grievances

The PFRDA (Redressal of Subscriber Grievance) Regulation 2015 was notified on January 29, 2015. The objective of the Redressal of Subscriber Grievance Regulation is to provide a framework for seamless handling of grievance/complaint in the interests of the subscribers by *inter alia* laying down guidelines for redressal of subscriber grievances through a well-defined Grievance Redressal Mechanism to be followed by the intermediaries of the National Pension System and other pension schemes, stipulate timelines for redressal of grievances, appointment of Ombudsman, mechanism of appeal by a subscriber to an Ombudsman and the provision of penalty. PFRDA strives to upgrade the quality of services through technology aided platform for smooth and efficient implementation and through inculcating quality consciousness amongst allservice personnel and intermediaries associated with NPS architecture.

NPS has a multi-layered Grievance Redressal Mechanism centralised at Central Recordkeeping Agency (CRA) which is easily accessible, simple, quick, fair, responsive and effective. The Regulations have provided for four level escalation matrix for resolving subscriber grievance. Subscribers have the option of registering grievance/complaints through Call Centre/ Interactive Voice Response System (IVR), web based interface, physical forms. Subscriber can check the status of the grievance at the CRA website www.cra-nsdl.co.in for the grievances logged in through Central Grievance Monitoring System (CGMS) maintained by CRA, or through the Call Centre by mentioning the token number. Subscriber can also raise a reminder through any one of the modes mentioned above by specifying the original token number issued. If subscriber does not receive any response within thirty (30) days or is not satisfied with the resolution by intermediary, in such case subscriber can escalate the grievance to NPS Trust. Similarly, if the subscriber is not satisfied with the response or no response has been received within 30 days, subscriber can escalate the grievance to Ombudsman. The subscriber can also appeal to designated member of PFRDA if they are not satisfied with the order passed by the Ombudsman. In December 2016 Shri Vinod Kumar Pande has been appointed as Stipendiary Ombudsman.

The position of Grievances received during the year at CGMS as on March 31, 2017 and its status is furnished in the table below:

Table 3.5 : Status of grievances received & disposed-off during 2016-17

Sr. No.	Grievances in CGMS*	Grievances Received	Grievances Resolved
1	NPS regular	56,460	56,978
2	NPS Lite	3,474	3,493
3	APY	17,117	12,268
	Total	**77,051**	**72,739**

Notes: ** Referrals opted as Grievance by the subscriber in CGMS*

The major grievance were on account of Contribution amount not reflected in account, SOT Related, PRAN Card Related, Incorrect Processing of Subscriber Details, Delays in Uploading of Contribution Amounts etc. Grievances are registered in CGMS by the subscriber and are directly routed to concerned intermediaries for necessary action. Thus, the first port of call is the concerned intermediaries to resolve and close grievance in CGMS raised against them. The periodic reminders are sent to concerned intermediary for resolving and closing grievance in CGMS.

3.6 Professional organisations connected with the pension system

i) Engagement with World Bank:

The National Pension System (NPS) is designed to serve as a universal pension programme for all segments of the population through its various components and institutional mechanisms. With the pension industry still in its nascent stage of evolution, there is a need for guided regulation and promotion of the sector through suitable interventions and support. The direction attained by the pension industry at this critical juncture will in a large measure determine the future growth and sustainability of this critical old age social security measure.

Accordingly, a Non-lending Technical Assistance programme of the World Bank was undertaken to provide important learnings and useful insights into the functioning of some of the efficient pension markets in different jurisdictions, which may *inter-alia* include the regulatory and promotional role of the policy makers and regulators.

Several meetings were also held with World Bank across the year to discuss and deliberate on the coverage of pensions in India and the existing pension regime. The diversity and various challenges in the pension landscape for implementation of risk-based supervision framework for NPS by PFRDA were also explored.

As an outcome, a manual regarding the Risk Based Supervision was also developed by World Bank. The objective of the manual was to provide a reference guide and a working tool to enable the implementation by the PFRDA of risk-based supervision of the pension system.

The main objectives and highlights of the deliberations were:

i. initiatives to expand the coverage of pensions in India, whilst improving the efficiency, security and sustainability of pension schemes regulated and supervised by the PFRDA,

ii. discussions on policy objectives and how regulation and supervision can support their achievement,

iii. the need to have a solid understanding of the current situation as a basis for designing the framework of regulation and supervision, and to provide an overview of the pension system in India,

iv. discussions on the regulatory perimeter within which the regulation and supervision of pensions will be applied, and how it relates to other parts of the financial system,

v. the importance of establishing specific goals and indicators that can be used to measure the achievement of objectives,

vi. the steps taken by PFRDA to do so, and further work needed to refine the goals and indicators and keep them relevant over time,

vii. identification of risks to the achievement of goals and the development of strategies that can be used to deal with the risks,

viii. the framework for risk assessment of

pension entities and the processes and tools that can be used to perform such assessments and utilize the results.

ii) **Professional entities in NPS Architecture:**

The NPS architecture is an unbundled in nature and comprise of different entities such as Pension Funds, Central Record Keeping Agency, Trustee Bank, Point of Presence, Custodian, Annuity Service Providers. All these intermediaries are the professional entities having experience in financial sector. Some of them are representing banks, some are representing insurance companies and some of them are representing asset management companies which are highly professional and having huge experience in their respective field.

Like many other professional entities associated with PFRDA for the betterment of Pension Sector, CRISIL, a global analytical company providing ratings, research, and risk and policy advisory services, is engaged by the NPS Trust as a Business Review Consultant (BRC). CRISIL as a Business Review Consultant (BRC) to NPS Trust is responsible for evaluating the performance of the Pension Funds, submission of formal written brief to the NPS Trust regarding performance of Pension Funds and schemes managed by them, conducting scenario analysis based on market triggers, providing individual scheme benchmarks and also need to participate in quarterly review meetings held between the NPSTrust and the PF(s). Further, CRISIL advice NPS Trust on new systems and formats, interact with other bodies/ internal /external committees appointed by the NPS Trust for ensuring better performance and reporting by the PFs. CRISIL also acts as knowledge partner to PFRDA/NPS Trust on specific issues as when required.

Certification Programme for Retirement Advisers

Educating and making people aware of the benefits of the retirement planning and creating awareness about the pension schemes regulated by PFRDA is critical for increasing participation in the voluntary segment of NPS and other pension scheme regulated by PFRDA. The objective of the Retirement Advisers Certification Examination is to enhance the knowledge level and the quality of services provided by the Retirement Advisers so as to:

a) create awareness of NPS and other pension scheme regulated by PFRDA;

b) facilitate on-boarding of the prospective subscriber to National Pension System or other pension scheme regulated by PFRDA;

c) advise prospects on the necessity of retirement planning, level of contributions they could make, considering their current and future potential income to achieve desired retirement goals and other issues connected with taking such decisions.

PFRDA has accredited National Institute of Securities Market (NISM) as institute for certification of Retirement Adviser Certification Examination.

Pension Fund Regulatory and Development Authority has started registering Retirement Advisers who are appropriately qualified/ certifiedfor widening the coverage of NPS and advisory services to the subscribers. During FY 16 - 17, PFRDA started giving registrations to individuals as Retirement Advisers as per PFRDA (Retirement Adviser) Regulations 2016.

Upto March 2017, total 110 candidates were certified with NISM: Retirement Adviser Certification Examination. Up to March 2017, four (4) RAs, in the category of individual, were registered by PFRDA.

3.7 Collection of data by the Authority and the intermediaries including undertaking and commissioning of studies, research and projects

Collection and compilation of a comprehensive data

based on demographics, retirement savings and investments, the different financial products/ schemes issued by the different organizations to cater to the old age income security of the underlying subscribers, the returns generated thereon, the disclosure and protection provided to the subscribers etc. under different scheme are the on - going activities of PFRDA. Towards this end, PFRDA is compiling information on people covered under various pension schemes and also people receiving pensions under various schemes. PFRDA in the process of gathering information from other pension providers in the country. Analysis of this information would help in policy formulation on the pension sector catering to the wider section on sustainable basis.

3.8 Steps undertaken for educating subscribers and the general public on issues relating to pension, retirement savings and related issues and details of training of intermediaries

3.8.1 NPS Awareness Campaigns

To fulfill PFRDA's mandate of creating awareness for the need of saving for retirement and retirement planning, PFRDA embarked upon a media campaign under the tagline "NPS- Save Right, Retire Bright". The tagline not only captures the essence of the product (NPS) but also reminds the general public that for a happy and comfortable retired post work life, one needs to save regularly and invest in right instruments to create a healthy corpus.

Extensive print media campaigns under the aegis of the NPS tagline "NPS-Save Right, Retire Bright" were carried out.

In light of PFRDA's mandate to cater to the populace of the country irrespective of language and region, advertisements were carried out in Hindi, English and 11 other regional languages in over 130 newspapers pan India per print coverage.

To have a better recall, various campaigns were conceptualized on the topics of NPS Tax Savings, Tier II Account, eNPS, eNPS through Aadhaar, Contribution using eNPS, etc. were carried out.

In addition to that, to have a multi-pronged approach across different media, campaigns were also carried through TV commercials, Radio (FM channels).

Furthermore, to complement the efforts of putting the NPS on an online platform, advertisements and awareness campaigns were carried on the websites through web banners, Run-on-Site ads and bulk e-mailers.

NPS on Social Media

Government agencies across the country are increasingly looking to leverage various media platforms to enhance their outreach and engage better with the citizens. These platforms are providing governments, government institutions and other entities with options of connecting and communicating with the citizens.

In light of the same, the social media accounts of PFRDA and NPS were activated on Twitter, Facebook, You Tube, Google+ and on the content sharing websites viz. Author Stream, SCRIBD, Slideshare.

Public Relations Agency

Keeping in mind the spread and scope of the regulatory and developmental role of PFRDA, a PR Agency was selected to design and execute an ongoing public relations strategy and programme which would ensure media visibility through a high impact communication strategy

The objective of the PR strategy is to enhance awareness and disseminate information regarding the various policies, activities and schemes within the ambit of PFRDA to promote old age income security by establishing, developing and regulating

pension funds, protect the interests of subscribers to schemes of pension funds and matters connected therewith or incidental thereto, thereby empowering every citizen of the country to participate in securing their old age income.

With this overarching objective, the activities undertaken by the PR Agency were as follows:

- Design an effective and comprehensive Public Relations Strategy
- Execute the approved Strategy through both ongoing initiatives and event specific initiatives
- PR initiatives through digital media
- Document, monitor and assess the impact of the strategy.

Training

To further the cause of fulfilling PFRDA's mandate of creating awareness about the need of saving for retirement and retirement planning, PFRDA undertakes various activities including imparting training through training agencies selected by PFRDA. These training agencies impart training to the Central and State Govt. Nodal Officers- Pay & Accounts Offices (PAOs), Drawing & Disbursing Offices (DDOs), Points of Presence/ Banks/ Post Offices aggregators, etc. involved in the registration of subscribers, about the salient features of the NPS / APY, the process of joining etc. Further, training workshops/ camps have been organized for subscribers across the sector and geography as a part of a wider financial consumer protection policy.

Table 3.6 : Sector wise details of trainings conducted and personnel trained during FY 2016-17

S. No.	Sector	Total Trainings Conducted	Total personnel trained
1	**Government**	218	9663
2	**Corporate**	35	1576
3	**APY**	148	6075
4	**POPs (Insurance Companies/ Banks/ Non Banks)**	166	5474
5	**DoP**	28	1135
	Total	**595**	**23923**

NPS and APY Information Helpdesk

In light of PFRDA's overarching responsibility of spreading awareness about retirement planning, old age income security and NPS as a product, PFRDA has been operating dedicated information desk. The information desk is engaged in providing information and responding to the queries from existing as well as potential subscribers in respect of product features, new policies, regulations etc.

NPS is an on-going scheme and PFRDA believes that having a dedicated Information Desk for disseminating information on NPS, which is accessible from across the country would not only help enlightening people about the latest developments in NPS, but it would also help in promoting the concept of old age income security through NPS while helping PFRDA to understand their expectation from the System. Furthermore, PFRDA also makes use of the call data to gauge the awareness of NPS and estimate the popularity of the System across various sections of the Indian society.

Presently two toll free numbers are being operated through the NPS information desk i.e. 1800110708 (for NPS) and 1800110069 (for APY). The NPS Toll free number has been in operation since 2012 and the APY toll was operationalized simultaneously along with the launch of the APY in June 2015.

The toll-free numbers are owned by and have been made available by PFRDA. The charges for toll-free numbers are paid by PFRDA on actual basis.

The NPS Information Desk is operational for 8 hours a day (9.30 a.m.– 5.30 p.m.), 7 days a week (including Sundays) throughout the year excluding National Holiday- Gandhi Jayanti- October 2, Independence Day- August 15, Republic Day- January 26 and mandatory holidays (viz. Election day).

PFRDA has been undertaking the promotion of NPS and APY on a regular basis and the promotion of the same is expected to be a continuous process. The NPS Information Desk receives an increased number of calls during the campaign period. This helps further in making the callers informed about the NPS and APY.

The scheme-wise call distribution for FY 2016-17 is provided at chart 3.1.

The age-wise distribution of callers for NPS and APY is provided at chart 3.2(a) & (b) respectively.

Chart 3.1: Call received –scheme wise

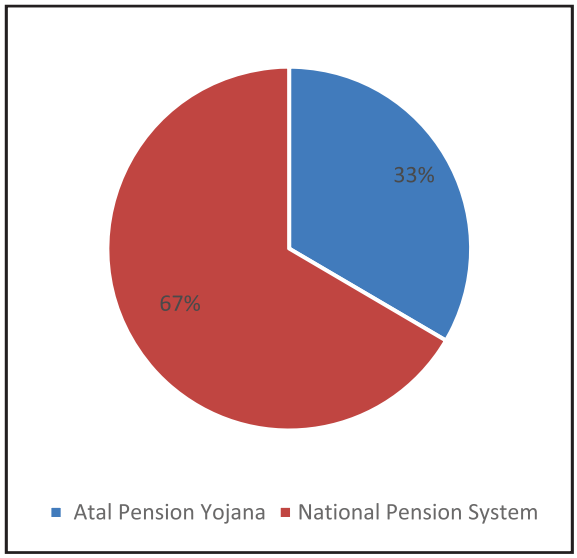

Chart 3.2(a): Age wise distribution of callers - NPS

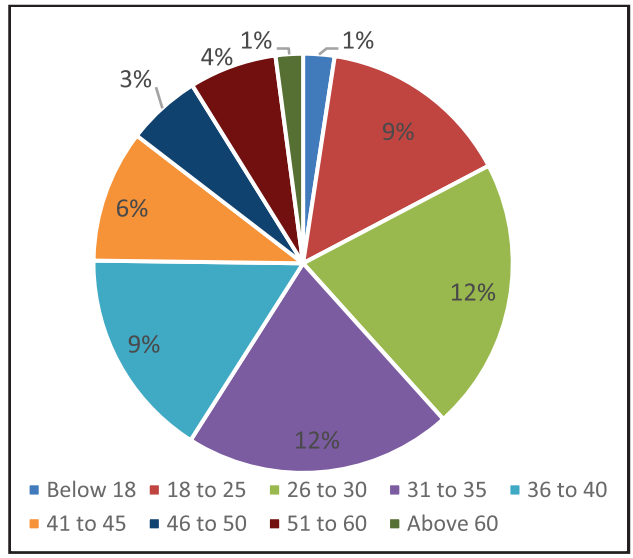

Chart 3.2(b): Age wise distribution of callers - APY

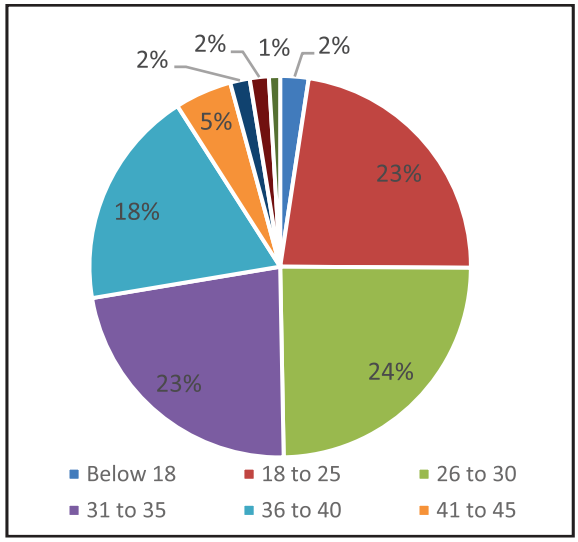

Conferences held during FY 2016-17

- Strategy cum Review meeting was conducted for all POPs in July & August 2016 and Feb & March 2017. It was conducted at Mumbai, Chennai, Bangalore and Kolkata.
- PFRDA has engaged FICCI for promotion and awareness of NPS by conducting workshops across. 7 NPS workshops were conducted at Kochi, Kolkata, Hyderabad, Bhopal, Surat, Chennai and Mumbai in coordination with FICCI.
- Conference of NPS for NRIs was conducted at Dubai in coordination with State Bank of Travancore (SBT). Consul General - Indian Consulate, Dubai was a delegate for the conference. Officials / representatives from SBT, other Indian banks, exchange houses, NRI associations, customers of SBT / exchange houses and other influencers in the NRI Community attended the conference. About 220 persons participated in the conference.
- NPS Service Fortnight was conducted in June 2016 and February 2017.
- Conference on implementation of NPS for prospective CABs was conducted in July 2016.
- Meetings with Financial Advisors of Ministry of Agriculture, Culture, Human resources and Development were conducted.
- PFRDA had organised a National level conference on APY on 25th November 2016 with all Banks/Service Providers and other stake holder such as CRA, PFMs, ASPs etc. The Conference was organised to share their experience of implementation of APY across the country. PFRDA had presentation from different stake holders like best performing banks, Dept. of Post, Business Correspondents wherein they shared their best practices which helped the new entrance to understand the APY expansion strategies.

Initiatives for improving delivery of pension products and services for ensuring "inclusive growth"

- Meetings were held on implementation of APY with Chief Secretaries of Maharashtra, Tripura, Kerala, Madhya Pradesh & Tamil Nadu and Secretaries/Senior Officials of Department of Women & Child Development, Labour Department, Rural Development, Health and Family Welfare, Labour Minister NCT Delhi. etc.
- The NPS awareness session were conducted for the SABs of states of Tamil Nadu, Uttarakhand, Assam & Odisha.
- Public Notices were issued to the subscribers of APY. Periodical SMS alerts are being sent to APY & NPS subscribers about contribution credits, value of investments etc.
- Print, Radio & Television advertisements were carried out during the FY 2016-17.
- Various Press Releases on current developments under APY were issued.
- All banks of Public Sector, Private Sector, RRBs, Co-operative Banks were asked to run regular campaigns to boost the enrolments, PFRDA also liberalised the incentive that may be shared with staff members to motivate them to source APY accounts. Also the incentive sharing pattern between bank and the BCs were deregulated.
- Efforts on quarterly release of an incentive. during the FY 2016-17 Rs 33.36 crore was released to the Service Providers.
- PFRDA had released Rs 105.46 crore of co-contribution for the eligible subscribers of FY 2015-16 under APY. In the FY 2016-17, 13,73,078 subscribers (tentative) are eligible for GOI's co-contribution.
- Daily MIS on enrolments under APY are shared with banks.

- Several meetings were conducted with Banks and Department of Post to streamline and mechanise the enrolments. Also it was focused to have extended arm like BCs & BFs. Specialised meetings were conducted with SLBCs for APY.
- Training support was provided by PFRDA through appointed Training Agency IL&FS.
- Review cum strategy meetings were conducted twice in the FY 2016-17 for monitoring of SPs performance and discussion on strategies followed by the SPs for achieving the targets. Also regular weekly Video Conference meeting were organised by DFS at Delhi for review of the performance of the Banks, where PFRDA was part of it.
- Digital enrolments were promoted like registration through Internet Banking Channel with a waiver of physical enrolment form for the ease of enrolment from subscriber point of view.
- Outline was framed for the enrolment of subscribers through the eNPS platform.
- To support the Service Providers, PFRDA had supplied marketing material in vernacular languages. Also specialised Service Fortnight were organised for subscribers awareness creation about the scheme. PFRDA has periodically been organising meetings/ workshop/conference on the activities undertaken by PFRDA.

3.9 Performance of pension funds and performance benchmarks

NPS Schemes showed a robust overall growth of 46.92% in its AUM during the financial year, as shown in Table 3.7. All the schemes witnessed double-digit growth. APY and Tier II scheme recorded high growth of 273% and 100% in terms of AUM.

Scheme CG for central government employees posted 39% growth in its AUM during the year. On the other hand, Scheme SG's assets grew by 48% during the year.

Table 3.7 : Asset Under Management (AUM) Break up in NPS - Growth Scheme Wise Position

Schemes	AUM as on 31st March (Rs. In crore)			Growth in AUM			
	Mar-15	Mar-16	Mar-17	YoY (Mar 16 over Mar 15)		YoY (Mar 17 over Mar 16)	
				Amount	%	Amount	%
Equity Tier I	655	1181	2539	526	80	1358	115
Equity Tier II	44	60	126	16	36	66	110
Equity Total	698	1242	2665	544	78	1423	115

Schemes	AUM as on 31st March (Rs. In crore)			Growth in AUM			
	Mar-15	Mar-16	Mar-17	YoY (Mar 16 over Mar 15)		YoY (Mar 17 over Mar 16)	
				Amount	%	Amount	%
% Share in Total AUM	1	1	2		1		3
Bonds Tier I	469	888	1685	419	89	797	90
Bonds Tier II	37	55	101	18	49	46	84
Bonds Total	506	943	1786	437	86	843	89
% Share in Total AUM	1	1	1		1		2
G Sec Tier I	771	1325	2507	554	72	1182	89
G Sec Tier II	36	54	112	18	50	58	107
G Sec Total	807	1379	2619	572	71	1240	90
% Share in Total AUM	1	1	2		2		2
Sub Total Tier I	1895	3394	6732	1499	79	3338	98
Sub Total Tier II	117	170	340	53	45	170	100
Tier I + Tier II	2011	3564	7072	1553	77	3508	98
NPS Lite	1606	2108	2639	502	31	531	25
APY	-	506	1885	506	-	1379	273
Corporate CG	4105	6805	10753	2700	66	3948	58
Sub Total (Pvt Sector)	7722	12983	22349	5261	68	9366	72
% Share in Total AUM	10	11	13		14		17
Central Govt	36737	48135	67040	11398	31	18905	39
% Share in Total AUM	45	41	38		30		34
State Govt	36396	57693	85171	21297	59	27478	48
% Share in Total AUM	45	49	49		56		49
Sub Total (Govt.)	73133	105827	152211	32694	45	46384	44
% Share in Total AUM	90	89	87		86		83
Grand Total	80855	118810	174561	37955	47	55751	47

Source: NPS Trust

Note:

*1. Damodar Valley Corporation **254.04** cr is shown under SG*

2. Corporate CG does not include AUM of Damodar Valley Corporation

Table 3.8 : Asset Under Management (AUM) Break up in NPS - Growth - Subscriber Class Wise Position

(Amount in Rs. crore)

Subscriber Class	AUM as on 31st March			Growth in AUM			
	Mar-15	Mar-16	Mar-17	YoY (Mar 16 over Mar 15)		YoY (Mar 17 over Mar 16)	
				Amount	%	Amount	%
NPS Main	594	1273	3126	679	114	1853	146
% Share in Pvt. Sector	8	10	14	14		23	
% Share in Total NPS	1	1	2	2		3	
NPS Corporate	5675	9290	14953	3615	64	5663	61
% Share in Pvt. Sector	72	71	66	75		70	
% Share in Total NPS	7	8	9	10		10	
NPS Lite	1606	2108	2639	502	31	531	25
% Share in Pvt. Sector	20	16	12	11		7	
% Share in Total NPS	2	2	2	1		1	
APY	0	506	1885	506	-	1379	273
% Share in Pvt. Sector	0	4	8	11		17	
% Share in Total NPS	0	0	1	1		3	
Sub Total (Pvt Sector)	7875	13177	22603	5302	67	9426	72
% Share in Total NPS	10	11	13	13		14	
Central Govt	36737	48135	67040	11398	31	18905	39
% Share in Govt. Sector	50	46	44	35		41	
% Share in Total NPS	45	41	39	30		34	
State Govt	36244	57498	84917	21254	59	27419	48
% Share in Govt. Sector	50	54	56	65		59	
% Share in Total NPS	45	48	49	57		49	
Sub Total (Govt.)	72981	105633	151958	32652	45	46325	44
% Share in Total NPS	90	89	87	87		83	
Grand Total - NPS	80855	118810	174561	37955	47	55751	47

Source: NPS Trust

Note:

1. NPS main includes UoS Tier II AUM also
2. Corporate includes DVC

Performance of Pension Fund Managers

Table 3.9 : The position of the AUM with the Pension Fund Managers

PFM	AUM (In Rs. crore)			
	March 2016	March 2017	Increase in AUM during 2016-17	
			Amount	%
SBI Pension Fund Pvt. Ltd.	46019	66723	20704	45
UTI Retirement Solution Ltd.	35918	52043	16125	45
LIC Pension Fund Ltd.	35512	52709	17197	48
ICICI Prudential Pension Funds Management Company Ltd.	701	1442	741	106
Kotak Mahindra Pension Fund Ltd.	173	312	139	80
Reliance Capital Pension Fund Ltd.	111	169	58	52
HDFC	376	1163	787	209
Total	118810	174561	55751	47

Source: NPS Trust

Table 3.10 : Scheme wise and Pension Fund wise returns in FY 2016-17 and since inception

Scheme	Period	SBIPF	LICPF	UTIRSL	KOTAK PF	ICICI PF	RELIANCE PF	HDFC PF
CG	1 Year i.e. 2016-17	13.13	13.35	13.64				
	Since Inception	10.52	10.20	10.13				
SG	1 Year i.e. 2016-17	13.24	13.33	13.56				
	Since Inception	10.14	10.31	10.20				
NPS-Lite	1 Year i.e. 2016-17	13.37	13.65	13.60	12.98			
	Since Inception	11.21	11.03	11.06	11.29			
Corporate CG	1 Year i.e. 2016-17	13.36	13.87					
	Since Inception	10.78	10.97					
Asset Class E	1 Year i.e. 2016-17	21.83	21.22	22.93	22.23	21.42	20.35	22.96
	Since Inception	9.53	13.68	11.64	10.68	11.78	10.81	16.60
Asset Class C	1 Year i.e. 2016-17	11.96	11.64	12.04	12.35	12.48	11.99	12.20
	Since Inception	11.26	11.90	9.91	11.18	11.2	9.73	11.91
Asset Class G	1 Year i.e. 2016-17	12.44	14.31	11.66	12.63	12.18	12.50	12.23
	Since Inception	10.18	12.68	8.86%	9.08	9.14	8.75	11.36
Asset Class E-II	1 Year i.e. 2016-17	21.59	21.13	22.04	21.94	21.40	20.26	23.31
	Since Inception	9.15	8.55	9.51	9.80	9.22	9.38	12.03
Asset Class C-II	1 Year i.e. 2016-17	11.73	12.31	11.65	12.42	12.36	11.96	12.33
	Since Inception	10.93	10.21	10.09	9.92	11.18	9.53	10.08

Scheme	Period	SBIPF	LICPF	UTIRSL	KOTAK PF	ICICI PF	RELIANCE PF	HDFC PF
Asset Class G-II	1 Year i.e. 2016-17	12.55	13.68	11.96	12.41	12.14	12.36	12.11
	Since Inception	10.43	12.97	10.01	8.96	9.33	9.09	12.01

Source: NPS Trust

Returns above 1 year periods are annualized

** Inception dates: LIC July 23, 2013; HDFC August 01, 2013 (E-I)*

For Kotak inception date is Jan 31, 2012.(NPS-Lite)

UTI Scheme Corporate CG ended in the financial year 2013-14 (corporate CG)

* Inception dates: LIC August 12, 2013; HDFC August 01, 2013 (E-II)

**Inception dates: LIC July 23, 2013; HDFC August 01, 2013 (C-I)*

** Inception dates: LIC August 12, 2013; HDFC August 01, 2013 (C-II)*

** Inception dates: LIC July 23, 2013; HDFC August 01, 2013 (G-I)*

** Inception dates: LIC August 12, 2013; HDFC August 01, 2013(G-II)*

3.10 Regulated Assets

"Regulated Assets" means and includes tangible and intangible assets created exclusively for the purpose of operations of CRA comprising bespoke software with all the components required for running the application, any third party software and component off the shelf specific to the CRA application system, all relevant CRA project data, dedicated specific hardware/software components of Data Centre and Disaster Recovery Centre, networks and all other facilities excluding physical infrastructure (building, air conditioners, power supply infrastructure, furniture).

On the expiry of the tenure of the registration or in the event of termination of the CRA, information and regulated assets held by CRA shall be transferred to another CRA registered with the Authority, within the time period and in the manner, as may be required under the PFRDA Act, rules or regulations or as may be directed by the Authority.

3.11 Fees and other charges levied or collected by the Authority during the financial year

Fees and charges are levied on the subscribers of the NPS at various stages by the intermediaries serving to the subscribers. At the entry to the NPS system, the intermediaries responsible for registration of the subscribers in NPS i.e. PoPs, charge fees which are collected upfront from the subscribers. The charge for registration of Atal Pension Yojana (APY) is borne by the government. In the next stage, CRA, the recordkeeping agency, levy fee for opening account and generation of PRAN, maintenance of account by cancellation of units. Thereafter, for each transaction involving contribution of the subscribers there is charge by both CRA and POP. Investment management fee is charged by the Pension Funds for managing the investment portfolio of the subscribers.The custodian of the securities charges for the assets under its custody.And finally, reimbursement of NPS Trust expenses is charged from the subscribers.

Table 3.11 : Fees and charges to the subscribers at various stages

Intermediary	Charge Head	Service Charges				Method of Deduction
		Private		Govt.	Lite/APY	
POP (Charge for each subscriber)	Subscriber Registration	Rs. 125		NA	NA	To be collected upfront from the subscriber. APY paid by the Govt.
	Transaction involving a contribution	0.25% of contribution, Min. Rs. 20 Max. Rs. 25000		NA	NA	
	On e-NPS platform	0.05% of contribution Min Rs. 5 Max. Rs. 5000				
CRA		NSDL	Karvy			
	PRA Opening Charges	Rs. 50	Rs.39.36	Rs. 50*	Rs. 15	Through cancellation of units. For govt.
	AMC per account	Rs. 190	Rs. 57.63	Rs. 190*	Rs. 40	
	Charge per transaction	Rs. 4	Rs. 3.36	Rs. 4*	12 Free	subscribers paid by the Govt.
Trustee Bank	Nil	Nil				NA
PFM Charges	Investment Management Fee	0.01% p.a.		0.0102% p.a.		Through NAV adjustment
Custodian (On asset value in custody)	Asset servicing charges	0.0032% p.a. for electronic segment & 0.05 % p.a. for physical segment				Through NAV adjustment
NPS Trust	Reimbursement of expenses	0.01% p.a.				Through NAV adjustment
Retirement Advisers	Fees for providing retirement advice and facilitate on-boarding to National Pension System and assisting in getting the subsequent services	Rs. 120/- onboarding and Rs. 20/- on subsequent services with maximum Rs. 100/- annually.				Collected upfront.

* In case of Government employees, CRA charges are being paid by the respective Governments

The fees received by PFRDA from the various intermediaries during the Financial Year 2016-17 is provided in the table below:

Table 3.12 : Fees received during the Financial Year 2016-17

Rs. in Lakh

S. No.	Intermediary	Annual Fee	Registration Fee	RFP processing/ Empanelment Fee	Total
1	Trustee Bank- Axis Bank	1,497.89	-	-	1,497.89
2	CRA- NSDL- E Governance Infrastruture Ltd	803.31	-	-	803.31
3	CRA- Karvy Computershare Pvt Ltd	-	25.00	-	25.00
4	Custodian - SHCIL	55.15	25.00	-	80.15
5	Pension Fund	644.05	-	90.00	734.05
6	Retirement Advisor	-	0.27	-	0.27
7	POP	-	21.45	-	21.45
8	Aggregator	-	6.80	-	6.80
9	ASP-Max Life Insurance	-	-	1.00	1.00
	Total	**3,000.41**	**78.52**	**91.00**	**3,169.92**

3.12 Information sought for, inspections undertaken, inquiries conducted and investigations undertaken including audit of intermediaries and other entities or organisations connected with pension funds

PFRDA and NPS Trust review the reports submitted by CRA, Trustee Bank and their auditors to ensure that the intermediary is following the turnaround time as defined in service level agreements. PFRDA Central Recordkeeping Agency and Trustee Bank regulations also have provision to conduct audit and inspection of CRA and Trustee Bank to protect the interests of the subscribers. During 2016-17, internal Audit of all the Pension Funds was undertaken by the Internal Auditors appointed by Pension Funds as per the Guidance Note for the appointment of Internal Auditor issued by the Authority. The audit of the schemes managed by the respective Pension Funds was also done. Pension Funds are also subject to Statutory Audit.

3.13 Others

3.13.1 Subscribers (category wise) covered under the National Pension System and other pension schemes under the Act

a) Number of subscribers under NPS over the years

Enrolment of subscribers in NPS increased from 122.35 lakh in March 2016 to 154.37 lakh in March, 2017. The growth of number of subscribers during 2016-17 is 26.2 per cent.

Table 3.13 : Sector wise number of subscribers under NPS/APY

Sectors	Mar-16	Mar-17	Absolute increase	% growth
Central Government	1,657,623	1,788,699	131,076	7.9
% to total	13.5	11.6		
State Government	2,923,882	3,332,526	408,644	14.0
% to total	23.9	21.6		
Corporate	473,515	585,650	112,135	23.7
% to total	3.9	3.8		
UoS (All Citizen)	215,372	439,097	223,725	103.9
% to total	1.8	2.8		
NPS Lite/Swavalamban	4,480,014	4,429,342	-50,672	-1.1
% to total	36.6	28.7		
APY	2,484,895*	4,863,699	2,378,804	95.7
% to total	20.3	31.5		
Total	12,235,301	15,439,013	3,203,712	26.2

* PRAN generated upto April 07, 2016 (with application date provided till March 31, 2016) have been considered

Chart 3.3: Year wise number of subscribers under NPS & APY

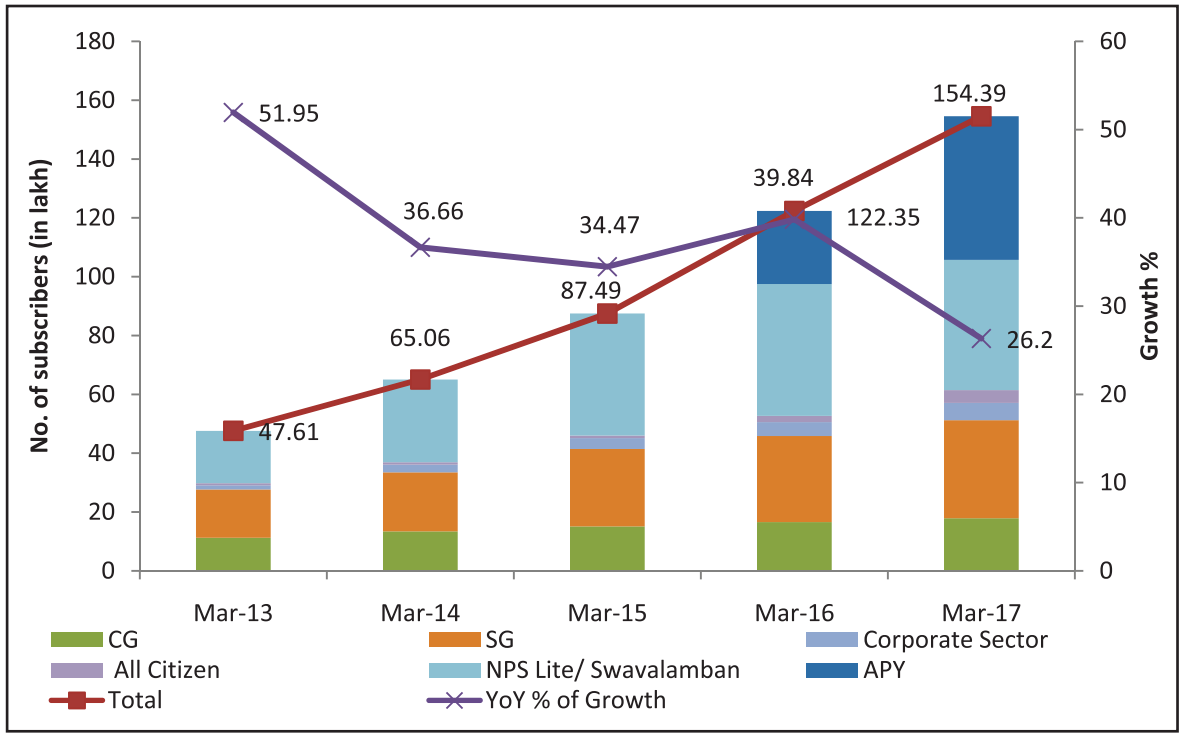

b) No. of subscribers – Sector wise

Government Sector

- Government subscribers have increased from 45.82 lakh as end of March 2016 to 51.21 lakh subscribers as end of March 2017, registering an increase of 5.39 lakh (11.8%).

Table 3.14 : No. of subscribers, contributions & AUM of Govt. Sector as on 31.03.2017

	No. of Subscribers	Contributions (Rs. in Crs)	AUM (Rs. in Crs)
State Governments	33,22,526	67,099	84,917
Central Government	17,88,699	48,452	67,040
Total	51,21,225	1,15,551	1,51,957

- **Year on Year data on subscriber registration :**

Chart 3.4 (a): New subscribers added – SG including SABs

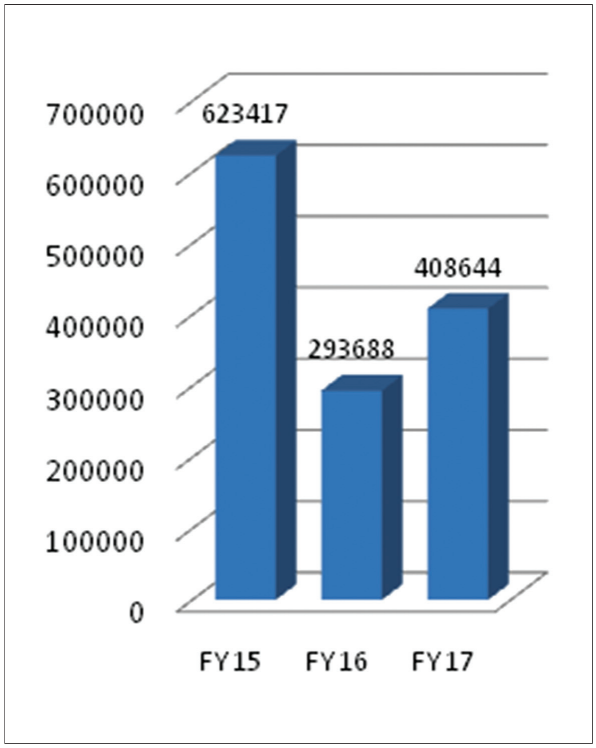

Chart 3.4 (b): New subscribers added – CG including CABs

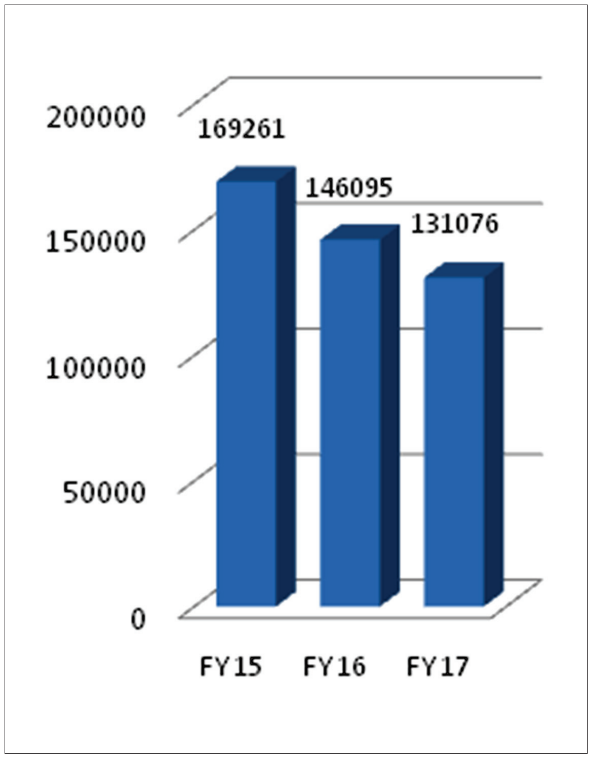

Private Sector

- Under Private sector, number of corporate subscribers has increased from 4.74 lakh to 5.86 lakh, an increase of 1.12 lakh (23.6%) subscribers. The subscribers under UoS/All Citizen has increased from 2.15 lakh as end of March 2016 to 4.37 lakh as end of March 2017, an increase of 2.22 lakh (32.22%) subscribers.

Table 3.15 : No. of subscribers, contributions & AUM of Pvt. Sector as on 31.03.2017

	No. of Subscribers	Contributions (Rs. in Crs)	AUM (Rs. in Crs)
Corporate Sector	585,650	12,131	14,953
UoS/All Citizen	439,097	3025	3,126
Total	1,024,747	15,495	18,076

- Number of subscribers under NPS Lite and APY, together, has increased from 69.65 lakh in March 2016 to 93.12 lakh in March 2017, increasing by 23.47 lakh subscribers (33.7%).

Table 3.16 : No. of subscribers, contributions & AUM of NPS Lite & APY as on 31.03.2017

	No. of Subscribers	Contributions (in Crs) (as on 31-03-17)	AUM In Crs
NPS Lite/Swavalamban	44,29342	2,119	2,639
Atal Pension Yojana	48,63,699	1,751	1,885
Total	9,293,041	3,870	4,524

- Fresh registrations under Swavalamban scheme have been discontinued w.e.f April 1, 2015 consequent upon the launch of APY since May, 2015 which became operational from 1st July, 2015. APY is focused towards the poor and the under-privileged citizen of India; It will provide a minimum guarnteed pension after 60 years of age.
- Under the APY, the subscribers would receive the minimum guaranteed pension of Rs. 1000 per month, Rs. 2000 per month, Rs. 3000 per month, Rs. 4000 per month, Rs. 5000 per month, at the age of 60 years, depending on their contributions, which itself would be based on the age of joining the APY. The minimum age of joining APY is 18 years and maximum age is 40 years. Therefore, minimum period of contribution by any subscriber under APY would be 20 years or more.
- Scheme operates through all Bank Branches / Post Offices having CBS platform registered with Central Recordkeeping Agency (CRA).
- During FY 2016-17, 24.22 lakh subscribers have been registered under APY of which 13.73 lakh subscribers are eligible for Government co-contribution.
- Banks and Post office are the major distribution channels for APY. The no. of APY subscribers through various categories of banks and post offices is depicted in the table 3.17:

Table 3.17 : No. of subscribers registered in APY by various distribution channels

Sr. No.	Category of Bank	Number of Registered Subscribers during FY 2015-16	Number of Registered Subscribers during FY 2016-17
1	SBI	333,868	174,722
2	Major Banks (PSBs + HDFC, ICICI, Axis and J&K) except SBI	1,519,916	1,442,004
3	Private Banks (except HDFC, ICICI, Axis and J&K)	38,316	35,770
4	Regional Rural Banks	471,843	643,414
5	DCCBs/SCBs/UCBs	21,709	12,269
6	DOP	75,343	114,655
	Total	**2,460,995**	**2,422,834**

Of the 24.22 lakh APY subscribers registered during FY 2016-17, 67.72 % have opted for benefit of Rs. 1000 /- p.m. and 24.23 % of the subscribers have opted for benefit of Rs. 5000/- p.m.. The details are provided at Table 3.18.

Table 3.18 : Pension amount wise no. of APY subscribers as on 31.03.2017

Sr. No.	Pension Amount	Number of Registered Subscribers	Percentage
1	1000	1,519,577	62.72%
2	2000	182,894	7.55%
3	3000	94,470	3.90%
4	4000	38,744	1.60%
5	5000	587,149	24.23%
	Grand Total	**2,422,834**	**100.00%**

Of 24.22 lakh subscribers registered under APY in FY 2016-17, 27.04% of the subscribers are in the age bracket of 26-30 years and 24.34% and 23.36 % are in the age bracket of 21-25 years and 31-35 years, respectively. The age wise distribution of APY subscribers is provided at Table 3.19.

Table 3.19 : Age wise distribution of APY subscribers as on 31.03.2017

Sr. No.	Age Range	Number of Registered Subscribers	Percentage
1	Between 18 to 20 Years	261,145	10.78%
2	Between 21 to 25 Years	589,813	24.34%
3	Between 26 to 30 Years	655,055	27.04%
4	Between 31 to 35 Years	566,088	23.36%
5	Above 35 Years	350,733	14.48%
		2,422,834	**100.00%**

Top three contributors to the APY subscribers are Uttar Pradesh, Bihar and Maharashtra. The state wise number of APY subscribers is provided at Annexure I.

3.13.2 Points of presence

There were 55 registered POPs as end of March 2016. During FY 2016-17, 14 existing PoPs and 6 new POPs have been registered and have been issued Certificate of Registration. As per the Regulations, 6 corporates and 10 special entities have been registered as PoPs and have been issued Certificate of Registration. The PoPs registered with PFRDA as on 31st March, 2017 is provided at Annexure II.

The registered PoPs have authorized branches called POP-SP (POP-Service Provides) to act as collection points & extend services to customers. The details of POP-SPs under NPS an provided in Table 3.20.

Table 3.20 : No. of POP-SPs registered under NPS

	As on 31st March'15	As on 31st March'16	As on 31st March'17	Growth during previous F.Y. 2015-16 (No.)	Growth in percentage during previous F.Y. 2015-16	Growth during the F.Y. 2016-17 (No.)	Growth in percentage during the F.Y. 2016-17
Total No. of POP-SPs	38420	55581	**69005**	17161	44.67	**13424**	**24.15**
within which active POP-SPs***	4462	7170	**13396**	2708	60.69	**6226**	**86.83**
% of active POP-SP	11.61	12.9	**19.41**	1.29	11.08	**6.51**	**50.48**

**Active POP in Corporate Sector means POP with at least 5 Corporates Registered*
*** Active POP in All Citizen Sector means POP with at least 10 Active Subscribers*
**** Active POP - SPs in All Citizen Sector means POP -SP with at least 1 Active Subscriber*
# Contributions and AUM includes Tier II account subscriptions
$ Corporate Sector includes data of Damodar Valley Corporation

3.13.3 Asset under Management-Scheme wise

The details of the scheme wise asset under management in given in the table below:

Table 3.21 : Scheme wise - AUM

Scheme	Mar-16	Mar-17	% Growth
CG	48135	67040.15	
SG	57693	85171.5	
Subtotal	**105828**	**152212**	**44%**
Cor.CG	6805	10753.48	
E-I	1181	2538.98	
C-I	888	1684.95	
G-I	1325	2506.93	
A-I	-	1.06	
E-II	60	125.9	
C-II	55	101.33	
G-II	54	112.43	
A-II	-	0.1	
NPS Lite	2108	2639.21	
APY	506	1885.01	
Subtotal	**12982**	**22349.4**	**72%**
Grand Total	**118810**	**174561**	**47%**

The table 3.21 above indicates that the asset under management for government sector NPS schemes (CG and SG) has grown by around 44%, however the asset under management of the schemes other than these two schemes has grown by around 72%. Though in absolute terms government sector schemes grew by Rs. 46383.65 crores whereas other schemes in aggregate grew by Rs. 9427.38 crores.

3.13.4 The Central Recordkeeping Agency, its role and functions

NSDL e-Governance Infrastructure Ltd, was appointed by PFRDA, as the Central Recordkeeping Agency and an agreement was executed on November 26, 2007.

After notification of the PFRDA (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015 with effect from April 27, 2015, NSDL e-Governance Infrastructure Ltd was issued certificate of registration to work as Central Recordkeeping Agency effective from December 18, 2015 for the remaining period of the original contract dated November 26, 2007 effective from December 01, 2007 for 10 years.

CRA acts as an operational interface for all intermediaries. The role includes liasoning with all necessary external agencies and recordkeeping, administration and customer service functions for all subscribers of the NPS.

During the FY 2016-17, the Authority has registered M/s Karvy Computershare Private Limited as second CRA and allowed them to start its operations for servicing of accounts sourced through e-NPS module of NPS Trust wherein the subscriber would be provided an option to choose between NSDL e-governance Ltd (1st CRA) and M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd (2nd CRA) with effect from February 15, 2017 and other distribution channels thereafter. It has been decided that M/s Karvy Computershare would be allowed to service the new accounts till March 31, 2017 and thereafter it would be allowed to function as a full-fledged CRA with interoperability functionality providing for option to shift for existing subscribers of NPS from April 01, 2017 onwards.

Under sub regulation 4 of regulation 3 the CRA regulations, the allocation of the subscribers between the existing central recordkeeping agency and the other central recordkeeping agency or agencies, if appointed, shall be based on a transparent criteria and process as may be notified by the Authority from time to time having regard to the subscribers' interest. Accordingly, the criterion for allocation of subscribers is mentioned as under:

In case where there is employee- employer relationship, including corporate, if the CRA charges are being borne by the employer, the decision to select the CRA shall rest with the employer, unless they specifically delegates the option to individual employees and in all other cases, the choice of selection of CRA will rest with the employee/ subscriber under NPS. In case of voluntary subscribers (without existence of any employee-employer relationship) the option to choose a CRA rests with the subscriber in general. In case of subscribers registered under Atal Pension Yojana, the respective government can choose the CRA for rendering the services. In case of NPS-Lite subscribers the aggregator will have the option to choose the CRA.

The major role and responsibilities of CRA are as follows:

1. **Continuous Enhancements and developments of new functionalities**

   It is the responsibility of the CRA to create and establish facilitation centres network across country. CRA have to develop various new functionalities/utilities and do continuous enhancements and development of modules to address changing requirements of various stakeholders.

2. **Service Subscribers of all sectors**

   The primary role of CRA is of recordkeeping, administration, providing customer service functions for all NPS subscribers, issuance of unique Permanent Retirement Account Number (PRAN) and IPIN/TPIN to the subscribers. The various services to the subscribers includes sending SMS alerts and emails at the time of registration, credit/ debit of units, withdrawal, balance in the PRAN, conducting subscriber awareness programs and providing web based access to all the NPS stakeholders.

   CRA also provides Centralized Grievance Management System and call centre facility to the subscribers and Nodal offices. Besides these services all subscriber maintenance services such as change of scheme, change of demographic details, grievance handling etc. are being handled by CRA.

3. **Services to Intermediaries**

   a) **PFMs:**

      It is the primary responsibility of CRA to timely allocate the funds to PFMs, prepare and send consolidated Investment Preference Scheme information, sending net fund transfer report to PFMs on the basis of confirmation of fund transfer report received from Trustee Bank and to measure the Scheme performance reports using NAVs sent by PFMs to CRA.

b) **TB:**

To reconcile pension fund reports received from Trustee Account with pension fund contribution information report and generate error/discrepancy report on fund reconciliation, sending instruction to Trustee Bank to remit withdrawal fund to subscribers' account and remit remaining amount to Annuity Service Providers' account against the annuity scheme.

c) **ASPs:**

To collect physical application forms from the subscribers and forward them to ASPs and sending funds transfer details for the subscriber's annuity to ASPs. Transferring electronic data to ASPs with respect to subscriber details and sending instruction on Annuity scheme.

d) **Others:**

Provide periodic and ad-hoc MIS (including Grievance redressal) to PFRDA, State Governments, Central Government and Ministry of Finance, conduct periodic orientation programs for nodal offices and to provide seamless and error-free system operations involving CRA system, PFMs, TB and other entities in NPS.

4. Continuous enhancements and development of modules to address changing requirements of various stakeholders is one the main objective of CRA. Various functionalities were developed by CRA to ensure the seamless functioning of NPS system. Few of the major developments are as under:

Online Submission of Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Declaration

In-order to facilitate quick FATCA compliance, facility to submit online FATCA Self- Certification has been provided to the subscriber in their CRA login (www.cra-nsdl.com). The information regarding the said functionality is also made available in CRA websites. The steps to be followed by the subscriber to submit online FATCA self-certification are also mentioned on the website.

Interoperability between CRAs

Karvy Computershare Pvt. Ltd. (KCRA) had been selected as a second CRA under NPS. Subscribers/ Nodal Offices now have option to open permanent retirement account with either of the CRAs. The existing Subscriber can also select CRA of his/her choice. To facilitate migration of Subscriber across CRAs (Karvy- CRA to NSDL- CRA and NSDLCRA to Karvy- CRA), the CRA Interoperability functionality has been developed. The Subscriber will be required to approach target CRA to initiate the shifting request, the target CRA will facilitate the shifting request under NPS. Inter CRA shifting request will be allowed once in a financial year.

New features under eNPS

1. Hindi version of eNPS website

   The bilingual version of eNPS website has been developed for convenience of NPS Subscriber. The subscriber now has option to choose the desired language option (either English or Hindi) for Registration and/or Contribution through eNPS.

2. eSign for Aadhaar based Registration-In case of registration through Aadhaar, it was mandatory for Subscriber to submit physical Application Form within 90 days of completion of registration under eNPS.

   eSign facility (Aadhaar e-KYC services) has been integrated with eNPS platform to enable the Subscriber to sign his/her PRAN Application electronically. This process has eliminated the requirement of submission of physical documents to CRA.

3. New Payment Gateway – Bill Desk

In eNPS, alongwith SBI ePay, BillDesk has been integrated as the second Payment Gateway Service Provider. This will help the Subscriber to make payment through any service provider as per his/her choice by selecting the available payment options. Addition of Billdesk as new payment gateway has ensured participation of new banks which were not part of SBI ePayment gateway especially AXIS Bank and HDFC Bank.

New features in NPS Mobile App

1. Tier II Withdrawal

   Subscriber can now initiate Tier II account withdrawal under NPS using Mobile App. The Subscriber will log into the App with their User ID and password. An option to select Tier II withdrawal and generate One Time Password (OTP) is available in Mobile App. On entering the correct OTP, Subscriber will have an option to select mode of Withdrawal –

   (i) lump sum (amount), or

   (ii) scheme-wise units.

   Once the option is selected and relevant details are submitted by the Subscriber, the same will get executed in the CRA system and funds will get transferred to Subscriber's Bank Account registered with CRA.

2. Aadhaar Seeding

   The Subscriber can now link his/her Aadhaar to NPS account using Mobile App. The Subscriber will log into the App with his/her User ID & password and select the option of 'Add/Update Aadhaar Number'. The option will be available to the Subscriber to provide his/her Aadhaar. Once Aadhaar is entered, the details of Subscriber registered under NPS will get authenticated with details available in UIDAI database. Post authentication, an OTP will be sent to the Subscriber's mobile number registered with UIDAI. The Subscriber will enter the OTP and on entering the correct OTP, Aadhaar will get seeded for the PRAN.

3. Reset password using OTP

   Subscriber can now reset his/her password using Mobile App through OTP. The Subscriber is required to enter his/her PRAN, Date of Birth and set his/her new password and generate OTP. On entering the correct OTP received on his/her mobile (registered with CRA), the password becomes active. This option is in addition to the option of resetting password using secret question.

New features under Atal Pension Yojana (APY)

1. ePRAN Card and Transaction Statement

   The facility to download and/or print ePRAN Card and Transaction Statement is made available to APY Subscriber. The APY Subscriber can access their ePRAN Card and Transaction Statement through CRA NPS Lite website (www.npslite-nsdl.com). The Subscriber have an option to search their ePRAN Card and Transaction Statement with/ without PRAN details. The Subscriber are then required to provide minimum details like PRAN and Bank Account Number or Subscriber Name, Bank Account Number and Date or birth registered in the CRA system under APY.

2. Alert for Grievances

   An email/SMS alert (along with Token No.) is sent to APY Subscriber on generation and resolution of a grievance in CRA system

Online Subscriber Registration by DDOs

The facility to register Subscriber online using Online PRAN Generation Module (OPGM) is made available to Drawing and Disbursing Office (DDOs) for Government Sector. The DDOs can capture the Subscriber registration details online in the CRA system. The details entered by DDO needs to be verified by associated PAOs. On verification of registration details in the CRA system, PRAN gets generated online. Thisfacility is an extension to the functionality already available with Pay & Account Offices(PAOs).

Enhancement in Central Grievance Management System (CGMS)

1. Standard Frequently Asked Questions (FAQs) along with answers against respective query category are now available to Subscriber & Entity (raising grievance on behalf ofNPS Subscriber) in CGMS. The Subscriber raising any query through CGMS will have a provision to view the FAQs & relevant answers based on the category of grievance selected.
2. The fortnightly email alerts are sent to the Nodal Office for pending grievances. Now,these alerts are enhanced to have the details of all pending grievances.
3. A facility is provided to Nodal Office under NPS Lite and APY to download the pending referrals for associated Subscriber. Also, email alerts will be sent to NPS Lite and APY Offices for all grievances raised & resolved during the day.
4. The fortnightly email alerts will be sent to Oversight Offices under NPS Lite and APYregarding the grievances which are pending for more than 15 days under CGMS.

Error Rectification Module (ERM)

An ERM request can be processed by the Nodal Office through whom the contributions were uploaded in CRA system. In addition, now in case of State Govt., the facility to perform a single ERM transaction on behalf of all the underlying Nodal Offices is provided to the Oversight Office. This will save efforts and time of multiple ERM requests being captured by different Nodal Offices.

Online Corporate Registration

A facility for online registration is enabled for Corporates through eNPS platform. Corporate is required to provide the requisite registration details and select a POP for association and submission of the relevant documents for further processing. The registration details captured by the Corporate are to be authorized by associated POP.

Retirement Adviser

The Retirement Advisers (RAs) are appointed by PFRDA to engage in the activity of providing advice on NPS thereby to extend the reach of NPS. The RAs can be an individual, registered partnership firm, body corporate, or any registered Trust or society. The online platform has been developed and released in the CRA system to facilitate registration of an individual/entity as RA.

Withdrawal Reports / MIS in Nodal Office login

Additional reports related to Withdrawal have now been made available to Nodal Offices for better monitoring:

a) Physical withdrawal forms received but online withdrawal request not processed

b) Non Receipt of Physical Forms for online withdrawal processed cases

c) Online withdrawal requests pending for authorization

New CRA Toll Free Helpline

Dedicated toll free number (1800222081) is made available to Nodal Offices for contacting CRA regarding their general queries / complaints. This is in addition to anexisting toll free number (1800222080) available for NPS Subscribers.

3.13.5 Pension Funds

The management of the assets under NPS and any other scheme regulated / administered by PFRDA is done by professional fund managers appointed exclusively for this purpose.

Functions of Pension Funds

The functions of the Pension Funds include:

a. Professional investment of assets under management as per investment guidelines prescribed by the Authority and in the best interest of subscribers.

b. Scheme portfolio construction as per laid out schemes by the Authority.

c. Maintenance of books and records of its operations.

d. Reporting to the Authority and NPST at periodical interval.

e. Public disclosure.

There are eight Pension Funds under NPS. The following three Pension Funds manages Government sector schemes and APY scheme

i) LIC Pension Fund Limited

ii) SBI Pension Funds Pvt. Ltd

iii) UTI Retirement Solutions Ltd

The investment management fee charged by Pension Funds for managing the Govt. employees NPS portfolio is presently 0.0102 per cent per annum of the assets under management.

The private sector NPS schemes are managed by the following Pension Funds:

i) HDFC Pension Management Co. Ltd.

ii) ICICI Prudential Pension Fund Management Co. Ltd.

iii) Kotak Mahindra Pension Fund Ltd.

iv) LIC Pension Fund Ltd.

v) Reliance Capital Pension Fund Ltd.

vi) SBI Pension Funds Pvt. Ltd

vii) UTI Retirement Solutions Pvt. Ltd

vii) Birla Sun Life Pension Management Limited (Certificate of Commencement of business granted on 21st February 2017)

3.13.6 The Trustee Bank

a) Trustee Bank:

Axis Bank Ltd. was selected Trustee Bank under NPS through an open bidding process with effect from 1st July 2015 for a period of 5 years, as per the terms of the PFRDA (Trustee Bank) Regulations, 2015.

b) Roles and responsibilities of Trustee Bank:

1) Trustee Bank facilitates fund transfers across various entities of CRA system viz. Nodal Offices (uploading offices), Pension Fund Managers, Annuity Service Providers and subscribers.

2) Trustee Bank uploads a file containing the details of the funds received from various Nodal Offices to the CRA system. These details are then matched with contribution details provided by Nodal Office(s) to CRA system.

3) Trustee Bank receives fund transfer instructions from CRA system as a part of Pay-in process to transfer funds to various entities viz. PFMs, Annuity Providers, Withdrawal Account and may also receive funds from Pension Fund.

4) Return of unidentified remittances or remittances with incomplete information to the concerned entity.

5) At the end of each settlement day, the balance funds at Trustee Bank account are reconciled with CRA system.

c) Timelines for Trustee Bank

The business activities of Trustee Bank are linked with the other processes at CRA. Therefore, bank ensures that the activities are completed within the timelines specified. Table 3.22 gives the basic idea of the core activities and time limit within which the same is carried out by the Bank:

Table 3.22 : Core activities of the Trustee Bank

Nature of Activity	Timelines
Return of unidentified funds	T+1
Upload of Fund Receipt Confirmation file (FRC)	T+1 (by 9:00 a.m.)
Download Pay- in instruction files from CRA	Daily
Transfer of matched and booked funds to Pension Fund Managers	T+1
Upload of statements and closing balance of various accounts	Daily

Note: (Assumption- Fund realisation at TB on day T)

3.13.7 The Custodian under the National Pension System

The custodian handles the security side of the transactions. The securities bought for the NPS Trust are held by the custodian, who also facilitates securities transactions by making and accepting delivery of securities.

The functions of Custodian include:

- Maintaining details of securities held
- Collecting the benefits like dividend, rights, bonus etc. on securities
- Informing about the actions of the issuers of securities held that may impact the benefits.

Authority issued a RFP on 6th April, 2016 for the selection of Custodian of Securities and SHCIL was again appointed as Custodian of Securities for a period of five years. The successful completion of RFP process has brought down the custodian charges to 0.0032% p.a. of asset under Custody which was 0.0075% p.a. of asset under custody earlier.

3.13.8 The National Pension System Trust

The NPS Trust was established in terms of the Central Government letter D.O. No 5(75)/2006-ECB & PR dated 24th April 2007. PFRDA is the Settlor of the Trust and the execution of the NPS Trust Deed by PFRDA took place on 27th February, 2008. A Memorandum of Understanding was signed between PFRDA and the NPS Trust highlighting the rights and obligations of both the parties on 1st July 2009.

The NPS Trust has been set up and constituted to hold the assets and funds under the NPS for the benefit of the beneficiaries (subscribers). Trustees have the legal ownership of the Trust Fund and the general superintendence, direction and management of the affairs of the Trust and all powers, authorities and discretions appurtenant to or incidental to the purpose of the trust absolutely vest in the Trustees, subject nevertheless to the provision of the PFRDA Act-2013, Indian Trust Act – 1882, NPS Trust Deed and further subject to such directions or guidelines that may be issued by PFRDA from time to time. However, the beneficial interest shall always vest with the beneficiaries of the NPS Trust.

Authority appoints a person with appropriate background and experience as Chief Executive Officer of the Trust (CEO) who is responsible for day to day administration and Management of the Trust subject to the superintendence, control and direction of the Board of NPS Trust. The Board meets once in every three calendar months. The constitution of the NPS Trust Board as on March 31, 2017 is provided in Table 3.23.

Table 3.23 : The constitution of the NPS Trust Board as on March 31, 2017

S. No.	Name	Designation
1	Sh. Shaliesh Haribhakti	Chairman & Trustee
2	Smt. Pallavi Shroff	Trustee
3	Sh. Pramod Kumar Rastogi	Trustee
4	Sh. N. D. Gupta	Trustee
5	Sh. Ashvin Parekh	Trustee
6	Sh. Kamal Kumar Chaudhry	Chief Executive Officer

Management of NPS Funds by the NPS Trust

The NPS funds of subscribers held in the name of NPS Trust are managed by eight appointed pension funds on behalf of the Board of Trustees to realize and fulfill the objectives of the NPS Trust in the interest of the Subscribers. The Performance of the Pension funds are reviewed on a quarterly basis by NPS Trust, and instructions/Guidance is being given to them for protecting the interest of the subscribers.

3.13.9 Other intermediaries including the Aggregator, etc.

Aggregators

Aggregators are the intermediaries identified and approved by PFRDA, to perform subscriber interface functions under NPS-Swavalamban in respect of their constituent groups. The aggregators are the entities already in existence having continuous functional relationship with a known customer base for delivery of some socio-economic goods / services. After notification of PFRDA (Aggregator) Regulations 2015, 14 Aggregators have been issued letter of acceptance.

The functions of aggregators include:

- Promotion of NPS and awareness about the need for old age income security among its constituent group members.
- Meeting the 'Know Your Customer' requirements in respect of potential NPS subscribers as mandated under AML/CFT requirements.
- Discharge of responsibilities relating to fund and data upload within prescribed time limits.
- Collection of contributions from subscribers and ensuring its passage to Trustee Bank.
- Ensuring availability of services to its underlying subscribers as mandated under NPS-Lite.
- Handling grievances received from subscribers and their resolution.
- Any other responsibility as assigned to them by PFRDA to ensure protection of subscribers' interest.

  List of aggregators registered with PFRDA is provided at Annexure III.

Retirement Advisor

With shift in the design of pension systems from defined-benefit plans to defined-contribution plans where individuals need to make financial decisions and bear greater financial risk, selection of an appropriate investment pattern is crucial for the pension plan participants. India, considered to be low in financial literacy, demonstrates a tangible need for financial advice with respect to retirement decisions. Retirement advisors can play an important role in guiding and helping consumers to have a better understanding of retirement, investment and pay-out options. This necessitates development of a pool of human resources having right skills and expertise in retirement advice and choosing appropriate pension/savings product for retirement, quality intermediation to market participants.

Taking into account international experience and the needs of the Indian system of organised and unorganised workers, with a view to protecting the interests of retiring population and more importantly, for minimising risks of losses arising out of deficient understanding of the various options in the returns from the NPS, PFRDA has accredited National Institute of Securities Markets (NISM) for Certification of the Retirement Adviser.

With the objective to provide a framework for eligibility, registration process, fees etc. of Retirement Adviser and to define the scope of work and responsibility of the Retirement Adviser to ensure orderly growth of pension sector, Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016 were notified by PFRDA.

3.13.10 Other functions carried out by the Authority in the area of pensions.

NPS for NRIs

NRIs are also eligible to open an NPS account provided they are between the age of 18 years and 60 years at the time of opening the account. The NPS account can be opened through a PoP/PoP-SP or online through eNPS using their Aaadhar or PAN Number. Most banks are registered PoPs. The NRI can open the account through the bank in which they hold their NRI account. The application has to be accompanied by a copy of the passport, and proof of address if the local address is different from the address mentioned in the passport. The contributions can be made from the NRE account or NRO account of the NRI subscriber. At the time of exit or withdrawal, the annuity will be paid in INR, as will the lump sum amount. Repatriation is allowed, subject to the rules in force. All other features are same for the NRI and Resident subscriber.

The contribution amounts are be paid by the NRIs either by inward remittance through normal banking channels or out of funds held in their own NRE/FCNR/NRO account.

Once the NRI status of the subscriber changes to Resident status, the subscriber will have to inform the same to CRA/POP for updating the same in the CRA system.

eNPS Online Platform

In light of "Digital India" campaign on promoting e-governance for providing last mile connectivity through extensive use of ICT (Information and Communications Technology) platforms, PFRDA has been pursuing development and operationalization of online transaction facilities for the prospective as well as existing subscribers of NPS. Towards this end, an online platform for registration of subscribers and receipt of contribution under National Pension System (eNPS) through NPS Trust at www.npstrust.org.in has been developed. Through this platform, a prospective subscriber can register for NPS; contribute to his/her Permanent Retirement Account. Further, the subscribers who already have an NPS account can make contributions through eNPS directly. A prospective subscriber can visit NPS Trust website www.npstrust.org.in and select NPS Online menu to register and contribute to NPS. While registering, a Subscriber will provide his/her name & Permanent Account Number (PAN) details which will be validated online with the Income Tax Department. Subscriber will then select the Bank (through which KYC verification to be done), fill up the personal details and upload photograph & signature. After filling up of details, the Subscriber will make contribution through net banking from the account of the selected Bank. Once payment is made, PRAN will be provided online to the Subscriber. The details submitted by the subscriber will be sent through CRA system to the selected Bank for KYC verification. After verification of KYC by the Bank, the PRAN will become active and operational. Subscriber will be required to print the form, paste photograph, affix signature and submit the physical form to CRA within a specified period while continuing contributing online.

Subscriber can make subsequent contribution online through net banking /debit card/credit card

at any time and the same will be credited in the subscriber's PRAN account on T+2 basis. The complete information about eNPS is available in PFRDA website www.pfrda.org.in and also on NPS Trust website www.npstrust.org.in. Banks viz. Allahabad Bank, Bank of India, Bank of Maharashtra, Oriental Bank of Commerce, South Indian Bank, State Bank of Travancore, State Bank of Hyderabad, State Bank of Patiala, Tamilnad Mercantile Bank and United Bank of India have provided the facility of online KYC verification. PFRDA has advised all other Bank POPs to join the eNPS platform and provide online verification of KYC for the customers of their Banks willing to open NPS account online. Through this facility, it is expected that the subscriber will have multiple advantages like seamless on boarding experience where he need not visit a Point of Presence and can register from anywhere through an internet connection, contribution with minimum cost of transaction and reduction in errors resulting from various manual activities. As on 31st March 2017, 1,37,899 Tier I accounts and 41,995 Tier II accounts have been opened through eNPS.

PART IV

4.1 Pension Advisory Committee

Section 45 of PFRDA Act provides for constitution of a Pension Advisory Committee with representations from employees, associations, subscribers, commerce & industry, intermediaries and organization engaged in pension research to advise the Authority on matter relating to the making of regulations or as may be referred to it. The Authority amended the Pension Advisory Committee on March 2, 2017 with composition as at Annexure IV. During the year under reference, the Pension Advisory Committee meetings took place i.e. on April 19, 2016, November 15, 2016 and February 06, 2017 at New Delhi.

The following agenda items were taken up for discussion in the Sixth Meeting of PAC, 19th April, 2016:

- Introduction to a new payout product
- Approach note on Nomination as per regulation 32 of PFRDA (Exit and Withdrawal) regulations, 2015
- Revamping of National Pension System (NPS)
- Revisit of PFRDA (Aggregator) and (Exit and Withdrawal) Regulations, 2015, post introduction of APY

The following agenda items were taken up for discussion in the Seventh Meeting of PAC, November 15, 2016 :

- Amendment to PFRDA (Exit and Withdrawal) (First Amendment) regulations, 2016
- Amendment to PFRDA (NPS Trust) (First Amendment) regulations, 2016
- Investment in Alternate Asset class-'A'
- Exploring possibility for uniform charge structure under NPS

The following agenda items were taken up for discussion in the Eighth Meeting of PAC, February 06, 2017:

- Amendment in process for claim settlement on Exit from NPS- Integration of Lump-sum and Annuity Payment
- Self-authorization for NPS (including e-NPS) and NPS Lite Swavalamban subscriber on Exit from NPS
- Subscriber initiatives of PFRDA-Information to the PAC
- Strategizing the intensification in enrolments of RAs under NPS
- Evaluation of possibility to register Mobile Network Operators, payment Banks as POP under NPS
- Servicing of NPS-Lite/Swavalamban subscribers in the light of launch APY and Non availability of Aggregator incentive and Co-contribution post March'17

4.2 Regulations Made or Amended

During the FY 2016-17, the following regulations were made/amended.

4.2.1 New Regulations notified:

1. Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016

4.2.2 Amendments in the Regulation:

1. Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) (First Amendment) Regulations 2016
2. Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (First Amendment) Regulations, 2016
3. Pension Fund Regulatory and Development Authority (Aggregator) (First Amendment) Regulations, 2016

4.3 Constitution of Committee for utilization of Subscriber Education and Protection Fund

As per Section 6 of PFRDA (Subscriber Education and Protection Fund), Regulations, 2015 a committee was constituted on 7th December 2017 for recommending subscriber education, awareness and protection activities and for utilization of the Fund. The Committee shall recommend utilization of fund for educational activities including seminars, symposia, workshops, training, research and publications, distribution of literature, etc. aimed at subscribers across different geographical locations including metros, non-metros and smaller towns, income groups, age groups and sectors including unorganized sectors, corporates, self-help groups and others.

Awareness programmes through - print, electronic media aimed at subscribers' education and protection of their interest may be taken up by the Committee. The Committee met once during 2016-17 and deliberated on issues related subscribers education and pension awareness.

4.4 Constitution of an expert committee to resolve the possible conflict of Interest under PFRDA Act, 2013 in fulfilling the mandate of Regulation along with Development Role

To examine and evaluate any conflict of interest arising from the mandate under the PFRDA Act and present scheme and architecture of NPS, a committee has been constituted in January 2017. The Committee will study national and international practice especially in developing countries in respect of the role of the Regulators in developing, promoting and regulating a nascent sector. It will evaluate and recommend measure to minimize/mitigate the possible conflict of interest in the short and medium term. The Committee met once in FY 2016-17.

4.5 Committee on Housing Assistance for NPS Subscribers

A committee was constituted to explore feasibility of the NPS (National Pension System) subscribers be provided financing facilities for residential housing in November 2016. The Committee examined the desirability and feasibility of refining the existing provisions of the NPS to incorporate housing finance facilities to its subscribers. It examined it from the perspective of both mandatory subscribers (mandated Union, State and other Public Sector Organisations employees), and for those joining the NPS on a voluntary basis. The implications of incorporating housing finance provisions in the NPS for subscribers, government and other stakeholders were examined by the Committee. The Committee met twice in FY 2016-17 and has submitted its report. The recommendations of the Committee are under consideration.

PART V

5.1 Organizational Matters of the Pension Fund Regulatory and Development Authority

5.1.1 Constitution of PFRDA Board

Section 4 of the PFRDA Act provides for the composition of the Authority consisting of a Chairperson, three whole time members and three part-time members to be appointed by the Central Govt. As on 31.03.2017 the composition was as under:

(i) Chairman

Shri Hemant G. Contractor is the first Chairman to head the statutory Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) after notification of PFRDA Act in 2014. He joined PFRDA on 7th October 2014. Prior to joining PFRDA he was a career banker, joining State Bank of India (SBI) as Probationary Officer in 1974.

(ii) Whole-Time Members

1. Sh. R.V. Verma, Whole-time Member (Finance) from 13.05.2014 till 16.01.2017.
2. Dr. Badri Singh Bhandari, Whole-Time Member (Economics) from 16.05.2014 till date
3. Shri Pradeep Chaddah, Whole-Time Member (Law) from 30.06.2016 till date

(iii) Part-Time Members

1. Ms. Vandana Sharma, Additional Secretary, Department of Pension and Pensioner's Welfare from 12th December 2014 till date
2. Ms. Annie George Mathew, Joint Secretary, Department of Expenditure from 12th December 2014 till date
3. Dr. Shashank Saksena, Economic Adviser, Department of Financial Services from 30th January 2015 till 23rd June 2016
4. Mr. Suchindra Misra, Joint Secretary, Department of Financial Services from 23rd June 2016 till date

5.1.2 Meetings of the Authority

54th Authority Meeting held on 30th April 2016

55th Authority Meeting held on 23rd June 2016

56th Authority Meeting held on 22nd July 2016

57th Authority Meeting held on 31st August 2016

58th Authority Meeting held through Circulation

59th Authority Meeting held on 07th November 2016

60th Authority Meeting held on 23rd December 2016

61st Authority Meeting held through Circulation

62nd Authority Meeting held on 20th February 2017

Several important decisions as per the PFRDA Act were taken during the Board meetings including:

i) Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016

ii) Amendment to Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015

iii) Issuance of Certificate of Registration to POPs, POP Corporate & PoP-SEs under PFRDA (PoP) Regulation 2015

iv) Amendments in PFRDA (Aggregator) Regulations, 2015

v) Reducing the Minimum Contribution Requirement of Rs. 6000/- per annum under

NPS Private Sector- Tier I to Rs. 500/- per financial year

vi) Waiver of minimum requirement of contribution of Rs. 250/- per annum and maintenance of balance of Rs. 2000/- at the end of Financial Year under Tier II account

vii) Introduction of Service Charges (Trail commission) to the associated POPs on transactions made by subscribers through eNPS

viii) Appointment of Training agency for imparting training for pension schemes under NPS

ix) Continuing contribution beyond 60 years or the age of superannuation – till 70 years

x) Empanelment of Advertising and Media Agencies

xi) Registration and Issuance of Certificate of Registration to Karvy Computershare Pvt. Ltd as second CRA for NPS under PFRDA (Central Recordkeeping agency) Regulations, 2015

xii) Selection of Custodian of Securities for the schemes regulated/administered by PFRDA

xiii) Revamping of NPS (Life Cycle Fund)

xiv) Revamping of NPS (Creation of Separate Asset Class for Alternate Investments)

xv) Proposal for modification (relaxation- cum-addition) in eligibility criteria for PoP registration under PFRDA (PoP) Regulation 2015 for those entities which are already registered as Aggregators with PFRDA

xvi) Proposal for introduction of Penalty clause on PoPs for non-submission of MIS report as per guidelines issued under PFRDA (PoP) Regulations 2015 Amendment (addition and deletion) in the composition of the Pension Advisory Committee (PAC) and its notification

xvii) Concept note on Auto Enrolment of un-organised workers in APY

xviii) Introduction of subscriber registration (account opening) charges of Rs. 50/- on opening of account through Aadhaar on eNPS platform and extending the service charges on all transactions on accounts opened through Aadhaar on eNPS platform and bringing it at par to the level of services charges allowed to the associated POPs on transactions being made on eNPS platform i.e. 0.05% of the contribution ad valorem subject to minimum of Rs. 5/- and maximum of Rs. 5000/- per transaction.

xix) Request for proposal for selection of pension funds (PFs) for NPS private sector schemes (excluding CG, SG and APY) or any other scheme regulated /administered by the authority

xx) Appointment of Stipendiary Ombudsman-PFRDA (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015.

xxi) Amendment to PFRDA (Exits and Withdrawals under NPS) Regulations, 2015 for Easing of the existing partial withdrawal conditions from NPS.

xxii) Proposal for modification (relaxation- cum-addition) in eligibility criteria for PoP registration under PFRDA (PoP) Regulations 2015 for Payment Banks Small Finance Banks

5.2 Staff Strength in PFRDA

As on March 31, 2017, the staff strength of PFRDA is 47 out of which 45 are in officer cadre. One officer is presently posted on deputation to National Pension System Trust as Chief Executive Officer. Further, out of 44 officers in PFRDA, 6 officers are presently reporting to Chief Executive Officer, NPS Trust till the regular staff is deployed in NPS Trust.

5.3 Setting up of SC/ST Cell and OBC Cell in PFRDA

To implement Government instructions on welfare of SC/ST/PWD employees, a cell has been set up in PFRDA. A DGM grade officer has been nominated as Liaison Officer for SCs/STs/PWDs. Also, a

separate cell for welfare of OBCs has been set up in PFRDA. A DGM grade officer has been nominated as Liaison Officer for OBCs.

5.4 Committee for Prevention of Sexual Harassment at Workplace

A Committee for prevention of Sexual Harassment at workplace is in place for receiving complaints, holding enquiry etc. in accordance with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

5.5 Staff Welfare Committee

A Staff welfare Committee has been constituted in PFRDA to identify and organize various staff welfare activities. The Committee will help evolve measures for securing and preserving good relations amongst the employees and also between employees and the management. A DGM grade officer has been nominated as Chairperson of the Staff Welfare Committee.

5.6 Training of employees in PFRDA

During the financial year 2016-17, 8 officers were nominated by PFRDA for trainings/workshops on various subject areas, like Behavioral Finance and Decision Making, Fixed Income Security-Analysis and Pricing, Regulatory Affairs.

5.7 Promotion of Official Language

PFRDA has set up an Official Language Cell to implement the official language policy of Government of India and ensure the implementation of Rajbhasha Act, 1963 and Rajbhasha Rules, 1976 and to promote Hindi in PFRDA. Communications received in official language are also replied in official language. All regulations framed by PFRDA are bilingual. Keeping in view the large customer base of NPS consisting of various sections of the society, the contents available in English are being translated into Hindi for the benefit of customers. For this we have recruited Hindi translators.

5.8 Right to Information:

PFRDA is implementing the Right to Information Act, 2005. There is a dedicated cell to process the applications received under the Right to Information Act, 2005 which is under Central Public Information Officer. As provided in the RTI Act, PFRDA has an official as the Appellate Authority (AA) where appeals can be made against an order of the CPIO.

Section 4 of the RTI Act casts obligation on every public authority to make certain disclosures. The focus of the disclosure is transparency in the working and functioning of PFRDA. In this regard, PFRDA has put in place various functions, duties, powers and duties of its officers, rules, regulations, manuals etc. All the relevant acts, regulations are available on PFRDA website.

During the year 2016-17, 430 RTI applications and 26 first appeals were received till 31st March, 2017 *interalia* regarding contribution under National Pension System (NPS), opening, transfer, withdrawal & exit from NPS, APY scheme etc. All the applications and appeals were replied/disposed within the stipulated time as prescribed under RTI Act, 2005.

Any citizen can request for information under RTI by making an appropriate application in writing with the prescribed fees to the Central Public Information Officer, Pension Fund Regulatory and Development Authority, First Floor, Chatrapati Shivaji Bhawan, B-14/A, Qutab Institutional Area, New Delhi 110016 and/or can also file an RTI under RTI Act, 2005 on Online Portal available at www.pfrda.org.in.

During 2016-17, PFRDA received number of Parliamentary Questions, referred by the Government of India, mainly from the Ministry of Finance on various aspects of old age income security comprising queries on NPS and APY. PFRDA has furnished information and material for reply/ replies in a time bound manner for facilitating replies to the same.

5.9 Accounts of PFRDA

During the financial year 2016-17, PFRDA received a grant of Rs. 18.00 crore from Government of India.

The Atal Pension Yojna was announced in the budget speech for the FY 2015-16. The pension scheme is meant for all citizens in the age group of 18-40 years, with a focus on persons belonging to unorganized sector. All subscribers under NPS- lite/ Swavalamban between the age of 18-40 years are eligible to shift to Atal Pension Yojana. During the financial year 2016-17, PFRDA has received a grant of 36.00 crore under the scheme, towards incentive to service providers and other promotional activities.

The accounts of the authority for the financial year 2016-17 have been finalized as per the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2015. The accounts were approved by the PFRDA Board in its 66th Board meeting held on 05.10.2017. The Balance Sheet and Income & Expenditure Accounts of PFRDA along with Schedules forming part of the financial statements are placed at Annexure V.

In accordance with the provisions of the PFRDA Act 2013 and on approval of the Board, the accounts of PFRDA for the financial year 2016-17 have been forwarded to the Comptroller and Auditor General of India for audit.

PART VI

Any critical area adversely affecting the interest of subscribers

6.1 Partial EEE status of NPS

NPS is at a disadvantage compared to other pension/ provident fund schemes such as EPF, PPF, CPF (Contributory Provident Fund) Schemes in so far as tax treatment of the retirement corpus is concerned. While 40 per cent of the accumulated retirement corpus when withdrawn as lump sum on superannuation is exempt from tax, it is not completely tax free as the other schemes mentioned above are, and therefore suffers in comparison. There is a need to provide a level playing field to NPS vis-à-vis other competing products with respect to employer's contribution and tax treatment of the final withdrawals.

6.2 Age limit of 40 years for joining APY

Fresh registrations under NPS Swavalamban which was started for unprivileged unorganised sector workers in October 2010 has been discontinued from w.e.f April 2015 consequent upon the launch of the APY which provides guaranteed minimum pension to the underlying subscribers. Subscribers of Swavalamban scheme in the age group of 18 to 40 years have been given option to migrate to APY. However, APY scheme allows entry of subscribers till the age of 40 (from 18 completed to 40 running). This leads to barrier for the entry of the age group beyond 40 year, which is usually the period of surplus income in an individual's life cycle and when one really starts thinking of saving for post-retirement. Therefore, to make the scheme available to more people, PFRDA has recommended to the Department of Financial Services that the age of eligibility may be extended from present 18-40 years to 18-50 years so as to enable a wider coverage.

6.3 Choice of Fund Managers and Investment classes

The pension funds of the Central Government employees are currently being allocated amongst the three public sector pension funds (UTI PFM, SBI PFM, LIC PFM) in the ratio of their returns. The investment pattern for the Central Govt. employees is also stipulated by the Government, having a preponderance of fixed income securities, which can currently go upto 95% while the maximum exposure to Equities is restricted to 15%. It is observed that the subscribers to NPS are relatively younger persons with longer vesting periods. Investment in equity shares over a longer period is usually expected to earn a higher rate of returns than on debt securities of similar maturities.

PFRDA Act provides for opportunities to the subscriber to maximize his returns in the risk return paradigm. Section 20(2) of PFRDA Act, 2013, states that there shall be a choice of multiple pension funds and multiple schemes. Hence, post the notification of the PFRDA Act there is a need to align the investment framework for the Govt. employees including Central Govt. employees. The subscribers under the private sector are already enjoying a choice in the selection of Pension Fund Manager (both public and private sector PF) as well as the choice to allocate funds amongst the four asset classes Equity(E), Corporate Debt (C) and G (Govt. securities) and A with only ceiling of 50% on equity and 5% on A. On the other hand, the investment pattern for the Central Govt. employees prescribes preponderance of fixed income securities, which can currently go upto 95% while the maximum exposure in equities is restricted to 15%, effectively limiting subscriber choice.

Thus, on the grounds of parity, and keeping in view the spirit of the PFRDA act to allow choice of schemes, it is essential to revisit the framework for investment by the Central Government employees and allow them choice of investment as available to the Private Sector employees.

Accordingly, Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has made the following proposal to the Department of Financial Services in respect of providing choice to Central Government Employees under National Pension System (NPS) in compliance of the mandate under section 20(2) of PFRDA Act 2013.

In the initial phase, Government employee covered under NPS can opt from:

a. Moderate Life Cycle fund LC-50 with maximum exposure to equity capped at 50%

b. Conservative Life Cycle fund LC-25 with maximum exposure to equity capped at 25%;

c. Scheme G, where 100% of the funds shall be invested in Govt. Securities

d. Existing choice of CG/SG scheme being the default scheme for both existing and new subscribers.

The Govt. subscribers shall be allowed the option of all pension funds including Private sector Pension Funds. However, a combination of the Public Sector of Pension Funds (2 or 3) depending upon how many get selected in fresh selection process, will be available as the default option for both existing and new subscribers.

Further, the existing allocated funds before the pre-decided date shall continue to remain with existing Pension funds and Schemes. The above choices shall apply to incremental flows for existing subscribers from a date to be decided by the Authority.

PART VII

Any other measure taken by the Authority to protect the interest of subscribers to the National Pension System and other pension schemes under the Act

7.1 Transfer of amount from recognized Provident Fund/Superannuation fund to National Pension System

In the Union Budget 2016-17, one time portability without any tax implication has been allowed to the subscriber for shifting from recognized provident funds and superannuation funds to National pension System.

With the implementation of the above proposals from Financial Year 2017-18 and the tax benefits available under NPS, NPS has become very attractive to the subscribers. NPS now provides the seamless facility to the subscribers of Superannuation Scheme and recognized Provident Fund scheme to shift to NPS without any tax implication.

In this context, PFRDA has come out with a circular on transfer of amount from recognized Provident Fund/Superannuation fund to National Pension System (PFRDA/2017/11/PD/3 dated 6th March 2017).

As per provisions of the Income Tax Act, 1961 the amount so transferred from the recognized provident fund/ Superannuation fund to NPS is not treated as income of the current year and hence not taxable. Further, the transferred recognized provident fund/superannuation fund will not be treated as contribution of the current year by employee/employer and accordingly the subscriber would not make IT claim of contribution for his transferred amount.

Annexure I

State wise APY Subscribers registration

Sr. No	State Name	Number of Registered Subscribers during FY 2015-16	Number of Registered Subscribers during FY 2016-17	Total subscribers as on 31.03.2017
1	Andaman & Nicobar Islands	1,001	906	1,907
2	Andhra Pradesh	1,83,106	1,72,327	3,55,433
3	Arunachal Pradesh	1,997	2,279	4,276
4	Assam	39,184	29,962	69,146
5	Bihar	2,63,068	2,68,742	5,31,810
6	Chandigarh	4,880	3,843	8,723
7	Chhattisgarh	33,266	41,350	74,616
8	Dadra and Nagar Haveli	2,785	1,935	4,720
9	Daman & Diu	2,255	4,642	6,897
10	Delhi	54,952	38,875	93,827
11	Goa	7,075	6,146	13,221
12	Gujarat	1,37,421	1,17,712	2,55,133
13	Haryana	60,146	48,847	1,08,993
14	Himachal Pradesh	26,033	12,751	38,784
15	Jammu & Kashmir	18,911	10,654	29,565
16	Jharkhand	44,385	52,466	96,851
17	Karnataka	1,86,761	1,52,323	3,39,084
18	Kerala	51,919	55,000	1,06,919
19	Lakshadweep	358	1,886	2,244
20	Madhya Pradesh	1,29,388	1,14,770	2,44,158
21	Maharashtra	2,26,333	1,79,909	4,06,242
22	Manipur	4,574	2,652	7,226
23	Meghalaya	5,604	2,724	8,328
24	Mizoram	1,109	7,956	9,065
25	Nagaland	9,117	9,212	18,329
26	Orissa	1,08,803	77,358	1,86,161
27	Pondicherry	4,776	3,172	7,948
28	Punjab	78,675	82,713	1,61,388
29	Rajasthan	1,15,262	1,69,141	2,84,403
30	Sikkim	3,970	2,971	6,941
31	Tamil Nadu	1,69,937	1,75,225	3,45,162

Sr. No	State Name	Number of Registered Subscribers during FY 2015-16	Number of Registered Subscribers during FY 2016-17	Total subscribers as on 31.03.2017
32	Telangana	60,304	74,244	1,34,548
33	Tripura	4,642	7,544	12,186
34	Uttar Pradesh	2,70,322	3,67,749	6,38,071
35	Uttaranchal	17,426	23,227	40,653
36	West Bengal	1,54,995	99,544	2,54,539
37	NRI / Others	155	77	232

Annexure II

List of Point of Presence under NPS

Sr. No.	POP Name	No of POP SP
1	Abhipra Capital Limited	64
2	Alankit Assignments Limited	288
3	Allahabad Bank	286
4	Andhra Bank	329
5	Axis Bank Limited	2,959
6	Bajaj Capital Limited	83
7	Bank of Baroda	5
8	Bank of India	5
9	Bank of Maharashtra	1,851
10	Canara Bank	3,568
11	Central Bank of India	1,006
12	Citi Bank NA	42
13	Computer Age Management Services Private Limited	227
14	Corporation Bank	2,289
15	CSC e-Governance Services India Limited	1
16	Dayco Securities Private Limited	28
17	DBFS Securities Limited	1
18	Dena Bank	1,449
19	Elite Wealth Advisors Limited	1
20	Eureka Stock And Share Broking Services Limited	11
21	Gujarat Infotech Limited	1
22	HDFC Bank Limited	3
23	HDFC Securities Limited	1
24	ICICI Bank Limited	1,563
25	ICICI Securities Limited	34
26	IDBI Bank Limited	1,844
27	IL&FS Securities Services Limited	**75**
28	India Infoline Finance Ltd	1
29	India Post NPS Nodal Office	808
30	Indian Bank	1,834
31	Indian Overseas Bank	7

Sr. No.	POP Name	No of POP SP
32	IndusInd Bank Limited	805
33	Integrated Enterprises (India) Limited	100
34	Karnataka Bank Limited	746
35	Karvy Financial Services Limited	12
36	Karvy Stock Broking Limited	8
37	Kotak Mahindra Bank Limited	908
38	LICHFL Financial Services Limited	1
39	Marwadi Shares and Finance Limited	79
40	Muthoot Finance Limited	33
41	Narnolia Securities Limited	1
42	NJ India Invest Private Limited	1
43	Oriental Bank of Commerce	983
44	Prudent Corporate Advisory Services Limited	1
45	Punjab and Sind Bank	914
46	Punjab National Bank	6,969
47	RBL Bank Limited	201
48	Reliance Capital Limited	140
49	Religare Securities Limited	11
50	SBICap Securities Limited	1
51	SMC Global Securities Limited	27
52	**State Bank of Bikaner & Jaipur**	1,323
53	State Bank of Hyderabad	1,318
54	State Bank of India	17,047
55	State Bank of Indore	25
56	**State Bank of Mysore**	459
57	**State Bank of Patiala**	75
58	State Bank of Travancore	1,177
59	Steel City securities Limited	47
60	Stock Holding Corporation Of India Limited	212
61	Syndicate Bank	3,478
62	Tamilnad Mercantile Bank Ltd	506
63	The Federal Bank Ltd	1,073
64	The KarurVysya Bank	1
65	The Lakshmi Vilas Bank Limited	459

Sr. No.	POP Name	No of POP SP
66	The South Indian Bank Limited	866
67	UCO Bank	1,851
68	Union Bank Of India	3,872
69	United Bank of India	1,098
70	UTI Asset Management Company Limited	152
71	Ventura Securities Limited	1
72	Vijaya Bank	1,247
73	Way2Wealth Brokers Private Limited	2
74	Yes Bank Limited	84
75	Zen Securities Limited	27
	Total	**69,005**

Annexure III

List of Aggregators under NPS

S. NO.	AGGREGATOR NAME
1	State Bank Of India
2	The South Indian Bank
3	Gujarat Infotech Ltd
4	Abhipra Capital Ltd
5	Indian Bank
6	Allahabad Up Gramin Bank
7	State Bank Of Patiala
8	Canara Bank
9	Oriental Bank Of Commerce
10	Csc E-Governance Services India Ltd
11	JagaranMicrofin Private Ltd
12	IDBI Bank Ltd
13	Vijaya Bank
14	Bank of Maharashtra
15	Madhya Bihar Gramin Bank
16	Shri Mahila Sewa Sahakari Bank Ltd
17	Karnataka State Unorganised Workers Social Security Board
18	State Bank Of Hyderabad
19	A.P Building And Other Construction Workers Welfare Board
20	United Bank Of India
21	Adhikar Microfinance Private Ltd
22	Department Of Women & Child Development (DWCD)
23	Janalakshmi Financial Services Ltd
24	Shree Kshetra Dharmasthala Rural Development Project
25	Syndicate Bank
26	Sarva Haryana Grameen Bank
27	LICc Housing Finance Ltd (LIC HFL)
28	Assam GraminVikas Bank
29	Dena Bank
30	Swayamshree Micro Credit Services
31	Life Insurance Corporation Of India (Lic)
32	Andhra Bank

S. NO.	AGGREGATOR NAME
33	Bandhan Bank Ltd
34	GrameenKoota Financial Services Private Ltd
35	Centre For Development Orientation And Training (Cdot)
36	Samhita Community Development Services
37	Baroda Rajasthan KshetriyaGramin Bank
38	ESAF Microfinance And Investments Private Limited (Sd Expired)
39	Cashpor Micro Credit
40	IndurIntideepam Producers' Macs Federation Ltd

Annexure : IV

Composition of Pension Advisory Committee (PAC) and issues discussed during PAC meetings

1. Mr. D.V.S.S.V. Prasad, Chief Executive Officer, Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India
2. Mr. P.K. Rath, Chair Professor- Life, National Insurance Academy, Pune
3. Chairman, National Pension System Trust
4. Mr. GaganRai, Managing Director & CEO, NSDL e-Governance Infrastructure Limited
5. Mr. Leo Puri, Director, The Association of Mutual Funds in India
6. Dr. L H Manjunath, Executive Director, Shree KshethraDharmasthala Rural Development Project
7. Mr. Kulin Patel, Senior Actuary and Director – Client Account Management, Towers Watson, Gurgaon
8. Ms. Meghana Baji, Chief Executive Officer, ICICI Prudential Pension Funds Management Co. Ltd
9. Mr. V.G. Kannan, Chief Executive, Indian Banks' Association
10. Mr. R. Sridharan, Managing Director, The Clearing Corporation of India Ltd
11. Mr. Shailendra Kumar, Managing Director & CEO, SBI Pension Funds Pvt. Ltd
12. Director, National Institute of Bank Management, Pune
13. Deputy Director General (Establishment), Postal Directorate
14. Principal Secretary, Finance, Government of Rajasthan
15. Ms. Renuka Sane, Visiting Assistant Professor, Indian Statistical Institute, New Delhi
16. The Chairman, Committee on Banking Insurance and Pension of ICAI, New Delhi
17. Ms. Jyoti Vij, Deputy Secretary General, FICCI, New Delhi

Annexure V

FORM A

[See rule 3(a)]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
FORM OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2017

(Unit–Indian Rupee)

LIABILITIES	*Schedule*	Current year	Previous year	ASSETS	*Schedule*	Current year	Previous year
1. Corpus/Capital fund	1	175,681,330	204,019,970	1. Fixed assets	8		
				Gross Block		18,514,502	16,764,464
				Less: Depreciation		12,939,734	12,983,387
				Net Block		5,574,768	3,781,077
2. Reserves and surplus	2	-	-	2. Investments from Earmarked/ Endowment Fund	9	16,234,293	14,000,000
3. Earmarked/ Endowment funds	3	16,405,649	14,118,509	3. Investments-Others	10	-	-
4. Secured loans and borrowings	4	-	-	4. Current assets, Loans, Advances etc.	11	797,985,352	3,401,374,786
5. Unsecured loans and borrowings	5	-	-	5. Miscellaneous expenditure (to the extent not written off or adjusted)		-	-
6. Deferred credit liabilities	6	-	-				
7. Current liabilities and provisions	7	627,707,434	3,201,017,384				
Total		**819,794,413**	**3,419,155,863**	**Total**		**819,794,413**	**3,419,155,863**
Significant Accounting Policy	24						
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25						

Note :-

A. Schedules to Balance Sheet form part of Account.

Place: New Delhi
Date : 11.08.2017

Manju Bhalla
Chief Accounts Officer

Pradeep Chaddah
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

FORM B

[See rule 3(b)]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

FORM OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED AT 31ST MARCH,2017

(Unit–Indian Rupee)

EXPENDITURE	*Schedule*	Current year	Previous year	INCOME	*Schedule*	Current year	Previous year
1. Establishment Expenses	20	147,412,591	96,812,657	1. Income from Sales/ Services	12	-	-
2. Other Administrative expenses etc.	21	2,909,823,376	1,536,198,321	2. Grants/Subsidies	13	541,818,648	4,561,300,000
3. Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	488,262,806	1,400,000	3. Fee/Subscription	14	316,992,205	153,225,800
4. Interest	23	1,591	1,361	4. Income from Investments (Income on investment from earmarked/endowment Funds transferred to Funds)	15	-	-
5. Depreciation (Net Total at the year end – corresponding to Schedule 8)		1,660,958	1,161,564	5. Income from Royalty, Publications etc.	16	-	-
				6. Interest Earned	17	72,937,833	14,074,665
				7. Other Income	18	100,939	442,769

FORM B

[See rule 3(b)]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

FORM OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED AT 31ST MARCH,2017

(Unit–Indian Rupee)

EXPENDITURE	*Schedule*	Current year	Previous year	INCOME	*Schedule*	Current year	Previous year
				8. Increase/ (decrease) in stock of Finished goods and Work-in-progress	19	-	-
TOTAL		**3,547,161,323**	**1,635,573,903**	**TOTAL**		**931,849,625**	**4,729,043,235**
Balance being excess of Income over Expenditure		-2,615,311,697	3,093,469,332				
Transfer to Special Reserve (specify each)		-	-				
Transfer to/from General Reserve		-	-				
BALANCE BEING SURPLUS / (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/ CAPITAL FUND		**-2,615,311,697**	**3,093,469,332**				
Significant Accounting Policy	24						
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25						

Notes :-

1. All schedules to Income and expenditure account form part of Account.

Place: New Delhi
Date : 11.08.2017

Manju Bhalla
Chief Accounts Officer

Pradeep Chaddah
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

FORM C

[See rule 3(c)]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
FORM OF RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH,2017

(Unit–Indian Rupee)

RECEIPTS	Current year	Previous year	PAYMENTS	Current year	Previous year
1. **Opening Balances**			1. **Expenses**		
(a) Cash in hand	20,000	20,000	(a) Establishment Expenses	144,529,065	90,477,049
(b) Bank Balances			(b) Administrative Expenses	302,209,836	257,360,842
(i) In Current accounts	-	-	2. **Grants Utilised**		
(ii) In Time Deposit accounts	-	-	(a) Swavalamban Contribution	1,013,474,906	860,020,891
(iii) In Saving Bank deposit accounts	3,309,125,616	167,794,017	(b) Swavalamban Promotion	100,949,940	148,946,432
2. **Grants Received**			(c) Grant to National Pension system Trust	-	1,400,000
(i) **From Government of India**			(d) APY Contribution	1,051,961,410	211,944,730
(a) Grant-in-aid Salaries	90,000,000	69,900,000	(e) APY Promotion and Development	357,664,832	-
(b) Grant-in-aid-General	90,000,000	155,000,000	(f) Refund of Grant	488,262,806	-
(c) Grant-in-aid-Swavalamban Contribution	-	2,312,900,000	(g) Others	-	-
(d) Grant-in-aid-Swavalamban Promotional & Development activities	-	193,500,000	3. **Investments and deposits made**		
(e) Grant-in-aid APY Contribution	-	1,500,000,000	(a) Out of Earmarked/ Endowment funds	2,234,293	14,000,000
(f) Grant-in-aid APY Promotion & Development	360,000,000	230,000,000	(b) Out of Own Funds (Investments-Others)	-	-
(g) Others	-	-	4. **Expenditure on Fixed Assets and Capital Work-in-progress**		
(ii) **From State Government**			(a) Purchase of Fixed Assets	3,705,586	1,614,217
(a) Grant-in-aid Salaries	-	-	(b) Expenditure on Capital Work-in-progress	-	-
(b) Grant-aid-General	-	-	5. **Refund of surplus money/ Loans**		
(c) Grant-in-aid-Swavalamban Contribution	-	-	(a) Recoverable from National pension system trust	-	-

FORM C

[See rule 3(c)]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

FORM OF RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH,2017

(Unit–Indian Rupee)

RECEIPTS	Current year	Previous year	PAYMENTS	Current year	Previous year
(d) Grant-in-aid-Swavalamban Promotional & Development activities	-	-	(b) To the State Government	-	-
(e) Others	-	-	(c) To other providers of funds	-	-
iii) From Financial Institutions	1,818,648	100,000,000	6. **Finance Charges (Interest)**		
3. **Income on Investments**			(a) Bank charges	1,591	1,361
(a) Earmarked/Endowment Funds	1,041,100	916,182	(b) Others	-	-
(b) Own Funds (other investment)	-	-	7. **Other Payments (Specify)**		
4. **Interest Received**			(a) Prepaid	1,858,537	991,904
(a) On Bank deposits	72,936,445	14,069,189	(b) Loan/ Advance to employees	330,000	497,669
(b) Loans, Advances etc.	-	-	(c) Advance against Expenses	12,049,696	2,974,640
(c) Others (Interest on Loan)	-	-	(d) Security Deposits	3,389,500	-
5. **Other Income (Specify)**			8. **Closing Balances**		
(a) Annual Fees	300,040,705	134,170,800	(a) Cash in hand	20,000	20,000
(b) Fees from Miscellaneous Services	16,951,500	19,055,000	(b) Bank Balances		
(c) Miscellaneous Income	3,329	444,415	(i) In Current accounts	-	-
6. **Amount Borrowed**	-	-	(ii) In Time Deposit accounts	-	-
7 **Any Other receipts**			(iii) in Saving Bank deposit accounts	761,572,278	3,309,125,616
(a) Security/EMD receipts	-	75,000			
(b) Recovery of Advance	764,414	738,927			
(C) Transfer of Assets	266,479	4,000			
(d) Subscribers Education and Protection Fund	1,246,040	787,819			
TOTAL	**4,244,214,276**	**4,899,375,350**	**TOTAL**	**4,244,214,276**	**4,899,375,350**

Place: New Delhi
Date : 11.08.2017

Manju Bhalla
Chief Accounts Officer

Pradeep Chaddah
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2017

(Unit–Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
SCHEDULE 1: CORPUS / CAPITAL FUND		
Balance as at the beginning of the year	204,019,970	157,827,280
Add: Opening Balance of unutilized corpus fund	3,175,972,328	128,695,686
Less: Closing Balance of unutilized corpus fund	-588,999,270	-3,175,972,328
Add/ Deduct: Balance of net income/expenditure transferred from the Income and Expenditure Account	-2,615,311,697	3,093,469,332
Add: Government Grant to be received from Government/ transferred from the Income and Expenditure Account	-	-
BALANCE AS AT THE YEAR END	**175,681,330**	**204,019,970**

Place: New Delhi
Date : 11.08.2017

Manju Bhalla
Chief Accounts Officer

Pradeep Chaddah
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2017

(Unit–Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
SCHEDULE 2: RESERVES AND SURPLUS		
1. Capital Reserve		
(a) At the beginning of the year	-	-
(b) Addition during the year	-	-
(c) Less : Deductions during the year	-	-
2. Revaluation Reserve		
(a) At the beginning of the year	-	-
(b) Addition during the year	-	-
(c) Less : Deductions during the year	-	-
3. Special Reserve		
(a) At the beginning of the year	-	-
(b) Addition during the year	-	-
(c) Less : Deductions during the year	-	-
4. General Reserve		
(a) At the beginning of the year	-	-
(b) Addition during the year	-	-
(c) Less : Deductions during the year	-	-
Total	**-**	**-**

Place: New Delhi
Date : 11.08.2017

Manju Bhalla
Chief Accounts Officer

Pradeep Chaddah	**Dr. B.S. Bhandari**	**Hemant G. Contractor**
Member	**Member**	**Chairperson**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2017

(Unit–Indian Rupee)

Particulars	Fund wise break up		Subscriber's Education and Protection Fund	
	Fund XX	Fund YY	Current year	Previous year
SCHEDULE 3: EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS				
1. Opening balance of the funds			14,118,509	39,118,331
2. Additions to the funds				
(a) Donations/grants				
(b) Income on Investments made on account of funds			1,041,100	916,182
(c) Transfer from NPS Trust Penalty A/c and NPS Trust Investor Awareness Fund A/c			-	643,968
(d) Receipts during the year			1,246,040	438,735
(e) Other Additions (specify nature)			-	-
TOTAL (1+2)	**-**	**-**	**16,405,649**	**41,117,215**
3. Utilisation / Expenditure towards objectives of funds				
(a) Capital Expenditure				
(i) Fixed assets			-	-
(ii) Others			-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**
(b) Revenue Expenditure				
(i) Salaries, Wages and allowances etc.			-	-
(ii) Rent			-	-
(iii) Other Administrative expenses			-	-
(c) Others				
(i) Transfer to Swavlamvan Kosh			-	26,703,823
(ii) Transfer of Penalty to Govt. of Gujarat			-	294,883
Total	**-**	**-**	**-**	**26,998,706**
TOTAL (3)	**-**	**-**	**-**	**26,998,706**
NET BALANCE AT THE YEAR END(1+2-3)	**-**	**-**	**16,405,649**	**14,118,509**

Notes

1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.
2) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds.

Place: New Delhi
Date : 11.08.2017

Manju Bhalla
Chief Accounts Officer

Pradeep Chaddah	**Dr. B.S. Bhandari**	**Hemant G. Contractor**
Member	**Member**	**Chairperson**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2017

(Unit–Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
SCHEDULE 4: SECURED LOANS AND BORROWINGS		
1. Central Government	-	-
2. State Government	-	-
3. Financial Institutions		
(a) Term Loans	-	-
(b) Interest accrued and due	-	-
4. Banks		
(a) Term Loans		
- Interest accrued and due	-	-
(b) Other Loans (specify)		
- Interest accrued and due	-	-
5. Other Institutions	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Others	-	-
TOTAL	**-**	**-**

Note : Amount due within one year

Place: New Delhi
Date : 11.08.2017

Manju Bhalla
Chief Accounts Officer

Pradeep Chaddah
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2017

(Unit–Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
SCHEDULE 5: UNSECURED LOANS AND BORROWINGS		
1. Central Government	-	-
2. State Government	-	-
3. Financial Institutions	-	-
4. Banks		
(a) Term Loans	-	-
(b) Other Loans (specify)	-	-
5. Other Institutions	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Fixed deposits	-	-
8. Others (specify)	-	-
TOTAL	**-**	**-**
Note : Amount due within one year		

(Unit–Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
SCHEDULE 6: DEFERRED CREDIT LIABILITIES		
1. Acceptances secured by hypothecation of Capital Equipment and Other Assets	-	-
2. Others	-	-
TOTAL	**-**	**-**

Note : Amount due within one year

Place: New Delhi
Date : 11.08.2017

Manju Bhalla
Chief Accounts Officer

Pradeep Chaddah	**Dr. B.S. Bhandari**	**Hemant G. Contractor**
Member	**Member**	**Chairperson**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2017

(Unit–Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
SCHEDULE 7: CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		
CURRENT LIABILITIES		
1. Acceptances	-	-
2. Sundry Creditors & Payables	17,096,564	6,321,184
3. Advances Received	7,140,000	7,200,000
4. Interest Accrued but not Due on :		
(a) Secured Loans / Borrowings	-	-
(b) Unsecured Loans / Borrowings	-	-
5. Statutory Liabilities :		
(a) Overdue	-	-
(b) Others	282,504	272,403
6. Other Current Liabilities		
(a) Unutilised grant as at 31st March payable to GOI	588,999,270	3,175,972,328
(b) Others	31,988	31,988
TOTAL	**613,550,326**	**3,189,797,903**
PROVISIONS		
1. For Taxation		
2. Gratuity	13,603,720	10,656,583
3. Trade Warranties / Claims	-	-
4. Accumulated Leave encashment	-	-
5. Pension Contribution Payable	323,808	279,151
6. Leave salary payable	229,579	283,746
TOTAL	**14,157,107**	**11,219,480**
GRAND TOTAL	**627,707,434**	**3,201,017,384**

Place: New Delhi
Date : 11.08.2017

Manju Bhalla
Chief Accounts Officer

Pradeep Chaddah	**Dr. B.S. Bhandari**	**Hemant G. Contractor**
Member	**Member**	**Chairperson**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2017

SCHEDULE 8: FIXED ASSETS (Unit–Indian Rupee)

DESCRIPTION	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
	Cost/ Valuation As at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/ Valuation As at the year- end	As at beginning of the Year	For the Year	On Deductions during the year	Total upto year end	As at the Current Year	As at the previous year
FIXED ASSETS										
1. Land :										
(a) Freehold										
(b) Leasehold										
2. Buildings :										
(a) On Freehold Land										
(b) On Leasehold Land										
(c) Ownership Flats / Premises										
(d) Superstructures on Land not belonging to the entity										
3. Plant Machinery & Equipment										
4. Vehicle	1,037,399	-	-	1,037,399	731,093	45,945	-	777,038	260,361	306,306
5. Furniture & Fixtures	2,778,281	529,372	-	3,307,653	1,216,142	193,120	-	1,409,262	1,898,391	1,562,139
6. Office equipments	3,225,304	1,264,173	173,475	4,316,002	1,809,548	319,437	56,514	2,072,471	2,243,531	1,415,756
7. Computer/ Peripherals	9,464,809	1,846,564	1,782,073	9,529,300	8,994,577	1,041,058	1,648,097	8,387,538	1,141,762	470,232
8. Electrical Installations	129,408	22,500	-	151,908	102,765	18,421	-	121,186	30,722	26,643
9. Library Books	129,262	42,977	-	172,239	129,262	42,977	-	172,239	-	-
10. Other Fixed Assets										
TOTAL OF CURRENT YEAR	**16,764,464**	**3,705,586**	**1,955,548**	**18,514,502**	**12,983,387**	**1,660,958**	**1,704,611**	**12,939,734**	**5,574,768**	**3,781,077**
PREVIOUS YEAR	**17,841,743**	**1,692,521**	**2,769,800**	**16,764,464**	**13,449,766**	**1,161,564**	**1,627,943**	**12,983,387**	**3,781,077**	**4,391,978**
Capital Work-in-progress										
Total									**5,574,768**	**3,781,077**

Note to be given as to cost of assets on hire purchase basis included above.

Place: New Delhi
Date : 11.08.2017

Manju Bhalla
Chief Accounts Officer

Pradeep Chaddah
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2017

(Unit–Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
SCHEDULE 9: INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS		
1. Government securities	-	-
2. Other approved securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint ventures	-	-
6. Fixed Deposits	16,234,293	14,000,000
7. Others (to be specified)	-	-
TOTAL	**16,234,293**	**14,000,000.00**

(Unit–Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
SCHEDULE 10: INVESTMENTS-OTHERS		
1. Government securities	-	-
2. Other approved securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint ventures	-	-
6. Others (to be specified)	-	-
TOTAL	**-**	**-**

Place: New Delhi
Date : 11.08.2017

Manju Bhalla
Chief Accounts Officer

Pradeep Chaddah	**Dr. B.S. Bhandari**	**Hemant G. Contractor**
Member	**Member**	**Chairperson**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2017

(Unit–Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
SCHEDULE 11: CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES		
A. CURRENT ASSETS		
1. Inventories :		
(a) Stores and Spares	-	-
(b) Loose Tools	-	-
(c) Stock-in-Trade		
Finished Goods	-	-
Work-in-Progress	-	-
Raw Materials	-	-
2. Sundry Debtors :		
(a) Debts Outstanding for a period exceeding six months	-	-
(b) Others	30,585	30,585
3. Cash in hand	20,000	20,000
4. Bank Balances :		
(a) with Scheduled Banks :		
(i) On Current Accounts	-	-
(ii) On Time Deposit Accounts	-	-
(iii) On Savings Bank deposit Accounts	761,572,278	3,309,125,616
(b) with Non-Scheduled Banks :		
(i) On Current Accounts	-	-
(ii) On Time Deposit Accounts	-	-
(iii) On Savings Bank deposit Accounts	-	-
5. Post office-Savings Accounts	-	-
6. Others	-	-
TOTAL (A)	**761,622,863**	**3,309,176,201**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2017

(Unit–Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
Continued		
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS:		
1. Loans:		
(a) Staff	346,376	592,388
(b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity	-	-
(c) Others (specify)	-	-
2. Advances and Other Amounts Recoverable in cash or in kind or for value to be received:		
(a) On Capital Account	-	-
(b) Prepayments	1,792,084	991,904
(c) Security Deposits	3,647,500	318,000
(d) Others	30,576,529	90,296,293
3. Income Accrued :		
(a) On Investments from Earmarked/ Endowment Funds	-	-
(b) On Investments – Others	-	-
(c) On Loans and Advances	-	-
(d) Others (includes income due unrealized _____)	-	-
4. Claims Receivable	-	-
TOTAL (B)	**36,362,489**	**92,198,585**
GRAND TOTAL (A) + (B)	**797,985,352**	**3,401,374,786**

Place: New Delhi
Date : 11.08.2017

Manju Bhalla
Chief Accounts Officer

Pradeep Chaddah
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING AT 31.03.2017

(Unit–Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
SCHEDULE 12: INCOME FROM SALES/SERVICES		
(1) Income from Sales		
(a) Sale of Finished goods	-	-
(b) Sale of Raw Material	-	-
(c) Sale of Scraps	-	-
(2) Income from Services		
(a) Labour and Processing Charges	-	-
(b) Professional/Consultancy Services	-	-
(c) Agency Commission and Brokerage	-	-
(d) Maintenance Services (Equipment/Property)	-	-
(e) Others (Specify)	-	-
TOTAL	**-**	**-**

(Unit–Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
SCHEDULE 13: GRANT / SUBSIDIES		
Irrevocable Grants and Subsidies Received		
1. Central Government	540,000,000	4,461,300,000
2. State Government	-	-
3. Government agencies	-	-
4. Institution / Welfare bodies	1,818,648	100,000,000
5. International Organisations	-	-
6. Others (specify)	-	-
TOTAL	**541,818,648**	**4,561,300,000**

Place: New Delhi
Date : 11.08.2017

Manju Bhalla
Chief Accounts Officer

Pradeep Chaddah	**Dr. B.S. Bhandari**	**Hemant G. Contractor**
Member	**Member**	**Chairperson**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING AT 31.03.2017

(Unit–Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
SCHEDULE 14: FEES / SUBSCRIPTIONS		
1. Entrance Fees	-	-
2. Annual Fees /Subscriptions	300,040,705	134,170,800
3. Seminar /Program Fee	-	-
4. Consultancy Fees	-	-
5. Licence fees	-	-
6. Fees from Miscellaneous Services	16,951,500	19,055,000
7. Others (Specify)	-	-
TOTAL	**316,992,205**	**153,225,800**

(Unit–Indian Rupee)

Particulars	Investment from Earmarked Fund		Investment - Others	
	Current year	Previous year	Current year	Previous year
SCHEDULE 15: INCOME FROM INVESTMENTS (Income on Investments from Earmarked/ Endowment Funds transferred to Funds)				
1. Interest				
(a) On Govt. securities	-	-	-	-
(b) Other Bonds/Debentures	-	-	-	-
(c) Others	1,041,100	916,182	-	-
2. Dividend				
(a) On Shares	-	-	-	-
(b) On Mutual Funds	-	-	-	-
(c) Others	-	-	-	-
3. Rents	-	-	-	-
4. Others (specify)	-	-	-	-
TOTAL	**1,041,100**	**916,182**	**-**	**-**
Transferred to Earmarked/Endowment Funds				

Place: New Delhi
Date : 11.08.2017

Manju Bhalla
Chief Accounts Officer

Pradeep Chaddah	**Dr. B.S. Bhandari**	**Hemant G. Contractor**
Member	**Member**	**Chairperson**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING AT 31.03.2017

(Unit–Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
SCHEDULE 16: INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.		
1. Income from Royalty	-	-
2. Income from Publications	-	-
3. Others (specify)	-	-
TOTAL	**-**	**-**

(Unit–Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
SCHEDULE 17: INTEREST EARNED		
1. On Term Deposits Accounts		
(a) with Scheduled Bank	-	-
(b) with Non Scheduled Bank	-	-
(c) with Institutions	-	-
(d) Others	-	-
2. On Savings Bank Deposit Accounts:		
(a) with Scheduled Bank	72,936,445	14,069,189
(b) with Non Scheduled Bank	-	-
(c) Post Office Savings Accounts	-	-
(d) Others	-	-
3. On Loans:		
(a) Employees / Staff	1,388	5,476
(b) Others	-	-
4. Interest on Debtors and Other Receivables	-	-
TOTAL	**72,937,833**	**14,074,665**
Tax deducted at source to be indicated		

Place: New Delhi
Date : 11.08.2017

Manju Bhalla
Chief Accounts Officer

Pradeep Chaddah
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING AT 31.03.2017

(Unit–Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
SCHEDULE 18: OTHER INCOME		
1. Profit on Sale / Disposal of Assets		
(a) Owned Assets	-	-
(b) Assets acquired out of grants or received free of cost	-	-
2. Export Incentives Realized	-	-
3. Fees for Miscellaneous Services	-	-
4. Miscellaneous Income	100,939	442,769
TOTAL	**100,939**	**442,769**

(Unit–Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
SCHEDULE 19: INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS AND WORK IN PROGRESS		
(a) Closing Stock		
- Finished Goods	-	-
- Work-in-progress	-	-
(b) Less : Opening Stock		
- Finished Goods	-	-
- Work-in-progress	-	-
Net Increase/(Decrease) [a-b]	**-**	**-**

Place: New Delhi
Date : 11.08.2017

Manju Bhalla
Chief Accounts Officer

Pradeep Chaddah	**Dr. B.S. Bhandari**	**Hemant G. Contractor**
Member	**Member**	**Chairperson**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING AT 31.03.2017

(Unit–Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
SCHEDULE 20: ESTABLISHMENT EXPENSES		
1. Salaries and Wages	133,715,315	80,642,422
2. Allowances and Bonus	-	-
3. Contribution to Provident Fund	-	-
4. Contribution to Pension	8,874,430	4,809,853
5. Staff Welfare expenses	-	-
6. Expenses on Employee's Retirement and Terminal Benefits	-	-
7. Leave Salary	364,143	93,648
8. Tution fees reimbursement	-	-
9. Medical Reimbursement	1,511,566	610,151
10. Gratuity Contribution	2,947,137	10,656,583
11. Others (Specify)	-	-
TOTAL	**147,412,591**	**96,812,657**

(Unit–Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
SCHEDULE 21: OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES		
1. Purchases	-	-
2. Labour and processing expenses	-	-
3. Cartage and Carriage inwards	-	-
4. Electricity and Power	1,399,178	4,312,574
5. Water charges	380,358	170,900
6. Insurance	971,420	467,323
7. Repair and Maintenance	7,006,650	6,349,059
8. Excise Duty	-	-
9. Rent, Rates and Taxes	65,366,989	40,828,179
10. Vehicles Running and Maintenance	8,421,062	7,858,008
11. Postage, Telephone and Communication charges	6,022,060	3,907,259
12. Printing and Stationary	1,447,344	3,196,718
13. Traveling and Conveyance expenses	6,926,264	5,085,894
14. Expenses on Seminar/Workshops/Meetings and conferences	21,104,722	28,451,172

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING AT 31.03.2017

(Unit–Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
Continued		
15. Subscription expenses	-	-
16. Expenses on Fees	-	-
17. Auditors Remuneration	-	-
18. Hospitality expenses	-	-
19. Professional Charges	10,048,351	13,074,110
20. Books and Periodicals	114,944	89,966
21. Recruitment expenses	32,111	40,304
22. Provision for Bad and Doubtful Debts/Advances	-	-
23. Incentive to Aggregator	100,949,940	148,946,432
24. Swavalamban Government Contribution	1,013,474,906	833,317,068
25. APY Government Contribution	1,051,961,410	-
26. Incentive to Point of presence	-	-
27. Irrecoverable balances Written off	-	-
28. Packing charges	-	-
29. Freight and Forwarding expenses	-	-
30. Distribution expenses	-	-
31. Advertisement and Publicity expenses	255,037,361	225,726,821
32. Membership Fees	403,415	419,713
33. Staff Welfare	789,710	732,426
34. Consultancy Expenses	300,350	1,204,665
35. APY Promotion	19,609,592	50,000,000
36. Incentive under APY	338,055,240	161,944,730
37. Sitting Fees	-	75,000
38. Others (Specify)	-	-
TOTAL	**2,909,823,376**	**1,536,198,321**

Place: New Delhi
Date : 11.08.2017

Manju Bhalla
Chief Accounts Officer

Pradeep Chaddah	**Dr. B.S. Bhandari**	**Hemant G. Contractor**
Member	**Member**	**Chairperson**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING AT 31.03.2017

(Unit–Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
SCHEDULE 22: EXPENDITURE ON GRANT SUBSIDIES ETC.		
1. Grants given to Institutions/Organisations / National Pension System Trust	-	1,400,000
2. Subsidies given to Institutions / Organizations	-	-
3. Others (Refund of Grants)	488,262,806	-
TOTAL	**488,262,806**	**1,400,000**

(Unit–Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
SCHEDULE 23: INTEREST		
1. On Fixed Loans	-	-
2. On Other Loans	-	-
3. Bank charges	1,591	1,361
4. Others (Specify)	-	-
TOTAL	**1,591**	**1,361**

Place: New Delhi
Date : 11.08.2017

Manju Bhalla
Chief Accounts Officer

Pradeep Chaddah
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
ATTACHED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS
FOR THE YEAR ENDING AT 31.03.2017

SCHEDULE 24: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of accounting and preparation of financial statements

The financial statements of the Authority have been prepared in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2015. The financial statements have been prepared on accrual basis under the historical cost convention except for Swavlamban scheme and Atal Pension Yojna (APY) maintained on payment basis, being the scheme of Government of India .

2. Government Grants

Government grants are accounted on realisation basis.

3. Fixed Assets

Fixed assets are stated at their original cost including taxes and other incidental expenses related to acquisition.

4. Depreciation

4.1 Depreciation is provided on the written down value method as per rates specified in The Income tax Act 1961.

4.2 Assets costing Rs. 5,000/- or less each are fully provided.

5. Retirement benefits

Provision for gratuity is provided as per Authority scheme. The liability for gratuity at the year end is computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end.

Place: New Delhi
Date : 11.08.2017

Manju Bhalla
Chief Accounts Officer

Pradeep Chaddah	**Dr. B.S. Bhandari**	**Hemant G. Contractor**
Member	**Member**	**Chairperson**

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
ATTACHED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS
FOR THE YEAR ENDING AT 31.03.2017

SCHEDULE 25: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

1. Contingent Liabilities

There is no contingent liability of the Authority as at 31.03.2017.

2. Current Assets, Loans & Advances

The Current assets, Loans and advances have a value on realisation equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

3. Taxation

In view of the clause 34 of The Pension Fund Regulatory and Development Authority Act 2013, the Authority shall not be liable to pay wealth-tax, income-tax or any other tax in respect of its wealth, income, profits or gains derived. Accordingly, no provision for the same has been provided in the books of accounts.

4. The unutilised Government grants as on 31.03.2017 has been shown under the head Current Liabilities and Provisions.

5. Corresponding figures for the previous year has been regrouped/rearranged, wherever necessary.

6. The schedule 1 to 25 are annexed to and form an integral part of the Balance sheet as at 31.03.2017 and the Income and Expenditure account for the year ended on that date.

Place: New Delhi
Date : 11.08.2017

Manju Bhalla
Chief Accounts Officer

Pradeep Chaddah	**Dr. B.S. Bhandari**	**Hemant G. Contractor**
Member	**Member**	**Chairperson**

Notes

Notes